

68th वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2017-18



इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड
Indian Rare Earths Limited





वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए श्री के.एन. व्यास, सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग को डिविडेंड चेक सौंपते हुए श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

Shri D.Singh, CMD handing over the Dividend Cheque for the financial year 2017-18 to Shri K.N. Vyas, Secretary DAE and Chairman AEC.

माननीय श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, युवा मामलों के मंत्री एवं आईएण्डबी, भारत सरकार से 'स्कोप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस उत्कृष्टता पुरस्कार, 2017' प्राप्त करते हुए आईआरईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री दीपेन्द्र सिंह।

Shri Rajyavardhan Singh Rathore, Hon'ble Minister for Youth affairs and I&B, Govt. of India presenting SCOPE Corporate Communication Excellence Award 2017 for Crisis Handling to Shri D.Singh, CMD, IREL.



कोच्चि में संसदीय राजभाषा समिति का आगमन


The Visit of Parliamentary Committee on Official Language at Kochi.

विषयवस्तु/ CONTENTS

विवरण Particulars	पृष्ठ सं. Page No.
अध्यक्षीय कथन Chairman's Statement	01
निदेशकों की रिपोर्ट Director's Report	14
कार्पोरेट शासन प्रमाणपत्र Corporate Governance Certificate	38
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी C & AG Comments	41
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditor's Report	42
तुलन पत्र Balance Sheet	50
लाभ एवं हानि का विवरण Statement of Profit & Loss	51
नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	52
नोट्स Notes	53




कुल आय, पीबीटी एवं पीएटी (₹ लाख में) / Total Income, PBT and PAT (₹ in lakh)



	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल आय Total Income	34179	38974	37270	43007	68116	59383	45615	46349	40404.46	56239	61549
पीबीटी PBT	22876	8288	4782	5244	24984	23744	7177	315	-11372.63	4159	12385
पीएटी PAT	15557	5677	2307	3189	17045	15659	4678	67	-10611.84	5075	8211


**लाभांश का भुगतान लाभांश वितरण कर सहित (₹ लाख में) /
Dividend payout including Dividend Distribution Tax (₹ in lakh)**



	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लाभांश वितरण कर सहित लाभांश Dividend including dividend distribution tax	2021	2021	2014	2008	4010	3744	2021	2079	0	4092	4400

वर्ष 2017-18 के लिए लाभांश वर्ष 2018-19 के दौरान भुगतान किया जाता है।
Dividend for 2017-18 is paid during 2018-19.

तरलता अनुपात (समय) / Liquidity Ratios (times)



	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
त्वरित अनुपात Quick Ratio	2.40	2.56	2.32	2.84	2.67	2.28	2.56	2.61	2.10	2.30	2.66
वर्तमान अनुपात Current Ratio	2.80	2.97	2.75	3.21	3.00	2.79	3.25	3.31	2.71	2.88	3.33

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



श्री दीपेन्द्र सिंह / Shri D Singh
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / Chairman & Managing Director



श्री के के महान्ति / Shri K K Mohanty
निदेशक (विपणन) / Director (Marketing)



श्री ए के महापात्र / Shri A K Mohapatra
निदेशक (तकनीकी) / Director (Technical)
दिनांक 01.01.2018 से / From 01.01.2018



श्री ए रॉय चौधरी / Shri A Roy Chowdhury
निदेशक (वित्त) / Director (Finance)
दिनांक 10.08.2018 से / From 10.08.2018



श्री एम ए इनबरासु / Shri M A Inbarasu
संयुक्त सचिव (आई एंड एम) / Jt. Secretary (I&M)



सुश्री शीला सांगवान / Ms. Sheila Sangwan
स्वतंत्र निदेशक / Independent Director



डॉ दिनेश श्रीवास्तव / Dr. Dinesh Srivastava
मुख्य कार्यकारी / Chief Executive
एनएफसी, दिनांक 19.02.18 से /
N F C from 19.02.18



श्री संजय एम कॉल / Shri Sanjay M Kaul, IAS
सचिव (उद्योग विभाग) / Secretary (Ind. Dept.)
केरल सरकार, दिनांक 05.02.18 से /
Govt. of Kerala from 05.02.18



श्री जी कल्याणकृष्णन / Shri G Kalyanakrishnan
मुख्य कार्यकारी / Chief Executive
एनएफसी दिनांक 31.01.2018 तक / N F C upto 31.01.2018



श्री पॉल अंटोनी, आईएएस / Shri Paul Antony, IAS
अतिरिक्त मुख्य सचिव / Addl.Chief Secretary
केरल सरकार दिनांक 05.01.18 तक /
Govt. of Kerala upto 05.01.18



श्री रakesh तुमाने / Shri Rakesh Tumane
निदेशक (वित्त) / Director (Finance)
दिनांक 27.09.2017 तक / Upto 27.09.2017

बैंकर्स / Bankers

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया / State Bank of India
एचडीएफसी बैंक / HDFC Bank
इंडियन बैंक / Indian Bank

लेखा परीक्षक / Auditor

मेसर्स गोखले एंड साठे / M/s Gokhale & Sathe
मुंबई / Mumbai

विधि सलाहकार / Legal Advisor

मेसर्स कंसल्टा जूरिस, मुंबई / M/s Consulta Juris, Mumbai
मेसर्स मेनन एंड पै, कोच्ची / M/s Menon & Pai, Kochi

कार्पोरेट पहचान क्रमांक(सीआईएन) / Corporate Identity Number(CIN): U15100MH1950GOI008187



इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड
INDIAN RARE EARTHS LIMITED

अध्यक्षीय कथन CHAIRMAN'S STATEMENT

अध्यक्षीय कथन / CHAIRMAN'S STATEMENT



प्रिय शेयरधारकों,

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड की 68 वीं वार्षिक आम सभा में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2017-18 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और संवैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की शून्य टिप्पणी के साथ समीक्षा रिपोर्ट के साथ मिलकर पहले ही आपके पास हैं।

मुझे आपको यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि यह मेरी ओर से आपकी कंपनी के वार्षिक कार्य निष्पादन को प्रस्तुत करने का तीसरा अवसर है और इस अवधि के दौरान, कंपनी एक बड़ी हानि बनाने वाली कंपनी से लाभ कमाने वाली कंपनी में बदल गई है और इस साल की टॉपलाइन ने 600 करोड़ से अधिक पार कर लिया है और कर पूर्व लाभ तीन अंकों तक पहुंच गया है।

बृहत् आर्थिक परिदृश्य:

वर्ष 2017-18 के दौरान भारत का जीडीपी 6.6% तक बढ़ गया। इस वर्ष जीएसटी, डिजिटल उपक्रम इत्यादि के कार्यान्वयन के मामले में भारत के व्यापार परिदृश्य में आमूल परिवर्तन दिखाई दिया है। आधारिक संरचना के विकास पर नये सिरे से जोर दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप भारत के आधारिक संरचना का उत्पादन बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने 'मेक इन इंडिया' उपक्रम का आरम्भ किया है और विभिन्न आधारिक संरचना परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया है। "सभी के लिए आवास" और "स्मार्ट सिटी

Dear Shareholders,

I am delighted to welcome you all to the 68th Annual General Meeting of Indian Rare Earths Ltd. Director's Report, Financial Statements for the year 2017-18 and the Report of Statutory Auditors together with the review report of Comptroller & Auditor General of India with their NIL comments are already with you.

I am extremely glad to inform you that this is the third consecutive occasion on my part to present the annual performance of your company and during this period, the company has turned around from a mammoth loss making company to a profit making company and this year topline has crossed more than ₹ 600 crores and profits before taxes has come up in three digits figures.

Macroeconomic landscape

GDP of India grew at 6.6% during the year 2017-18. The year witnessed radical transformation in terms of implementation of GST, digital initiative etc. in India's business landscape. Renewed emphasis has been laid on infrastructure development and as a result the Infrastructure output of India is increasing. Central Government has embarked upon 'Make in India' initiative and is providing impetus for various infrastructure projects. With initiatives like "Housing



मिशन” जैसे उपक्रमों की शुरुआत के साथ भारत सरकार बाधाओं को कम करने पर और बुनियादी ढांचे क्षेत्र में बढ़ती वृद्धि पर काम कर रही है। इसके अलावा, भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने की संभावना है और निकट भविष्य में यह @ 7.5 ~ 8% बढ़ने की उम्मीद है। इल्मेनाइट, रूटाइल जैसे आईआरईएल के उत्पादों की मांग जो बुनियादी ढांचे और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से निकटता से जुड़े हैं, उनमें सकारात्मक विकास की प्रवृत्ति दिखने की संभावना है। जिर्कॉन और जिर्फ्लोर जैसे उत्पाद सिरैमिक्स (टाइल्स, सेनेटरीवेयर इत्यादि), फाउंड्री और रिफ्रेक्टरीज के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो भारत सरकार के इन पहलुओं विशेष रूप से “सभी के लिए आवास” पर जोर के साथ विकास के पथ पर बढ़ने की संभावना है। हालांकि, भारत में न बेची गई आवासीय इकाइयों की बड़ी सूची की रिपोर्ट जिर्कॉन / जिर्फ्लोर के बाजार के वृद्धि में एक प्रशासक के रूप में कार्य करने की संभावना है।

वित्त वर्ष 08-वित्त वर्ष 18 के दौरान भारत की तैयार इस्पात की खपत 5.69% की सीएजीआर में बढ़ी। बुनियादी ढांचे में अपेक्षित वृद्धि के साथ, भारत में इस्पात उद्योग भी अपने वृद्धि के प्रक्षेपण को जारी रखने की संभावना है। सिलीमानाइट के लिए यह शुभ संकेत है, जिसका मुख्य रूप से अपवर्तक के निर्माण में उपयोग किया जाता है जो इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कच्चे तेल की कीमतों में देर से कुछ मजबूती देखी गई है। यह उद्योग गार्नेट के प्रमुख बाजारों में से एक है। यह उम्मीद की जाती है कि कच्चे तेल की कीमत 2018 और 2019 के दौरान स्थिर रहेगी। इस प्रकार, आने वाले सालों में गार्नेट बाजार भी स्थिर रहने की उम्मीद है।

पर्यावरणीय उत्सर्जन को रोकने के लिए पेरिस समझौते के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता स्वच्छ और हरी ऊर्जा पर जोर देती है। इसका मतलब पवनचक्की जैसे अपरंपरागत साधनों से अधिक ऊर्जा का उत्पादन होगा। इसके अलावा, प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से सरकार 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ खनिज पदार्थ पर आधारित वाहनों को समाप्त करने के लिए एक लक्ष्य दस्तावेज लेकर आई है। इन घटनाओं का मतलब यह होगा कि भारत आने वाले समय में रेअर अर्थ के अंतिम उत्पादों का अच्छा बाजार होगा। हालांकि, मूल्य श्रृंखला की शुरुआत में वर्तमान में भारत में उत्पादों के लिए बाजार सीमित है।

केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल करके निर्यात नीति में एक संशोधन लाया और विदेश नीति (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत विनियमित होने के लिए समुद्र तट रेत खनिज के रूप में वर्गीकृत रेअर अर्थ यौगिकों का निर्यात किया गया है और इस उद्देश्य के लिए आपकी कंपनी को राज्य व्यापार उद्यम के रूप में नामित किया गया है और आईआरईएल के माध्यम से समुद्र तट रेत खनिजों का निर्यात नीति और सरणीबद्ध तरीके से किया जायेगा। यह भारत सरकार की स्वागत पहल है और देश के लिए रणनीतिक महत्व के खनिजों के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें एक अलग शीर्ष संरचना बनाने की आवश्यकता होगी और हम आश्वासन देते हैं कि कंपनी को भारत सरकार द्वारा दी गई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आईआरईएल प्रतिबद्ध है।

क्षेत्र-विशिष्ट व्यापार का परिदृश्य

TiO₂ (टीआईओ₂) वर्णक उत्पादन और इसकी मांग 2018-19 के दौरान ज्यादा रहने की संभावना है। आईआरईएल जैसे टाइटेनियम फीडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं की निचली पंक्ति पर इसका सकारात्मक असर होगा। हालांकि, अपेक्षाकृत नए आपूर्ति स्रोतों से प्रतिस्पर्धा का कुछ प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। चीनी पर्यावरणीय क्रेकडाउन के आसान होने के परिणामस्वरूप चीनी फीडस्टॉक उत्पादकों द्वारा

for All” and “Smart Cities Mission” the Government of India is working on reducing bottlenecks and impending growth in the infrastructure sector. Further, the Indian economy is likely to grow at a fast clip and in the near future the same is expected to grow @ 7.5 ~ 8 %. The demand for IREL's products like Ilmenite, Rutile that are closely associated with the growth in infrastructure and GDP are likely to see positive growth trend. Products like Zircon and Zirflor that are key ingredients in Ceramics (Tiles, Sanitaryware, etc.), Foundry and Refractories are likely to see growth path on account of these initiatives of the Government of India especially the thrust for “Housing for All”. However, the reported large inventory of unsold housing units in India is likely to act as a damper in the growth of market for Zircon / Zirflor.

India's finished steel consumption grew at a CAGR of 5.69% during FY08-FY18. With the expected growth in infrastructure, Steel industry in India too is likely to maintain its growth trajectory. This augurs well for Sillimanite which is mainly used in manufacturing of refractories that are vital for Steel industry.

Crude oil prices have seen some firmness of late. This industry is one of the major markets for Garnet. It is expected that the crude oil prices would remain stable during 2018 and 2019. Thus, garnet market too is expected to be stable during the coming years.

The Government of India's commitment to Paris Accord to cap environmental emission translates into thrust for clean and green energy. This would mean more energy generation from unconventional means like windmills. Further, with an aim to reduce pollution the Government has come out with a vision document to phase out fossil based vehicles with electric vehicles by 2030. These developments would mean India would be good market of end products of rare earths in times to come. However, the market for products at the start of the value chain is limited in India at present.

The Central Government, by taking a major initiative, brought out an amendment in Export Policy and made export of rare earth compounds classified as Beach Sand Minerals to be regulated under the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 and for this purpose your company has been designated as State Trading Enterprise and export of beach sand minerals would be canalised through IREL. This is a welcome initiative of Government of India & it is important for the minerals of strategic importance for the nation. It would require us to create a separate vertical and we assure that the Company is committed to fulfil the expectation of Government of India bestowed upon IREL.

Sector-specific business outlook

The TiO₂ pigment production and its demand is likely to remain high during 2018-19. This will have positive impact on the bottom line of titanium feedstock suppliers like IREL. However, competition from relatively newer supply sources may have some adverse impact. The easing of Chinese environmental crackdown has resulted in resumption of production by the



उत्पादन की बहाली हुई है जिसके परिणामस्वरूप चीन में कमी आई है जो इल्मेनाइट की कीमत की वसूली को प्रभावित कर सकती है।

हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आईआरईएल ने उनके इल्मेनाइट के लिए जो जगह बनाई है, वह कंपनी को इस प्रभाव से कुछ हद तक अलग करने की संभावना है।

ज़िंक्रोन की आपूर्ति उपलब्धता के संबंध में बढ़ती चिंताएं हैं क्योंकि कई मौजूदा परिचालन समाप्त हो रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप मांग आपूर्ति का अंतर बढ़ रहा है। निकट भविष्य में नई परियोजनाओं के बिना, आपूर्ति स्थिति की इस स्थिति को और अधिक बिगाड़ देगी। आईआरईएल जैसे आपूर्तिकर्ताओं के लिए इसका असर सकारात्मक होगा। हालांकि, बढ़ती मांग-आपूर्ति के अंतर से एंड-यूजर उद्योग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने वाले प्रतिस्थापन का संभावित खतरा है, जैसा कि दशक की शुरुआत में देखा गया था। आईआरईएल यह भी उम्मीद करता है कि सिलीमानाइट और गार्नेट के लिए बाजार अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा और ये उत्पाद 2018-19 में बेहतर राजस्व देंगे। रेअर अर्थ्स के मामले में कमजोर बाजार की स्थिति कम से कम 2018-19 की शुरुआती अवधि तक बरकरार रह सकती है। हालांकि, आईआरईएल का मानना है कि बिजली के वाहनों, स्वच्छ और हरी ऊर्जा, स्वचालन इत्यादि पर जोर देने से रेअर अर्थ्स की मांग कम होने की संभावना है, खासतौर पर उन चुंबकों के उत्पादन में, जहां उनका उपयोग किया जाता है।

एमके इकाई को परिवहन परमिट के गैर-मुद्दे से संबंधित मुद्दे का समाधान इस इकाई से राजस्व उत्पादन के लिए मार्ग खोलने की संभावना है। हालांकि, चावरा और एमके इकाई द्वारा सामना की जाने वाली उत्पादन बाधाओं की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें आईआरईएल का सामना करना जारी रहेगा, इन इकाइयों में उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास चल रहे हैं। अग्रणी ऑसकॉम इकाई 2018-19 में आईआरईएल के लिए राजस्व और लाभप्रदता को जारी रखेगी।

कंपनी ऑसकॉम के रेअर अर्थ्स संयंत्र के उत्पादन को बढ़ाने में हर सम्भव प्रयास कर रही है जिससे बेहतर क्षमता का उपयोग प्राप्त हो सके। इसी प्रकार, ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने वाले उत्पादों को बनाने वाले दर्जे के साथ रेअर अर्थ्स प्रभाग में क्षमता के उपयोग में सुधार करने के प्रयास चल रहे हैं। इन प्रयासों से आईआरईएल की राजस्व के प्रवाह पर सकारात्मक प्रभाव होने की संभावना है।

उत्पाद शुल्क के मामले में अनुकूल निर्णय लेने के बाद, आईआरईएल को निर्यात शुल्क के लिए फायदेमंद स्लैब मिला जिसके परिणामस्वरूप 15.42 करोड़ रुपये की बचत हुई।

व्यापार पर्यावरण और उद्योग संरचना

पूरे 2017-18 की अवधि में टाइटेनियम उद्योग के लिए मूल्य श्रृंखला में आपूर्ति की समस्याएं थीं। TiO_2 की मांग उच्च बनी रही। इसके परिणामस्वरूप टाइटेनियम फ्रीड स्टॉक में निरंतर उछाल हो गया। इल्मेनाइट की मूल्य की प्राप्ति सीमाबद्ध थी क्योंकि बाजार में इस सामग्री की अनुपलब्धता से निर्मित कमी से तमिलनाडु के निर्यात पर हुए निरंतर प्रतिबंध कुछ हद तक अफ्रीका से आपूर्ति द्वारा पुरे किये गये थे। बढ़ती मांग और आपूर्ति के कारण जिंक्रोन में मांग आपूर्ति के अंतर के साथ-साथ गति को बनाए रखने के परिणामस्वरूप इस उत्पाद के लिए कीमतें बढ़ रही हैं। रेअर अर्थ्स के बाजार ने वर्ष के पहले छमाही के दौरान मजबूती के संकेत दिखाए। लेकिन बाद के आधे अवधि में हर महीने में मूल्य कम होने से बिक्री की प्राप्ति पर असर पड़ा। मौजूदा रूझान के आधार पर आने वाले वर्ष के दौरान प्रमुख खनिजों के लिए बाजार स्थिर रहने की उम्मीद है।

Chinese feedstock producers which may result in curtailed imports into China that may impact the price realization of Ilmenite. However, the niche that IREL has created for its Ilmenite in the international market is likely to insulate the company from this impact to some extent.

There are growing concerns regarding supply availability of Zircon as many existing operations are becoming depleted. This has resulted in widening demand supply gap. Without new projects coming up in near future, the supply position would further aggravate the situation. This will have a positive impact for suppliers like IREL. However, increasing demand-supply gap has potential danger of substitutions being resorted to by the end-user industry as was witnessed at the start of the decade. IREL also expects that market for Sillimanite and Garnet will remain relatively better and these products would give better revenues in 2018-19. In case of rare earths the subdued market condition is likely to carry on at least in the initial period of 2018-19. However, IREL believes that the thrust for electric vehicles, clean and green energy, automation, etc. is likely to perk up the demand for rare earths especially those used in production of magnets.

Resolution of issue pertaining to non-issue of transport permit to MK unit is likely to open the gates for revenue generation from this unit. Though, production constraints faced by Chavara and MK unit are likely to be challenges that IREL would continue to face, efforts are on at all levels to augment the production at these units. The flagship OSCOM unit would continue to drive the revenues and profitability for IREL in 2018-19.

The Company is making all out efforts in ramping up the production of OSCOM's Rare Earths Plant thereby achieving better capacity utilization. Similarly, efforts are on to improve capacity utilization at RED along with tailor making the products that meet the customer requirement. These efforts are likely to have positive impact on IREL's revenue stream.

After getting favourable ruling in the excise case, IREL found beneficial slab for export duty resulting in savings to the tune of about ₹ 15.42 crores.

Business environment & Industry Structure

There were supply concerns across the value chain for titanium industry throughout 2017-18. Demand for TiO_2 remained high. This translated in continued buoyancy for titanium feed stock. The price realization of Ilmenite was range bound as the void created by non-availability of this material in the market due to continued ban on export from Tamil Nadu was to some extent made up by supplies from Africa. The demand supply gap in Zircon on account of increased demand and supply not keeping pace with the same resulted in prices firming up for this product. Rare earths market showed signs of firming up during first half of the year. But the latter half saw prices softening month on month impacting the sales realisation. The market for major minerals is expected to remain stable during the coming year based on the current trends.



जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत समुद्र तट रेत खनिजों और रेअर अर्थ्स यौगिकों के खनन और उत्पादन में लगी हुई है। आईआरईएल द्वारा उत्पादित कुछ खनिजों का व्यापक औद्योगिक अनुप्रयोगों के अलावा भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में उपयोग होता है। केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा में स्थित तीन इकाइयों में समुद्र तट रेत से आईआरईएल द्वारा अलग किए गए मुख्य खनिज इल्मेनाइट, रूटाईल, ल्यूकोक्सिन, सिलिमानाइट, गार्नेट, जिर्कॉन और मोनजाइट शामिल हैं। आईआरईएल यूरेनियम, थोरियम और रेअर अर्थ का भी उत्पादन करता है।

खंड-वार अथवा उत्पाद -वार कार्य निष्पादन

वर्ष 2017-18 में आईआरईएल के प्रमुख उत्पादों के लिए बाजार मजबूत होता देखा गया। यद्यपि वर्ष के शुरूआती छमाही के दौरान, बाजार में आईआरईएल इल्मेनाइट की बढ़ी हुई मांग के कारण तमिलनाडु में अस्थायी रूप से असंतुलन निर्माण किया गया, जिससे अफ्रीका जैसे अन्य स्रोतों से प्रतिस्पर्धा उभरी। हालांकि, मार्केटिंग फ्रंट पर उत्पाद में विभेदीकरण और जोरदार प्रयासों के कारण आईआरईएल इल्मेनाइट के लिए बेहतर वसूली प्राप्त करने में सक्षम था। रूटाइल और जिर्कॉन जैसे अन्य उच्च मूल्य के खनिज आईआरईएल की किट्टी में अन्य प्रमुख योगदानकर्ता हैं।

आईआरईएल द्वारा बेचे जाने वाले लगभग 99% इल्मेनाइट का उपभोग टाइटेनियम डाइऑक्साइड वर्णक निर्माताओं और अन्य टीआई(Ti) मध्यस्थ फीडस्टॉक उत्पादकों द्वारा किया जाता है। जिर्कोनियम रासायनिक उत्पादक, सिरैमिक उद्योग और अग्नि रोधक उद्योग जिर्कॉन के प्रमुख उपभोक्ता थे। बेचने वाले रूटाइल के लगभग पूरे टन भार को वेल्डिंग इलेक्ट्रोड निर्माताओं द्वारा सोर्स किया गया था। अग्निरोधक / अपवर्तक उद्योग सिलीमनाइट का प्रमुख उपभोक्ता है जिसके बाद सिरैमिक उद्योग है। रेत विस्फोट और वाटर जेट कटिंग उद्योग गार्नेट के मुख्य आधार थे।

अब मैं कंपनी के संसाधन प्रबंधन के बारे में कंपनी के प्रतिष्ठित शेयरधारकों के साथ चर्चा करना चाहता हूँ और इस संबंध में, ऑसकॉम ने एएमसीआर, 2016 के प्रावधानों के अनुसार मार्च, 2019 से पहले अपने मौजूदा खनन पट्टे को विस्तारित करने की दिशा में सक्रिय शुरूआत की है। ओडिशा सरकार ने पूरक खनन पट्टा (एमएल) कार्य निष्पादित करने की दिशा में सभी प्रासंगिक सांविधिक अनुमतियां प्राप्त करने के लिए 2047 (30 वर्ष) तक ऑसकॉम के खनन पट्टे का विस्तार मंजूर किया। एमओईएफ और सीसी की वन सलाहकार समिति ने दि. 30.08.2018 को हमारे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एमओईएफ और सीसी से सामान्य अनुमोदन जारी करने के तुरंत बाद एमएल पट्टे के निष्पादन की उम्मीद है। व्यवसाय की सीमाओं का विस्तार करने के लिए, आईआरईएल के एएमसीआर, 2016 के तहत ओडिशा के पुरी जिले में ब्रह्मगिरी के जमा पर खनिज रियायत प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

पर्यावरण / सीआरजेड की मंजूरी प्राप्त होने के बाद एमके ने मई, 2018 से अपनी उत्पादन गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया है। खनन पट्टे के विस्तार के लिए, यूनिट ने एएमसीआर, 2016 के तहत तमिलनाडु सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। खनन पट्टे के विस्तार की मंजूरी जल्द ही तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाई जाएगी। पौधों के संचालन के लिए कच्चे माल की फ्रीड स्टॉक सुरक्षा के लिए, एमके ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में 1817 हेक्टेयर की सीमा तक आरक्षण

As you are aware, Indian Rare Earths Limited, under the Administrative control of the Department of Atomic Energy (DAE) is engaged in mining and production of beach sand minerals and rare earth compounds. Some of the minerals produced by IREL find use in the Nuclear Power Programme of the Govt. of India apart from wide ranging industrial applications. The main minerals separated by IREL from the beach sands at its three Units located at Kerala, Tamilnadu and Orissa are ilmenite, rutile, leucoxene, sillimanite, garnet, zircon and monazite. IREL also produces uranium, thorium and rare earth salts.

Segment-wise or Product-wise performance

The year 2017-18 saw market for major products of IREL firming up. Though during the early half of the year, the demand supply imbalance temporarily created due to the developments in Tamil Nadu enhanced demand for IREL Ilmenite in the market, competition from other sources like Africa emerged. However, due to product differentiation and vigorous efforts on marketing front, IREL was able to have better realisation for Ilmenite. Ilmenite remains major product for IREL both in volume and value terms. Other high value minerals like Rutile and Zircon are other major contributors to IREL's kitty.

About 99% of Ilmenite sold by IREL is consumed by Titanium dioxide pigment manufacturers and other Ti intermediary feedstock producers. Zirconium Chemical producers, Ceramics industry and Refractory industry were major consumers of Zircon. Almost the entire tonnage of Rutile sold was sourced by Welding electrode manufacturers. Refractory industry continued to be the major consumer of Sillimanite followed by Ceramic industry. Sand blasting and water jet cutting industry were the mainstay for Garnet.

Now I would like to discuss with the distinguished shareholders of the company about the resource management of the company and in this connection, OSCOM has taken up the proactive initiation towards extending its existing mining lease beyond march, 2019 in time as per the provisions of AMCR, 2016. Government of Odisha granted the extension of mining lease of OSCOM upto 2047 (30 years) with a condition to obtain all relevant statutory permissions towards executing the supplementary mining lease (ML) deed. Forest Advisory Committee of MoEF & CC has cleared our proposal on 30.08.2018. The issuance of general approval from MoEF & CC is expected shortly followed by execution of ML deed. Towards expanding the horizons, IREL is in the process of obtaining the mineral concession over the Brahmagiri deposit in Puri District of Odisha under AMCR, 2016.

MK has resumed its production activities from May, 2018 after receipt of Environment / CRZ Clearance. Towards extension of Mining leases, Unit has submitted the proposals to Government of Tamil Nadu under AMCR, 2016. Grant of extension of Mining lease shall be taken up by the Government of Tamil Nadu shortly. Towards raw material feed stock security



प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। एएमसीआर - 2016 के तहत भी इस पर विचार किया गया है। 1817 हेक्टेयर में से 1117 हेक्टेयर की सीमा के लिए फील्ड गतिविधियों और मानचित्र तैयार करने के काम को तमिलनाडु सरकार और आईआरईएल के बीच संयुक्त रूप से पूरा कर लिया जा चुका है और प्रस्ताव राज्य प्रशासन के उच्चतम स्तर पर विचाराधीन है।

चावरा यूनिट ने एएमसीआर, 2016 के तहत खनन पट्टा विस्तार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है क्योंकि मौजूदा खनन पट्टे वर्ष 2019 और 2020 में समाप्त हो रहे हैं। मौजूदा खनन पट्टे के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना प्रगति पर है और दिसंबर 2018 से पहले मंजूरी की उम्मीद है।

उत्पादन :

कंपनी ने ऑस्कॉम और चावरा संयंत्र में पिछले वर्ष के 3,05,041 टन की तुलना में 2017-18 के दौरान 3,09,240 टन कुल खनिज उत्पादन हासिल किया।

कंपनी ने एमओपीपी- ऑस्कॉम में 7,095 टनों का कुल उत्पादन (आरईसीएल, एनजीएडीयू और अन्य) हासिल किया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 30% से अधिक है।

कंपनी वर्ष के दौरान बीएआरसी को एनजीएडीयू की निरंतर आपूर्ति जारी रख सकती है।

- I. श्रीलंका और वियतनाम में अंतरराष्ट्रीय परिचालन की दिशा में गतिविधि शुरू करना और नेतृत्व करना।
- II. कंपनी से संबंधित विशिष्ट मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए निति आयोग, सामरिक सामग्री समिति, स्कोप, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए सीआईआई फोरम आदि जैसे विभिन्न नीति बनाने निकायों में और बैठकों में आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेना।
- III. रेअर अर्थ्स और समुद्र तट रेत खनिज उद्योगों में कार्यरत सीपीएसईज के कामकाज के लिए सक्षम वातावरण बनाने के लिए नेटवर्किंग और प्रासंगिक प्राधिकरणों के साथ बातचीत सहित कंपनी के अन्य प्रासंगिक मामलों सहित मामलों के लिए सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, एफआईएमआई इत्यादि जैसे विभिन्न व्यापार निकायों में सक्रिय भागीदारी।

परियोजनाएं:

आईआरईएल ने ब्राउनफील्ड के साथ-साथ ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ऑस्कॉम इकाई की क्षमता में वृद्धि जारी है और 26-7-2018 को आयोजित वन सलाहकार समिति की बैठक में आईआरईएल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और वन मंजूरी जल्द ही जारी की जा सकती है जो इस संबंध में आगे की गतिविधियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। आईआरईएल ने ओडिशा राज्य में भारी खनिजों के उत्पादन के क्षेत्र में ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए इडकॉल (ओडिशा राज्य का एक उपक्रम) के साथ एक जेवी कंपनी आईआरईएल-इडकॉल लिमिटेड का गठन किया है। जेवी कंपनी द्वारा उत्पादित खनिजों के विपणन अधिकार आईआरईएल के पास है। इसके अलावा, बीओओ आधार पर इल्मेनाइट के मूल्यवर्धन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कदम उठाए गए हैं। आईआरईएल के इन प्रयासों से निकट भविष्य में उसके राजस्व में बढ़ोतरी होगी। आईआरईएल ने क्रमशः एसएमसीओ चुंबक उत्पादन सुविधा और रेअर अर्थ थीम पार्क की स्थापना के लिए विज्ञाग और भोपाल पर ध्यान केंद्रित किया है। ये आईआरईएल के एचपीआई यौगिकों के लिए तैयार उपभोग के मार्ग होंगे।

for plant operations, MK has submitted reservation proposal over an extent of 1817 hectares in Kanyakumari district of Tamil Nadu. The same has also been considered under AMCR – 2016. The field activities and map preparation work for an extent of 1117 hectares out of 1817 hecets have already been completed jointly between Govt. of Tamilnadu & IREL and the proposal is at the highest level of state administration for consideration.

Chavara Unit has submitted the mining lease extension proposal under AMCR, 2016 as the existing mining leases are expiring in the year 2019 and 2020. Obtaining environmental clearances for the existing mining leases is under progress and clearances are expected before December 2018.

Production:

The company could achieve total minerals production of 3,09,240 tons during the year 2017-18 against 3,05,041 tons achieved during previous year at OSCOM and Chavara plant.

The company achieved 7,095 tons of total production (RECL, NGADU and others) at MoPP-OSCOM which is 30% higher than that of previous year.

The company could maintain steady supply of NGADU to BARC during the year.

- I. Initiating and spearheading the activity towards international operation in Sri Lanka and Vietnam.
- II. Participating in various policy making bodies such as NITI AYOOG, Strategic Material Committee, SCOPE, CII forum for Public Sector Enterprises etc. for furtherance of company specific issues and causes as invited member in the meetings.
- III. Active participation in various trade bodies like CII, FICCI, ASSOCHAM, FIMI etc. for matters relating to mining, heavy minerals and rare earth policies including other relevant matters to the company including networking and interaction with relevant authorities for creation of enabling environment for CPSEs functioning in Rare Earths and Beach sand mineral industries.

Projects:

IREL has made significant progress in implementing brownfield as well as greenfield projects. The augmentation of capacity of OSCOM unit is underway and in Forest Advisory Committee meeting held on 26-7-2018, IREL's proposal has been cleared and forest clearance is likely to be issued shortly which will pave way for further activities in this connection. IREL has formed a JV company IREL IDCOL Limited with IDCOL (an Odisha State undertaking) for greenfield project in the area of production of heavy minerals in the state of Odisha. The marketing rights of the minerals produced by the JV company vest with IREL. Further, steps have been taken to go for value addition of Ilmenite on BOO basis. These efforts of IREL will enhance its revenue handsomely in near future. IREL has zeroed down on Vizag and Bhopal for setting up of SmCo magnet production facility and rare earths theme park respectively. These would be ready consumption avenues for HPRE compounds of IREL.



आपकी कंपनी की वर्ष 2017-18 के लिए उल्लेखनीय उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

लाभ:

2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी द्वारा कर से पहले लाभ में तीन गुना वृद्धि हुई है। जनवरी, 2017 से परिवहन परमिट के बंद होने के कारण एमके संयंत्र के गैर-संचालन के तथ्य के बावजूद कंपनी ने 124 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।

2016-17 का पिछला वर्ष 113 करोड़ रुपये के भारी नुकसान के साथ बदलाव लाने का साल था। वर्ष 2017-18 के दौरान, विकास प्रवृत्ति को न केवल बनाए रखा गया है बल्कि आगे बढ़ोतरी भी हुई है।

राजस्व/ आय :

कंपनी ने पिछले वर्ष के 515 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान, 616 करोड़ रुपये का सकल राजस्व हासिल किया जो कि ट्रांसपोर्ट परमिट के बंद होने के कारण वर्ष के दौरान एमके इकाई से कोई प्रेषण होने के बावजूद 20 % वृद्धि की दर दर्ज करते हुए रुपये 100 करोड़ से अधिक की वृद्धि है।

व्यय की तर्कसंगतता:

वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के कुल व्यय में वैधानिक मंजूरी आदि से संबंधित मजदूरी और व्यय में वृद्धि के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में 6% कमी है।

निवल मूल्य :

वर्ष 2017-18 के अंत तक कंपनी 730 करोड़ रुपये की सबसे उच्च स्तर पर उच्च शुद्ध मूल्य प्राप्त कर सकती है जो इसकी पेड-अप इक्विटी के 8 गुना से अधिक दर्शाती है। 2017-18 के अंत में कंपनी निवल मूल्य में 7% की वृद्धि दर्ज कर सकती है।

लाभांश:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आपकी कंपनी का 36.50 करोड़ रुपये अधिक लागू करों के लाभांश का भुगतान करने का प्रस्ताव है। इसके लिए कुल व्यय कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी का 50% से अधिक होगा।

कर्ज - मुक्ति:

वर्ष 2017-18 के अंत में कंपनी ऋण मुक्त रही।

रणनीतिक प्रबंधन योजना:

रणनीतिक प्रबंधन योजना के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, विकास चरण पहले से ही पूरा हो चुका है और कार्यान्वयन का चरण एक चरणबद्ध तरीके से शुरू हो गया है।

व्यापार की रणनीति :

2019-20 तक 0.90 मिलियन टन खनिज और 2024-25 तक 1.2 मिलियन टन प्राप्त करना। ऑसकॉम इकाई का लंबे समय से प्रतीक्षित विस्तार 2018 की तीसरी तिमाही तक शुरू होने वाला है क्योंकि चरण -1 की वन विभाग की अनुमति अंततः कंपनी द्वारा किए गए आक्रामक अनुवर्ती कारवाई के कारण यह परिणाम देख रही है। दक्षिणी इकाइयों की स्थापित क्षमताओं को बनाए रखने के लिए, थ्रेसहोल्ड मूल्यों के नीचे जमा जीतने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनियों को बनाने का प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों को जमा कर दिया गया है।

Achievements of your company worth mentioning for the year 2017-18 are given below:

Profit:

Three-fold increase in profit before tax has been achieved by the company during the year 2017-18 w.r.t. the year 2016-17. The company registered profit amounting to ₹ 124 crore despite the fact of non-operation MK plant owing to stoppage of transport permit with effect from January, 2017.

The previous year 2016-17 was the year of turning around from a mammoth loss of ₹ 113 crore. During the year 2017-18, the growth trend has not only been maintained but got a further boost.

Revenue:

During the year 2017-18, the company achieved gross revenue of ₹ 616 crore as against ₹ 515 crore achieved during the previous year which is an increase by more than ₹ 100 crore registering a growth rate of 20% even with no dispatch from MK unit during the year due to stoppage of transport permit.

Expenditure rationalization:

Reduction of overall expenditure of the company for the year 2017-18 is by 6% compared to previous year despite increase in wages and expenses relating to statutory clearances etc.

Net Worth:

The Company could achieve an all time high net worth amounting to ₹ 730 crore as at the end of year 2017-18 which signifies more than 8 times of its paid-up equity. The company could register 7% increase in Net worth as at the end of 2017-18.

Dividend:

Your company proposes to pay dividend of ₹ 36.50 Crores plus applicable taxes for the financial year 2017-18. Total outgo for the same would be more than 50 % of paid-up equity share capital of the company.

Debt-free:

The Company continued to remain debt-free as at the end of the year 2017-18.

Strategic Management Plan:

Towards accomplishing the various objectives of the Strategic Management Plan, the evolution stage is already completed and implementation phase has started in a staged manner.

Business Strategy: Achieving 0.90 million tons of minerals by 2019-20 and 1.2 million tons by 2024-25. The long awaited expansion of OSCOM unit is all set to start by 3rd quarter of 2018 as the Stage-I forest clearance is finally seeing the light of the day because of aggressive followup undertaken by the Company. To sustain the installed capacities of the Southern units, proposal of forming Joint Venture Companies to win the



उपरोक्त आईआरईएल द्वारा बनाई गई पहली संयुक्त उद्यम कंपनी और ओडिशा में जमा जीतने के लिए ओडिशा राज्य पीएसयू यानी आईआरईएल-आईडीसीओएल लिमिटेड के अनुरूप है। इसके अलावा, एएमसीआर 2016 के प्रावधानों के तहत ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल राज्यों में खनन पट्टे प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त कार्यों के साथ, आपकी कंपनी हर वैकल्पिक वर्ष में कम से कम 0.2 मिलियन टन खनिज क्षमता जोड़ने का आश्वस्त है।

मूल्य श्रृंखला:

'OR' इल्मेनाइट का उपयोग करके टाइटेनियम स्लैग प्लांट की स्थापना के लिए बिल्ड-ओन-ऑपरेट जैसे नवीन व्यापार मॉडल का उपयोग करके प्रस्ताव के लिए अनुरोध आमंत्रित किया गया है। पूर्व-बोली बैठक भी एक ऐसी घटना रही जिसमें 6 संभावित पक्षों ने भाग लिया था। एक लंबी अवधि की परियोजना होने के नाते कई टाई-अप शामिल हैं, हालांकि उनकी धीमी गति से प्रगति सकारात्मक दिशा में है।

देश में रेअर अर्थ्स और टाइटेनियम की मूल्य श्रृंखला में अंतर को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने रेअर अर्थ्स और टाइटेनियम थीम पार्क की स्थापना की भविष्य की अवधारणा को उठाया है जिसके लिए विभाग और साइट स्थान से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पहले ही प्राप्त हो चुकी है जिसको अंतिम रूप दिया गया है। परियोजना प्रारम्भ करने के लिए धन के वितरण की प्रतीक्षा कर रही है।

संचालन रणनीति:

कंपनी के रासायनिक संयंत्रों के प्रदर्शन में सुधार के लिए तकनीकी समीक्षा और क्षमता वृद्धि सहित तकनीकी लेखापरीक्षा करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कचरे के प्रबंधन के लिए, एमओएस को बीओओ मॉडल के तहत विभिन्न ग्रेड गार्नेट के उत्पादन के लिए एक गार्नेट समृद्ध टेलिंग प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस संयंत्र ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

स्थिरता की रणनीति:

विभिन्न इकाइयों में नियामक अनुपालन को बनाए रखने के लिए लाइसेंस (एलटीओ) कार्यालय बनाए गए। एंटरप्राइज जोखिम प्रबंधन की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है।

पूँजी परियोजना प्रबंधन रणनीति:

परियोजना निष्पादन का खण्डशः के आधार से टर्नकी आधार की ओर स्थानांतरण। बोली प्रबंधन और मॉनिटर परियोजना समयरेखा के लिए परियोजना निगरानी इकाई के रूप में लेनदेन सलाहकार की नियुक्ती।

आईटी रणनीति:

ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर एकीकृत आईटी समाधान के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना। इससे ओपन सोर्स एकीकृत आईटी समाधान के कार्यान्वयन के लिए मार्ग प्रशस्त होगा, जिसमें अतीत में कई बाधाएं आ रही थीं।

नीतिगत निर्णय :

- सीआरजेड क्षेत्र में परमाणु खनिज जमा के मैनुअल खनन और एमके इकाई के संचालन में बहाली के लिए सीआरजेड अधिसूचना 2011 में संशोधन।
- अधिसूचना के उन्नत चरण में मोनाजाइट समृद्ध टेलिंग के अधिग्रहण के लिए मोनाजाइट नीति जारी करना।

deposits below threshold values have been submitted to the respective State Governments. The above is in line with the first Joint Venture Company formed by IREL and a Odisha state PSU i.e. IREL IDCOL Limited for winning the deposits in Odisha. Besides, actions are in place for obtaining Mining Leases in the States of Odisha, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala under the provisions of AMCR 2016. With the above actions, your company is confident of adding at least 0.2 million tons of mineral capacity every alternate year.

Value chain: Request for Proposal using innovate business models such as Build-Own-Operate for setting up of titania slag plant using 'OR' ilmenite have been invited. The pre-bid meeting was also an happening event in which 6 prospective parties participated. Being a long term project involving multiple tie-ups, the progress though slow is in the positive direction.

Considering the gap in the value chain of rare earths & titanium in the Country, your Company has taken up a futuristic concept of setting up of a rare earth & titanium theme park for which administrative & financial sanction is already received from the Department and site location has been finalized. The project is awaiting disbursement of funds to kickstart.

Operations Strategy: Process of carrying out technical audit comprising of technical review and capacity augmentation is being initiated to improve the performance of the chemical plants of the company. Towards managing waste, MSE's were invited to set up a garnet rich tailings processing plant for production of various grades of garnet under BOO model. The plant has started operation.

Sustainability Strategy: License to operate (LTO) office created to sustain the regulatory compliances in different units. Enterprise Risk Management is being periodically reviewed.

Capital Project Management Strategy: Shift of project execution philosophy from piece meal basis to turnkey. Transaction adviser as project monitoring unit appointed, for bid management and monitor project timelines.

IT Strategy: Action plan in place for implementation of integrated IT solution on open source platform. This will pave way for implementation of an open source integrated IT solution which faced many hurdles in the past.

Policy Decisions:

- Amendments to CRZ notification 2011 paving way for manual mining of atomic mineral deposits in the intertidal zone and resumption in operations of MK unit.
- Issuance of Monazite Policy for acquisition of monazite rich tailings at advanced stage of notification.
- Implementation of 6E approach to orient the work culture of the Company. 6E denotes Ethics, Enterprising,



- कंपनी की कार्य संस्कृति को उन्मुख करने के लिए 6 ई दृष्टिकोण का कार्यान्वयन। 6 ई कौशल विकास के लिए कर्मचारी अभिविन्यास के साथ नैतिकता, उद्यमशीलता, विकास, क्षमता, पर्यावरण-अनुकूलता को दर्शाता है।

पुरस्कार और प्रशंसा:

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कई पुरस्कार जीते हैं जो नीचे दिए गए हैं:

- 1) संकट प्रबंधन के लिए स्कोप कॉर्पोरेट संचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2017।
- 2) पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2016 में कॉर्पोरेट शासन के लिए रनर अप पुरस्कार।
- 3) 6 वीं फिक्की गुणवत्ता प्रणाली उत्कृष्टता पुरस्कारों में अच्छे प्रथाओं के लिए सराहना प्रमाणपत्र।
- 4) राष्ट्रीय सुरक्षा और सबसे लंबी दुर्घटना मुक्त अवधि के लिए पुरस्कार और वर्ष 2016 (एमके) में न्यूनतम हानि आवृत्ति दर और वार्षिक ओडिशा मेटेलिफेरस खान सुरक्षा सप्ताह (ऑसकॉम) में प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पुरस्कार।

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी):

99.9% शुद्ध Y_2O_3 का उत्पादन करने के लिए बीएआरसी के रेअर अर्थ प्रभाग का सहयोग लेकर एक प्रक्रिया प्रवाह पत्र विकसित किया गया है। 68 से 70% शुद्ध क्जेनोटाईम (Xenotime) खनिज को 95% शुद्ध क्जेनोटाईम (Xenotime) का उत्पादन करने के लिए संसाधित किया गया है जिसे ऑसकॉम पर रासायनिक रूप से संसाधित किया गया था ताकि 54% शुद्ध वाई2ओ3 (Y_2O_3) उत्पादन हो सके। इस हाइड्रोक्साइड सांद्रता के 20 किलोग्राम का उत्पादन किया गया था और यत्रियम ऑक्साइड की वांछित शुद्धता का उत्पादन करने के लिए बीएआरसी को भेजा गया था। विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया प्रवाह शीट के दो चक्र अपनाए गए हैं। पहले चक्र में पीसी 88 ए विलायक का उपयोग करके 80% तक अपग्रेड किया गया है जबकि दूसरे चक्र में थियोक्वैनेट मीडिया में अल्कट 336 में येट्रियम ऑक्साइड शुद्धता को 99.9% तक अपग्रेड करने के लिए उपयोग किया गया था।

1 किलो मोल% (ZrO_2 में वाई 2 ओ 3 के 14% द्वारा) यट्रिया (Yttria) स्थिरीकृत जिंकोनिया को जिंकोनियम टेट्रा क्लोराइड (परमाणु ग्रेड) से उत्पादित किया गया है और उत्पाद की जांच के लिए बीएआरसी के पाउडर मेटलर्जी डिवीजन (पीएमडी) को भेजा गया है दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों की शीतलक चैनल असेंबली के लिए छिद्रपूर्ण आस्तीन का।

एचएएल, सुनबेदा / डीएमआरएल, हैदराबाद में एयरो इंजन अनुप्रयोगों के लिए थर्मल बाधा सामग्री के रूप में आवेदन की उपयुक्तता के लिए उत्पाद की जांच के लिए उत्पाद के परीक्षण के लिए 3 किलो लान्थानम जिंकोनेट का उत्पादन किया गया है। यह सामग्री 1000 घंटों के उड़ान के बराबर परीक्षणों में खरी उतरी है।

डीजल ऑक्सीकरण उत्प्रेरक (डीओसी) के निर्माण के लिए या जिंकोन से 99.9% शुद्ध जिंकोनिल नाइट्रेट का उत्पादन करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की गई है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी (एनसीएल), पुणे को बेचने के लिए 25 किलोग्राम जिंकोनिल नाइट्रेट का उत्पादन किया जा सकता है।

विविध मानव संसाधन उपक्रम:

हमारा मानना है कि कंपनी के वित्तीय विकास को बनाए रखने के साथ-साथ तेजी से प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने के

Evolving, Efficiency, Environment-Friendly along with Employee Orientation for Skill Development.

Awards and accolades:

Your company won several accolades during the fiscal 2017-18 which are given below:

- 1) SCOPE Corporate Communication Excellence Awards 2017 for CRISIS HANDLING.
- 2) Runner up award for Corporate Governance in the PSE Excellence Awards 2016.
- 3) Certificate of appreciation for good practices in the 6th FICCI Quality Systems Excellence Awards.
- 4) Award for National Safety and longest Accident Free period & for lowest Injury Frequency Rate in the year 2016 (MK) and Award for Training, Health & Welfare in the Annual Odisha Metalliferous Mines Safety Week (OSCOM).

Research & Development (R & D):

A process flow sheet has been developed by taking the support of RED section of BARC to produce 99.9% pure Y_2O_3 . 68 to 70% pure Xenotime mineral has been processed to produce 95% pure Xenotime which was chemically processed at OSCOM to produce 54% pure Y_2O_3 . 20 kg of this hydroxide concentrate was produced and sent to BARC to produce the desired purity of yttrium oxide. A two cycles of solvent extraction process flow sheet has been adopted. In first cycle yttrium has been upgraded to >80% using PC 88A solvent while in the second cycle Aliquat 336 in thiocyanate media was used to upgrade yttrium oxide purity to 99.9%.

1 kg of mol% (14% by wt of Y_2O_3 in ZrO_2) Ytria stabilized zirconia has been produced from Zirconium Tetra Chloride (Nuclear Grade) and sent to Powder Metallurgy Division (PMD) of BARC for testing of the product for its suitability towards fabrication of porous sleeve for coolant channel assembly of Pressurised Heavy Water Reactors.

3 kg of lanthanum Zirconate has been produced for testing of the product for its suitability towards application as thermal barrier material for Aero engine applications at HAL, Sunabeda/DMRL, Hyderabad. The material could withstand tests equivalent to 1000h of flying.

A process has been developed to produce >99.9% pure zirconyl nitrate from OR zircon for fabrication of Diesel Oxidation Catalyst (DOC). 25 kg of zirconyl nitrate could be produced for selling to National Chemical Laboratory (NCL), Pune.

Various HR initiatives:

We believe that to sustain the company's financial growth as well as to effectively compete in the fiercely competitive business environment, proactive Human Resources systems/practices are key to success. Accordingly, the company works towards building positive employee – organization



लिए, सक्रिय मानव संसाधन प्रणाली / प्रथाएं सफलता की कुंजी हैं। तदनुसार, कंपनी सकारात्मक मानव संसाधन प्रथाओं और प्रतिबद्धता के साथ पहल और आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और व्यावसायिक कार्य का वातावरण प्रदान करने के माध्यम से सकारात्मक कर्मचारी - संगठन संबंध बनाने की दिशा में काम करती है। तदनुसार, नए नीतिगत हस्तक्षेप को लगातार शुरू करने और मौजूदा नीतियों की समय-समय पर समीक्षा करने से अपने मानव संसाधन संसाधन के प्रबंधन में परिवर्तन के एक हिस्से के रूप में, हाल ही के दिनों में कंपनी ने निम्नलिखित पहल की हैं। कुल मिलाकर, उपरोक्त उपायों ने कंपनी के रणनीतिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और डिलिवरेबल्स के साथ मानव संसाधन के संरेखण को मजबूत किया है।

- **प्रतिभा प्रबंधन अध्ययन** जिसने महत्वपूर्ण भूमिकाओं को समझने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मौजूदा प्रतिभा को पोषित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए प्रतिभा हासिल करने और हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाओं, प्रवीणता स्तर, कार्य योजना की पहचान की।
- **कंपनी की उत्तराधिकार योजना नीति**, महत्वपूर्ण नेतृत्व पदों को भरने की क्षमता वाले लोगों की पहचान और विकास के लिए औपचारिक उत्तराधिकार योजना नीति तैयार करना।
- **निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया / पीएमएस की समीक्षा** के बाद ऑनलाइन निष्पादन मूल्यांकन प्रबंधन प्रणाली जो निष्पादन के विभिन्न स्तरों के बीच अंतर और प्रदर्शन के पुरस्कारों के स्पष्ट संबंध के बीच अंतर एमओयू के उद्देश्यों के स्पष्ट संरेखण और व्यक्तिगत लक्ष्यों को व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ निष्पादन -उन्मुख संस्कृति बनाने में सक्षम है।
- **आकलन और विकास केंद्र**, जो प्रतिभा प्रबंधन अध्ययन और उत्तराधिकार योजना नीति के अनुक्रम के रूप में आयोजित होता है।
- **कौशल विकास पहल**, मौजूदा कर्मचारियों के लिए कौशल उन्नयन, प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षता प्रशिक्षण और संयंत्र के आसपास के लोगों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति का निर्माण के लिए आयोजित किया जाता है।
- **प्रेरणा सर्वेक्षण** - कर्मचारियों की प्रेरणा के स्तर को समझने और कर्मचारियों की प्रेरणा बढ़ाने के लिए।
- **मानव संसाधन लेखापरीक्षा** अंतराल / कमियां / विचलन, यदि कोई हो तो उसकी पहचान और उद्योग में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रकट करने के लिए।
- **आईआरईएल कनेक्ट एंड इंस्पायर (सी एंड आई) योजना** ग्रीष्मकालीन इंटरशिप योजना, विषय विशिष्ट इंटरशिप योजना, आउटरीच विज्ञान शिविरों के माध्यम से युवा छात्रों / विद्वानों / शोधकर्ताओं के साथ बातचीत के लिए मंच को संस्थागत बनाने के लिए।
- **कर्मचारी भागीदारी योजना**, मौजूदा सुझाव योजना के स्थान पर कंपनी के विकास और विकास की दिशा में एक पहल।
- **विचार मंच (आइडिया प्लेटफॉर्म)**, कंपनी के मूल्य वर्धन के लिए रचनात्मक विचारों के कार्यान्वयन के लिए एक मंच।
- **तकनीकी कौशल पहल** अपने उत्पादों / प्रक्रिया की तकनीकी शक्ति का उपयोग करने के लिए और साथ ही पारस्परिक लाभ के लिए अधिकारियों के बीच प्रतिभा का उपयोग करने के लिए एक मंच तैयार करने के लिए।

relationship through nurturing initiatives and aspirations with best HR Practices and commitment and provide professional working environment. Accordingly, as a part of transformation in management of its Human Resource apart from constantly introducing new policy interventions and periodically reviewing the existing policies, the company in the recent past has undertaken the following initiatives. Overall, the above measures have reinforced alignment of Human Resource with the company's strategic goals, objectives and deliverables.

- **Talent Management Study** which identified the Critical Roles, Proficiency Level, action plan to retain and acquire talent for critical roles and nurturing existing talent for assuming critical roles.
- **Succession Planning Policy** of the Company, devising the formal Succession Planning Policy for identifying and developing people with potential to fill-up critical leadership positions.
- **Review of Performance Appraisal Process / PMS** followed by Online Performance Appraisal Management System which enable to create a performance-oriented culture, with clear alignment of MoU objectives and business goals to individual goals, distinguishing between different levels of performances and clear linkage of rewards to performance.
- **Assessment & Development Centre** conducted, as a sequel to Talent Management Study and Succession Planning Policy.
- **Skill Development Initiatives** undertaken for Skill upgradation for existing workforce, Apprenticeship Training under The Apprentices Act, 1961 and building skilled manpower for the industry by imparting training for people in the plant vicinity.
- **Motivation Survey** to understand the level of motivation of employees and to enhance motivation of employees.
- **HR Audit** to identify the gaps / short comings / deviations, if any and Indicate best practices in the industry.
- **IREL Connect and Inspire (C&I) Scheme** to Institutionalize the platform for interaction with young students / scholars / researchers through Summer Internship Scheme, Topic Specific Internship Scheme, Outreach Science Camps.
- **Employee Participation Scheme**, an initiative towards growth and development of the company in place of existing Suggestion Scheme.
- **Idea Platform**, a platform for implementation of Creative Ideas to generate value to the company.
- **Technical Prowess Initiative** to harness the technical prowess of its products/process and at the same time creating a platform to harness the talent amongst the executives for mutual benefits.



काॅर्पोरेट शासन :

आपकी कंपनी हमेशा व्यापार गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में नैतिकता के उच्चतम मानकों को अपनाने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आईआरईएल काॅर्पोरेट शासन की अवधारणाओं को पूरी निष्ठा से लागू कर रहा है।

आपकी कंपनी अपने परिचालन के सभी पहलुओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और इकिवटी को सर्वोच्च महत्व देती है। आईआरईएल ने काॅर्पोरेट गवर्नेंस की उन शर्तों का पालन किया, जैसा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए काॅर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित है। दिशानिर्देशों और प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार, काॅर्पोरेट प्रशासन पर एक अलग अनुभाग निदेशकों की रिपोर्ट में जोड़ा गया है और काॅर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में एक प्रमाणपत्र एक व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्राप्त किया गया है। पारदर्शिता पर जोर देने के साथ, वर्ष के दौरान कई पहलें लागू की गईं। रिक्तियों, भर्ती, ई-खरीद और निविदाओं, कर्मचारियों द्वारा उपयोग के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित सभी विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं।

सीएसआर और धारणीय विकास:

हितधारकों के बीच सकारात्मक प्रभाव स्थापित करने और बनाए रखने के दृष्टिकोण के साथ, आईआरईएल पूरी तरह से विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियों में संलग्न है। इस तरह की गतिविधियों में अन्यथा आईआरईएल कर्मचारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन के लिए आईआरईएल इकाइयों के आस-पास के स्कूल / कॉलेज के छात्रों को शामिल करना और समाज के लिए निरंतर खनन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विज्ञान प्रदर्शनी / मेले में भागीदारी, आईआरईएल के इकाइयों में विभिन्न कॉलेज / विश्वविद्यालय / संस्थानों के छात्रों के औद्योगिक दौरे की सुविधा प्रदान करना शामिल है।

आईआरईएल नियमित रूप से आईआरईएल की इकाइयों के आसपास आर एंड आर पैकेज, अप्रत्यक्ष रोजगार, कौशल विकास उपक्रम और सीएसआर पैकेज के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ जागरूकता और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित करता है। इसके अलावा, एमएसएमई विक्रेताओं के लिए उनके हितधारकों के लिए भविष्य निधि के योगदान के लिए इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए।

आईआरईएल का मानना है कि कंपनी की उस समाज के प्रति जिम्मेदारी भी है जिसके साथ में यह काम करती है। आईआरईएल द्वारा अपनाई गई काॅर्पोरेट सोशल जिम्मेदारी और स्थायित्व नीति आर्थिक रूप से, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से धारणीय तरीके से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दिखाती है।

एक जिम्मेदार काॅर्पोरेट नागरिक के रूप में, आपकी कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न सीएसआर गतिविधियों पर 80.37 लाख खर्च किए हैं। यह उल्लेखनीय है कि आपकी कंपनी ने समय अवधि के दौरान सीएसआर की उपक्रम पर व्यय किया है, जबकि कानून के तहत सीएसआर उपक्रम पर पैसा खर्च करना अनिवार्य नहीं था।

आभार :

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, मैं अपने निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए हमारे मूल्यवान शेयरधारकों को मेरा गहरा आभार प्रकट करना चाहता हूँ। यह हमें अपने सभी कार्यों में उत्कृष्टता लाने और हमारे लिए और साथ ही राष्ट्र के लिए सदा मूल्य पैदा करने के लिए प्रेरित करता है। आपकी कंपनी

Corporate Governance:

Your company constantly endeavours to adopt and maintain the highest standards of ethics in all spheres of business activities. IREL is implementing the percepts of Corporate Governance in letter and spirits. Your company accords highest importance to transparency, accountability and equity in all facets of its operations. IREL complied with the conditions of Corporate Governance, as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) issued by Department of Public Enterprises, Government of India. As required under the Guidelines and provisions, a separate section on Corporate Governance has been added to Directors' Report and a certificate regarding compliance of conditions of Corporate Governance has been obtained from a practicing Company Secretary. With emphasis on transparency, several initiatives were implemented during the year. All details related to vacancies, recruitments, e-procurements and tenders, policies and procedures for use by employees have been made accessible online.

CSR and Sustainable Development:

With a view to establish and maintain positive impact among stakeholders, IREL wholeheartedly engages in various public awareness activities. Such activities inter-alia includes engaging and involving school / college students also in the vicinity of IREL units for Swachh Bharat Mission along with IREL employees, participation in various Science exhibition/ fair to promote sustained mining for the society, facilitating industrial visits of students from various colleges/ Universities/ Institutions to IREL's units.

IREL regularly conducts awareness and interactive sessions with various stakeholders for R&R package, indirect employment, Skill Development Initiatives and CSR packages in the vicinity of IREL's units. Further, Interactive sessions were held for MSME vendors for contribution of Provident Fund for their stakeholders.

IREL believes that the Company too has a responsibility towards the society in which it operates. Corporate Social responsibility and sustainability policy adopted by IREL shows its commitment to operate in economically, socially and environmentally sustainable manner. As a responsible corporate citizen, your Company has spent ₹ 80.37 lakhs on various CSR activities during the year 2017-18. It is noteworthy that your company has incurred expenditure on CSR initiatives during the time period while it was not obligatory to spend money on CSR initiatives under the statute.

Acknowledgement:

On behalf of your company's Board of Directors, I wish to convey my deep gratitude to our valued shareholders for your continued support and trust. This motivates us to excel in all our pursuits and constantly create value for you as well as for the nation. Your company will continue to play critical role in



भारत के समग्र विकास के उद्देश्य से भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखेगी।

मैं परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार से प्राप्त अत्यधिक समर्थन एवं मूल्यवान मार्गदर्शन की सराहना करता हूँ। मैं अन्य केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, सभी कर्मचारियों, ट्रेड संघों, लेखापरीक्षकों, उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य सभी हितधारकों को उनके निरंतर सहयोग के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ।

जय हिन्द।

दीपेन्द्र सिंह
अध्यक्ष

various flagship programme of Government of India aimed at overall development of India.

I appreciate the unstinted support and valuable guidance received from the Department of Atomic Energy, Govt. of India. I also express my sincere thanks to other Central Government Ministries and Departments, State Governments, all employees, Trade Unions, Auditors, Consumers, Suppliers and all other stakeholders for their continuous co-operation and support.

Jai Hind


D. Singh
Chairman

स्थान : मुंबई

दिनांक: 25 सितम्बर, 2018

Place : Mumbai

Dated : 25th September, 2018





श्री ए.के. महापात्र, निदेशक (तकनीकी) का स्वागत करते हुए आईआरईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री दीपेन्द्र सिंह, एवं सदस्यगण।

Shri D.Singh, CMD and team IREL welcoming Shri A.K. Mohapatra, Director (Technical).

मिनी रत्न और अन्य सीपीएसई श्रेणी में कॉर्पोरेट शासन के लिए आईसीसी पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2016 उप विजेता ट्रॉफी प्राप्त करते हुए श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

Shri D.Singh, CMD receiving ICC PSE Excellence Award 2016 Runners Up Trophy for Corporate Governance in Mini Ratna and other CPSEs category.



श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने ऑसकॉम यूनिट में 5 एमएलडी क्षमता के समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन करते हुए।

Shri D.Singh, CMD inaugurating 5 MLD capacity seawater desalination plant at OSCOM Unit.

जापान के नागोया में टोयोटा सुशो निगम के मुख्यालय में आईआरईएल प्रतिनिधिमंडल की यात्रा।

Visit of IREL delegation to Toyota Tsusho Corporation's Head Quarter at Nagoya, Japan.





श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अप्रैल 2018 में लास वेगास, यूएसए में रेअर अर्थसम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए।

Shri D Singh, CMD, IREL addressing the delegates during Argus RE conference at Las Vegas, USA in April 2018.

श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा आईआरईएल के कार्यात्मक निदेशक श्री ए. रॉय चौधरी, निदेशक (वित्त) द्वारा प्रभार स्वीकार लिए जाने पर स्वागत करते हुए।

Shri D.Singh, CMD and Functional Directors, IREL welcoming Shri A. Roy Chowdhury on his taking over the charge of Director (Finance).



श्री डी सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की उपस्थिति में इकाई के वरिष्ठ कार्यकर्ता द्वारा ओएसकॉम यूनिट में नए इल्मेनाइट वेयरहाउस का उद्घाटन।

Inauguration of new ilmenite warehouse at OSCOM Unit by the Senior most workman of Unit in the presence of Shri D. Singh, CMD.

प्रबंधन प्रशिक्षुओं को ऑसकॉम यूनिट में उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उनके साथ श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं अन्य अधिकारी, आईआरईएल

Shri D.Singh, CMD and other Officials of IREL with Management Trainees during their induction programme in OSCOM Unit





निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्वतःसिद्ध संक्षिप्त वित्तीय विवरणों के साथ साथ आपकी कंपनी के व्यापार एवं प्रचालनों पर 68वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

1.0 वित्तीय परिणाम

1.0 मुख्य बातें

1.1 वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के प्रचालनों एवं कार्यानिष्पादन की मुख्य बातें तथा पिछले वर्ष से इसकी तुलना निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत की गई है:

		(₹ लाख में)	
		2017-18	2016-17
1.	कुल राजस्व	61,549	51,478
2.	मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय से पूर्व लाभ, पूर्व अवधि समायोजन, असाधारण एवं अपवाद मदें	15,635	3,082
3.	घटाएं: मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	3,250	3684
4.	जोड़ें/(घटाएं): अपवाद मदें	0	4,761
5.	कर से पूर्व लाभ/(हानि)	12,385	4,159
6.	घटाएं: कर व्यय	4,174	(916)
7.	अवधि के लिए लाभ/(हानि)	8,211	5,075
8.	जोड़ें: अन्य व्यापक आय	846	(1)
9.	कुल व्यापक आय	9,057	5,074
10.	विदेशी मुद्रा अर्जन	27,832	19,843

2.0 बिक्री एवं विपणन

2.1 वित्तीय वर्ष 2016-17 में सकारात्मक बाजार प्रवृत्ति साक्षी थी जो वर्ष 2017-18 में भी जारी रही। आईआरईएल के प्रमुख उत्पादों के लिए डाउनस्ट्रीम उद्योगों की मांग बेहतर थी क्योंकि यह उद्योग जो विशेष रूप से TiO₂ उद्योग ने सामान्य से बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। तमिलनाडु से इल्मेनाइट की निर्यात के बंद होने से उत्पन्न आपूर्ति की कमी ने आईआरईएल के लक्षित बाजारों के लिए उभरी अफ्रीकी सामग्री से प्रतिस्पर्धा के बावजूद “ओआर” ग्रेड की बेहतर मांग में सहायता की। पर्यावरणीय कारणों से उद्योग पर चीनी क्रैकडाउन द्वारा इसकी सहायता की गई थी। अन्य प्रमुख खनिजों जैसे रूटाइल एवं जिर्कॉन के लिए बाजार ने एक उछाल देखा। रेअर अर्थ्स के मामले में, वर्ष के प्रथम छमाही के लिए बाजार बढ़ रहा था। हालांकि दूसरी छमाही में प्रवृत्ति बनी और मांग में अधोमुखी प्रवृत्ति वर्ष के पूरे शेष हिस्से के लिए जारी रही।

2.2 हालांकि आईआरईएल की खनिजों के लिए बाजार बढ़ रहा था, सीआरजेड अधिसूचना पर स्पष्टता की मांग के कारण तमिलनाडु सरकारी प्राधिकारियों द्वारा परिवहन परमिट के गैर-मुद्दे के कारण एमके यूनिट सामग्री की आपूर्ति करने में असमर्थ थी, जिससे आईआरईएल इसका पूरा फायदा नहीं उठा सका। आईआरईएल

ने राज्य के साथ-साथ केंद्र स्तर पर विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों के साथ इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए जारी रखा, परन्तु आईआरईएल को सफलता पूरे वर्ष टाल दी। इस प्रकार एमके यूनिट 2017-18 के दौरान प्रचालन से कोई राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थी जो आईआरईएल के राजस्व उत्पादन प्रयास के लिए एक बड़ा झटका था। इसके अतिरिक्त, लगातार कच्चे माल की बाधाओं ने चवरा यूनिट के निम्न बराबर निष्पादन का योगदान दिया और कंपनी के समग्र निष्पादन को प्रभावित किया।

2.3 विभिन्न कारणों से जिसमें चवरा में उत्पादन की बाधाएं और एमके यूनिट को परिवहन परमिट जारी न होना सम्मिलित है, वर्ष के दौरान खनिजों की बिक्री, पिछले वर्ष के 355000 मीट्रिक टन से लगभग 307000 मीट्रिक टन तक कम हो गई। हालांकि बेचे जाने वाले टन में कमी को कंपनी के निरंतर और जोरदार विपणन प्रयासों द्वारा खनिजों की बिक्री से ₹ 100 करोड़ रुपये की राजस्व वृद्धि के साथ ज्यादा बनाई गई। अन्य प्रमुख खनिजों अर्थात् रूटाइल एवं जिर्कॉन की बिक्री से राजस्व, ऑसकॉम के रेअर अर्थ संयंत्र से रसायनों की बिक्री 21% अधिक थी, जिससे पिछले वर्ष की मात्रा में 47% की वृद्धि देखी गई। सिलिमेनाइट एवं गारनेट जैसे मामूली खनिजों की बिक्री पर जोर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में 42% से अधिक की कमाई हुई।



DIRECTORS' REPORT

To,
The Members,
Indian Rare Earths Limited,

Your Directors have pleasure in presenting the 68th Annual Report on the business and operations of your Company along with the standalone summary of financial statements for the year ended 31 March, 2018.

1.0 Financial Results

1.0 Highlights

1.1 The highlights of the operations and performance of the Company for the year 2017-18 and its comparison with the previous year have been presented in following table:

		(₹ / lakh)	
		2017-18	2016-17
1.	Total Revenue	61,549	51,478
2.	Profit / (Loss) before depreciation and amortization expenses, prior period adjustments, extra ordinary & exceptional items	15,635	3,082
3.	Less: Depreciation and amortization expenses	3,250	3,684
4.	Add/(Less): Exceptional items	0	4,761
5.	Profit / (Loss) before tax	12,385	4,159
6.	Less: Tax expenses	4,174	(916)
7.	Profit / (Loss) for the period	8,211	5,075
8.	Add : Other Comprehensive Income	846	(1)
9.	Total Comprehensive Income	9,057	5,074
10.	Foreign Exchange earnings	27,832	19,843

2.0 Sales & Marketing

2.1 The positive market trend that was evident in the financial year 2016-17 continued during 2017-18 as well. The demand from downstream industries for major products of IREL was better as these industries, especially the TiO₂ industry, had started doing better than usual. The supply shortage emanating from stoppage of export of Ilmenite from Tamil Nadu further aided in getting better demand for "OR" grade Ilmenite albeit competition from African material emerged for IREL's target markets. The same was further aided by the Chinese crackdown on industry owing to environmental reasons. Market for other major minerals viz. Rutile and Zircon saw an uptrend. In case of rare earths, market was on upswing for the first half of the year. However, the trend bucked in the second half and the downward trend in demand continued for the entire remaining part of the year.

2.2 Though the market for minerals of IREL was on the upswing, IREL could not take fullest advantage of the same as MK unit was unable to supply material owing to non-issue of transport permit by the TN Government authorities on account of seeking clarity on CRZ notification. IREL continued to pursue the matter

with various Government authorities at the State as well as Centre level but success eluded IREL for the entire year. MK unit was thus not able to generate any revenue from operation during 2017-18 which was a major setback for IREL's revenue generation endeavor. Further, continued raw material constraints contributed to Chavara unit's below par performance and affected the overall performance of the Company.

2.3 Owing to various reasons that inter alia include production constraints at Chavara and non-issue of transport permit to MK unit, sales of minerals during the year dipped to about 307000 MT from little over 355000 MT a year earlier. However, the shortfall in tonnage sold was more than made up by sustained and vigorous marketing efforts of the Company with almost ₹100 crore revenue increase from mineral sales. Revenue from sales of other major minerals viz. Rutile and Zircon was up by over 21 % Sales of chemicals from OSCOM's Rare Earth Plant saw 47% increase in volume over the previous year. Thrust given on sale of minor minerals like Sillimanite and Garnet resulted in higher revenue to the tune of over 42% as compared to the previous year.



- 2.4 हालांकि पिछले वर्ष ऑसकॉम के रेअर अर्थ संयंत्र में रसायन के उत्पादन में सुधार हुआ था, फिर भी बेहतर क्षमता उपयोग के लिए उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी गुंजाइश है। एचपीआरई उत्पादों के उत्पादन को और स्थिर करने और ग्राहक पारस्परिक क्रिया पर आधारित विपणनयोग्य उत्पादों को बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं।
- 2.5 ऑसकॉम के रेअर अर्थ्स संयंत्र में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में और सुधार के लिए कदम निरंतर आधार पर लिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप ऑसकॉम में रसायनों के उच्च उत्पादन के साथ-साथ रेअर अर्थ्स प्रभाग के लिए अधिक प्रदाय सामग्री भी हो सकती है, जिससे 2018-19 के दौरान रेअर अर्थ्स प्रभाग में एचपीआरई के उत्पादन में सुधार हो सके। इसके परिणामस्वरूप रसायनों से उच्च राजस्व होगा। परिवहन परमिट के गैर-मुद्दे से संबंधित एमके समस्या का समाधान और चवरा में अनुमानित बेहतर कच्चे माल की सोर्सिंग 2018-19 के दौरान उच्च राजस्व उत्पादन में सहायता करेगी।
- 2.6 उत्पाद शुल्क में अनुकूल निर्णय लेने के बाद, आईआरईएल ने फरवरी 2017 के महीने में शिपमेंट से पूर्व 10% के स्थान में 2.5% पर निर्यात शुल्क अदा करना प्रारंभ किया। वर्ष 2017-18 के दौरान, आईआरईएल ऊपर उल्लिखित निर्णय के परिणामस्वरूप करीब ₹ 15.42 करोड़ की बचत हुई।

3.0 उत्पादन

- 3.1 ऑसकॉम यूनिट ने कुल मिलाकर 2,52,954 टन खनिज उत्पादन किया जो इसकी अधिष्ठापित क्षमता का लगभग 94% है।
- 3.2 तमिलनाडु सरकार के भूविज्ञान एवं खनन विभाग द्वारा 20.1.2017 के प्रभाव से परिवहन परमिट बंद होने के कारण, एमके प्रचालन में बाधा पहुँची और रूक गई।
- 3.3 चवरा यूनिट ने कुल मिलाकर 55,411 टन खनिज उत्पादन किया जो इसकी अधिष्ठापित क्षमता का लगभग 23% है। कम उत्पादन का कारण 2.75 लाख टन कच्ची रेत का न्यून संग्रह था, जिसमें 30% एचएम समस्याएं थीं जैसे भूमि मालिकों द्वारा सतह के अधिकार में बढ़ती हुई क्षतिपूर्ति की मांग, रोजगार की मांग, भूमि मालिकों को पुनर्वासयोग्य भूमि की तत्काल वापसी आदि।

4.0 परियोजनाएं

- 4.1.1 **रेअर अर्थ स्थायी चुंबक:** परियोजना के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 31.12.2017 को परमाणु ऊर्जा विभाग से प्राप्त की गई है। अनुमोदित डीपीआर के आधार पर परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 120.68 करोड़ है। पर्यावरण निकासी प्राप्त करने के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। यह परियोजना पर्यावरण निकासी प्राप्त करने की तारीख में 18 महीने के भीतर चालू किया जाएगा।
- 4.1.2 **रेअर अर्थ एवं टाइटेनियम थीम पार्क:** मध्य प्रदेश के भोपाल में रेअर अर्थ एवं टाइटेनियम थीम पार्क की भविष्य अवधारणा की स्थापना हेतु 19.03.2018 को परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई। परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 112.93 करोड़ है। थीम पार्क में बीएआरसी/अन्य प्रतिष्ठित

अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा विकसित प्रयोगशाला पैमाने प्रौद्योगियों के आधार पर प्रायोगिक संयंत्रों की स्थापना पर विचार किया गया है, जो उभरते उद्यमियों और स्टार्टअप के विश्वास को विकसित करने के लिए प्रौद्योगियों का प्रदर्शन करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश में ही रेअर अर्थ्स के उत्पादन एवं खपत में वृद्धि होगी और रेअर अर्थ क्षेत्र में मूल्य शृंखला स्थापित करने में सुविधा प्रदान करेगी।

- 4.1.3 **इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (इडकॉल) के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी):** आईआरईएल एवं इडकॉल के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी, इडकॉल लिमिटेड को ओडिशा राज्य में परमाणु खनिज निक्षेप प्राप्त करने के लिए 18.1.2018 को निगमित किया गया था। आरक्षण के लिए आवेदन करने से पूर्व, कंपनी के गठन भूमि अनुसूचियों का प्रमाणीकरण, वन भूमि की पहचान आदि के अनुसार किया गया।

- 4.1.4 **ऑसकॉम संयंत्र की क्षमता विस्तार:** चरण-1 वन निकासी प्राप्त करने के लिए जिला/राज्य स्तर पर आवश्यक गतिविधियां पूरी की गईं और मामला फाइल भारत सरकार के एमओईएफसीसी को अर्पित की गई है। वन मूल्यांकन समिति की बैठक 26.07.2018 को आयोजित की गई और आईआरईएल के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है और वन निकासी जारी होने की संभावना है जो आईआरईएल के ऑसकॉम के खनिज उत्पादन की क्षमता को दुगुना करने के उद्देश्य से विस्तार परियोजना के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

- 4.1.5 **टाइटेनियम स्लैग प्लांट:** बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ) के तहत टाइटेनियम स्लैग प्लांट प्रतिवर्ष 1,00,000 टन के स्थापित करने के लिए आपरेटर की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव (आरएफपी) के लिए अनुरोध किया गया। पूर्व-बोली बैठक ने अच्छी प्रतिक्रिया आमंत्रित की और पार्टियों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर प्रस्ताव जमा करने की देय तारीख को सितंबर, 2018 तक विस्तारित किया गया।

5.0 मानव संसाधन प्रबंधन

- 5.1.1 यह मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) के क्षेत्र में अग्रदूत बनने के लिए कंपनी का दृढ़ प्रयास रहा है। कंपनी की एचआरएम नीति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सक्षम, प्रेरित एवं प्रभावशाली योगदान प्रदान कर मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और संगठनात्मक लक्ष्य को समझने के लिए हमेशा अपनी पूर्ण क्षमता की उपलब्धि सुविधाजनक बनाने के लिए है।
- 5.1.2 उपर्युक्त उद्देश्य के कार्य को साकार करने में कंपनी संगठनात्मक रणनीतिक योजना के साथ अपनी मा.सं.प्र रणनीति को निरंतर ले चलने के लिए है। तदनुसार, अपने मानव संसाधन के प्रबंधन में रूपांतरण के अंतर्गत, लगातार नई नीति प्रवर्तित करने एवं मौजूदा नीतियों की समय समय पर समीक्षा करने के अलावा, पिछले एक वर्ष में कंपनी ने उत्तराधिकार योजना नीति, निर्माण विकास केन्द्र, निष्पादन प्रबंधन प्रणाली, मानव संसाधन लेखापरीक्षा, कौशल विकास, कर्मचारी सहभागिता योजना और आईडिया प्लेटफार्म, तकनीकी कौशल पहल, युवा छात्रों के साथ बातचीत के लिए इंटरशिप योजना आदि की समीक्षा पर विशिष्ट मा.सं.प्र के लिए



- 2.4 Though there was improved production of Chemicals at OSCOM's Rare Earth Plant vis-a-vis last year, there is still scope for ramping up the production further for better capacity utilization. Efforts are on for further stabilizing the production of HPRE products and to make marketable products based on customer interactions.
- 2.5 Steps for further improvement in ramping up of the production capacity at OSCOM's Rare Earths Plant are taken on a continuous basis. This is likely to result in higher production of Chemicals at OSCOM as well as more feed material for RED thereby improving production of HPRE at RED during 2018-19. This will result in higher revenues from Chemicals. Resolution of the MK problem relating to non-issue of transport permit and anticipated better raw material sourcing at Chavara would aid in higher revenue generation during 2018-19.
- 2.6 After getting favourable ruling in the excise case, IREL started paying export duty @ 2.5% in place of earlier 10% from shipment in the month of February 2017. During 2017-18, the aforementioned decision of IREL has resulted in savings to the tune of about ₹ 15.42 crores.

3.0 Production

- 3.1 OSCOM unit produced 2,52,954 ton mineral in aggregate which is about 94% of its installed capacity.
- 3.2 MK operation suffered and came to standstill due to stoppage of transport permit w.e.f 20.1.2017 by Department of Geology and Mining, Govt. of Tamil Nadu.
- 3.3 Chavara unit produced 55,411 ton mineral in aggregate which is about 23% of its installed capacity. The reason for reduced production was lower collection of raw sand i.e about 2.75 lakh ton with 30% HM content, due to demand of enhanced compensation by land owners towards surface right, demand of employment, immediate return of rehabilitated land to the land owners etc.

4.0 Projects

- 4.1.1 **Rare Earth Permanent Magnet:** Administrative and Financial sanction for the project has been received from DAE on 31.12.2017. The estimated cost of the project, based on the approved DPR, is ₹ 120.68 crore. Consultant for obtaining environment clearance has been appointed. The project will be commissioned within 18 months from the date of obtaining Environment Clearance.
- 4.1.2 **Rare Earth & Titanium Theme Park:** Administrative and Financial sanction received from DAE on 19.03.2018 for setting up of the futuristic concept of Rare Earth & Titanium Theme Park at Bhopal, Madhya Pradesh. The estimated cost of the project is ₹ 112.93 crore. The Theme Park envisages setting up of pilot plants

based on laboratory scale technologies developed by BARC/ other R&D institutes of repute, demonstration of the technologies to develop confidence of budding entrepreneurs and startups which in turn will result in enhancing production and consumption of Rare Earths within the country and facilitate setting up value chain in the Rare Earth sector.

- 4.1.3 **Joint Venture (JV) with Industrial Development Corporation of Odisha Ltd. (IDCOL):** IREL IDCOL Ltd., a Joint Venture Company between IREL and IDCOL was incorporated on 18.01.2018 to obtain the Atomic Mineral deposits in the state of Odisha. Pursuant to formation of the Company, authentication of the land schedules, identification of forest land, etc undertaken prior to applying for reservation.

- 4.1.4 **Capacity Expansion of OSCOM Plant:** Necessary activities at District/ State level for obtaining Stage-I Forest clearance completed and case file has been forwarded to MOEFCC, Government of India. The meeting of Forest Appraisal Committee was held on 26.07.2018 and the proposal of IREL has been cleared and forest clearance is likely to be issued which will pave way for the expansion project aimed at doubling the capacity of mineral production of OSCOM unit of IREL.

- 4.1.5 **Titanium Slag Plant:** Request for proposal (RFP) floated for appointing an operator to set up 1,00,000 tons per annum titanium slag plant under Build-Own-Operate (BOO) model. Pre-bid meeting invited good response and based on the requests received from parties, the due date of submission of offers extended to September 2018.

5.0 Human Resource Management

- 5.1.1 It has been the determined effort of the company to be a frontrunner in the area of Human Resource Management (HRM). The guiding principle for company's HRM policy is to ensure availability of competent, motivated and effectively contributing human resources and to facilitate achievement of their full potential at all times to realize organizational mission.
- 5.1.2 In order to realize the aforesaid objective, the company is continuously aligning its HRM Strategy with the organizational strategic plan. Accordingly, as a part of transformation in management of its Human Resource, apart from constantly introducing new policy interventions and periodically reviewing the existing policies, the company in the past one year has undertaken the specific HRM initiatives on Succession Planning Policy, Assessment Development Centre, review of Performance Management System, HR Audit, Skill Development, Employee Participation Scheme and Idea Platform, Technical Prowess initiative, Internship Scheme for interaction with young students etc. Overall, the above measures have reinforced alignment

पहल की है। कुल मिलाकर, उपर्युक्त उपायों ने कंपनी के रणनीतिक लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं प्रदेशों के साथ मानव संसाधन को ले चलने के लिए मजबूत किया है।

- 5.1.3 दिनांक 31.03.2018 को जनशक्ति बल 463 कर्मचारियों एवं 1058 गैर-कार्यकारियों से बने 1521 कर्मचारियों का था। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, कुल 3 कर्मचारियों एवं 9 गैर-कार्यकारियों को शामिल किया गया था। उपर्युक्त के अलावा, कार्यकारी कैडर में क्षमता निर्माण के उपाय के रूप में, कंपनी ने विभिन्न विषयों में 20 प्रबंधन प्रशिक्षार्थियों को शामिल किया है।

5.2 कर्मचारी कल्याण गतिविधियाँ

- 5.2.1 कंपनी कर्मचारियों के कल्याण में निवेश जारी रखती है और सभी वैधानिक उपायों को पूरा करती है और चिकित्सा देखभाल, ऋण और अग्रिम, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के माध्यम से कल्याणकारी हितों का विस्तार जारी रखती है। कर्मचारी कल्याण कर्मचारियों की प्रतिबद्धता को तेज करने और कंपनी के निष्पादन में प्रभावी योगदान के लिए समर्पण को दृढ़ करने के लिए केंद्रित क्षेत्र का एक केंद्र रहा।

5.3 आरक्षण नीति

- 5.3.1 आईआरईएल के पास पिछले वर्ष 1662 की तुलना में दिनांक 31.03.2018 को 1521 कर्मचारियों का सुदृढ़ दल है। 31.03.2018 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 296 एवं 43 है। जबकि आईआरईएल के रोल पर भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 38 एवं 17 है। अप्रैल 2017 से 12 व्यक्ति भर्ती किए गए हैं तथा 153 व्यक्ति त्यागपत्र/सेवानिवृत्त/मृत्यु/समापन इत्यादि के कारण सेवा में नहीं रहे।

5.4 औद्योगिक संबंध

- 5.4.1 यूनियनों के साथ लंबे समय की बातचीत के बाद तैयार किए गए कर्मकारों के संदाय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एमके में पर्यावरण निकासी मुद्दे के कारण, संयंत्र गतिविधियों को रोकने के लिए अस्थायी छंटनी का आवेदन प्रारंभिक रूप से फाइल किया गया। उसे बाद में प्रबंधन द्वारा वापस लिए जाने के लिए निर्णय किया गया जब राज्य सरकार ने परिवहन परमिट जारी करना शुरू किया। अन्यथा वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध परिदृश्य बहुत सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण था।

6.0 कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एवं धारणीयता

- 6.1. **परिकल्पना:** अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को प्रदर्शित करती हुई सीएसआर नीतियों के साथ एक कार्पोरेट बनना जो मूलभूत व्यापार में सन्निहित हो तथा समाज के समावेशी उन्नति के लिए मिलकर चले।

लक्ष्य: एक ऐसा कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना जो स्वास्थ्य, साक्षरता आधारभूत संरचना विकास, स्वच्छ पेय जल, पर्यावरण सुरक्षा, धारणीयता एवं अन्य सामाजिक रूप से संबंधित मामलों के क्षेत्र में पहल करके आसपास के समुदायों के जीवन दशाओं का उत्थान करता हो और अभिवृद्धि करता हो।

आईआरईएल कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सरकार द्वारा सीएसआर गतिविधियों का चयन और कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। सीएसआर और धारणीयता योजनाओं के कार्यान्वयन के क्षेत्र में खनन स्थलों और पिछड़े जिले के आसपास के क्षेत्र हैं जहां कंपनी की प्रचालन इकाइयां हैं। बाद में, इस तरह के कार्यक्रमों को 10 किलोमीटर के संयंत्र के स्थान के दायरे के भीतर विस्तारित करने का प्रस्ताव है। कंपनियों के अधिनियम 2013, कंपनियों के (कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आईआरईएल की सीएसआर गतिविधियों के लिए बजट आबंटन है।

6.2 सीएसआर समिति का संघटन

श्री दीपेन्द्र सिंह - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआरईएल

सुश्री शीला सांगवान - सदस्य, स्वतंत्र निदेशक

श्री के.के. महान्ति - सदस्य, निदेशक (विपणन), आईआरईएल

6.3 पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:

2014-15	₹ 3.12 करोड़
2015-16	(-) ₹ 111.39 करोड़
2016-17	₹ 38.14 करोड़
औसत शुद्ध लाभ	(-) ₹ 70.13 करोड़

6.4 2017-18 के लिए निर्धारित सीएसआर व्यय: शून्य

6.5 वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च सीएसआर का विवरण

क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल धनराशि: शून्य*

ख) खर्च नहीं हो पायी धनराशि: शून्य*

ग) वित्तीय वर्ष के दौरान जिस ढंग से धनराशि खर्च की गयी उसका विवरण नीचे दिया गया है:

* यद्यपि वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर बजट शून्य है, पर संबंधित स्टेकहोल्डरों की सद्भावना एवं समर्थन पाने और कंपनी की छवी स्थापित करने के लिए कुछ आवश्यकता पर आधारित सीएसआर की गतिविधियां आयोजित की गई थीं।



of Human Resource with the company's strategic goals, objectives and deliverables.

5.1.3 The manpower strength as on 31.03.2018 was 1521 employees comprising of 463 Executives and 1058 Non-Executives. During the financial year 2017-18, a total number of 3 Executives and 9 Non-Executives were inducted. In addition to the above, as a measure of capacity building in the executive cadre, the company has inducted 20 Management Trainees in different disciplines.

5.2 Employees Welfare Activities

5.2.1 The Company continues to invest in Welfare of Employees and fulfills all Statutory Welfare measures and continued to extend welfare benefits by way of Medical Care, Loans and Advances, Education, Social Security etc. Employees Welfare continued to be one of the focused area to accelerate and reinforce employees' commitment, dedication for effective contribution in company's performance.

5.3. Reservation Policy

5.3.1 IREL has strong team of 1521 employees as on 31.03.2018 as against 1662 of the previous year. The representation of Scheduled Caste, Scheduled Tribes as on 31.03.2018 is 296 and 43 respectively. Whereas the representation of Ex-servicemen and Persons with Disabilities on the roles of IREL is 38 and 17 respectively. Since April 2017, 12 persons have been recruited and 153 have ceased to be in employment on account of resignations/retirements/deaths/termination etc.

5.4 Industrial Relations

5.4.1 After long drawn parleys with the unions the wage settlements of the workmen were signed. Due to Environment clearance issues at MK leading to stoppage of plant activities, a lay-off application was initially filed. The same was subsequently decided to be withdrawn by the Management when the State Government began issuance of transport permits. Otherwise Industrial relations scenario during the year was by and large cordial and peaceful.

6.0 Corporate Social Responsibility (CSR) & Sustainability

6.1 **Vision:** To be a corporate with CSR policies demonstrating its social responsibilities that is embedded in the core business and aligned for inclusive growth of the society.

Mission: To implement a programme that would uplift and enhance the living condition of the community

residing in and around our mining plants by way of initiatives in the areas of health, literacy, infrastructure developments, clean drinking water, environment protection, sustainability and other socially relevant matters.

IREL complies with the provisions of Companies Act 2013 and the guidelines issued by the Government from time to time for selecting and implementing its CSR activities. The area of implementation of CSR & sustainability schemes is around the vicinity of mining sites and backward districts where the company has its operating units. Later, it is proposed to extend such programs within the radius of 10 kms of plant location. Budgetary allocation for CSR activities of IREL is in accordance with the Companies Act 2013, Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014 and guidelines issued by the Government from time to time

6.2 Composition of CSR Committee:

Shri D.Singh - Chairman, CMD IREL

Ms. Sheila Sangwan- Member, Independent Director

Shri K.K. Mohanty-Member, Director (Marketing), IREL

6.3 Average net profit of the Company for the previous three financial years:

2014-15:	₹ 3.12 crore
2015-16:	(-) ₹ 111.39 crore
2016-17:	₹ 38.14 crore
Avg. Net Profit:	(-) ₹ 70.13 crore

6.4 Prescribed CSR Expenditure for 2017-18: NIL.

6.5 Details of CSR spent during the financial year:

- Total amount to be spent for the financial year: Nil*
- Amount unspent, if any: Nil*
- Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

* Though CSR budget for the year 2016-17 is Nil, certain need based CSR activities were undertaken to earn goodwill & support of the concerned stake holders and to establish footprint of the Company.

क्र. सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना सम्मिलित है।	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य एवं जिला विनिर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम चालू थे।	व्यय धनराशि (₹ लाख)	खर्च धनराशि (₹ लाख)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च धनराशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	निवारक स्वास्थ्य देखभाल, जलपूर्ति, स्वच्छता इत्यादि	(i)	स्थानीय क्षेत्र कोल्लम केरल;	शून्य	9.62	9.62	आईआरईएल द्वारा सीधे कार्यान्वित की जाती है।
2	शिक्षा, रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल इत्यादि	(ii)	गंजाम, ओडिशा		17.67	17.67	
3	पर्यावरणीय धारणीयता	(iv)			3.85	3.85	
4	सांस्कृतिक विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, पुस्तकालयों की स्थापना, आदि	(v)			8.92	8.92	
5	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	(x)			40.31	40.31	
	कुल			शून्य	80.37	80.37	

6.6 यदि कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी भाग के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत खर्च करने के लिए चूक गयी है, तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में धनराशि खर्च न करने के लिए कारण प्रदान करेगी।

लागू नहीं, चूंकि वर्ष 2017-18 के लिए सीएसआर बजट शून्य है।

6.7 सीएसआर समिति के उत्तरदायित्व वक्तव्य जो सीएसआर नीति के कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के साथ अनुपालन में है।

आईआरईएल अपनी सीएसआर गतिविधियों के चयन एवं कार्यान्वयन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं समय समय पर सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का अनुपालन करती है। सीएसआर एवं धारणीयता योजनाओं के कार्यान्वयन का क्षेत्र खनन स्थलों के आस पास एवं पिछड़े जिले हैं जहां कंपनी की अपनी प्रचालन यूनिटें हैं। बाद में ऐसे कार्यक्रमों को प्लांट स्थानों के 10 किलो मीटर की परिधि के अंदर विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया गया। आईआरईएल की सीएसआर गतिविधियों के लिए बजटरी आबंटन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार है।

7.0 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

7.1.1 इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसके अनुसरण में कंपनी ने कार्यालयीन कार्य में हिन्दी के प्रयोग को प्रोन्नत करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

7.1.2 माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने 09 नवम्बर, 2017 को रेअर अर्थ्स प्रभाग का निरीक्षण किया और यूनिट में किए जा रहे हिन्दी कार्य की प्रगति की सराहना की है।

7.1.3 राजभाषा समिति की बैठके प्रत्येक तिमाही में आयोजित की गई और भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त समीक्षा एवं निर्देश जारी किए गए।

7.1.4 वर्ष के दौरान विभिन्न गतिविधियां जैसी कार्यशालाएं, बैठके, प्रतियोगितायें आयोजित की गईं और कंपनी के सभी स्थानों पर हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इन प्रतियोगिताओं एवं कार्यशालाओं ने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उनके दैनंदिन काम करने के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि की है। उपर्युक्त के अलावा, कंपनी के विभिन्न यूनिटों के बीच हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की राजभाषा शील्ड एवं उप विजेता राजभाषा शील्ड उपलब्ध है जिन्हें क्रमशः ऑसकॉम एवं मणवालकुरिचि यूनिट को पुरस्कृत किया गया। इसी प्रकार, प्रधान कार्यालय में विभिन्न विभागों के लिए हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार उपलब्ध है जिन्हें सतर्कता एवं मा.सं.प्र विभागों को पुरस्कृत किया गया। पारंगत पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

8.0 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

8.1.1 पारदर्शिता एवं जवाबदेही में सुधार लाने के उद्देश्य से, कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के तंत्र की जगह बनाई है, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलेट प्राधिकारी को अधिसूचित किया गया है और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार समय पर अनुपालन एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जा रही है। आरटीआई आवेदनों के अलावा, कंपनी ने केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध भी अपीलें प्राप्त कीं जिन्हें भी प्रथम अपीलेट प्राधिकारी



S. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or programs (1) local area or other (2)Specify the state and district where projects or program was undertaken	Amount outlay (₹ Lakh)	Amount Spent (₹ Lakh)	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through implementing agency
1	Preventive health care, water supply, sanitation, etc	(i)		NIL	9.62	9.62	
2	Education, employment enhancing vocation skills, etc	(ii)			17.67	17.67	
3	Environmental sustainability	(iv)	Local area Kollam Kerala; Ganjam, Odisha		3.85	3.85	Implemented directly by IREL
4	Protection of cultural heritage, art & culture, setting up of libraries, etc	(v)			8.92	8.92	
5	Rural development projects	(x)			40.31	40.31	
	Total			Nil	80.37	80.37	

6.6 In case the company has failed to spend the two per cent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report:
Not applicable, since CSR budget for the year 2017-18 is Nil.

6.7 A responsibility statement of the CSR committee that the implementation and monitoring of CSR policy is in compliance with the CSR objectives and policy of the company.

IREL complies with the provisions of Companies Act 2013 and the guidelines issued by the Government from time to time for selecting and implementing its CSR activities. The area of implementation of CSR & sustainability schemes is around the vicinity of mining sites and backward districts where the company has its operating units. Later on it is proposed to extend such programs within the radius of 10 kms of plant location. Budgetary allocation for CSR activities of IREL is in accordance with the limits specified under the Companies Act 2013.

7.0 Implementation of Official Language Policy

7.1.1 Indian Rare Earths Limited is committed to implement Rajbhasha Policy of the Government of India and in pursuance to the same, the company has taken several steps to promote usage of Hindi in Official Work.

7.1.2 The Honorable Parliamentary Committee on Official Language inspected Rare Earths Division on 9th November, 2017 and appreciated the progress of Hindi work in the Unit.

7.1.3 Meetings of Official Language Committee were held in each quarter and suitable review and directions were issued for effective implementation of Rajbhasha Policy of the Government of India.

7.1.4 Various activities like workshops, meetings, competitions were organized during the year and Hindi Pakhwada was celebrated at all locations of the company. These competitions and workshops have increased progressive use of Hindi by the employees of the company in their day to day working. Besides the above, the company has in place CMD's Rajbhasha Shield and Runner-up Rajbhasha Shield for excellent work in Hindi amongst the various Units of the Company which were awarded to OSCOM and Manavalakurichi Units respectively. Similarly, awards for excellent work in Hindi is in place for different departments at Head Office which were awarded to Vigilance and HRM Departments at Head Office. Besides the above, training programme on Parangat Course was also organized for employees of the company.

8.0 Right to Information Act, 2005

8.1.1 In order to improve transparency and accountability, company has put-in place the mechanism of implementation of Right to Information Act, 2005, Central Public Information Officer, Assistant Public Information Officer and First Appellate Authority have been notified and utmost care is being taken for timely compliance and providing requisite information as per the provisions of RTI Act, 2005. Apart from RTI applications, the Company also received appeals against the decision of the Central Public Information Officer, which too were

द्वारा ध्यान देकर उचित रूप से निपटान किया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान, 153 आरटीआई आवेदन और 21 प्रथम अपीलों को क्रमशः सीपीआईओ एवं प्रथम अपीलेट प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से निपटान किये गये। उपर्युक्त के अलावा, माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग एवं द्वितीय अपीलेट प्राधिकारी के समक्ष वर्ष 2017-18 के दौरान 06 द्वितीय अपीलों को वरीयता दी गई।

- 8.1.2 आरटीआई में क्षमता निर्माण के उपाय के रूप में 24 फरवरी, 2018 को चवरा, रेअर अर्थ्स प्रभाग, मणवालकुरिच्चि और आईआरईआरसी के विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के लिए एक आंतरिक कार्यशाला आयोजित की गई।
- 8.1.3 वर्ष 2016-17 के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कंपनी द्वारा सक्रिय प्रकटीकरण पर तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा 23 एवं 24 फरवरी, 2018 को की गई और कंपनी के वेबसाइट में लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपलोड की गई है और सीआईसी को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

9.0 सतर्कता

- 9.1 आईआरईएल में सतर्कता का उद्देश्य प्रबंधकों में यथार्थ व्यापार निर्णय के लिए आत्मविश्वास का निर्माण करना और ऐसी संस्कृति को स्थापित करना जहाँ सतर्कता का भय कार्रवाई न करने के लिए एक बहाने के रूप में प्रयुक्त न हो। आईआरईएल की सतर्कता इकाई सक्रिय, शिक्षित और सहभागी हस्तक्षेप के माध्यम से संगठन में हर व्यक्ति एवं सहायक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है।
- 9.2 सतर्कता विभाग ने सीवीसी, सीबीआई एवं संगठन के बीच एक प्रभावी सूत्र के रूप में कार्य किया। प्राप्त शिकायतों की समय पर जांच पड़ताल की गई और सीवीसी एवं परमाणु ऊर्जा विभाग (डीईई) सहित संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से उचित कार्रवाई की गई।
- 9.3 वर्ष के दौरान यूनियों के 20 सीटीई प्रकार की जांचें, 48 आवधिक निरीक्षण और 192 अचानक निरीक्षण आयोजित किए गए। अभिकरण जैसे कि सीवीसी/सीबीआई की जांच रिपोर्टों में दी गई सलाहों के संबंध में उचित, शीघ्र एवं समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

आईआरईएल के कारपोरेट कार्यालय में 30 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2017 तक “मेरी कल्पना- भ्रष्टाचार मुक्त भारत” की थीम के साथ आईआरईएल के सभी क्षेत्रीय यूनियों में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

- क) माननीय सीवीसी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विज्ञान भवन, दिल्ली में श्री संजय बांगा, मुख्य सतर्कता अधिकारी, आईआरईएल द्वारा सतर्कता शपथ के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2017 प्रारंभ हुआ। श्री के.के. महान्ति, निदेशक (विपणन), आईआरईएल द्वारा कारपोरेट कार्यालय में और संबंधित यूनियों के प्रधानों द्वारा आईआरईएल के यूनियों में सत्यनिष्ठा शपथ अंग्रेजी एवं हिन्दी में दिलाई गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन के दौरान विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय यूनियों के बीच माननीय भारत

के राष्ट्रपति, भारत के उप राष्ट्रपति एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त संदेशों का परिचालन किया गया।

- ख) संगठन के कारपोरेट कार्यालय एवं संबंधित यूनियों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के बैनरों का प्रदर्शन किया गया और आईआरईएल के क्षेत्रीय यूनियों में त्रिभाषिक रूप में सतर्कता बैजों का वितरण किया गया।
- ग) आईआरईएल के ऑसकॉम एवं चवरा के क्षेत्रीय यूनियों में ग्राहकों की बैठक का आयोजन किया गया। ग्राहकों/विक्रेताओं के पारस्परिक प्रभावी सत्र ऑसकॉम यूनियट में आयोजित किया गया जिसमें सीवीओ, आईआरईएल, निदेशक (विपणन) एवं महाप्रबंधक (वित्त) ने वीडियो सम्मेलन (वीसी) के माध्यम से यूनियों में सम्मिलित हुए और आईआरईएल के विक्रेताओं एवं स्टेकहोल्डरों के साथ आपस में बातचीत की। विक्रेताओं/स्टेकहोल्डरों को सीवीओ, आईआरईएल द्वारा संवेदनशील किया गया, आईआरईएल सत्यनिष्ठा ई-शपथ के बारे में सीवीसी द्वारा पहल की गई और सभी विक्रेताओं एवं उनके परिवार सदस्यों के द्वारा ई-शपथ लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया।
- घ) इस सप्ताह के दौरान, आईआरईएल के कारपोरेट कार्यालय में पावर पाइंट प्रश्न-मंच प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता, वाद-विवाद और निबंध लेखन प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। क्षेत्र यूनियों में उपर्युक्त प्रतियोगिताओं के अलावा, अधिकारियों, कर्मचारियों, कॉलोनी के गृहणियों एवं स्कूल के बच्चों एवं कालेज के छात्रों के लिए एक इशतहार प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। समापन दिवस समारोह में हफ्ते भर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

10.0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक खरीद पर सूचना का प्रकटन।

- 10.1 वर्ष 2017-18 के दौरान एमएसई से खरीदे गए सामान एवं सेवाओं का कुल मूल्य (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाली एमएसई सहित) ₹ 69.83 करोड़ है जो ₹ 200.86 करोड़ की कुल वार्षिक खरीद की 35% है और ₹ 138.97 करोड़ की कुल वार्षिक खरीद की करीब 50% छोड़कर मर्दे जिसके लिए एमएसई प्रतिनिधियां वर्तमान में नहीं है।

11.0 जन जागरूकता पहलें

- 11.1 स्टेकहोल्डरों के बीच सकारात्मक प्रभाव को स्थापित करने एवं उसे बनाए रखने के उद्देश्य से, आईआरईएल पूरी तरह से विभिन्न जागरूकता गतिविधियों में संलग्न है। ऐसी गतिविधियों को ले चलते हुए आईआरईएल के कर्मचारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन के लिए आईआरईएल की यूनियों के आस पास में भी स्कूल/कालेज के छात्रों को शामिल करना, समाज के लिए निरंतर खनन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विज्ञान प्रदर्शनी/मेले में सहभागिता, आईआरईएल की यूनियों में विभिन्न कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों से छात्रों के औद्योगिक दौरे की सुविधा प्रदान करना भी शामिल है।



attended and appropriately disposed of by the First Appellate Authority. During the year 2017-18, 153 RTI applications and 21 First Appeals were received and appropriately disposed of by the CPIO and the First Appellate Authority respectively. Besides the above, 06 Second Appeals were preferred during the year 2017-18 before the Hon'ble Central Information Commission and Second Appellate Authority.

8.1.2 As a measure of capacity building in RTI, a Workshop was organized on 24th February, 2018 for internal Nodal Officers of various departments of Chavara, Rare Earths Division, Manavalakurichi and IRERC.

8.1.3 The third party audit on proactive disclosures by the Company under the Right to Information Act, 2005 for the year 2016-17 was carried out on 23rd & 24th February, 2018 and the Audit Report has been uploaded in the Company's website and Report submitted to CIC.

9.0 Vigilance

9.1 Vigilance at IREL aims at building the confidence in managers to take the right business decision and inculcates a culture where the fear of vigilance is not used as an excuse for inaction. IREL vigilance unit reaches out to every individual and aids decision making in the organization through the proactive, educative and participative interventions.

9.2 Vigilance Department worked as an effective link between CVC, CBI and organization. Complaints received were timely investigated and appropriate actions were taken in consultation with the concerned authorities including CVC and Department of Atomic Energy (DAE).

9.3 20 CTE type examinations, 48 Periodic inspections and 192 Surprise inspections of the units were conducted during the year. Proper, prompt and timely action was ensured in respect of the advices given by agencies like CVC/CBI in their investigation reports.

Vigilance Awareness Week

Vigilance Awareness Week was observed from 30th October to 4th November 2017 at IREL Corporate Office and all the field units of IREL with the theme as "My Vision-Corruption Free India".

a) The Vigilance Awareness Week-2017 was opened with the administration of Vigilance Pledge by Shri Sanjay Banga, CVO, IREL at Vigyan Bhavan, Delhi in the presence of Hon'ble CVC and other dignitaries. Integrity Pledge was taken at IREL Corporate Office by Shri K. K. Mohanty, Director (Marketing), IREL in English and Hindi at Corporate Office and in the units of IREL by the respective Heads of units. Messages received from Hon'ble President of India, Vice President

of India and Central Vigilance Commission was circulated amongst various departments and field units during the observance of Vigilance Awareness Week.

(b) Banners highlighting observance of Vigilance Week were displayed at corporate office and respective units of the organization and Vigilance Badges in trilingual form were distributed in field units of IREL.

(c) Customers' meet was organized in the field units i.e. OSCOM and Chavara Units of IREL. Customers/Vendors interactive session was organized at OSCOM Unit in which CVO IREL, Director (Marketing) and GM (Finance) joined the units via Video Conferencing (VC) and interacted with the vendors and stakeholders of IREL. Vendors/Stakeholders were sensitized by CVO; IREL about the integrity e-pledge initiated by CVC and promoted them to take e-pledge by all the vendors and their family members.

(d) During this week various competitions i.e. Power Point Quiz Competition, Slogan writing competition, Debate and Essay writing competition at IREL at Corporate Office was organized. In the field units apart from the above competitions a poster competition for Officers, Workmen, for housewives of Colony and School Children and College Students was held. Prizes were distributed to the winners of the various competitions held during the Week on the valedictory function day.

10.0 Disclosure of information on public procurement notified by the Government under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

10.1 Total value of goods and services procured from MSEs (including MSEs owned by SC/ST entrepreneurs) during the financial year 2017-18 is ₹ 69.83 crores which is about 35% of the total annual procurement of ₹ 200.86 crore and about 50% of the total annual procurement of ₹ 138.97 crore excluding items for which MSEs representatives are nonexistent.

11.0 Public Awareness Initiatives

11.1 With a view to establish and maintain positive impact among stakeholders, IREL wholeheartedly engages in various public awareness activities. Such activities inter-alia includes engaging and involving school / college students also in the vicinity of IREL units for Swachh Bharat Mission along with IREL employees, participation in various Science exhibition / fair to promote sustained mining for the society, facilitating industrial visits of students from various colleges/ Universities/Institutions to IREL's units.



11.2 आईआरईएल नियमित रूप से आईआरईएल की यूनिटों के आसपास में आर एंड आर पैकेज, अप्रत्यक्ष रोजगार, कौशल विकास पहलें और सीएसआर पैकेज के लिए विभिन्न स्टैकहोल्डरों के साथ जागरूकता एवं संवादात्मक सत्र आयोजित करता है। इसके अलावा, संवादात्मक सत्र एमएसएमई विक्रेताओं के लिए उनके स्टैकहोल्डरों के भविष्य निधि योगदान के लिए आयोजित किए गए।

12.0 अनुसंधान एवं विकास

12.1 आईआरईएल उत्पादों की गुणवत्ता एवं अच्छी वसूली में मूल्य वर्धन, सुधार के उद्देश्य के साथ, आईआरईएल टीडीसी ने ₹ 1688.86 लाखों की लागत में 23 परियोजनाओं का अनुमोदन किया है। 18 परियोजनाएं पूरी की गईं और 5 परियोजनाएं कुल खर्च ₹ 948.36 लाख के साथ प्रगति पर हैं।

12.2 आईआरईएल टीडीसी परियोजनाओं से व्युत्पन्न लाभ:

सतही कोटिंग के लिए टंडा वर्णक के रूप में उपयोग हेतु पर्यावरण अनुकूल रेअर अर्थ्स ऑक्साइड का उत्पादन।

गैर वेटेबल क्रूसिबल और थर्मल संरक्षण टाइल्स बनाने के लिए नैनो आकार लान्थेनम फॉस्फेट का उत्पादन।

13.0 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन

13.1 कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा (3) (एम) की अपेक्षा के अनुसार ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन के संबंध में जानकारी एवं विवरण अनुलग्नक -क के रूप में इसमें संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का भाग बनाता है।

14.0 सरकारी लेखापरीक्षा

14.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियाँ दी हैं।

“मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नजर नहीं आई है जिसकी वजह से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अथवा उसके अनुपूरक पर कोई टिप्पणी करनी पड़े।”

15.0 कराधान

15.1 कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत आगे ली गई हानि एवं लागू प्रावधानों के प्रतिकार करने के बाद एमएटी के तहत आयकर के लिए प्रावधान किया है।

16.0 लाभांश

16.1 निदेशक मण्डल ने 25 सितंबर 2018 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 36.50 करोड़ के लाभांश की सिफारिश की है।

17.0 सार्वजनिक जमा

17.1 कंपनी ने रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 73 के अभिप्रेत अन्दर जनता से न तो कोई जमा आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है।

18.0 निदेशकगणों अथवा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया अथवा जिन्होंने त्यागपत्र दिया अथवा सेवा निवृत्त हो गए:

18.1 श्री राकेश तुमाने, निदेशक (वित्त) का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया और 28 सितंबर 2017 के प्रभाव से कंपनी की सेवा में रहना समाप्त हुआ।

18.2 आईआरईएल के ऑसकॉम यूनिट के मुख्य महाप्रबंधक एवं यूनिट प्रधान श्री ए के महापात्र ने 1 जनवरी 2018 से निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

18.3 श्री पाल एंटोनी, नामित निदेशक का कार्यकाल 06 जनवरी 2018 को समाप्त हुआ।

18.4 श्री जी कल्याण कृष्णन, नामित निदेशक का कार्यकाल 01 जनवरी 2018 को समाप्त हुआ।

18.5 श्री संजय एम कौल, आईएएस, सचिव, उद्योग विभाग, केरल सरकार ने नामित निदेशक के रूप में 05 फरवरी 2018 को कार्यभार ग्रहण किया है।

18.6 डॉ. दिनेश श्रीवास्तवा, एनएफसी के मुख्य कार्यकारी ने 19 फरवरी 2018 से नामित निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

18.7 आईआरईएल के कंपनी सचिव श्री बी आर तरफदार, दिनांक 31 जनवरी 2018 को सेवानिवृत्त हुए।

18.8 श्री रूपेन्द्र धीमान ने 09 मार्च 2018 से कंपनी सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

19.0 कर्मचारियों का विवरण

19.1 कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) एवं 5(3) के तहत प्रकट किए जाने के लिए यथा अपेक्षित कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं अन्य विवरणों से संबंधित सूचना नहीं दी गई है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किसी भी कर्मचारी ने उपर्युक्त नियमों में दी गई सीमा रेखा के समान या उससे अधिक पारिश्रमिक अथवा उसका भाग आहरित नहीं किया है।

20.0 लेखापरीक्षक

20.1 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स. गोखले एंड साथे, सनदी लेखापाल, मुंबई की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

20.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने पत्र सं. सी.ए.वी/सीओवाई/केंद्र सरकार, आईआरईएल (1)/577 दिनांक 14.08.2018 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स. गोखले एंड साथे, सनदी लेखापाल, मुंबई को पुनः नियुक्त किया है।

21.0 लागत लेखापरीक्षा

21.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अनुसार कंपनी से एक अभ्यासरत लागत लेखाकार द्वारा अपने लागत अभिलेखों



11.2 IREL regularly conducts awareness and interactive sessions with various stakeholders for R&R package, indirect employment, Skill Development Initiatives and CSR packages in the vicinity of IREL's units. Further, Interactive sessions were held for MSME vendors for contribution of Provident Fund for their stakeholders.

12.0 Research & Development

12.1 With an aim at value addition, improvements in quality and better recovery of IREL products IREL Technology Development Council (IRELTDC) approved 23 projects at a cost of ₹ 1688.86 lakhs. 18 projects are completed and 5 projects are on progress with a total expenditure of ₹ 948.36 lakhs.

12.2 Benefits derived from IRELTDC projects:

Production of Environmental friendly Rare Earths Oxide for use as cool pigment for surface coating.

Production of nano size Lanthanum Phosphate for making non wettable crucible and Thermal protection tiles.

13.0 Conservation of Energy, Technology Absorption & Foreign Exchange Earnings and Outgo

13.1 In accordance with the requirements of section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Accounts) Rules, 2014 information and details in respect of Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo is annexed hereto as Annexure- 'A' and forms part of this report.

14.0 Government Audit

14.1 Pursuant to the provisions of Section 143(6) of the Companies Act, 2013 the Comptroller and Auditor General of India has given their comments on the audit report for the financial year 2017-18.

"On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act."

15.0 Taxation

15.1 The company has made provision towards income tax under MAT after considering set off of carried forward loss and applicable provisions under the Income Tax Act, 1961.

16.0 Dividend

16.1 Board of Directors at their meeting held on 25th Sep, 2018 has recommended dividend amounting to ₹ 36.50 Crore for the year 2017-18.

17.0 Public Deposit

17.1 During the year under report, the Company has neither

invited nor accepted any deposit from public within the meaning of section 73 of the Companies Act, 2013.

18.0 The details of directors or key managerial personnel who were appointed/ resigned/ superannuated during the year

18.1 Resignation of Shri Rakesh Tumane, Director (Finance), was accepted and ceased to be in the service of the Company w.e.f. 28th September, 2017.

18.2 Shri A K Mohapatra, CGM & Unit Head of OSCOM Unit of IREL, has joined as Director (Technical) with effect from 1st January, 2018.

18.3 Tenure of Nominee Director Shri Paul Antony, has ceased w.e.f 6th January, 2018.

18.4 Tenure of Nominee Director Shri G Kalyanakrishnan, has ceased w.e.f 1st February, 2018.

18.5 Shri Sanjay M Kaul, IAS Secretary to Industries Department, Govt. of Kerala has joined as Nominee Director with effect from 5th February, 2018.

18.6 Dr. Dinesh Srivastava, Chief Executive of NFC has joined as Nominee Director with effect from 19th February, 2018.

18.7 Shri B R Tarafdar, Company Secretary of IREL superannuated on 31st January, 2018.

18.8 Shri Rupender Dhiman, has joined as Company Secretary with effect from 9th March 2018.

19.0 Particulars of Employees

19.1 Information pertaining to remuneration and other details of employees as required to be disclosed under Rule 5(2) and 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, are not given, as none of the employees drew remuneration during the financial year 2017-18 or part thereof which is equal to or more than the threshold limits specified in the above said rules.

20.0 Auditors

20.1 Report of the Statutory Auditors M/s Gokhale & Sathe, Chartered Accountants, Mumbai on the accounts of the company for the year ended 31st March, 2018 is annexed to this report.

20.2 The Comptroller & Auditor General of India has re-appointed M/s Gokhale & Sathe Mumbai as Statutory Auditors of the Company for the financial year 2018-19 vide its letter No. CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, IRARTH(1)/577 dated 14.08.2018.

21.0 Cost Audit

21.1 Pursuant to section 148 of the Companies Act, 2013, the Company is required to have the audit of its cost

की लेखापरीक्षा कराया जाना अपेक्षित है। उपर्युक्त को देखते हुए निदेशक मण्डल ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के उत्पादों के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा कराने के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में सेसर्स. के.जी. गोयल एंड कंपनी, लागत लेखाकार की ₹ 48,817/- (सर्व निहित) के पारिश्रमिक पर भावी आम सभा में इसकी संपुष्टि के अधीन पुनः नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

21.2 सामान्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित मदों के संबंध में जानकारी शून्य समझी जाए:

- (क) व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन।
- (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण प्रत्याभूति या निवेश।
- (ग) निर्धारित प्रपत्र में धारा 188 के उप-धारा (1) में निर्दिष्ट पक्षकारों के साथ अनुबंध या व्यवस्था।
- (घ) कंपनी के वित्तीय विवरण और रिपोर्ट की तारीख से सामग्री परिवर्तन और वचनबद्धता, यदि कोई हो, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में हुई कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है।
- (ङ) लाभांश, मतदान या अन्यथा के रूप में विशिष्ट अधिकारों सहित इक्विटी शेयरों को जारी करना।
- (च) किसी भी योजना के तहत कंपनी के कर्मचारियों को स्वेत इक्विटी शेयरों सहित शेयर जारी करना।

22.0 निदेशकगणों के उत्तरदायित्व का विवरण

22.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड (सी) के अधीन, निदेशकगण अपनी सर्वश्रेष्ठ जानकारी तथा विश्वास के आधार पर बताते हैं कि:

- क) वार्षिक लेखाओं की तैयारी में तात्त्विक रूप से अनुसरण नहीं किए जाने से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;
- ख) निदेशकगणों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया एवं निरंतरता से उनका अनुप्रयोग किया तथा ऐसे तर्कसंगत और बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लिए एवं अनुमान लगाए ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि का सत्य एवं सही दृश्य प्रस्तुत कर सकें;
- ग) निदेशकगणों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा;
- घ) निदेशकगणों ने वर्तमान चिंताओं के आधार पर वार्षिक लेखाओं को तैयार किया था;

ड) निदेशकगणों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावात्मक रूप से परिचालन कर रहे थे। लागू नहीं।

कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। हालांकि, 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य कर पाने की प्रक्रिया में थी और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, उनकी रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इस की जांच की गई और प्रमाणित किया गया।

च) निदेशकगणों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणाली की पर्याप्तता एवं प्रभावी रूप से कार्य कर पाने की प्रक्रिया में थी।

22.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धारा 143(12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के संबंध में विवरण

लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा समिति या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के तहत कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई थी।

23.0 स्वतंत्र निदेशकगणों (आईडी) द्वारा घोषणा

23.1 स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तुत की है, जिसमें कहा गया है कि वे स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं, यथा उक्त अधिनियम की धारा 149(6) में दिया गया है।

24.0 जोखिम प्रबंधन नीति का विकास एवं कार्यान्वयन के साथ जोखिम के तत्वों की पहचान पर विवरण

- 24.1 बोर्ड द्वारा अनुमोदित उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) कार्यान्वयन योजना के अनुसार, यूनिट स्तर पर जोखिम अधिकारियों ने प्रत्येक विभाग के परामर्श से विभिन्न जोखिमों एवं प्रत्येक जोखिम के लिए सुझाव दिए गए उपशमन उपायों की पहचान की। जोखिम अधिकारी द्वारा सुझाव दिए प्रयोज्य जोखिमों एवं उपशमन उपायों की समीक्षा करने के बाद, यूनिट प्रमुख ने जोखिम प्रबंधन समिति नीति (आरएमसी) द्वारा समीक्षा के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी को की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- 24.2 आरएमसी ने यूनिटों एवं परामर्शदाता द्वारा पहचान की गई विभिन्न जोखिमों की समीक्षा की और कंपनी पर घटना की आवृत्ति और जोखिम के प्रभाव पर आधारित न्यून तीव्रता जोखिम, मध्यम तीव्रता जोखिम और उच्च तीव्रता जोखिम के रूप में (जोखिम समीक्षा प्रक्रिया के अनुसार) विभिन्न जोखिमों का वर्गीकृत किया।
- 24.3 ईआरएम कार्यक्रम के अनुसार, न्यून तीव्रता जोखिम यूनिट को रिपोर्ट की गई, मध्यम तीव्रता जोखिम व्यवसाय प्रमुख स्तर के (संबंधित निदेशक) को आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट की गई। उच्च तीव्रता जोखिम मण्डल की सूचना एवं आवश्यक निदेश के लिए लेखा परीक्षा समिति के माध्यम से निदेशक मण्डल को रिपोर्ट की गई।



records conducted by a Cost Accountant in practice. In view of above, the Board of Directors has on the recommendation of the Audit Committee, approved the re-appointment of M/s K G Goyal & Co., Cost accountants as the cost auditors of the company to conduct audit of cost records of the Company for the financial year 2017-18, at a remuneration of ₹ 48,817/- (all inclusive).

21.2 General

The information may be treated as Nil with respect to following items during the year under review:

- (a) The change in the nature of business.
- (b) Loans, guarantees or investments under Section 186 of the Companies Act, 2013.
- (c) Contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of Section 188 in the prescribed form.
- (d) Material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the company which have occurred between the end of financial year of the Company to which the financial statements relate and the date of report.
- (e) Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise.
- (f) Issue of shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under any scheme.

22.0 Directors' Responsibility Statement

22.1 As required under clause (c) of sub-section (3) of section 134 of the Companies Act, 2013, directors, to the best of their knowledge and belief, state that:

- (a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- (c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;

- (e) the Directors, in the case of a listed company, had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Not Applicable

The Company is not a listed Company. However, an adequate internal financial controls system over financial reporting were operating effectively during the year ending on at 31.03.2018 and same was checked and certified by the Statutory Auditors in their report, as per the provisions of the Companies Act, 2013.

- (f) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

22.2 Details in respect of frauds reported by auditors under section 143(12) during the year under review,

No frauds were reported by the auditors to the Audit Committee or the Board under section 143 (12) of the Companies Act, 2013.

23.0 Declaration by the Independent Directors

23.1 The independent directors have submitted the declaration of independence, as required pursuant to section 149(7) of the Companies Act, 2013 stating that they meet the criteria of independence as provided in section 149 (6) of the said Act.

24.0 Statement on development and implementation of Risk Management Policy including identification of elements of risk

24.1 As per Enterprise Risk Management (ERM) implementation plan approved by Board, Risk officers at unit level identified the various risks in consultation with each department and suggested mitigation measures for each risk. After reviewing the applicable risks and mitigation measures suggested by Risk Officer, Unit Head submitted the action taken report to Chief Risk Officer for review by Risk Management Committee (RMC).

24.2 RMC reviewed the various risks identified by units and categorize the various risks (as per risk review process) as Low intensity risk, Medium intensity risk and High intensity risk based on frequency of occurrence and impact of the risk on the company.

24.3 As per ERM programme, low intensity risks were reported to unit, medium intensity risks were reported to business head level (concerned Director) for necessary action & advice. High intensity risks were reported to Board of Directors through Audit Committee for information & necessary direction of Board.



25.0 संरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पर्यावरण

25.1 संरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में कंपनी द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों का विवरण इस रिपोर्ट का भाग बनाते अनुलग्नक 'ख' में दिया गया है।

26.0 कार्पोरेट शासन

26.1 कार्पोरेट शासन के साथ साथ अभ्यासरत कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित कार्पोरेट शासन पर एक अनुपालन रिपोर्ट तथा प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट पर अलग से एक खंड अनुलग्नक 'ग' में दिया गया है तथा इस रिपोर्ट का भाग बनाता है।

27.0 संबंधित पार्टि संव्यवहार

27.1 वित्तीय विवरणों में प्रकट किये गये को छोड़कर कंपनी तथा निदेशकगणों, प्रबंधन अथवा संबंधियों के बीच कोई संबंधित पार्टि संव्यवहार नहीं किया गया है। तदनुसार धारा 188 (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं का विवरण तथा इसके साथ फॉर्म एओसी-2 में ऐसी संविदा अथवा व्यवस्था करने के औचित्य इस रिपोर्ट का भाग नहीं बनाते हैं।

28.0 नियामकों अथवा न्यायालयों द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण एवं तात्त्विक आदेश

28.1 नियामकों अथवा न्यायालयों अथवा ट्रिब्यूनलों द्वारा कंपनी की वर्तमान चिंता की स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण एवं तात्त्विक आदेश नहीं दिये गए हैं और ऐसे आदेश की कोई भी सूचना विधिक विभाग से प्राप्त नहीं हुई है।

29.0 वार्षिक प्रतिफल का उद्धारण

29.1 वार्षिक प्रतिफल का उद्धारण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार फॉर्म एमजीटी-9 के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है (अनुलग्नक-घ)

30.0 व्हिसिल ब्लोअर नीति

31.0 आईआरईएल ने एक व्हिसिल ब्लोअर नीति बनाई है जो अपने कर्मचारियों को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, अथवा कंपनी के आचरण या आचार नीति पर सामान्य मार्ग निर्देशों के उल्लंघन के बारे में प्रबंधन को तथा अपवाद मामले में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को सूचित करने में सुविधा प्रदान करती है। यह नीति कंपनी में हो रहे किसी कदाचार अथवा अनैतिक क्रियाकलाप को सही मायने में उजागर करने तथा व्हिसिल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। बोर्ड ने ध्यान दिया कि वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने व्हिसिल ब्लोअर नीति के तहत ना कोई शिकायत प्राप्त की है, ना ही किसी कार्मिक को वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने के लिए रोका गया है। व्हिसिल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट www.irel.co.in पर उपलब्ध है।

31.0 महिलाओं के लिए शिकायत तंत्र:

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायत से निपटने के लिए कंपनी में स्थापित शिकायत तंत्र सुनिश्चित है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत एक मामला दर्ज किया गया और उसे 20.06.2018 को निपटाया गया।

32.0 पुरस्कार/उपलब्धि:

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं जो निम्नानुसार हैं:

- क्रिसिस हैंडलिंग के लिए कारपोरेट संचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2017
- पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2016 में कारपोरेट शासन के लिए उप विजेता पुरस्कार।
- छठी एफआईसीसीआई गुणवत्ता प्रणाली उत्कृष्टता पुरस्कारों में अच्छे प्रथाओं के लिए प्रशंसा प्रमाण-पत्र।
- वर्ष 2016 (एमके) में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लंबी दुर्घटना मुक्त अवधि के लिए एवं न्यूनतम चोट आवृत्ति दर के लिए पुरस्कार एवं वार्षिक ओडिशा धातुमय खान संरक्षा सप्ताह में प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पुरस्कार।

33.0 आभार

- निदेशक मण्डल विभिन्न सरकारी विभागों एवं एजेंसियों, बैंकों एवं अन्य व्यापारिक सहयोगियों सहित परमाणु ऊर्जा विभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उनके मूल्यवान सेवाओं एवं सतत समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है।
- निदेशकगण, श्री पाल एंटोनी, श्री जी. कल्याणकृष्णन और श्री राकेश तुमाने द्वारा निदेशक के रूप में दिए गए मूल्यवान योगदान का आभार व्यक्त करते हैं, जो वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक के रूप में बने रहे।
- निदेशक मण्डल इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर दिए गए योगदान के लिए उनकी सराहना भी करता है।

कृते बोर्ड,

(दीपेन्द्र सिंह)

दिनांक: 25 सितंबर, 2018

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



25.0 Safety, Healthcare & Environment

25.1 Details of Safety, Health Care and activities related to Environment Protections undertaken by the Company are given in the Annexure 'B' forming part of this report.

26.0 Corporate Governance

26.1 A separate section on Corporate Governance along with a Compliance Report on the Corporate Governance certified by a practicing Company Secretary and the Management Discussion & Analysis Report are placed in Annexure 'C' and forms part of this Report.

27.0 Related Party Transactions

27.1 There have been no related party transactions between the Company and the Directors, the management or the relatives except for those disclosed in the financial statements. Accordingly, particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in Section 188(1) along with the justification for entering into such contract or arrangement in Form AOC-2 does not form part of this report.

28.0 Significant and Material Orders Passed by the Regulators or Courts

28.1 There have been no significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting Company's going concern status and no intimation of such order has been received from Legal Department.

29.0 Extract of the Annual Return

29.1 The extract of the Annual Return in Form MGT-9 as per provisions of section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is annexed to this report [Annexure – D].

30.0 The Whistle Blower Policy

30.1 IREL has formulated a "Whistle Blower" Policy which facilitates its employees to report to the management and in exceptional cases to the Chairman of the Audit Committee about unethical behaviour, actual or suspected fraud, or violation of the company's general guidelines on conduct or ethics policy. This policy provides employees of IREL to genuinely blow the whistle on any misconduct or unethical activity taking place in the Company and to protect the whistleblower. Board noted that during the year 2017-18, Company has neither received any complaint under the Whistle Blower Policy nor any employees has been denied any personnel access to the Audit Committee during the year 2017-18. Whistle blower policy is available on the company's website www.irel.co.in.

31.0 Complaint mechanism for women:

The complaint mechanism set up in the Company to deal with the complaint of sexual harassment of women employees at workplace is intact. During the financial year 2017-18, one case was reported under Sexual Harassment of Women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the same was disposed off on 20.06.2018.

32.0 Awards / Accolades:

Your company won several accolades during the fiscal 2017-18 which are given below:

- i. SCOPE Corporate Communication Excellence Awards 2017 for CRISIS HANDLING.
- ii. Runner up Award for Corporate Governance in the PSE Excellence Awards 2016.
- iii. Certificate of appreciation for good practices in the 6th FICCI Quality Systems Excellence Awards.
- iv. Award for National Safety and longest Accident Free period & for lowest Injury Frequency Rate in the year 2016 (MK) and Award for Training, Health & Welfare in the Annual Odisha Metalliferous Mines Safety Week (OSCOM).

33.0 Acknowledgements

- 33.1 The Board of Directors' wishes to place on record their sincere thanks to the Department of Atomic Energy, Bhabha Atomic Research Centre, Central and State Governments including various Government departments and agencies, banks and other business associates for their valuable service and continued support during the year under review.
- 33.2 The Directors place on record the valuable contribution made by Shri Paul Antony, Shri G. Kalyanakrishnan and Shri Rakesh Tumane as Directors who ceased to be director of the Company during the year.
- 33.3 The Board also takes this opportunity to place on record its appreciation for the contribution made by the employees at all levels.

For and on behalf of the Board

(D. Singh)
Chairman & Managing Director

Date: 25th day of September, 2018



अनुलग्नक 'क' (निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक)

कंपनी (लेखा) नियम 2014 की धारा 8 के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित विषय।

ऊर्जा का संरक्षण:

क) ऊर्जा के संरक्षण पर उठाए गए कदम और प्रभाव:

नई पीढ़ी डीजी सेट से पुरानी डीजी सेट का प्रतिस्थापन जिसमें बेहतर तेल दक्षता (पुरानी डीजी सेट के 1.8 केडब्ल्यूएच/लीटर के विरुद्ध 5 केडब्ल्यूएच/लीटर) है, वर्तमान लोड से निपटने के लिए अनुबंध की मांग में कमी, एलईडी फिटिंग्स से पारंपरिक फिटिंग्स का प्रतिस्थापन, प्रेरित ड्राफ्ट (आईडी) ब्लोअर मोटर में परिवर्ती आवृत्ति ड्राइव (वीएफडी) का उपयोग, ऊर्जा दक्ष मोटरों से पुराने मोटरों का प्रतिस्थापन आदि।

उपर्युक्त कदम उठाकर, लगभग 4.40 लाख यूनिट की बचत की गई। केरल राज्य विद्युत बोर्ड से 0.95 से पॉवर सेक्टर बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में चवरा यूनिट एवं रेअर अर्थ्स प्रभाग (आरईटी) ने क्रमशः ₹ 9,46,566/- और ₹ 2,75,875/- की राशि प्राप्त की।

ख) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने के लिए उठाए गए कदम:

ऑसकॉम में प्रतिष्ठापित 3 केवीए सौर पेनल।

ग) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश:

वर्ष 2017-18 के लिए संरक्षण उपकरणों पर कुल पूंजीगत निवेश लगभग 38 लाख है।

प्रौद्योगिकी आमेलन:

क) प्रौद्योगिकी आमेलन के लिए किए गए प्रयास:

- घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से रेअर अर्थ ड्रम मैग्नेटिक सेपरेटर (आरईआरएमएस) के लिए 10वां रेअर अर्थ मैग्नेटिक ड्रम का देशी विकास।
- गैर-संचालन धारा में नई पीढ़ी एचटीआरएस से पुराने पारंपरिक उच्च-तनाव रोल सेपरेटरो (एचटीआरएस) का प्रतिस्थापन।
- रूटाइल परिपथ में रेअर अर्थ रोल मैग्नेटिक सेपरेटर (आरईआरएमएस) से क्रॉस बेल्ट मैग्नेटिक सेपरेटर (सीबीएमएस) का प्रतिस्थापन।
- सीरस कार्बोनेट के निस्पंदन के लिए नच फिल्टर के स्थान पर अपकेंद्रित का परिचय।

ख) उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास अथवा आयात स्थानापन्न जैसे

व्युत्पन्न लाभ:

- देशी रेअर अर्थ ड्रम से उच्च मूल्य आयातित रेअर अर्थ चुंबकीय ड्रम का प्रतिस्थापन, न केवल आयात को प्रतिस्थापित करता है बल्कि प्रतिस्थान लागत को भी कम करता है।
- नई पीढ़ी के एचटीआरएस उपर्युक्त उत्पादों में अशुद्धता स्तर को कम करने के रूप में रूटाइल एवं जिरेकॉन का उत्पादन बढ़ गया।
- गैर-अनुरूपताओं को कम करके स्टाइल उत्पाद गुणवत्ता में सुधार।
- सीरस कार्बोनेट उत्पाद की शुद्धता में सुधार।

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से शुरू कर पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)

- क) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण - शून्य
- ख) आयात का वर्ष - एनए
- ग) क्या प्रौद्योगिकी पूर्ण रूप से आमेलित की गई - एनए
- घ) यदि पूर्ण रूप से आमेलित नहीं की गई तो वे क्षेत्र जहाँ आमेलन नहीं किया गया तथा उसके कारण - एनए



Annexure 'A'

(Annexure to the Directors' Report)

Matters required to be included in the Board's report for the year ended 31st March, 2018 pursuant to Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

Conservation of Energy:

a) Steps taken and impact on conservation of energy:

Replacement of old DG set with new generation DG set having better oil efficiency (5kWh/litre against 1.8 kWh/litre of old DG set), Reduction in contract demand to match the existing load, replacement of conventional fittings with LED fittings, use of variable frequency drive (VFD) in Induced Draft (ID) blower motor, replacement of old motors with energy efficient motors etc.

By taking above steps, about 4.40 lakh unit was saved. Chavara unit and Rare Earths Division (RED) received an amount of ₹ 9,46,566/- and ₹ 2,75,875/- respectively as incentive from Kerala State Electricity Board for maintaining power factor above 0.95.

b) Steps taken for utilizing alternate sources of energy:

3KVA solar panel installed at OSCOM.

c) The capital investment on energy conservation equipments:

Total capital investment on energy conservation equipments for the year 2017-18 is about 38 lakhs.

Technology Absorption:

a) Efforts made towards technology absorption:

- i) Indigenous development of 10" Rare Earth Magnetic Drum for Rare Earth Drum Magnetic Separator (RERMS) through domestic suppliers.
- ii) Replacement of old conventional High-Tension Roll Separators (HTRS) with new generation HTRS in non-conducting stream.
- iii) Replacement of Cross Belt Magnetic Separator (CBMS) with Rare Earth Roll Magnetic Separator (RERMS) in Rutile circuit.
- iv) Introduction of Centrifuge in place of Nutche filter for filtration of Cerrous Carbonate.

b) The benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution as a result of the above efforts:

- (i) Replacement of high value imported Rare Earth Magnetic Drum with indigenous Rare Earth Drum not only substituted the import but also reduced the replacement cost.
- (ii) Production of Rutile and Zircon increased as new generation HTRS minimizes the impurity level in above products.
- (iii) Improvement in Rutile product quality by minimizing the non-conformities.
- (iv) Improvement in purity of Cerrous Carbonate product.

(iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year)

- a) The details of technology imported – Nil.
- b) The year of import – NA
- c) Whether the technology been fully absorbed – NA.
- d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof – NA.



(iv) अनुसंधान एवं विकास पर वहन किया गया व्यय

विवरण	(₹ लाख)
क) पूंजी	20.46
ख) आवर्ती	189.25
ग) कुल	209.71

कुल टर्न ओवर की प्रतिशत के रूप में कुल अनुसंधान एवं विकास का व्यय: 0.36%

(v) पूंजीगत व्यय:

विवरण	(₹ लाख)
क) अपने रिजर्व से	5367.47
ख) डीएई प्रायोजित परियोजनाओं के लिए बजटीय समर्थन से	612.33
ग) कुल	5979.80

(ग) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन

1. निर्यात के रूप में अर्जन - ₹ 27,832 लाख
2. आयात के रूप में बहिर्गमन - ₹ 482 लाख

**(iv) The expenditure incurred on Research & Development**

Particulars	(₹ Lakhs)
a) Capital	20.46
b) Recurring	189.25
c) Total	209.71

Total R&D expenditure as a percentage of total turnover: 0.36 %

(V) Capital Expenditure:

Particulars	(₹ Lakhs)
a) From own reserve	5367.47
b) From Budgetary Support for DAE sponsored projects	612.33
c) Total	5979.80

(C) Foreign Exchange Earnings and Outgo

- Earnings by way of export - ₹ 27,832 lakhs
- Outgo by way of import - ₹ 482 lakhs



अनुलग्नक 'ख'

1.0 संरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पर्यावरण

- 1.1 कंपनी कर्मचारियों एवं अन्य यूनिटों के प्रचालन संयंत्रों के आस पड़ोस के संरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पर्यावरण को उचित महत्व एवं ध्यान दिया जाता है। इस दृष्टिकोण ने कंपनी को संसाधनों की दक्षपूर्ण उपयोग, उच्च उत्पादकता, सुरक्षित कार्य पर्यावरण एवं बेहतर उत्पादों/सेवाओं को उपलब्ध करने के लिए सक्षम बनाया है।
- 1.2 सभी प्रचालन संयंत्र आईएसओ 9001-2008, 14001-2004, एवं ओएसएसएस 18001-2007 प्रमाणन प्राप्त है। तथा आईआरईआरसी में कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं संरक्षा यूनिट को आईएसओ 9001-2008 प्राप्त है। कंपनी के सभी खनिज एवं रसायनी प्रयोगशालाएं मानक आईएस/आईईसी 17025:2005 के अनुसार एनएबीएल से प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया।

2.0 संरक्षा

- 2.1 कंपनी ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु उचित सुविधाओं, प्रक्रियाओं एवं प्रशिक्षण के साथ सुरक्षित कार्य पर्यावरण को बनाए रखने के लिए स्थापित किया है। कंपनी के पास सभी प्रचालन संयंत्रों के सुरक्षा मानकों के निर्धारण एवं मूल्यांकन के लिए एक नियमित एवं प्रणालीबद्ध पद्धति है। संरक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति सभी प्रचालनीय यूनिटों का दौर करता है तथा सभी प्रचालनीय यूनिटों के संरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ऊर्जा एवं जल संरक्षण स्थिति का निर्धारण करता है।

3.0 स्वास्थ्य देखभाल

- 3.1 कंपनी की सभी प्रचालनीय यूनिटों में कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों की स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए सभी आधुनिक उपकरण के साथ साथ पात्र, अनुभवी, प्रशिक्षित एवं सक्षम पुरुष एवं महिला चिकित्सक एवं पारा मेडिकल स्टॉफ के साथ व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत, कंपनी आस पास के गांवों में चिकित्सा शिविर, विद्यालयों को सहायता प्रदान करने के लिए आयोजन करती है।

4.0 पर्यावरण देखभाल

- 4.1 खनन के पूरा होने के बाद, खनन किए क्षेत्र को पूर्व के स्तर के लिए पुनः भर दिया जाता है, स्तरित किया जाता है और पुनः उद्धार कर दिया जाता है। कंपनी के खनन यूनिटों में पारिस्थिति को पुनर्द्धार एवं बनाए रखने के उद्देश्य से खनन किए गए क्षेत्रों, कोलनी एवं आवासीय क्षेत्रों में पौधे लगा दिए जाते हैं। खनन किए क्षेत्रों के जल स्तर को सुधारने के लिए वर्षा जल संरक्षण बिन्दु, जल रिचार्जिंग स्थापित किए गए हैं। कार्बन फूट प्रिंट को कम करने के लिए सौर लाइटिंग सिस्टम अधिष्ठापित की गई है।
- 4.2 कंपनी अपने कार्यस्थल और आस-पास के क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी की प्रचालनीय इकाइयां संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य अभियंता निकायों द्वारा तय किए गए सभी सुरक्षा मानदंडों/ मानकों का पालन कर रही हैं जो सीमाओं के भीतर बारीकी से निगरानी रखी जाती है और बनाए रखी जाती हैं।



Annexure 'B'

1.0 Safety, Health care & Environment

- 1.1 Safety, Health Care and Environment of the employees and neighborhood of operating plants of the company and other units are given due significance and attention. This approach has enabled the company to achieve efficient utilization of resources, higher productivity, safe working environment and better quality products/services.
- 1.2 All the operating plants are accredited with ISO 9001-2008, 14001-2004 and OHSAS 18001-2007 certification and Corporate Research and Safety unit at IRERC is accredited with ISO 9001-2008. All the mineral and chemical laboratories of the company obtained certificate of accreditation from NABL in accordance with the standard IS/IEC 17025:2005.

2.0 Safety

- 2.1 The company has established and maintain safe work environment with suitable facilities, procedures and training to ensure health and safety of employees. A regular and systematic method for assessment and evaluation of safety standards of all the operating plants is in place in the company. An expert committee with members of prominence in the field of safety visit all operating units and assess the safety, health, environment, energy & water conservation conditions of all the operating units and recommended for the award of CMD shield in the said areas. Barring few minor accidents, there was no fatal accident during the year.

3.0 Health Care

- 3.1 All the operational units of the company are having occupational health centers with qualified, experienced, trained & competent male and female medical practitioners and para medical staff along with adequate medical facilities to look after the health of the employees and their dependant family members. As part of corporate social responsibility, company conducts medical camps, provide assistance to schools, in the nearby villages.

4.0 Environment Care

- 4.1 After completion of mining, the mined out area is refilled, leveled and reclaimed to earlier levels. The mining units of the company are planting saplings in the mined out areas, colony and residential areas with a view to restore and maintain ecology. Rain water harvesting points, water recharging are set up to improve the water table of the mined area. Solar lighting systems are installed to reduce the carbon foot print.
- 4.2 The company is committed to provide clean environment both at its work place and surrounding areas. The operational units of the company are adhering to all safety norms/standards fixed by the respective state pollution control boards/ Central Pollution Control Board and other statutory bodies which are closely monitored and maintained well within limits.

अनुलग्नक 'ग' कापोरिट शासन पर रिपोर्ट

1.0 कापोरिट शासन पर कंपनी का तत्वज्ञान

आईआरईएल में हम सुनिश्चित करते हैं कि हम डीपीई द्वारा जारी कापोरिट शासन मार्ग निर्देशों तथा सभी स्टेक होल्डरों के अधिकारों का आदर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों का विकास एवं गंभीरतापूर्वक अनुपालन करें। कंपनी की नीति पारदर्शिता, व्यावसायिकता एवं उत्तरदायित्व के प्रकट मूल्यों द्वारा प्रदर्शित होते हैं। हम समझते हैं कि हमारे वित्तीय एवं कार्यानिष्पादन के साथ साथ कंपनी के शासन के संबंध में समयबद्ध एवं सही सूचना प्रकट करना हमारा निहित उत्तरदायित्व है।

2.0 निदेशक मण्डल

2.1 निदेशकों का संघटन एवं वर्ग

बोर्ड में 12 निदेशक हैं जिसमें से 4 पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक

वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति तथा 31 मार्च 2018 को के अनुसार उनका बाह्य निदेशकत्व नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	निदेशकत्व की प्रकृति	बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की सं.	बाह्य निदेशकत्व की सं.	टिप्पणी
1	श्री दीपेन्द्र सिंह	कार्यात्मक	5	4	
2	श्री राकेश तुमाने	कार्यात्मक	2	-	28.09.2017 को समाप्ति
3	श्री के के महान्ति	कार्यात्मक	5	1	
4	श्री ए के महापात्र	कार्यात्मक	1	1	01.01.2018 को कार्यभार ग्रहण
5	श्री एम ए इनबरासु	नामित	5	4	
6	श्री जी कल्याणकृष्णन	नामित	2	-	01.02.2018 को समाप्ति
7	श्री संजय एम कौल	नामित	1	9	05.02.2018 को कार्यभार ग्रहण
8	डॉ. दिनेश श्रीवास्तव	नामित	1	1	19.02.2018 को कार्यभार ग्रहण
9	श्री पाल एंटोनी	नामित	2	-	06.01.2018 को समाप्ति
10	सुश्री शीला सांगवान	स्वतंत्र	5	7	

2.3 इस रिपोर्ट को तैयार करने की तारीख तक नियुक्त हुए निदेशकों का संक्षिप्त जीवनवृत्त:

2.3.1 श्री ए के महापात्र

श्री ए के महापात्र का जन्म 25 फरवरी, 1960 को हुआ, उन्होंने 01 जनवरी, 2018 के प्रभाव से निदेशक (तकनकी) के रूप में आईआरईएल के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया है। श्री महापात्र ने इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) कोलकाता से वर्ष 1984 में खनन अभियांत्रिकी में एएमआईई उत्तीर्ण किया था और डीजएमएस, धनबाद से वर्ष 1986 में प्रथम श्रेणी (फर्स्ट क्लास) खान प्रबंधक के प्रमाणपत्र की सक्षमता प्राप्त की थी और उच्चतम अंकों के साथ उत्तीर्ण होने के लिए इंस्टीट्यूशन का स्वर्ण पदक हासिल किया था। बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, वे आईआरईएल के ऑसकॉम यूनिट में मुख्य महाप्रबंधक थे।

श्री महापात्र ने वर्ष 1986 में आईआरईएल के ऑसकॉम यूनिट में

हैं तथा 8 गैर अधिशासी निदेशक हैं। 8 गैर अधिशासी निदेशकों में से 4 अंशकालिक सरकारी/नामित निदेशक (एक नामित निदेशक का पद रिक्त है) हैं और 4 स्वतंत्र निदेशक (आज की तारीख के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के तीन पद रिक्त हैं) हैं। कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-2 (77) के तहत दिए गए संबंधी के अर्थ के अनुसार किसी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं है।

2.2 बैठकें

वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मण्डल की पांच बैठकें हुईं तथा दो बैठकों के बीच का अंतर चार माह से अधिक का नहीं था। उक्त बैठकों की तारीखें इस प्रकार हैं:

06 जुलाई, 2017, 26 सितंबर, 2017, 7 नवंबर, 2017, 16 दिसंबर, 2017 और 28 मार्च 2018। सभी बोर्ड बैठकों में अपेक्षित कोरम उपस्थित था।

सहायक अभियांत्रिकी (खनन) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था और तब से ऑसकॉम, चवरा एवं मणवालकुरिचि संयंत्रों में विभिन्न विभागों जैसे कि खनन, उत्पादन, अनुरक्षण, संरक्षा एवं प्रशिक्षण, परियोजना, सामग्री आदि में प्रबंधन के विभिन्न स्तरों में कार्य किया। उन्होंने आईआरईएल के दोनों मणवालकुरिचि एवं ऑसकॉम यूनिटों के यूनिट प्रमुख के रूप में कार्य किया। उन्होंने खनन संयंत्रों के निष्पाद को सुधारने के लिए ऑसकॉम के ट्रेज एवं आर्द्र उन्नयन संयंत्र के डीबॉटलनेकिंग एवं पुनःप्रतिष्ठापन निष्पादित किया, खनिज पृथक्करण संयंत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऑसकॉम निक्षेप के रीयर ड्यून्स में कई संपूरक खनन इकाइयों को प्रतिष्ठापित किया। पर्यावरणीय अनुमति एवं सीआरजेड अनुमति को सुसाध्य बनाने के लिए ऑसकॉम एवं एमके यूनिटों के लिए कई सार्वजनिक सुनवाई गतिविधियों का सफलतापूर्वक आयोजन भी किया है और ऑसकॉम यूनिट के वन अनुमति को सुसाध्य बनाने के लिए ऑसकॉम यूनिट हेतु ग्रामसभाओं का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया है।



Annexure 'C'

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1.0 Company's Philosophy on Corporate Governance

At IREL, we ensure that we evolve and sincerely follow the corporate governance guidelines issued by DPE and best practices to respect all stakeholders' rights. The company's policy is reflected by the very values of transparency, professionalism and accountability. We consider it our inherent responsibility to disclose timely and accurate information regarding our financials and performance, as well as the governance of the Company.

2.0 Board of Directors

2.1 Composition and category of Directors

The Board consists of 12 Directors of which 4 are whole time Functional Directors and 8 are Non-Executive

Directors. Out of 8 Non-Executive Directors, 4 are part time Official/ Nominee Directors (one post of nominee director is vacant) and 4 are Independent Directors (three posts of independent Directors are vacant as on date). None of the Directors are related with other Directors' as per the meaning of relatives provided under section 2(77) of the Companies Act, 2013.

2.2 Meetings

The Board of Directors' met five times during the year 2017-18 and the gap between two meetings did not exceed four months. The dates on which said meetings were held are as follows:

6th July, 2017, 26th September, 2017, 7th November, 2017, 16th December, 2017 and 28th March, 2018. Required quorums were present at all the Board meetings.

Attendance of the Directors at the Board Meetings held during the year 2017-18 and their outside directorship as on 31st March, 2018 are given hereunder:

Sl. No.	Name of the Director	Nature of Directorships	No. of Board meetings attended	No. of outside Directorships	Remarks
1	Shri Deependra Singh	Functional	5	4	
2	Shri Rakesh Tumane	Functional	2	-	Ceased w.e.f. 28.09.2017
3	Shri K K Mohanty	Functional	5	1	
4	Shri A K Mohapatra	Functional	1	1	Joined on 01.01.2018
5	Shri M A Inbarasu	Nominee	5	4	
6	Shri G Kalyanakrishnan	Nominee	2	-	Ceased w.e.f. 01.02.2018
7	Shri Sanjay M Kaul	Nominee	1	9	Joined on 05.02.2018
8	Dr.Dinesh Srivastava	Nominee	1	1	Joined on 19.02.2018
9	Shri Paul Antony	Nominee	2	-	Ceased w.e.f. 06.01.2018
10	Ms.Sheila Sangwan	Independent	5	7	

2.3 Brief Resume of the Directors who were appointed till the date of preparation of this report:

2.3.1 Shri A K Mohapatra

Shri A K Mohapatra born on 25th February, 1960 and has joined the Board of IREL as Director (Technical) with effect from 1st January, 2018. Shri Mohapatra had passed AMIE in Mining Engineering in 1984 from the Institution of Engineers (India), Kolkata and had received Institution Gold Medal for securing highest marks and passed First Class Mine Manager's Certificate of Competency in 1986 from DGMS, Dhanbad. Prior to joining Board, he was the Chief General Manager and Head at OSCOM unit of IREL.

Shri Mohapatra had joined IREL in 1986 as an Asst Engineer(Mining) in OSCOM unit and since then

worked in various levels of management in different departments such as Mining, Production, Maintenance, Safety and Training, Project, materials etc. in plants OSCOM, Chavara and Manavalakurichi. He worked as Unit Head of both Manavalakurichi and OSCOM units of IREL. He executed Debottlenecking and Rehabilitation of Dredge and Wet Upgradation Plant of OSCOM unit to improve the performance of mining plants, installed a number of Supplementary mining units in Rear Dunes of OSCOM deposit to ensure feed security of the Mineral Separation Plant. He has also successfully conducted a number of Public hearing activities for OSCOM and MK units to facilitate Environmental Clearances and CRZ clearances and also successfully conducted Gramsabhas for OSCOM unit to facilitate forest Clearance of OSCOM Unit.

2.3.2 श्री संजय एम कौल, आईएएस

श्री संजय एम कौल, आईएएस, सचिव, उद्योग विभाग, केरल सरकार का जन्म 15 अगस्त, 1969 को हुआ और 05 फरवरी, 2018 के प्रभाव से नामित निदेशक के रूप में आईआरईएल के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया। वे केरल राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन (केल्ट्रॉन), ट्रॉवनकोर कोचिन केमिकल्स लिमिटेड (टीसीसी) और एसएआईएल- एससीएल (जेवीसी) केरल लिमिटेड जैसे राज्य में कई अग्रणी पीएसयू के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा, केरल राज्य इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन, केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड, बीआरएएचएमओएस, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड एवं प्रीमियर टायर्स लिमिटेड जैसे विभिन्न कंपनियों के निदेशक मण्डल में हैं।

वे केरल राज्य में कार्यान्वित की जा रही भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहलों में सक्रिय रूप से संबद्ध हैं जो इस संबंध में विधान पारित करने के लिए देश के प्रथम राज्यों में से हैं। उन्होंने गुजरात के पर्यटन आयुक्त के रूप में भी सेवा की है और प्रसिद्ध पर्यटन अभियान “खुशबु गुजरात की” जिसमें अमिताभ बच्चन ने प्रमुख भूमिका निभाई जिसने राज्य के लिए कई ख्याति प्राप्त की।

2.3.3 डॉ. दिनेश श्रीवास्तव

डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, मुख्य कार्यकारी, न्यूक्लियर फ्यूअल काम्प्लेक्स, हैदराबाद का जन्म 24 दिसंबर 1961 को हुआ और 19 फरवरी 2018 से नामित निदेशक के रूप में आईआरईएल के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया। डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एवं एनएफसी के मुख्य कार्यकारी ने भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अत्यधिक सामरिक मूल्य के उन्नत संरचनात्मक सामग्रियों के विकास में विशेष रूप से योगदान दिया। उनके काम का लक्ष्य परमाणु ऊर्जा विभाग (डीईई) के लिए महत्वपूर्ण नाभिकीय घटकों के आत्मनिर्भर विकास पर रहा है। भौतिक एवं यांत्रिक धातु विज्ञान, थर्मो-मैकेनिकल प्रसंस्करण और जिरकोनियम, टाइटेनियम और कम मिश्रधातु इस्पात के विकिरण क्षति पर उनके मूल शोध अध्ययनों ने इन सामग्रियों की सफल प्रसंस्करण की ओर अग्रसर किया। उनमें से कुछ उच्च रेंगने वाले प्रतिरोधी दाब ट्यूब और उच्च बर्न-अप फ्यूअल क्लाइडिंग ट्यूब और रिपेक्टर दाब वाहिका हैं। वे रूडकी विश्वविद्यालय से धातुकर्मी अभियंता हैं, डॉ. श्रीवास्तव वर्ष 1984 में बीएआरसी प्रशिक्षण स्कूल, मुंबई के 28 बैच में सम्मिलित हुए। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बैंगलूरू से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है। डॉ. श्रीवास्तव होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई) मुंबई में एक वरिष्ठ प्राध्यापक भी हैं।

2.3.4 श्री ए राय चौधरी

श्री ए राय चौधरी का जन्म 1 जनवरी, 1962 को हुआ और 10.8.2018 से निदेशक (वित्त) के रूप में आईआरईएल के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री राय चौधरी ने कोलकाता विश्व विद्यालय से एम.कॉम किया है और एक सीएमए (लागत लेखाकार) हैं। इस समनुदेशन के पूर्व, वे कॉर्पोरेट कार्यालय में 06.11.2014 से आईआरईएल के महाप्रबंधक (वित्त) थे।

आईआरईएल में कार्यभार करने से पूर्व, श्री राय चौधरी के पास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योगों में लगभग 25 वर्षों का अनुभव था। इस अवधि के दौरान, श्री राय चौधरी ने पेपर एंड पल्प, उर्वरक, परामर्श एवं निर्माण क्षेत्र में लगे कंपनियों के वित्त, लेखा एवं लागत विभाग में विभिन्न क्षमताओं में काम किया था।

2.4 26 सितंबर, 2017 को 67वीं आम बैठक में उपस्थिति इस प्रकार थी:

शेयरधारकों के नाम

1. माननीय भारत के राष्ट्रपति - उपस्थित (प्रतिनिधि के माध्यम से)
2. डॉ. शेखर बसु - उपस्थित (प्रोक्सी के माध्यम से)
3. श्री दीपेन्द्र सिंह - उपस्थित
4. श्री एम ए इनबरासु - उपस्थित

3.0 लेखा समिति

3.1.1 लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

- क) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति से पूर्व तिमाही / वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा।
- ख) आंतरिक लेखापाल, सांविधिक लेखापरीक्षा एवं सरकारी लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा।
- ग) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं इसकी पर्याप्तता की प्रबंधन, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना।
- घ) वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लागू लेखांकन मानकों एवं अन्य सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- ङ) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं परिवर्तनों, यदि कोई हों, की समीक्षा करना।
- च) लेखा परीक्षक योग्यताओं, यदि कोई हों, की समीक्षा करना।
- छ) लागत परीक्षकों की नियुक्ति की सिफारिश करना।
- ज) सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं लागत लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश देना।
- झ) कर लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की सिफारिश करना।
- ट) सांविधिक लेखापरीक्षकों को कोई अन्य सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन देना जिनपर सांविधिक रूपसे निषेध नहीं है।
- ठ) लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा।
- ड) किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं उनपर अनुवर्ती कार्रवाई पर आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।



2.3.2 Shri Sanjay M Kaul, IAS

Shri Sanjay M Kaul IAS, Secretary, Industries Department, Government of Kerala born on 15th August, 1969 joined the Board of IREL as nominee Director with effect from 5th February, 2018. He is also the Chairman of many leading PSUs in the state like Kerala State Electronics Development Corporation (KELTRON), Travancore Cochin Chemicals Ltd (TCC) and SAIL-SCL (JVC) Kerala Ltd. Apart from this, he is on the Board of Directors of various companies like Kerala State Industrial Corporation, Kerala Minerals & Metals Ltd, BRAHMOS, Indian Rare Earths Ltd and Premier Tyres Ltd.

He is actively involved in the Ease of Doing Business initiatives of Govt. of India being implemented in the State of Kerala which is among the first states in the country to pass a legislation in this regards. He has also served as the Commissioner of Tourism, Gujarat and was one of the key players in the famous tourism campaign "Khusboo Gujarat Ki" featuring Amitabh Bachchan which won many accolades for the State.

2.3.3 Dr. Dinesh Srivastava

Dr. Dinesh Srivastava, Chief Executive, Nuclear Fuel Complex, Hyderabad born on 24th December, 1961 joined the Board of IREL as nominee Director with effect from 19th February, 2018. Dr. Dinesh Srivastava, the Distinguished Scientist and Chief Executive of NFC, has contributed exclusively in the development of advanced structural materials of extreme strategic value for Nuclear Energy program in India. Target of his work has been on self-reliant development of critical nuclear components for the Department of Atomic Energy (DAE). His basic research studies on physical and mechanical metallurgy, thermo-mechanical processing and irradiation damage of Zirconium, Titanium and low alloy steels led to successful processing of these materials. Some of them are high creep resistant pressure tube, high burn-up fuel cladding tube and reactor pressure vessel. He is a Metallurgical Engineer from the University of Roorkee, Dr. Srivastava joined the 28th batch of BARC Training School, Mumbai in 1984. He has obtained Doctorate degree from the Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru. Dr. Srivastava is also a senior Professor in Homi Bhabha National Institute (HBNI), Mumbai.

2.3.4 Shri A. Roy Chowdhury

Shri A Roy Chowdhury born on 1st January, 1962, has joined the Board of IREL as Director (Finance) with effect from 10th August, 2018.

Shri A Roy Chowdhury has done M.Com from Calcutta University and is a CMA(Cost accountant). Prior to this assignment, he was General Manager (Finance) of

IREL since 06.11.2014 at Corporate Office.

Before joining of IREL, Shri Roy Chowdhury had around 25 years' experience in industries both in Private and Public sectors. During this period, Shri Roy Chowdhury had worked in various capacities in Finance, Accounts & Cost department of companies engaged in Paper & Pulp, Fertilizer, Consultancy & Construction sector.

2.4 The attendance at the 67th AGM held on 26th September 2017 were as under:

Name of the Shareholders

1. Hon'ble President of India - Present (through representative)
2. Dr.Sekhar Basu - Present (through proxy)
3. Shri D Singh - Present
4. Shri M A Inbarasu - Present

3.0 Audit Committee

3.1.1 Brief description of the terms of reference of the Audit Committee are as follows:

- a) Review the quarterly/annual financial statements before submission to the Board.
- b) Review of internal audit, statutory audit and Government audit reports.
- c) Reviewing with the management, statutory auditors and internal auditors about internal control system and its adequacy.
- d) Ensure compliance with the applicable Accounting Standards and other statutory requirements for the preparation of financial statements.
- e) Review of Significant Accounting Policies and changes, if any.
- f) Reviewing audit qualifications, if any.
- g) Recommending appointment of cost auditors.
- h) Recommending to the Board for the fixation of audit fees of statutory auditors & Cost Auditors.
- i) Appointment & fixation of remuneration of Tax Auditors.
- j) Approving payment to statutory auditors for any other services, which are not statutorily prohibited.
- k) Review of Cost Audit report and Tax Audit report.
- l) Discussion with internal auditors of any significant findings and follow up thereon.

3.1.2 लेखापरीक्षा समिति का संघटन एवं अन्य विवरण

निदेशक मण्डल की लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन 6 जुलाई 2017 को आयोजित बोर्ड बैठक संख्या 349 एवं 28 मार्च, 2018 को आयोजित बैठक सं.353 में किया गया। लेखापरीक्षा समिति की वर्ष के दौरान 6 जुलाई, 2017, 26 सितम्बर, 2017, 16 दिसम्बर, 2017 और 28 मार्च, 2018 को चार बैठकें आयोजित हुईं। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों के नाम एवं उपस्थिति इस प्रकार थी:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	बैठकों में उपस्थिति की संख्या	टिप्पणी
1	सुश्री शीला सांगवान	स्वतंत्र	4	-
2	श्री एम ए इनबरासु	नामित	4	-
3.	श्री पाल एंटोनी	नामित	3	06.01.2018 के प्रभाव से नामांकन आहरित
4.	श्री संजय एम कौल	नामित	3	28.03.2018 के प्रभाव से सदस्य के रूप में नामांकन।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त)/महाप्रबंधक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) लेखापरीक्षा समिति के स्थायी रूप से आमंत्रित सदस्य होते हैं तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

4.0 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

4.1.1 विचारार्थ विषय संक्षिप्त में:

निर्धारित सीमा में अधिकारियों एवं गैर संघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच वितरण के लिए वार्षिक बोनस/ परिवर्तनीय वेतन पूल एवं नीति का निर्णय करना तथा ऐसे अन्य मामलों की जांच एवं अनुमोदन करना जिन्हें बोर्ड पारिश्रमिक समिति के पास समय समय पर भेजे।

4.1.2 पारिश्रमिक समिति का संघटन एवं अन्य विवरण

कंपनी के निदेशक मण्डल की पारिश्रमिक समिति है जिसमें स्वतंत्र और नामांकित निदेशक शामिल हैं और इसका नेतृत्व स्वतंत्र निदेशक करते हैं।

4.1.3 वर्ष के दौरान बैठकें एवं उपस्थिति

वर्ष 2017-18 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

4.1.4 पारिश्रमिक नीति

कार्यनिष्पादन से संबंधित वेतन (पीआरपी) कंपनी के समय कार्यनिष्पादन के साथ साथ कंपनी में प्रत्येक अधिकारी एवं गैर संघीकृत पर्यवेक्षकों के कार्यनिष्पादन द्वारा चलती है।

5.0 स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक

वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने बोर्ड एवं बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों की प्रत्येक बैठक में उपस्थिति के लिए अपने गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को ₹ 10,000/- प्रति बैठक की दर से सिटिंग फीस का भुगतान किया। कंपनी बोर्ड एवं उसकी समितियों की बैठक में उपस्थिति के लिए बाह्य स्थानों के स्वतंत्र निदेशकों के दैनिक भत्तों का भुगतान भर करती है तथा स्वतंत्र निदेशकों द्वारा वहन किए गए स्थानीय यात्रा शुल्क, यात्रा व्यय एवं आवास व्यय की प्रति पूर्ति करती है। वर्ष 2017-18 के दौरान सिटिंग फीस के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को ₹ 1,40,000/- की धनराशि का भुगतान किया गया।

5.1.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण

अलग अलग मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक को वित्तीय विवरणों का भाग बनाते नोट्स के नोट- 39 में प्रकट किया गया है।

6.0 आम सभा बैठक

6.1.1 प्रभादेवी, मुंबई में आईआरईएल के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित कंपनी की पिछली तीन आम सभा बैठकें इस प्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय
2016-17	26.09.2017	अपराह्न 5.00
2015-16	26.09.2016	अपराह्न 1.00
2014-15	28.09.2015	अपराह्न 1.00

6.1.2 पिछली तीन आम सभा बैठकों के दौरान कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

6.1.3 वर्तमान वर्ष की आम सभा बैठक की तारीख, समय एवं स्थान:

कंपनी की 68वीं आम सभा बैठक इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई के पंजीकृत कार्यालय में मंगलवार 25 सितम्बर, 2018 को अप.1.00 बजे आमंत्रित होगी।

7.0 सूचना प्रेषण के उपाय

7.1.1 लेखापरीक्षा नहीं किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिया जाता है जिसे संबंधित प्रशासनिक विभाग (एडी) को प्रस्तुत किए जाते हैं। चूंकि आईआरईएल एक गैर सूचीबद्ध कंपनी है अतः सरकार की अपेक्षा के अनुसार समय समय पर सूचनाएं बाहर भेजी जाती हैं।

8.0 लेखापरीक्षा योग्यताएं

8.1 कंपनी बिना योग्यता के वित्तीय विवरणों के शासन काल की ओर बढ़ रही है। 2005-06 से ना तो सांविधिक लेखापरीक्षक से तथा ना ही सरकारी लेखापरीक्षक से कोई योग्यता प्राप्त हुई है।



3.1.2 Composition & other particulars of Audit Committee

The Audit Committee of the Board of Directors was reconstituted in the Board meeting no: 349 held on 6th July, 2017 and 353 held on 28th March, 2018. The Audit Committee met four times during the year on 6th July, 2017, 26th September 2017, 16th December, 2017 and 28th March, 2018. The name and attendance of the members at the Audit Committee Meetings were as follows:

Sl. No.	Name of Director	Category	No. of meetings attended	Remarks
1	Ms.Sheila Sangwan	Independent	4	-
2	Shri M A Inbarasu	Nominee	4	-
3	Shri Paul Antony	Nominee	3	Nomination withdrawn from 06.01.2018
4	Shri Sanjay M Kaul	Nominee	1	Nominated as member w.e.f 28.03.2018

Chairman & Managing Director, Director (Finance) / GM(Finance) and Director(Technical) are permanent invitees and the Company Secretary acts as Secretary to the Audit Committee.

4.0 Nomination and Remuneration Committee

4.1.1 Terms of reference in brief:

To decide the annual bonus/ variable pay pool and policy for its distribution across the executives and non-unionized supervisors, within the prescribed limits and such other matters as the Board may from time to time refer to the remuneration committee to examine and approve.

4.1.2 Composition & other particulars of Remuneration Committee

The Company has a Remuneration Committee of the Board of directors consisting of independent and nominee directors and it is headed by independent director.

4.1.3 Meeting and attendance during the year

No Remuneration Committee meeting held during 2017-18.

4.1.4 Remuneration policy

Performance Related Pay (PRP) is driven by the overall performance of the Company vis-a-vis performance of each executive and non-unionized supervisors across the company.

5.0 Remuneration paid to Independent Directors

During the year 2017-18, the Company paid sitting fees @ ₹ 10,000/- per meeting to its Non-Executive Independent Directors for attending each meetings of the Board and Board appointed committees. The Company also pays daily allowance to outstation Independent Directors and reimburses local conveyance, travelling expenses and accommodation expenses incurred by the Independent Directors for attending meetings of the Board and committees thereof. An amount of ₹ 1,40,000/- was paid to the Independent Directors towards sitting fees during the year 2017-18.

5.1.2 Details of remuneration paid to the Key Managerial Personnel

Remuneration paid to the individual key managerial personnel has been disclosed in Note - 39 of the Notes forming part of financial statements.

6.0 General Body Meetings

6.1.1 The last three Annual General Meetings of the Company were held at the registered office of the Company at Prabhadevi, Mumbai as under:

Financial year	Date	Time
2016-17	26.09.2017	5.00 p.m
2015-16	26.09.2016	1.00 p.m
2014-15	28.09.2015	1.00 p.m

6.1.2 No Special Resolution was passed during the previous three Annual General Meeting.

6.1.3 Date, Time & Venue of the Current year's AGM:

The 68th Annual General Meeting of the Company will be held on 25th September, 2018 at 1.00 PM at the registered office of Indian Rare Earths Ltd, Mumbai.

7.0 Means of Communication

7.1.1 Unaudited quarterly financial results are reviewed by the audit committee and approved by the Board which are furnished to the Administrative Department (AD). Since, IREL is un-listed company, external communications are made as required by the Government from time to time.

8.0 Audit Qualifications

8.1 Company is moving towards a regime of financial statements without qualification. There is no qualification either from the statutory auditor or the government auditor since 2005-06.



9.0 प्लांट स्थान

9.1 खनन एवं खनिज पृथक्करण प्लांट मणवालकुरिच्चि-तमिलनाडु, चवरा-केरल तथा छत्रपुर-ओडिशा में स्थित है। एमओपीपी प्लांट छत्रपुर-ओडिशा में स्थित है। रसायनों में कार्य व्यवहार करने वाला रेअर अर्थ्स प्रभाग, अलूवा, केरल में स्थित है।

10.0 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

10.1 कार्य वातावरण एवं उद्योग संरचना

10.1.1 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उच्च दर पर वृद्धि हुई है। वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था का कार्यान्वयन 01.07.2017 से कम या अधिक सफल रहा है। इसके परिणामस्वरूप बेहतर कार्यनिष्पादन का माहौल हुआ है और विशेष रूप से आईआरईएल के लिए व्यवसाय करने में आसानी लाने में काफी लंबा सफर तय किया है।

10.1.2 पूर्ण 2017-18 में टाइटेनियम उद्योग के लिए मूल्य श्रृंखला में आपूर्ति चिंताएं थीं। TiO_2 की मांग उच्च बनी रही। यह टाइटेनियम फीड स्टॉक के लिए निरंतर उछाल में परिणत था। इल्मेनाइट के मूल्य प्राप्ति तमिलनाडु से निर्यात पर निरंतर प्रतिबंध के कारण, अफ्रीका से आपूर्ति के कुछ हद तक बाजार में इस सामग्री की अनुपलब्धता के कारण बनाई गई शून्य के रूप में सीमाबद्ध थी। बढ़ती मांग एवं आपूर्ति के कारण जिरकॉन में मांग आपूर्ति के अंतर के साथ साथ गति को बनाए रखने के परिणामस्वरूप इस उत्पाद के लिए मूल्य बढ़ रहे हैं। रेअर अर्थ्स के बाजार ने वर्ष के प्रथम छमाही के दौरान मजबूती के संकेत दिखाए। परन्तु बाद के आधे में बिक्री की प्राप्ति पर माह माह पर प्रभाव पड़ा। चालू प्रवृत्ति पर आधारित आगामी वर्ष के दौरान प्रमुख खनिजों के लिए बाजार यथावत भाव में वृद्धि होने की आशा है। हालांकि विभिन्न यूनिटों द्वारा सामना की जाने वाली उत्पादन बाधाएं विकास हेतु बाधाओं के रूप में कार्य कर सकती है।

10.1.3 परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड तटीय रेत खनिजों एवं रेअर अर्थ यौगिकों के खनन एवं उत्पादन में संलिप्त है। आईआरईएल द्वारा उत्पादित कुछ खनिज व्यापक स्तर पर औद्योगिक अनुप्रयोगों के अलावा भारत सरकार के नाभिकीय कार्यक्रमों में भी उपयोग किए जाते हैं। आईआरईएल द्वारा केरल, तमिलनाडु एवं ओडिशा में स्थित तीन यूनिटों में तटीय रेत से पृथक्कृत प्रमुख खनिज इल्मेनाइट, स्टाइल, ल्यूकोक्विजन, सिलिमेनाइट, गारनेट, जिरकॉन एवं मोनाजाइट हैं। आईआरईएल यूरेनियम, थोरियम एवं रेअर अर्थ लवणों का भी उत्पादन करती है।

10.2.1 शक्ति

- स्थापित एवं सिद्ध प्रक्रिया फ्लो शीट होना।
- समर्थ तकनीकी कौशल के साथ अनुभवी जनशक्ति होना।
- ऋण मुक्त कंपनी होना।
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद गुणवत्ता एवं उत्पादों

के साथ विशिष्ट क्षेत्र के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता होने का प्रतिष्ठा होना।

- डीएई के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत होने के आधार पर परमाणु खनिजों एवं निर्धारित सामग्री का संचालन होना।
- अन्य डीएई यूनिटों की आर एंड डी सुविधा तक पहुंच के अलावा खनिज एवं रेअर अर्थ के लिए मजबूत आंतरिक आर एंड डी निर्माण होना।
- केन्द्रीय पीएसयू - महत्वपूर्ण निर्णय / नीति बनाने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व करना।
- मूल्य घटित कमजोर संयंत्रों के कारण लागत लाभ होना।
- देश में रेअर अर्थ्स का एकमात्र निर्माता होना।
- ऑसकॉम पर पर्याप्त भूमि बैंक होना।

10.3.1 दुर्बलता

- उपलब्ध तट धुलाई, भूमि बैंक पर आधारित वर्षों के प्रचालनों के कारण सीमित है।
- केरल एवं तमिलनाडु में तट धुलाई के एचएम अन्तर्वस्तु में कमी की भरपाई के लिए वैकल्पिक संसाधनों की अनुपलब्धता जिसके परिणामस्वरूप कम क्षमता का उपयोग होना।
- तमिलनाडु सरकार द्वारा गैर प्रतिबद्धता दृष्टिकोण।
- कर्मचारियों की उम्रवृद्धि।
- चवरा एवं एमके संयंत्र को लेने के साथ वंशागत विरासत उन्मुख मानव संसाधन नीतियां होना।
- एंड यूजर सत्यापन के कारण आईटी एकीकरण - प्रतिकूल आशय का प्रभाव होना।
- अतीत में मूल्य वर्धन पहलों में सीमित सफलता होना।
- कोई स्वतंत्र परियोजना नि योजन और मूल्यांकन कक्ष नहीं-संगठन पुनर्गठन की आवश्यकता होना।
- खनन के कारण प्रचालन के उच्च अवधि के साथ न्यून मात्रा एवं न्यून मूल्य उत्पाद होना।

10.4.1 अवसर

- भारत में समुद्र तटीय रेत खनिजों का उच्च भंडार होना।
- भारत में निर्धारित सामग्री को संभालने के लिए एकाधिकार होना।
- आईआरईएल की उपस्थिति के क्षितिज को विस्तारित करने के लिए आईडीसीओएल एवं एपीएमडीसी के साथ समझौता ज्ञापन होना।
- टीआई/जेडआर एवं रेअर अर्थ्स के मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए अच्छी बाजार क्षमता होना।
- असंगत चीनी नीतियों के कारण विश्व के बाकी हिस्सों को आपूर्ति विकल्प के उन्नत अवसर होना।
- भारत और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अनुमानित विकास क्षमता होना।



9.0 Plant Locations

9.1 Mining & Mineral Separation Plants are located at Manavalakurichi - Tamil Nadu, Chavara – Kerala, and Chatrapur - Odisha. The MoPP plant is located at Chatrapur- Odisha and the Rare Earths Division dealing in chemicals is located at Aluva-Kerala.

10.0 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

10.1 Business environment & Industry Structure

10.1.1 The year saw Indian economy grow at higher rate than most of the other world economies. The implementation of Goods and Service Tax regime w.e.f. 01-07-2017 has been more or less successful. The same has resulted in better business environment and has gone a long way in aiding ease of doing business especially for IREL.

10.1.2 There were supply concerns across the value chain for titanium industry throughout 2017-18. Demand for TiO₂ remained high. This translated in continued buoyancy for titanium feed stock. The price realization of Ilmenite was range bound as the void created by non-availability of this material in the market due to continued ban on export from Tamil Nadu was to some extent made up by supplies from Africa. The demand supply gap in Zircon on account of increased demand and supply not keeping pace with the same resulted in prices firming up for this product. Rare earths market showed signs of firming up during first half of the year. But the latter half saw prices softening month on month impacting the sales realisation. The market for major minerals is expected to remain bullish during the coming year based on the current trends. The production constraints faced by various units may however act as impediments for growth.

10.1.3 Indian Rare Earths Limited, under the Administrative control of the Department of Atomic Energy (DAE) is engaged in mining and production of beach sand minerals and rare earth compounds. Some of the minerals produced by IREL find use in the Nuclear Power Programme of the Govt. of India apart from wide ranging industrial applications. The main minerals separated by IREL from the beach sands at its three Units located at Kerala, Tamilnadu and Odisha are ilmenite, rutile, leucosene, silimanite, garnet, zircon and monazite. IREL also produces uranium, thorium and rare earth salts.

10.2.1 Strength

- Established and proven process flow sheet.
- Experienced manpower with sound technical skills.
- Debt free company.

- Reputation of being credible supplier in domestic and international market with consistent product quality and products catering niche sector.
- Handling of atomic minerals and prescribed material by virtue of being under administrative control of DAE.
- Strong in-house R&D setup for minerals and rare earths besides having access to R&D facility of other DAE units.
- Central PSU- representation in key decision/ policy making bodies.
- Cost advantage due to depreciated plants.
- Only producer of Rare earths in the country
- Sufficient land bank at OSCOM

10.3.1 Weaknesses

- Due to years of operations based on available beach washing, land bank is limited.
- Non-availability of alternate resources to compensate reduction in HM content of beach washings in Kerala & Tamilnadu resulting in low capacity utilization.
- Non committal approach by Govt. of Tamil Nadu.
- Ageing workforce.
- Legacy oriented HR policies inherited with taking over of Chavara and MK plant.
- Efforts of IT integration – adverse implication due to end-user verification.
- Limited success in value addition initiatives in the past.
- No independent project planning and evaluation cell.- need organization restructuring.
- Low volume and low value products with higher span of operations due to mining.

10.4.1 Opportunities

- India has high reserves of beach sand minerals.
- Monopoly for handling prescribed material in India.
- MoU with IDCOL & APMDC to broaden the horizon of IREL's presence.
- Good market potential for value added products of Ti/Zr and rare earths.
- Enhanced opportunities of supply option to rest of the world due to inconsistent Chinese policies.
- Anticipated growth potential in India and other developing economies.

- रेअर अर्थ यौगिकों की आवश्यकता वाले उच्च तकनीक अनुप्रयोगों के लिए बढ़ते बाजार होना।
- उत्पाद विविधीकरण के लिए व्यापक कार्यक्षेत्र (वैटिकल एवं अन्य खनिज) होना।

10.5.1 आशंकाएं

- निजी प्रतियोगियों की प्रविष्टि - घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय होना।
- निजी प्रतियोगियों द्वारा अवैध खनन गतिविधियां होना।
- अनुकूल खनन प्राप्त करने में आक्रामकता को स्वीकार करने वाले प्रतिस्पर्धी होना।
- निषिद्ध सीआरजेड क्षेत्र में खनिज पृथक्करण संयंत्र का विस्तार होना।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने व्यापार बाधाओं के आयात और निष्कासन के लिए टैरिफ की ओर अग्रसर होना।
- भूमि स्वामियों की बढ़ती प्रतीक्षाएं जो भूमि अधिग्रहण को कठिन बनाता है।
- चवरा और एमके में जटिल सामाजिक - राजनीतिक मुद्दे होना।

10.3 खंडवार अथवा उत्पादवार कार्यनिष्पादन

- 10.3.1 वर्ष 2017-18 में आईआरईएल के प्रमुख उत्पादों के लिए बाजार स्थिर रहते बना। हालांकि, वर्ष के शुरुआती छमाही के दौरान, तमिलनाडु के विकास के कारण, मांग आपूर्ति का असंतुलन अस्थायी रूप से बनाया गया था, बाजार में आईआरईएल इलमेनाइट की बढ़ती मांग, अफ्रीका जैसे अन्य स्रोतों से प्रतिस्पर्धा उभरी। हालांकि, विपणन मोर्चे पर उत्पाद की भिन्नता और जोरदार प्रयासों के कारण, आईआरईएल इलमेनाइट के लिए उच्च मूल्य का अनुभव करने में सक्षम बना रहा। पैमाने एवं मूल्य शर्तें दोनों में आईआरईएल के लिए इलमेनाइट प्रमुख उत्पाद बना हुआ है। स्टाइल एवं जिरकॉन जैसे अन्य उच्च मूल्य खनिज आईआरईएल के सामूहिक धन में अन्य प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
- 10.3.2 आईआरईएल द्वारा बेचे जाने वाले लगभग 99% इलमेनाइट टाइटेनियम डाइऑक्साइड रंगद्रव्य निर्माताओं और अन्य टीआई मध्यस्थ फीडस्टॉक उत्पादकों द्वारा उपभुक्त किया जाता है। जिरकोनियम रसायनी उत्पादक, सेरामिक उद्योग एवं रिफ़ैक्टरी उद्योग जिरकॉन के प्रमुख उपभोक्ता थे। बेचे जाने वाले स्टाइल के लगभग पूरे टन को वैलिंग इलक्ट्रोड निर्माताओं द्वारा संसाधित किया गया था। रिफ़ैक्टरी उद्योग, सिलिमेनाइट का प्रमुख उपभोक्ता बना रहा जिसके बाद सिरमिक उद्योग रहा। रेत विस्फोट और वॉटर जेट कटिंग उद्योग गारनेट के लिए प्रमुख आधार रहे।

10.4 परिदृष्ट

- 10.4.1 वर्ष 2018-19 के दौरान टीआईओ2 रंजक का उत्पादन और मांग ज्यादा रहने की संभावना है। आईआरईएल जैसे निचली रेखा के टाइटेनियम माल-स्टॉक आपूर्तिकर्ताओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तथापि, अपेक्षाकृत नवीन आपूर्ति स्रोतों की वजह से उत्पन्न - होड से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। पर्यावरण से संबंधित चीन की कड़ी कार्रवाईयों पर ढीलापन पड़ने की वजह से चीनी माल स्टॉक उत्पादकों द्वारा फिर से उत्पादन चालू हो गया, जिससे चीन में आयात कम हो जाएगा जो इलमेनाइट की कीमत की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय विपणन में आईआरईएल ने अपने इलमेनाइट के संबंध में जो आला पैदा

किया है उससे एक हद तक कंपनी इस प्रतिकूल प्रभाव से खुद को बचा सकेगी।

- 10.4.2 जिरकॉन की आपूर्ति की उपलब्धता के संबंध में काफी चिंताएं हैं, क्योंकि कई विद्यमान प्रचालन समाप्त होने लगे हैं। इसके परिणाम से जिरकॉन का मूल्य ऊपर की ओर तेज बढ़ गया। निकट भविष्य में नई परियोजनाओं के अभाव से इसकी आपूर्ति की स्थिति और खराब हो जाएगी। आईआरईएल जैसे आपूर्तिकर्ताओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा। किंतु बढ़ती कीमतों के साथ-साथ, बुनियादी उपभोक्ता उद्योगों द्वारा एवजी का सहारा लेने की संभावना भी है, जोकि इस दशक के प्रारंभ में देखा गया था। आईआरईएल सिलिमेनाइट एवं गारनेट के बाजार की भी प्रतीक्षा में है, जिसका बाजार अपेक्षाकृत तेज रहेगा तथा 2018-19 में ये उत्पाद बेहतर राजस्व पैदा करेंगे। तथापि, आईआरईएल का विश्वास है कि विद्युत-वाहनों के लिए जोर, सफाई और हरित ऊर्जा, स्वचालन (ऑटोमेशन) आदि से रेअर अर्थ्स की मांग बढ़ाने की भी संभावना है, विशेषकर जिसका उपयोग चुंबकों के उत्पादन के लिए जरूरी है।

- 10.4.3 एमके यूनिट को परिवहन की अनुमति नहीं देने का मामला, इस यूनिट से राजस्व उत्पन्न हेतु फाटक खुल जाने से हल हो जाएगा। यद्यपि चवरा एवं एमके यूनिट द्वारा उत्पादन के क्षेत्र में समान बाधाओं का सामना किया जा रहा है, फिर भी वे सब आईआरईएल की चुनौतियों के तौर पर जारी रहेंगे और इन यूनिटों में उत्पादन बढ़ाने वास्ते सभी स्तर पर प्रयास चालू है। ऑसकॉम यूनिट की प्रमुखता वर्ष 2018-19 में आईआरईएल को राजस्व और मुनाफा की ओर बढ़ावा देती रहेगी।

- 10.4.4 ऑसकॉम के रेअर अर्थ्स संयंत्र के उत्पादन को ढालने में कंपनी हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि उपयोगिता क्षमता बेहतर बढ़ जाए। उसी प्रकार ग्राहक-अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु उत्पन्नों को संजोने से आरईडी की उपयोगिता क्षमता में सुधार लाने का प्रयास भी जारी है। इन प्रयासों से आईआरईएल के राजस्व प्रवाह पर सकारात्मक प्रभाव होने की संभावना है।

- 10.4.5 आईआरईएल ने ब्राउन क्षेत्र और हरित क्षेत्र परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है।

ऑसकॉम यूनिट की क्षमता बढ़ाने का कार्य जोरों पर है। दि. 26.7.2018 को संपन्न वन सलाहकार समिति की बैठक में आईआरईएल का प्रस्ताव स्पष्ट किया गया है तथा वन विभाग की अनुमति जल्दी जारी हो जाएगी, जिससे इस संबंध में और क्रियाकलापों के लिए रास्ता खुल जाएगा। ओडिशा राज्य में भारी खनिजों के उत्पादन क्षेत्रों में हरित क्षेत्र परियोजना के लिए कार्यरत इडकॉल (ओडिशा राज्य का एक उपक्रम) के सहयोग से आईआरईएल ने आईआरईएल-इडकॉल लिमिटेड नामक एक जेवी कंपनी का गठन किया है। जेवी कंपनी द्वारा उत्पादन किए जाने वाले खनिजों का विपणन-अधिकार आईआरईएल में निहित है। बीओओ आधार पर इलमेनाइट के अतिरिक्त मूल्य के लिए आगामी कदम उठाए गए हैं। आईआरईएल के ये सब प्रयास निकट भविष्य में ही यथोचित रूप से इसके राजस्व को बढ़ाने में सफल निकलेंगे। वैजाक और भोपाल में यथाक्रम एसएमसीओ चुंबक उत्पादन सुविधा एवं रेअर अर्थ्स थीम पार्क के गठन हेतु उठो गई सभी अड़चनों को आईआरईएल ने हटा दिया है। ये आईआरईएल के एचपीआरई यौगिकों का बना बनाया उपभोग मार्ग बन जाएगा।



- Increasing market for hi-tech applications requiring rare earth compounds.
- Wide scope for product diversification (Vertical and other minerals).

10.5.1 Threats

- Entry of private players- domestic and international.
- Illegal mining activities by the Private players.
- Competitors embracing aggressiveness in getting favourable mining.
- Expansion of mineral separation plant in CRZ area prohibited.
- Globalization of Indian economy leading to reduced tariff for imports and removal of trade barriers.
- Increasing expectations of land owners making land acquisition difficult.
- Complex Socio-political issues in Chavara and MK.

10.3 Segment-wise or Product-wise performance

10.3.1 The year 2017-18 saw market for major products of IREL firming up. Though during the early half of the year, the demand supply imbalance temporarily created due to the developments in Tamil Nadu enhanced demand for IREL Ilmenite in the market, competition from other sources like Africa emerged. However, due to product differentiation and vigorous efforts on marketing front IREL was able to realise higher price for Ilmenite. Ilmenite remains major product for IREL both in volume and value terms. Other high value minerals like Rutile and Zircon are other major contributors to IREL's kitty.

10.3.2 About 99% of Ilmenite sold by IREL is consumed by Titanium dioxide pigment manufacturers and other Ti intermediary feedstock producers. Zirconium Chemical producers, Ceramics industry and Refractory industry were major consumers of Zircon. Almost the entire tonnage of Rutile sold was sourced by Welding electrode manufacturers. Refractory industry continued to be the major consumer of Sillimanite followed by Ceramic industry. Sand blasting and water jet cutting industry were the mainstay for Garnet.

10.4 Outlook

10.4.1 The TiO_2 pigment production and its demand is likely to remain high during 2018-19. This will have positive impact on the bottom line of titanium feedstock suppliers like IREL. However, competition from relatively newer supply sources may have some adverse impact. The easing of Chinese environmental crackdown has resulted in resumption of production by the Chinese feedstock producers which may result in curtailed imports into China that may impact the price realization

of Ilmenite. However, the niche that IREL has created for its Ilmenite in the international market is likely to insulate the company from this impact to some extent.

10.4.2 There are growing concerns regarding supply availability of Zircon as many existing operations are becoming depleted. This has resulted in rapidly pushing the prices of Zircon northwards. Without new projects coming up in near future, the supply position would further aggravate the situation. This will have a positive impact for suppliers like IREL. However, with the spiraling prices there is danger of substitutions being resorted to by the end-user industry as was witnessed at the start of the decade. IREL also expects that market for Sillimanite and Garnet will remain relatively bullish and these products would give better revenues in 2018-19. In case of rare earths the subdued market condition is likely to carry on at least in the initial period of 2018-19. However, IREL believes that the thrust for electric vehicles, clean and green energy, automation, etc. is likely to perk up the demand for rare earths especially those used in production of magnets.

10.4.3 Resolution of issue pertaining to non-issue of transport permit to MK unit is likely to open the gates for revenue generation from this unit. Though, production constraints faced by Chavara and MK unit are likely to be challenges that IREL would continue to face, efforts are on at all levels to augment the production at these units. The flagship OSCOM unit would continue to drive the revenues and profitability for IREL in 2018-19.

10.4.4 The Company is making all out efforts in ramping up the production of OSCOM's Rare Earths Plant thereby achieving better capacity utilization. Similarly, efforts are on to improve capacity utilization at RED along with tailor making the products that meet the customer requirement. These efforts are likely to have positive impact on IREL's revenue stream.

10.4.5 IREL has made significant progress in implementing brownfield as well as greenfield projects. The augmentation of capacity of OSCOM unit is underway and in Forest Advisory Committee meeting held on 26-7-2018, IREL's proposal has been cleared and forest clearance is likely to be issued shortly which will pave way for further activities in this connection. IREL has formed a JV company IREL IDCOL Limited with IDCOL (an Odisha State undertaking) for greenfield project in the area of production of heavy minerals in the state of Odisha. The marketing rights of the minerals produced by the JV company vest with IREL. Further, steps have been taken to go for value addition of Ilmenite on BOO basis. These efforts of IREL will enhance its revenue handsomely in near future. IREL has zeroed down on Vizag and Bhopal for setting up of SmCo magnet production facility and rare earths theme park respectively. These would be ready consumption avenues for HPRE compounds of IREL.

10.5 जोखिम एवं चिंताएं

- एमके में संयंत्र क्षमता के अनुकूल होने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली कच्ची रेत की अनुपलब्धता होना।
- ऑसकॉम के खनन पट्टा विलेख की वैधता 21.03.2019 को समाप्त हो रही है और इसे ओडिशा सरकार द्वारा विस्तारित किया जाता है।
- एमके में समद्र तट धुलाई के ग्रेड में कम और वर्ष प्रतिवर्ष समुद्र तट धुलाई संग्रहण की लागत में वृद्धि होना।
- एमके में खनिज समृद्ध क्षेत्रों पर निवास स्थान की घातीय वृद्धि और मकानों का निर्माण होना।
- खनन एवं खनन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए भूमि उपलब्धता बनाने के लिए सामाजिक राजनीतिक मुद्दे के कारण भूमि के अधिग्रहण में निवेश में वृद्धि होना।
- ऑसकॉम में अधिकतर खनन परिचालन तटीय क्षेत्र में स्थित होते हैं जो चक्रवात, मौसम, भारी वर्षा गिरने और सुनामी इत्यादि से ग्रस्त हैं और खनन क्षेत्र डूब जाने/बाड़ का कारण बन सकते हैं और खनन प्रचालनों को गतिहीन कर सकती है।
- संयंत्र की क्षमता और उप उष्ण कटिबंधीय संयंत्र प्रचालन का निम्न उपयोग होना।
- उत्पादकता वृद्धि की ओर एमओपीपी, ऑसकॉम में उत्पादन का स्थिरीकरण एवं आरईडी में एचपीआरई संयंत्र के सुचारु कार्यप्रणाली के लिए आरई क्लोराइड की स्थिर आपूर्ति होना।
- प्रतियोगियों एवं विकल्प की प्राप्यता खनिज बाजार को प्रभावित कर सकती है।

10.6 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मण्डल को प्रदान करने के उद्देश्य से आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावकारिता पर नजर रखता है, संगठन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर एक उद्देश्य और उचित आश्वासन नियंत्रण एवं शासन प्रक्रिया है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग का कार्यक्षेत्र और अधिकार लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा चार्टर से लिया गया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा के लिए नियमित रूप से बैठक आयोजित हुई। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों एवं उनपर अनुवर्ती कार्रवाईयों की सूचना लेखापरीक्षा समिति को दी जाती है। लेखापरीक्षा समिति कंपनी के आंतरिक नियंत्रण वातावरण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा भी करती है। राजस्व के साथ साथ पूंजीगत व्यय का अनुमोदन करने के लिए निर्णय लेने की सुचारु प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत शक्ति का प्रत्यायोजन विद्यमान है। लेखापरीक्षा समिति वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, कंपनी द्वारा अनुवर्तित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता, नीतियों एवं कार्यविधियों के लेखांकन

करने के लिए अनुपालन सहित वित्तीय विवरणों पर उनके दृष्टि कोण को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की बैठक आयोजित हुई।

10.7 प्रचालनीय कार्यानिष्पादन से संबंधित वित्तीय कार्यानिष्पादन पर चर्चा

10.7.1 समग्र कार्य निष्पादन

वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 615.49 करोड़ का सकल राजस्व एवं ₹ 123.85 करोड़ का कर पूर्व लाभ (पीआरटी) प्राप्त किया। कंपनी का राजस्व 20% बढ़ गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 198% में पीबीटी में सुधार मुख्यतः उच्चतर राजस्व के कारण था।

10.7.2 प्रचालनों से राजस्व

वर्ष के दौरान बिक्री से कुल राजस्व ₹ 573.88 करोड़ था जो पिछले वर्ष से 25% अधिक है। कुल बिक्री 51% घरेलू एवं 49% निर्यात सम्मिलित है।

10.7.3 कुल व्यय

उपभोग की गई सामग्री की लागत ₹ 0.37 करोड़ कम है। पिछले वर्ष की तुलना में कर्मचारियों के लाभ ₹ 7.25 करोड़ की कमी जो मुख्यतः उदासीनता की वजह से है।

10.7.4 कर पश्चात लाभ

आयकर की ओर ₹ 41.74 करोड़ के समायोजन के बाद, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के कर पश्चात लाभ ₹ 82.11 करोड़ था।

10.7.5 लाभांश

आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लाभांश के रूप में ₹ 36.50 करोड़ की सिफारिश की है।

10.8 चेतावनी कथन

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी की योजना बनाने वाले अग्रदर्शी विवरण सम्मिलित हैं। कंपनी योजना के कार्यान्वयन की गारंटी नहीं दे सकती है क्योंकि वास्तविक कार्यान्वयन विभिन्न कारणों के कारण अलग हो सकते हैं जो प्रबंधन या अन्य कारणों के लिए नियंत्रण से परे हैं जिनमें बाद की किसी गतिविधि, सूचना अथवा घटनाओं के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।

11.0 समझौता ज्ञापन

- 11.1 कंपनी ने भारत सरकार के साथ 2017-18 के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है तथा पिछले तीन वर्षों की एमओयू रेटिंग इस प्रकार है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	एमओयू रेटिंग
1	2017-18	उत्कृष्ट (अनंतिम)
2	2016-17	बहुत अच्छा
3	2015-16	अच्छा

- 11.2 कंपनी की एमओयू रेटिंग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान “उत्कृष्ट” (अनंतिम) है जो कंपनी के निष्पादन में समग्र सुधार का संकेत देता है।



10.5 Risks and concerns

- Non-availability of good quality raw sand to meet the plant capacity in MK.
- Validity of mining lease deed of OSCOM is expiring on 21.03.2019 and it is to be extended by Government of Odisha.
- Low in beach washing grade at MK and increase in cost of beach wash collection year to year.
- Exponential increase of habitations and mushrooming of buildings over the mineral rich areas in MK.
- Increase in investment in the acquisition of land due to socio political issues to make land availability for mining and economies of mining.
- In OSCOM mostly mining operations are situated in coastal area which are prone to Cyclonic weather, heavy rain fall and Tsunami etc. and may lead to submergence/flooding of mining area and paralyze the mining operations.
- Underutilization of plant capacity and suboptimal plant operation.
- Stabilisation of production in MoPP, OSCOM towards increased productivity and steady supply of RE chloride for smooth functioning of HPRE plant in RED.
- The entry of competitors and availability of substitutes may affect the mineral market.

10.6 Internal control systems and their adequacy

There exists an efficient internal control system in the company and Internal audit function continuously monitors the efficacy of internal financial controls with the objective of providing to the Audit Committee and the Board of Directors, an objective and reasonable assurance on the adequacy and effectiveness of the Organisation's control and governance processes. The scope and authority of the internal audit department is derived from the audit charter approved by the Audit Committee.

During the year 2017-18, the Audit Committee met regularly to review reports submitted by the Internal Audit Department. Significant audit observations and follow up actions thereon are reported to the audit committee. Audit Committee also reviews adequacy and effectiveness of the Company's internal control environment. Detailed delegation of power exists to ensure smooth decision making process towards approving revenue and capital expenditure. Audit committee also met the company's statutory auditors to ascertain their views on financial statements, including the financial reporting system, compliance to accounting policies and procedures, the adequacy and

effectiveness of the internal control systems followed by the Company.

10.7 Discussion on financial performance with respect to operational performance

10.7.1 Overall performance

During the year, the company recorded total revenue of ₹ 615.49 crore and profit before tax (PBT) of ₹ 123.85 crore. Company's revenue has increased by 20%. Improvement in PBT by 198% as compared to previous year was mainly on account of higher revenue.

10.7.2 Revenue from Operations

During the year, total Revenue from sales was ₹ 573.88 crore which is 25% more than the previous year. Total sales comprises of 51% domestic and 49% export.

10.7.3 Total expenses

Cost of material consumed is less by ₹ 0.37 crore. Employee benefits amounting to ₹ 7.25 crore less as compared to previous year is mainly due to attrition.

10.7.4 Profit after tax

Profit after tax of the company during the financial year was ₹ 82.11 crore after making adjustment of ₹ 41.74 crore towards income tax.

10.7.5 Dividend

Your Directors have recommended ₹ 36.50 crore as dividend for the financial year 2017-18.

10.8 Cautionary statement:

The Management Discussion and Analysis Report contain forward looking statements describing the Company's plan. The Company cannot guarantee the implementation of plan as the actual implementation may differ due to factors which are beyond the control of Management or for other reasons. The Company assumes no responsibility in respect of forward looking statements which may undergo change on the basis of any subsequent developments, information or events.

11.0 MOU

- 11.1 The company has signed MoU for 2017-18 with the Government of India and MoU ratings for the previous 3 years are as follows :

Sl. No.	Financial Year	MoU ratings
1	2017-18	Excellent (Provisional)
2	2016-17	Very Good
3	2015-16	Good

- 11.2 The Company's MoU rating is "Excellent" (provisional) during the current financial year 2017-18 which indicates overall improvement in the performance of the Company.



अनुलग्नक 'घ'

प्रपत्र संख्या एमजीटी - 9

वार्षिक प्रतिफल का उद्धरण

31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार)

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

i.	सीआईएन	यू15100एमएच1950जीओआई008187
ii.	पंजीकरण तिथि	18 अगस्त, 1950
iii.	कंपनी का नाम	इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड
iv.	कंपनी का वर्ग/ उप वर्ग	शेयर द्वारा सीमित कंपनी / सरकारी कंपनी
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	प्लॉट सं.1207, वीर सावरकर मार्ग, सिद्धि विनायक मंदिर के पास, प्रभादेवी, मुंबई - 400 028
vi.	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	जी नहीं
vii.	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता एवं संपर्क विवरण	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यापारिक गतिविधियां

कंपनी के कुल टर्न ओवर में 10% या अधिक का योगदान देने वाली सभी व्यापारिक गतिविधियों का विवरण दिया जाएगा :-

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों का नाम एवं विवरण	उत्पाद का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्न ओवर का %
1	इल्मेनाइट	13209	48.27%
2	रूटाइल	13209	10.31%
3	जिरकॉन	13209	12.31%

III. नियंत्रणाधीन, अनुषंगी एवं सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रणाधीन/ अनुषंगी/सहयोगी	धारित शेयरों का %	लागू अनुभाग
	आईआरईएल इडकॉल लि. द्वारा - इडकॉल हाउस, यूनिट - II, अशोक नगर, भुवनेश्वर, 751009	यू14296ओआर2018जीओआई028257	अनुषंगी	51%	2(87)



Annexure 'D'

FORM NO. MGT - 9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN AS ON THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2018

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i.	CIN	U15100MH1950GOI008187
ii.	Registration Date	18 th August, 1950
iii.	Name of the Company	INDIAN RARE EARTHS LTD
iv.	Category/ Sub-Category of the Company	Company Limited by Share/Government Company
v.	Address of the Registered office and contact details	Plot No. 1207, Veer Savakar Marg, Near Siddhi Vinayak Temple, Prabhadevi, Mumbai - 400 028
vi.	Whether listed company	No
vii.	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	Not applicable

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sr. No.	Name and Description of main products	NIC Code of the Product	% to total turnover of the company
1	Ilmenite	13209	48.27
2	Rutile	13209	10.31
3	Zircon	13209	12.31

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr. No.	Name and address of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held	Applicable Section
	IREL IDCOL LTD C/O - IDCOL HOUSE, UNIT - II, ASHOK NAGAR, BHUBANESWAR, 751009	U14296OR2018GOI028257	Subsidiary	51%	2(87)



IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्योरा)

i. वर्गवार शेयरहोल्डिंग

शेयरधारकों का वर्ग	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डिमेंट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमेंट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर्स									
1. भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ									
ख) केंद्र सरकार	-	863650	863650	100%	-	863650	863650	100%	शून्य
ग) राज्य सरकार (सरकारें)									
घ) निकाय निगम									
ड.) बैंक /एफआई									
च) कोई अन्य नोट:	4 इक्विटी शेयर केंद्र सरकार के नामितों द्वारा धारित हैं।								
उप कुलयोग (क) (1):-		863650	863650	100%		863650	863650	100%	शून्य
2. विदेशी									
छ) एनआरआई-व्यक्तिगत									
ज) अन्य-व्यक्तिगत									
झ) निकाय निगम									
ट) बैंक/ एफआई									
ठ) कोई अन्य.									
उप कुलयोग (क) (2):-									
प्रमोटर की कुल शेयरहोल्डिंग (क) = (अ) (1)+(अ)(2)		863650	863650	100%		863650	863650	100%	शून्य
ख. सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग				एन ए					
1. संस्थान				एन ए					
क) म्यूचुअल फंड									
ख) बैंक/ एफआई									
ग) केंद्र सरकार									
घ) राज्य सरकार (सरकारें)									
ड.) वेंचर कैपिटल फंड									
च) बीमा कंपनियां									
छ) एफआईआई									
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड									
झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
उप कुलयोग (ख) (1)									
2. गैर संस्थान				एन ए					
क) निकाय निगम									
(i) भारतीय									
(ii) विदेशी									



IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i. Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
1. Indian									
a) Individual/ HUF									
b) Central Govt	-	863650	863650	100%	-	863650	863650	100%	NIL
c) State Govt(s)									
d) Bodies Corp									
e) Banks / FI									
f) Any Other Note:	Out of above 4 number of equity shares are held by Nominees of the Central Govt.								
Sub-total(A)(1):-		863650	863650	100%		863650	863650	100%	NIL
2. Foreign									
g) NRIs-Individuals									
h) Other-Individuals									
i) Bodies Corp.									
j) Banks / FI									
k) Any Other....									
Sub-total (A)(2):-									
Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)		863650	863650	100%		863650	863650	100%	NIL
B. Public Shareholding			N A						
1. Institutions			N A						
a) Mutual Funds									
b) Banks / FI									
c) Central Govt									
d) State Govt(s)									
e) Venture Capital Funds									
f) Insurance Companies									
g) FIs									
h) Foreign Venture Capital Funds									
i) Others (specify)									
Sub-total(B)(1)									
2. Non Institutions			N A						
a) Bodies Corp.									
(i) Indian									
(ii) Overseas									



शेयरधारकों का वर्ग	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डिमेंट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमेंट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
ख) व्यक्तिगत									
(i) ₹ 1 लाख तक की नाम मात्र की शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक									
(ii) ₹ 1 लाख से अधिक की नाम मात्र की शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक									
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
उप कुलयोग (ख)(2)			एन ए						
कुल सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग (आ) = (आ)(1) + (आ)(2)									
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा धारित शेयर									
कुलयोग (अ+आ+इ)		863650	863650	100%		863650	863650	100%	शून्य

ii. प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयरहोल्डिंग			वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन %
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/भारग्रस्त शेयरों का %	
1.	भारत सरकार	863650	100%	0	863650	100%	0	शून्य
2.								
3.								
	कुलयोग	863650	100%	0	863650	100%	0	शून्य



Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
b) Individuals									
(i) Individual shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh									
(ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh									
c) Others(Specify)									
Sub-total(B)(2)			N A						
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B)(2)									
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
Grand Total (A+B+C)		863650	863650	100%		863650	863650	100%	NIL

ii. Share holding of Promoters

Sr. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1.	Govt. of India	863650	100%	0	863650	100%	0	NIL
2.								
3.								
	Total	863650	100%	0	863650	100%	0	NIL



iii. प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन (कृपया विनिर्दिष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं है।)

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में				
	वृद्धि/कमी के कारणों का विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी (उदाहरणार्थ आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि):	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में				

iv. टॉप टेन शेयरधारकों का शेयरहोल्डिंग पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों एवं जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा):

क्र. सं.	टॉप टेन शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में वृद्धि/कमी के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी (उदाहरणार्थ आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)	लागू नहीं			
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान अलग हुए हैं)				

v. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरहोल्डिंग:

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में	3	--	3	--
	वृद्धि/कमी के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी (उदाहरणार्थ आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि):	लागू नहीं			
	वर्ष के अंत में	3	--	3	--


iii. Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sr. no.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	NO Change			
	At the End of the year				

iv. Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sr. no.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase /Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment /transfer / bonus / sweat equity etc):	N A			
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

v. Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sr. no	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	3	--	3	--
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	Not applicable			
	At the End of the year	3	--	3	--



V. ऋण

बकाया/अर्जित किए गए परन्तु भुगतान नहीं किए जाने वाले ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमाओं को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमाएं	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल धन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) देय ब्याज परन्तु भुगतान नहीं किया गया				
iii) अर्जित किया गया ब्याज परन्तु देय नहीं				
कुल योग (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण ग्रस्तता				
- योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
- कमी				
शुद्ध परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण ग्रस्तता				
i) मूल धन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) देय ब्याज परन्तु भुगतान नहीं किया गया				
iii) अर्जित किया गया ब्याज परन्तु देय नहीं				
कुल योग (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/ अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम	कुल धनराशि (लाख में)	
1.	सकल वेतन			
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में दिये गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	श्री दीपेन्द्र सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	28.80
		श्री राकेश तुमाने	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ 27.09.17 तक	12.66
		श्री के के महान्ति	निदेशक (विपणन)	27.87
		श्री ए के महापात्र	निदेशक (तकनीकी) 01.01.18 से	6.04
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियों का मूल्य	श्री दीपेन्द्र सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4.76
		श्री राकेश तुमाने	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ 27.09.17 तक	2.58
		श्री के के महान्ति	निदेशक (विपणन)	0.91
		श्री ए के महापात्र	निदेशक (तकनीकी) 01.01.18 से	0.23
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	श्री दीपेन्द्र सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0.23
		श्री राकेश तुमाने	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ 27.09.17 तक	0
		श्री के के महान्ति	निदेशक (विपणन)	0
		श्री ए के महापात्र	निदेशक (तकनीकी) 01.01.18 से	0
2.	स्टॉक विकल्प			शून्य



V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year:				
i) Principal Amount.	NIL	NIL	NIL	NIL
ii) Interest due but not paid.				
iii) Interest accrued but not due.				
Total(i+ii+iii)				
Change in Indebtedness during the financial year:				
- Addition.				
- Reduction.	NIL	NIL	NIL	NIL
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year:				
i) Principal Amount.	NIL	NIL	NIL	NIL
ii) Interest due but not paid.				
iii) Interest accrued but not due.				
Total (i+ii+iii)	NIL	NIL	NIL	NIL

VI REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager		Total Amount (in lakhs)
1.	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	Shri D Singh	CMD	28.80
		Shri Rakesh Tumane	Director (Finance) & CFO Upto 27.09.17	12.66
		Shri K K Mohanty	Director (Marketing)	27.87
		Shri A K Mohapatra	Director (Technical) from 01.01.18	6.04
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of Income-tax Act, 1961	Shri D Singh	CMD	4.76
		Shri Rakesh Tumane	Director (Finance) & CFO Upto 27.09.17	2.58
		Shri K K Mohanty	Director (Marketing)	0.91
		Shri A K Mohapatra	Director (Technical) from 01.01.18	0.23
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961	Shri D Singh	CMD	0
		Shri Rakesh Tumane	Director (Finance) & CFO Upto 27.09.17	0
		Shri K K Mohanty	Director (Marketing)	0
		Shri A K Mohapatra	Director (Technical) from 01.01.18	0



क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम		कुल धनराशि (लाख में)
3.	स्वेट इक्विटी			शून्य
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, विनिर्दिष्ट करें			शून्य
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें			शून्य
6.	कुल (क)			83.85
	अधिनियम के अनुसार सीमा			

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम		कुल धनराशि (लाख में)
	स्वतंत्र निदेशक (आईडी) • बोर्ड समिति की बैठक में उपस्थिति हेतु शुल्क • कमीशन • अन्य कृपया विनिर्दिष्ट करें	सुश्री शीला सांगवान	आई डी	1.00 शून्य शून्य
	कुलयोग(1)			1.00
	अन्य गैर अधिशासी निदेशक • बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क (केरल सरकार को धनप्रेषित) • कमीशन • अन्य कृपया विनिर्दिष्ट करें	श्री पाल एंटोनी श्री संजय एम कौल	नामित निदेशक नामित निदेशक	0.20 0.20 शून्य शून्य
	कुल(2)			0.40
	कुल(ख)=(1+2)			1.40
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक			
	अधिनियम के अनुसार समय सीमा			

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुलयोग (लाख में)
1.	सकल वेतन	0.00	श्री बी आर तरफदार 31.01.18 तक	सीएफओ के रूप में पदनामित निदेशक (वित्त)	23.68
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में दिये गए प्रावधानों के अनुसार वेतन				
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियों का मूल्य	0.00	श्री रूपेन्द्र धीमान 09.03.18 से		0.56
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	0.00	0.00		0.00
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, विनिर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	कुलयोग				24.24



Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager		Total Amount (in lakhs)
2.	Stock Option			NIL
3.	Sweat Equity			NIL
4.	Commission - as% of profit - others,specify...			NIL
5.	Others, please specify			NIL
6.	Total(A)			83.85
	Ceiling as per the Act			

B. Remuneration to other directors:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager		Total Amount (in ₹ lakhs)
1	Independent Directors (ID) ·Fee for attending board committee meetings ·Commission ·Others, please specify	Ms.Sheila Sangwan	I D	1.00 NIL NIL
	Total(1)			1.00
2	Other Non-Executive Directors ·Fee for attending Board meetings (Remitted to Government of Kerala) ·Commission ·Others, please specify	Shri Paul Antony Shri Sanjay M Kaul	Nominee Director Nominee Director	0.20 0.20 NIL NIL
	Total(2)			0.40
	Total(B)=(1+2)			1.40
	Total Managerial Remuneration			
	Overall Ceiling as per the Act			

C. Remuneration to Key Managerial Personnel Other Than MD/Manager/WTD

Sl. no.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Company Secretary	CFO	Total (in lakhs)
1.	Gross salary			Director(Finance) designated as CFO	
	(a) Salary as per provisions contained in section17(1)of the Income-tax Act, 1961	0.00	Shri B R Tarafdar upto 31.01.18		23.68
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of Income-tax Act, 1961	0.00	Shri Rupender Dhiman from 09.03.18		0.56
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of Income-tax Act, 1961	0.00	0.00		0.00
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Commission - as % of profit others, specify...	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	Others, please specify	NIL	NIL	NIL	NIL
6.	Total				24.24



VII अपराधों के अर्थदंड /दंड/समझौता: शून्य

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धार	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित अर्थदंड/दंड/समझौता शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	की गयी अपील यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
अर्थदंड					
दंड					
समझौता					
ख. निदेशक					
अर्थदंड					
दंड					
समझौता					
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
अर्थदंड					
दंड					
समझौता					



VII PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES: NIL

Type	Section of the companies Act	Brief description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority[RD / NCLT/Court]	Appeal made. If any(give details)
A. Company					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
B. Directors					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. Other Officers In Default					
Penalty					
Punishment					
Compounding					



शशिकला जे.शाह
कंपनी सचिव

2, चन्द्रभागा निवास,
198-डी, डॉ.वेगास स्ट्रीट,
कालबादेवी रोड,
मुंबई - 400 002
इमेल: sjshah40@hotmail.com
फोन: 2200 2039 / 2209 6720

कार्पोरेट शासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड

प्लॉट क्र.1207, ईसीआईएल बिल्डिंग,
सिद्धिविनायक मंदिर के सामने, वीर सावरकर मार्ग,
प्रभादेवी, मुंबई - 400 028.

मैंने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 मई 2010 को जारी अधिसूचना सं.18 (8) / 2005-जीएम में (इसके बाद "दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) 2010 (मार्गनिर्देश) के जरिये निर्धारित कार्पोरेट शासन पर मार्गनिर्देश में 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड** (कंपनी) द्वारा अनुपालन किये गये कार्पोरेट शासन की शर्तों की जांच की है। कंपनी एक गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई है और इसलिए लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (एलओडीआर) में निर्धारित शर्तों, जो कार्पोरेट प्रशासन के प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित हैं, कंपनी को लागू नहीं हैं।

कार्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन करना यह प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। मेरी जांच उपरोक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं एवं उनके अनुपालन तक सीमित रहीं। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई राय की अभिव्यक्ति है।

मेरी राय में तथा मेरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं मुझे प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, मैं प्रमाणित करती हूँ कि कंपनी ने इस प्रमाणपत्र के **अनुलग्नक "क"** में यथा उल्लिखित को छोड़कर मार्गनिर्देश में यथा निर्धारित कार्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

मैं आगे कहती हूँ कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के रूप में कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्य किये हैं।

मे. शशिकला शाह
कंपनी सचिव

एम.सं.: ACS 6131
सी.पी.सं.: 1305

स्थान: मुंबई

दिनांक: 5 सितम्बर 2018



SHASHIKALA J. SHAH
COMPANY SECRETARY

2, Chandrabhaga Niwas,
198-D, Dr. Viegas Street
Kalbadevi Road,
Mumbai - 4 0 0 0 2
Email: sjsah40@hotmail.com
Tel: 2200 2039 / 2209 6720

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,
The Members

Indian Rare Earths Limited

Plot No. 1207, ECIL Bldg.,
Opp: Siddhivinayak Temple,
Veer Savarkar Marg,
Prabhadevi, Mumbai-400028

I have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **Indian Rare Earths Limited** (hereinafter referred as "the Company") for the year ended 31st March, 2018 as stipulated in the 'Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010, vide Notification No. 18(8)/2005-GM, dated 14th May 2010, issued by the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India (hereinafter referred as "Guidelines"). The Company is a non-listed CPSE and hence the conditions stipulated in Listing Obligations & Disclosure requirements (LODR), which deals with compliance of the provisions of Corporate Governance, are not applicable to the company.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. My examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance as stipulated in above mentioned guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the company.

In my opinion and to the best of my information and according to the explanations given to me, I certify that the Company has generally complied with the conditions of Corporate Governance to the extent applicable as stipulated in the guidelines except as mentioned in the "**Annexure A**" to this Certificate.

I further state that such compliance is neither assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Mrs. Shashikala Shah
Company Secretary
M. No.: ACS 6131
C.P.No.: 1305

Place: Mumbai
Date : 5th Sept., 2018



अनुलग्नक क

क्र.सं.	खंड*	प्रावधान	टिप्पणियाँ
1.	3.1.4	अन्य सभी सीपीएसई(अर्थात स्टॉक एक्सचेंज में सूचिबद्ध परंतु बिना किसी अधिशासी अध्यक्ष के, अथवा गैर सूचीबद्ध सीपीएसई) के मामले में बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।	बोर्ड के सदस्यों की संरचना में कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या शामिल नहीं थी। हालांकि, यह देखा गया है कि कंपनी ने कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए सरकार के साथ इस मामले का अनुपालन किया है।
2.	3.3.1.	बोर्ड के बैठकों की संख्या: बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होनी चाहिए और प्रत्येक वर्ष में कम से कम ऐसी चार बैठकें आयोजित होनी चाहिए। इसके अलावा, किसी भी दो बैठकों के बीच के समय का अंतर तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017 -2018 के दौरान पांच बोर्ड की बैठकें आयोजित की हैं, तथापि, बोर्ड की कोई बैठक तिमाही अप्रैल से जून, 2016 के दौरान आयोजित नहीं की गई है। हालांकि, 16 दिसंबर 2017 और 28 मार्च 2018 की दो बोर्ड मीटिंग्स के बीच का अंतर तीन महीने से अधिक रहा है (हालांकि यह समय अंतर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित 120 दिनों के भीतर है)
3.	4.1.1.	लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के रूप में कम से कम तीन निदेशक होंगे लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।	लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। [चूंकि कंपनी के पास स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या नहीं है] (संदर्भ खंड 3.1.4)

** केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश, 2010

स्थान: मुंबई
दिनांक: 5 सितम्बर 2018

मे. शशिकला शाह
कंपनी सचिव
एम.सं.: ACS 6131
सी.पी.सं.: 1305



ANNEXURE A

Sr. No.	Clause*	Provisions	Observations
1.	3.1.4	In case of all other CPESs (i.e. listed on Stock Exchange but without an Executive Chairman or not listed CPESs), at least one – third of the Board Members should be independent Director.	The composition of the Board Members did not comprise of requisite number of Independent Directors on the Board of the Company. However, it has been observed that the company has followed up the matter with Government for appointment of Independent Directors on the Board of the Company.
2.	3.3.1.	Number of Board Meetings: The Board shall meet at least once in every three months and at least four such meetings shall be held every year. Further, the time gap between any two meetings should not be more than three months.	The Company has held five Board meetings during the financial year 2017-18. However, the gap between two Board Meetings dated 16 th Dec. 2017 & 28 th March 2018 has been more than three months (though the time gap is within the time of 120 days prescribed under Companies Act, 2013)
3.	4.1.1.	The Audit Committee shall have minimum three Directors as members. Two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors.	Two third of the Members of the Audit Committee were not Independent Directors.[Since the company does not have requisite number of Independent Directors](ref. Clause 3.1.4)

*Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010

Mrs. Shashikala Shah
Company Secretary
 M. No.: ACS 6131
 C.P.No.: 1305

Place: Mumbai
 Date : 5th Sept., 2018

अ



प्रधान, एम.के.यूनिट भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्री, श्री बंदरू दत्तात्रेय जीकी उपस्थिति में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद जी से राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) प्राप्त करते हुए।

Head, MK unit receiving National Safety Award (Mines) from Hon'ble President of India Shri Ram Nath Kovind in presence of Hon'ble Minister for Labour and Employment, Shri Bandaru Dattatreya, Govt. of India.

श्री ए.के.महापात्र, निदेशक (तकनीकी) एफआईसीसीआई गुणवत्ता प्रणाली उत्कृष्टता पुरस्कार, 2018 प्राप्त करते हुए।

Shri A.K. Mohapatra, Director (Technical) receiving FICCI Quality System Excellence Award, 2018.



श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और टीम आईआरईएल,की श्री मिनोरु मुराता, सीनियर मैनेजिंग कार्यकारी अधिकारी और टोयोटा त्सुशो निगम (टीटीसी), जापान के मेटल डिवीजन के मुख्य मंडल अधिकारी और टीटीसी और टीआरईआई के अधिकारियों के साथ बैठक।

Meeting of Shri D.Singh, CMD and team IREL with Mr. Minoru Murata, Sr. Managing Executive Officer and Chief Divisional Officer of Metal Division of Toyota Tsusho Corporation(TTC), Japan and executives of TTC and TREI.

आईआरईएल और ओडिशा औद्योगिक सुरक्षा बल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

Signing of MoU between IREL and Odisha Industrial Security Force.





श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कॉर्पोरेट कार्यालय में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए।

Shri D.Singh, CMD addressing the employees at Corporate office at the occasion of Independence day.

श्री संजय बांगा, मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2017 के उपलक्ष्य में पुरस्कार प्रदान करते हुए।

Shri Sanjay Banga, CVO distributing prizes at the occasion of Vigilance Awareness Week, 2017.



कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह।

International Yoga Celebration at Corporate Office, Mumbai.

स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर आईआरईएल ऑफिसर्स क्वार्टर्स, मुंबई में श्री के.के. मोहंति, निदेशक (विपणन) द्वारा पौधारोपण।

Plantation by Shri K.K. Mohanty, Director (Marketing) at IREL officers' qtr, Mumbai on the occasion of Swachhta Pakhwada.





31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबन्धन का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसे उनकी दिनांक 4 जुलाई 2018 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से उनके द्वारा किया गया कहा जाता है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों की कार्यकारी कागजों तक पहुँचे बिना की गयी है तथा वह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी के कार्मिकों की जाँच तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिसकी वजह से अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करनी पड़े अथवा अनुपूरक लेखापरीक्षा करनी पड़े।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.08.2018

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं
उनकी ओर से

(मनीष कुमार)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-IV



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF INDIAN RARE EARTHS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

The preparation of financial statements of Indian Rare Earths Limited for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 4th July 2018.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Indian Rare Earths Limited for the year ended 31 March 2018 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

Place: New Delhi
Date: 28.08.2018

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Manish Kumar)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board-IV

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के सदस्यगणों को स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इसके साथ संलग्न इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड ("कंपनी") के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2018 तक का तुलन पत्र, लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी जानकारी का सारांश की लेखा परीक्षा शामिल है।

भारतीय लेखांकन मानकों वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल इन भारतीय लेखांकन मानकों के वित्तीय विवरण की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, जो वित्तीय विवरणों के रूप में जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी में अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह और वित्तीय प्रदर्शन सहित वित्तीय प्रदर्शन, प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ाए गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक सहित इसके तहत जारी किया गया।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम के लिए एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण, उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, निर्णय करना एवं अनुमान लगाना जो तर्क संगत एवं विवेकपूर्ण हों, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्पन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण जो सत्य एवं सही स्थिति देनेवाले भारतीय लेखा मानकों वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन नीतियों की सटीकता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित रहे और जो किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है, भी सम्मिलित हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें। हमारे लेखापरीक्षा के संचालन में हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखा परीक्षा के मानकों और मामलों के प्रावधानों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता है। हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा का आयोजन किया। उन मानकों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि इंडस्ट्रीज के रूप में वित्तीय विवरण गलत तरीके से मुक्त हैं या नहीं।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के रूप में इंडस्ट्रीज में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। उन जोखिमों का आकलन करने में, लेखा परीक्षक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रासंगिक मानता है जो परिस्थितियों में उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। लेखापरीक्षा में लेखांकन नीतियों की उचितता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ-साथ इंडस्ट्रीज वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करने का भी मूल्यांकन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और उचित है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के अनुसार, अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से दें और लेखांकन के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दें 31 मार्च 2018 को कंपनी के मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति) के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों और इसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), इसके नकद प्रवाह और इक्विटी में बदलाव के रूप में आम तौर पर भारत में सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता है। उस तारीख को साल समाप्त हो गया।

मामले का महत्व:

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क) परमाणु ग्रेड आमोनियम डी-यूरेनैट (एनजीएडीयू) के लिए क्षतिपूर्ति / प्रसंस्करण शुल्क के संबंध में अनुमान के आकलन के लिए प्रति किलो दर के संबंध में वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 27 को अपनाया गया। कंपनी द्वारा संसाधित एनजीएडीयू के लिए भारत सरकार (जीओआई) से ये शुल्क प्राप्त होता है। इस तरह की प्रसंस्करण के लिए दरों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें उत्पादन के स्तर, वास्तविक लागत इत्यादि सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है। जैसा कि नोट किया गया है, हालांकि दावा किया गया राशि राजस्व अनुमानित दर से अधिक है, दर की दर रूपये 13,557/- (जिसे वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए अनुमोदित किया गया था, लगातार एफएवाई से शुरूआती अनुमान के लिए लिया गया है। 2010-11 को वित्तीय



INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE MEMBERS OF INDIAN RARE EARTHS LIMITED

Report on the Ind AS Financial Statements

We have audited the accompanying Ind AS financial statements of Indian Rare Earths Limited ("the company"), which comprise the balance sheet as at 31 March 2018, the statement of profit and loss (including other comprehensive income), the cash flow statement and the statement of changes in equity for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Ind AS Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Ind AS financial statements that give a true and fair view of financial position, financial performance including other comprehensive income, cash flows and the changes in equity of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended.

This responsibility also includes the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting the frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these Ind AS financial statements based on our audit.

In conducting our audit we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit of the Ind AS financial statements in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Ind AS financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the company's preparation of the Ind AS financial statements that give true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the Ind AS financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Ind AS financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Ind AS financial statements, give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including the Ind AS, of the state of affairs (financial position) of the Company as at 31 March 2018, and its profit (financial performance including other comprehensive income), its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

Emphasis of Matter:

We draw attention to the following matters:

- a) Note number 27 to the financial statements regarding the rate per kg. adopted for estimation of revenue in regards to compensation / processing charges for Nuclear Grade Amonium Di-uranate (NGADU). The company receives these charges from Government of India (GOI) for the NGADU processed by it. The rates for such processing are determined by the GOI taking into consideration various factors, including level of output, actual cost incurred etc. As mentioned in the note although the amount claimed is higher than the rate at which the revenue is estimated, the rate of ₹ 13,557/- (which was approved for F.Y. 2010-11) has been consistently taken for initial estimation from F.Y. 2010-11 to F.Y. 2017-18, since the approved rate is usually intimated by GOI after a lag of approximately three years. Upon receipt of such approval, the differential sum is recognized. Accordingly, GOI has approved the rate of ₹ 17,559/- per kg for supplies effected in 2013-14 and ₹ 17,483/- per kg for supplies effected in 2014-15



वर्ष 2017-18, चूंकि अनुमोदित दर आमतौर पर लगभग तीन वर्षों के अंतराल के बाद भारत सरकार द्वारा सूचित की जाती है। इस तरह की मंजूरी मिलने पर, अंतर की राशि पहचानी जाती है। तदनुसार, भारत सरकार ने 2013-14 में प्रभावित आपूर्ति के लिए ₹ 17,559/- प्रति किलो की दर को मंजूरी दे दी है और 2014-15 में प्रभावित आपूर्ति के लिए ₹ 17,483/- प्रति किलो और चालू वर्ष में ₹ 2093.63 लाख राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- ख) नोट संख्या 47 (6) रूपये के मूल्यहास की गणना में त्रुटियों के संबंध में वित्तीय विवरणों के लिए। वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए मनवलाकुरिची (एमके) इकाई में 35.65 लाख। इन त्रुटियों को संशोधित किया गया है और राशि की भौतिकता और पिछले वर्ष की आय और व्यय की बुकिंग में त्रुटि के सुधार के लिए कंपनी की नीति पर विचार करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष के खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त है (नोट 1.19 - वार्षिक रिपोर्ट की महत्वपूर्ण लेखा नीतियां), और तदनुसार, सबसे पुरानी रिपोर्टिंग अवधि के वित्तीय विवरणों को भारतीय लेख मानक 8 “लेखा नीतियों, अनुमानों और त्रुटियों” के बाद इंडेक्स द्वारा बहाल नहीं किया गया है।
- ग) वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद से, कंपनी ने भविष्य निधि योजना के रूप में भविष्य निधि वर्गीकृत किया है और तदनुसार परिभाषित लाभ दायित्व, योजना संपत्ति के मूल्य, वित्त पोषित स्थिति / गैर-वित्त पोषित दायित्व, बैलेंस शीट तिथि, वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त व्यय, के आधार पर विस्तृत प्रकटीकरण दिया है। तुलन पत्र, निवेश विवरण इत्यादि। चालू वर्ष से, कंपनी ने बीमाकिक की राय और विभिन्न उद्योगों में सामान्य व्यावसायिक प्रथाओं के बाद इस तरह के विस्तृत खुलासे प्रदान करने के अभ्यास से विवाद किया है जिसका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। (वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 41 (बी) देखें)।

हमारी राय उपर्युक्त मामलों के संबंध में योग्य नहीं है।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 के उपधारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी की गई कंपनियों (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (“आदेश”) द्वारा आवश्यक, हम ‘**अनुलग्नक ए**’ ‘ऑर्डर के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण।
2. अधिनियम की धारा 143 (5) के संदर्भ में, हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उपर्युक्त अनुभाग के तहत जारी दिशानिर्देशों पर एक विवरण ‘**अनुलग्नक बी**’ में देते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
क) हमारी राय में कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित लेखा बहियाँ कंपनी द्वारा अब तक रखी गई है जो उन लेखा बहियों की हमारी परीक्षा से दिखाई देती हैं;

- ख) तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), कैश फ्लो स्टेटमेंट और इस रिपोर्ट द्वारा नियुक्त इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा बहियों के साथ अनुरूप है;
- ग) हमारी राय में, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के तहत जारी किए गए प्रासंगिक नियमों के साथ अधिनियम के धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक का अनुपालन करते हैं,
- घ) कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण, एमसीए द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार धारा 164 (2) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
- ङ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, ‘**अनुलग्नक ग**’ में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- च) लेखकों की रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में कंपनियों (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार:
- i. कंपनी ने वित्तीय विवरणों के रूप में अपने भारतीय लेखा मानक में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव का खुलासा किया है - वित्तीय विवरणों के रूप में इंडस्ट्री को नोट 40 देखें;
 - ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई भौतिक रूप से नुकसान हुआ था;
 - iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी;

कृते गोखले एंड साठे,

सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण सं.: 103264W

केदार ए. मेहेंदले

पार्टनर
सदस्यता सं. 116065

स्थान : मुंबई

दिनांक : 4 जुलाई, 2018



and the differential impact of ₹ 2,093.63 Lakhs has been recognized as revenue in the current year.

- b) Note number 47 (6) to the financial statements regarding errors in calculation of depreciation amounting to ₹ 35.65 lakhs in Manavalukuruchi (MK) unit for FY 2015-16 and 2016-17. These errors have been rectified and recognized as expense of the current Financial Year considering the materiality of the amount and the Company's policy for treatment of rectification of error in booking of Income & Expenditure of earlier year (Refer Note 1.19-Significant Accounting Policies of Annual Report), and accordingly, the Financial Statements of the earliest reporting period have not been reinstated by following Ind AS 8 "Accounting Policies, Estimates and Errors".
- c) Since F.Y. 2012-13, the Company has classified Provident Fund as Defined Benefit Plan and accordingly had given detailed disclosures regarding Defined Benefit Obligation, values of plan assets, funded status / non-funded obligation as on balance sheet date, expense recognized during the year, balance sheet reconciliation, investment details, etc. From current year, the Company has dispensed with the practice of providing such detailed disclosures considering the opinion from actuary and the normal business practices followed in various industries which has no impact on the financial position of the Company. (Refer Note number 41 (b) of the financial statements).

Our opinion is not qualified in respect of the above matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. In terms of section 143(5) of the act, we give in "Annexure B" a statement on the directions issued under the aforesaid section by the Comptroller and Auditor General of India.
3. As required by section 143(3) of the Act, we report that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;

- c) The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss (including other Comprehensive Income), Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- d) In our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act read with the relevant rules issued thereunder,
- e) The company being a Government Company, the provisions of section 164(2) are not applicable in accordance with the Notification no. GSR 463(E) dated 5th June, 2015 issued by the MCA.
- f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure C".
- g) With respect to the other matters included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to our best of our information and according to the explanations given to us :
 - i. The company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Ind AS financial statements – Refer Note 40 to the Ind AS financial statements;
 - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivatives contracts for which there were any material foreseeable losses;
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company;

For Gokhale & Sathe,
Chartered Accountants
Firm Reg. No.: 103264W

Kedar A. Mehendale
Partner
Membership No. 116065

Place: Mumbai
Date: 4th July, 2018



31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष

कंपनियों (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) के आदेश, 2016 द्वारा आवश्यक स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक - क

(31 मार्च, 2018 को इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के लेखा पर इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट की अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुभाग के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित)।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई कंपनियों (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 और जांच के आधार पर, जैसा कि हम उचित मानते हैं, हम अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कंपनी के लिए लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं .

- (i) क) कंपनी आमतौर पर मात्रात्मक विवरण और पूर्ण विवरण दिखाते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति का उचित रिकॉर्ड बनाए रखती है।
- ख) प्रधान कार्यालय समेत सभी इकाइयों में स्थित कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण सत्यापन के कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित

किए गए हैं, जो हमारी राय में, सभी भौतिक संपत्ति, उचित अंतराल पर संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन प्रदान करता है। ऐसी सत्यापनों पर देखी गई विसंगतियों को सामग्री नहीं थी और उन्हें खातों की पुस्तकों में उचित तरीके से निपटाया गया था। हमारी राय में, भौतिक सत्यापन की वारंवारता (आवृत्ति) उचित है।

- ग) जैसा कि कंपनी के प्रबंधन द्वारा समझाया गया है और सूचित किया गया है, भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में नोट नंबर 2 - “संपत्ति, संयंत्र और उपकरण” में प्रकट किए गए सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक अभिलेख (राजस्व रिकॉर्ड सहित) में आयोजित किया गया है। प्रदान किए गए कार्यों के नमूना अनुवाद पर विचार करने वाली कंपनी का नाम (मूल शीर्षक दस्तावेज माल्याली में है जो स्थानीय भाषा है) निम्नलिखित मामलों के अलावा :-

अनु. क्र.	अचल संपत्ति का स्वरूप	स्थान	सकल ब्लॉक (₹ लाख में)	निवल ब्लॉक (₹ लाख में)
1	भवन (फ्रीहोल्ड)	प्रधान कार्यालय	53.43	23.71
2	भूमि (पट्टे पर)	ऑसकॉम	61.11	0.00001
3	भूमि (फ्रीहोल्ड)	चवरा	17.68	17.68
4	भूमि (फ्रीहोल्ड)	आरईडी - चवरा	0.27	0.27
5	भूमि (फ्रीहोल्ड)	ऑसकॉम	7.68	7.68

- (ii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा सूची के उचित रिकॉर्ड बनाए रखा गया है। प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर सूची शारीरिक रूप से सत्यापित की गई है। भौतिक स्टॉक और पुस्तक के रिकॉर्ड के बीच भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।
- (iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी या अन्य पार्टियों को सुरक्षित, असुरक्षित ऋण नहीं दिया है और तदनुसार धारा 3 (iii) (क), (ख), (ग) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
- (iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और सुरक्षा नहीं दी है और निवेश के संबंध में, कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का पालन किया गया है।
- (v) हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है और तदनुसार अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कोई

निर्देश और इसके तहत बनाए गए नियम और कोई भी निर्देश लागू नहीं हैं।

- (vi) हमने कंपनी के उत्पादों के संबंध में अधिनियम के धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाये गये खाते और अभिलेखों की व्यापक रूप से समीक्षा की है, जिनको उक्त नियम लागू किये गये हैं और हमारी राय है कि, प्रथम दृष्टया निर्धारित खातों और अभिलेखों को बनाए रखा और बनाए रखा गया है। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सटीक हैं या नहीं।
- (vii) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी आम तौर पर उचित प्राधिकरणों के साथ जमा करने में निर्विवाद सांविधिक निधि, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमाशुल्क शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, सामान और सेवा कर और जहां भी लागू हो, कोई अन्य सांविधिक बकाया नियमित रूप से जमा करती है।



FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2018
ANNEXURE A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT AS REQUIRED BY THE
COMPANIES (AUDITOR'S REPORT) ORDER, 2016

(Referred to in Paragraph 1 of the section 'Other legal & regulatory requirements of our Report of even date on accounts of Indian Rare Earths Limited as at 31st March, 2018.)

As required by the Companies (Auditors Report) Order, 2016 issued by the Central Government in terms of Section 143 (11) of the Companies Act, 2013 and on the basis of the checks, as we considered appropriate, we report on the matters specified in paragraph 3 and 4 of the said order to the extent applicable to the company, in this audit report.

- (i) a) The Company is generally maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of property, plant and equipment.
- b) The property, plant and equipment of the company located at all the units including Head Office have been physically verified by the management

during the year as per a programme of verification which, in our opinion, provides for physical verification of all the material property, plant and equipment at reasonable intervals. Discrepancies noticed on such verifications were not material and have been properly dealt with in the books of accounts. In our opinion, the frequency of the physical verification is reasonable.

- c) As explained & informed by the management of the company, the title deeds (including revenue records) of all the immovable properties as disclosed in Note No. 2 – "Property, Plant and Equipment" to the Ind AS financial statements are held in the name of the company considering the sample translation of deeds provided (original title documents are in Malayali which is the local language) except in the following case:-

Sr. No.	Nature of Immovable Property	Location	Gross Block (₹ in lakhs)	Net Block (₹ in lakhs)
1	Building (Freehold)	HO	53.43	23.71
2	Lands (Leasehold)	OSCOM	61.11	0.00001
3	Lands (Freehold)	Chavara	17.68	17.68
4	Lands (Freehold)	RED - Chavara	0.27	0.27
5	Land (Freehold)	OSCOM	7.68	7.68

- (ii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, proper records of inventory have been maintained by the company. The inventory has been physically verified at reasonable intervals by the management. No material discrepancies were noticed on physical verification between the physical stocks and the book records.
- (iii) According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, limited liability partnerships or other parties covered in register maintained u/s 189 of the Companies Act and accordingly provisions of clause 3 (iii) (a), (b), (c) are not applicable.
- (iv) According to the information and explanations given to us, the company has not given any loans, guarantees and security and in respect of investment, the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act has been complied with.
- (v) We have been informed that the Company has not accepted any deposits from public and accordingly the provisions of section 73 to 76 of the Act, and Rules framed there under and any directive issued by the Reserve Bank of India are not applicable.
- (vi) We have broadly reviewed the accounts and records maintained by the Company pursuant to rules made by the Central Government for the maintenance of cost records under Section 148 (1) of the Act, in respect of Company's products to which the said rules are made applicable and are of the opinion that, prima facie the prescribed accounts and records have been made and maintained. We have, however, not made a detailed examination of records with a view to determine whether they are accurate.
- (vii) a) According to the information and explanations given to us and according to the records of the Company examined by us, in our opinion, the Company is generally regular in depositing with the appropriate authorities undisputed statutory dues including Provident Fund, Income-tax, Sales Tax, Wealth Tax, Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Value Added Tax, Goods and Service Tax and any other statutory dues, wherever applicable.



हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के मुताबिक, उपर्युक्त बकाया राशि के संबंध में देय कोई निर्विवाद राशि 31 मार्च, 2018 को देय तिथि से 6 महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क का शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, सामान और सेवा की कोई देनदारी नहीं है, इसके सिवाय कि कर, सेस जो किसी भी विवाद के कारण हो नीचे निर्दिष्ट लोगों को छोड़कर, जमा नहीं किया गया है : -

कानून का नाम	संबंधित यूनिट	देयताओं का स्वरूप	जिस अवधि से राशि संबंधित है	देयता (₹ लाख में)	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	आरईडी - अलुवा	उत्पाद शुल्क	2005 - 06 to 2008 - 09	1972.51	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, बंगलौर
केरल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	आरईडी - अलुवा	विक्रय कर	2011 - 12	2.89	उच्च न्यायालय, त्रिवेन्द्रम, केरल
कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	चवरा	भविष्य निधि के विलंबित प्रेषण के लिए क्षतिपूर्ति	1997 - 98 to 2005 - 06	6.79	उच्च न्यायालय, त्रिवेन्द्रम, केरल
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	चवरा	खनिज पर उत्पाद शुल्क और बिक्री कर - दंड	1996 - 97 से 1998 - 99	986.00	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल, बैंगलौर
वित्त अधिनियम, 1994	चवरा	ब्याज और दंड सहित जीटीए पर सेवा कर	2005 - 06 to 2009 - 10	58.83	आयुक्त (ए), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा-शुल्क और सेवा कर, कोच्चि
खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम, 1957	ऑसकॉम	किराया, उपकरण और ब्याज	1976 - 2011	53.32	उच्च न्यायालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा
उड़ीसा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004	ऑसकॉम	राज्य विक्रय कर	1989 - 90 से 2001 - 02	19.70	विभिन्न अपीलीय प्राधिकारी
केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956	ऑसकॉम	केन्द्रीय विक्रय कर	1981 - 81 से 1998 - 99	20.40	विभिन्न अपीलीय प्राधिकारी
उड़ीसा प्रवेश कर अधिनियम, 1999	ऑसकॉम	प्रवेश कर के निपटारे की अस्वीकृति	1999 - 00 to 2007 - 08 तथा 2017-18	71.31	उच्च न्यायालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा
उड़ीसा प्रवेश कर अधिनियम, 1999	ऑसकॉम	प्रवेश कर के निपटारे की अस्वीकृति	2007 - 08 से 2013 - 14 तथा 2017-18	202.37	अतिरिक्त आयुक्त (ए)
आय कर अधिनियम, 1961	प्रधान कार्यालय	आय कर	निर्धारण वर्ष (AY) 2010-11	532.91	सीआईटी (ए)-2 मुंबई
महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002	प्रधान कार्यालय	विक्रय कर, ब्याज, और दंड	2012 -13	668.67	उप बिक्री कर आयुक्त (ए - VI), मुंबई

उपर्युक्त वर्णित राशि प्रतिवाद के तहत भुगतान की गई राशि को समायोजित करने के बाद बकाया निवल राशि है।

- (viii) हमारी राय में, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों और सरकार को बकाया राशि चुकाने में चूक नहीं की है। कंपनी ने डिबेचरों के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जमा नहीं की है।
- (ix) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) और वर्ष के दौरान सावधि ऋण के माध्यम से कोई धन नहीं उठाया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (ix) लागू नहीं है।
- (x) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी या कंपनी द्वारा कंपनी या कंपनी द्वारा या कंपनी के किसी भी अधिकारी द्वारा कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी हमारे ध्यान में नहीं आई है या वर्ष के दौरान रिपोर्ट नहीं की गई है।
- (xi) कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान इस पर लागू नहीं हैं और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।



According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of aforesaid dues were outstanding as at March 31, 2018 for a period of more than 6 months from the date they became payable.

- b) According to the information and explanations given to us and the records of the company examined by us, there are no dues of income tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, Goods and Service Tax, cess which have not been deposited on account of any dispute, except those specified below:-

Name of Statute	Concerned Unit	Nature of the Dues	Period to which amount relates	Liability (₹ in Lakhs)	Forum where dispute is pending
Central Excise Act, 1944	RED – Aluva	Excise Duty	2005 - 06 to 2008 - 09	1972.51	Custom, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, Bangalore
Kerala Value Added Tax, 2003	RED – Aluva	Sales Tax	2011 - 12	2.89	High Court, Trivandrum, Kerala
The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952	Charava	Damages for Delayed remittance of Provident Fund	1997 - 98 to 2005 - 06	6.79	High Court, Trivandrum, Kerala
Central Excise Act, 1944	Charava	Excise Duty & Sales Tax on Minerals – Penalty	1996 – 97 to 1998 - 99	986.00	Custom, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, Bangalore
The Finance Act, 1994	Charava	Service Tax on GTA including Interest & Penalty	2005 – 06 to 2009 – 10	58.83	Commissioner (A), Central Excise, Custom and Service Tax, Kochi
Mines and Minerals Development and Regulation Act, 1957	OSCOM	Rent, Cess and Interest	1976 – 2011	53.32	High Court, Bhubaneswar, Orissa
Orissa Value Added Tax Act, 2004	OSCOM	State Sales Tax	1989 – 90 to 2001 – 02	19.70	Various Appellate Authorities
Central Sales Tax Act, 1956	OSCOM	Central Sales Tax	1981 – 81 to 1998 – 99	20.40	Various Appellate Authorities
Orissa Entry Tax Act, 1999	OSCOM	Disallowance of Set off of Entry Tax	1999 – 00 to 2007 – 08 and 2017-18	71.31	High Court, Bhubaneswar, Orissa
Orissa Entry Tax Act, 1999	OSCOM	Disallowance of Set off of Entry Tax	2007 – 08 to 2013 – 14 and 2017-18	202.37	Addl. Commissioner (A)
Income Tax Act, 1961	HO	Income Tax	AY 2010 – 11	532.91	CIT (A) – 2, Mumbai
Maharashtra Value Added Tax Act, 2002	HO	Sales Tax, Interest & Penalty	2012 -13	668.67	Dy. Commissioner of Sales Tax (A – VI), Mumbai

Amounts mentioned above are the net amount outstanding after adjusting the sum paid under protest.

- (viii) In our opinion, according to the information and explanation given to us, the company has not defaulted in repayment of dues to Financial Institutions, Banks and Government. The Company has not raised any funds through debentures.
- (ix) The Company has not raised any funds by way of Initial Public Offer or further Public offer (including debt instruments) and term loans during the year. Accordingly, paragraph 3(ix) of the Order is not applicable.
- (x) According to the information and explanations given to us, no material fraud by the Company or on the Company by its officer/s or employee/s, has come to our notice or reported during the year.
- (xi) The Company being a Government Company, provisions of section 197 of the act are not applicable to it and accordingly provisions of clause 3 (xi) of the Order are not applicable to company.



- (xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश की धारा 3 (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी परीक्षा के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन धारा 177 और 188 के अनुपालन में किए गए हैं। इसके विवरणों को नोट के तहत वित्तीय विवरणों के रूप में कंपनी के लिए लागू भारतीय लेखा मानक के अनुसार नोट सं. 39 के अंतर्गत पर्याप्त रूप से खुलासा किया गया है।
- (xiv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान समीक्षा के दौरान किसी भी अधिमान्य आवंटन या शेषों की निजी नियुक्ति या पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान उनके साथ जुड़े निदेशकों या व्यक्तियों के साथ किसी गैर-

नकदी लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xv) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

- (xvi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

कृते गोखले एंड साठे,
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण सं.: 103264W

केदार ए.मेहेंदले
पार्टनर
सदस्यता सं. 116065

स्थान : मुंबई
दिनांक : 4 जुलाई, 2018



- (xii) In our opinion and according to information given to us, the Company is not Nidhi Company. Therefore, reporting under clause 3(xii) of Order is not applicable.
- (xiii) According to the information and explanation given to us and based on our examination, all the transactions with related parties have been made in compliance with sections 177 and 188. The details thereof have been adequately disclosed in the Ind AS financial statements under Note No. 39 in accordance with the Accounting Standards applicable to the Company.
- (xiv) According to the information and explanations given to us, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, provisions of clause 3 (xiv) of the Order are not applicable to the Company.
- (xv) According to information & explanation given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with

him during the year. Accordingly, paragraph 3 (xv) of the Order is not applicable to the Company.

- (xvi) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, paragraph 3 (xvi) of the Order is not applicable to the Company.

For Gokhale & Sathe,
Chartered Accountants
Firm Reg. No.: 103264W

Kedar A. Mehendale
Partner
Membership No. 116065

Place: Mumbai
Date: 4th July, 2018





**31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष
अनुलग्नक - ख**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के लेखा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

1. क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के लिए स्पष्ट शीर्षक / पट्टा विलेख है? यदि नहीं, तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्र बताएं जिसके लिए शीर्षक / पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।

प्रदान किए गए विलेखों के नमूना अनुवाद के आधार पर (मूल शीर्षक दस्तावेज मलयाली / उड़िया में हैं जो स्थानीय भाषा है) कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के लिए स्पष्ट शीर्षक / पट्टा कार्य है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

विवरण	क्षेत्र
कंपनी की ऑसकॉम इकाई में फ्रीहोल्ड भूमि - इसका शीर्षक कंपनी के पक्ष में नहीं है	116.009 एकड़
कंपनी की ऑसकॉम इकाई में लीजहोल्ड भूमि - इसका शीर्षक कंपनी के पक्ष में नहीं है	244.436 एकड़
कंपनी की चवरा इकाई में फ्रीहोल्ड लैंड - इसका शीर्षक कंपनी के पक्ष में है जबकि इस पर अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है	130 सेंट्स
रेअर अर्थ प्रभाग में फ्रीहोल्ड भूमि - कंपनी की अलुवा इकाई - इसका शीर्षक इकाई / कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है	0.81 सेंट्स

2. क्या ऋण / कर्ज / ब्याज इत्यादि के छूट / बट्टे खाते डालने के मामले हैं। यदि हां, तो उसके कारण और उसमें शामिल राशि।
शून्य
3. क्या सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार / अनुदानों के रूप में प्राप्त तृतीय पक्षों और संपत्तियों के पास पड़ी रही मालसूची का उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है।
कंपनी तीसरे पक्ष के साथ पड़ी रही मालसूची के लिए उचित रिकॉर्ड रख रही है और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी को सरकार या अन्य अधिकारियों से अनुदान / उपहार के रूप में कोई संपत्ति नहीं मिली है।

कृते गोखले एंड साठे,
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण सं.: 103264W

केदार ए. मेहेंदले
पार्टनर

सदस्यता सं. 116065

स्थान : मुंबई

दिनांक : 4 जुलाई, 2018



FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2018 ANNEXURE B

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT UNDER SECTION 143(5) OF COMPANIES ACT, 2013 in respect of INDIAN RARE EARTHS LIMITED on the Accounts for the year ended 31 March, 2018.

1. Whether the Company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold land respectively? If not, please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available.

Based on the sample translation of deeds provided (original title documents are in Malyali/Oriya which is the local language) the Company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold land respectively except as stated below:

Particulars	Area
Freehold Land at OSCOM unit of the Company - Title of the same is not in favour of the Company	116.009 Acre
Leasehold Land at OSCOM unit of the Company - Deed of the same is not in favour of the Company	244.436 Acre
Freehold Land at Chavara unit of the Company - Title of the same is in favour of the Company whereas the same has been encroached by others	130 Cents
Freehold Land at RED - Aluva unit of the Company – Title of the same is not available with Unit / Company	0.81 Cents

2. Whether there are any cases of waiver /write off of debts / loans / interest etc. If yes, the reasons thereof and amount involved.

Nil

3. Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets received as gift / grant(s) from the Government or other authorities.

The Company is maintaining proper records for inventories lying with third parties and as informed by the management, the Company has not received any assets as grants/ gifts from the Government or other authorities.

For Gokhale & Sathe,
Chartered Accountants
Firm Reg. No.: 103264W

Kedar A. Mehendale
Partner
Membership No. 116065

Place: Mumbai

Date: 4th July, 2018

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष स्वतन्त्र लेखा परीक्षक के रिपोर्ट का अनुलग्नक - ग

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

(31 मार्च 2018 को इंडियन रेअर अर्थ्स के लेखा पर इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट की धारा 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं' के अनुच्छेद 3 (एफ) में उल्लिखित।)

हमने इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड ("कंपनी") की दिनांक 31 मार्च, 2018 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है, जो उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के रूप में भारतीय लेखा मानक विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समुच्चय में है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है ('मार्गदर्शन नोट') भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किया गया।

इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रखरखाव शामिल हैं जो कंपनी के नीतियों का पालन करने सहित, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी करने सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने आईसीएआई द्वारा लेखा परीक्षण पर जारी किए गए मार्गदर्शन नोट और मानदंडों के मानकों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुसार आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक निर्धारित हमारी लेखा परीक्षा का आयोजन किया। मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का पालन करें और यह उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया है और बनाए रखा गया है और ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक सम्मानों में प्रभावी ढंग से संचालित किये गये हों।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा का प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ, भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करने और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और ऑपरेटिंग प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों की धारणा पर निर्भर करती हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज के रूप में वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिमों का आकलन शामिल है, भले ही वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण यह वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वह नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) ऐसे रेकार्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेन-देन और परिसंपत्तियों को सटीक रूप से और उचित रूप से प्रतिबिंबित करते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए लेनदेन आवश्यक है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी के परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, अथवा नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अधिभावी होने (ओवरराइड) की संभावना, अथवा भौतिक गलतफहमी धोखाधड़ी के कारण हो सकती है और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके साथ ही, भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी



FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2018 ANNEXURE C TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

REPORT ON THE INTERNAL FINANCIAL CONTROLS UNDER CLAUSE (i) OF SUB-SECTION 3 OF SECTION 143 OF THE COMPANIES ACT, 2013 ("THE ACT")

(Referred to in Paragraph 3(f) of the section 'Other legal & regulatory requirements' of our Report of even date on accounts of Indian Rare Earths Limited as at 31st March 2018.)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Indian Rare Earths Limited ("the Company") as of March 31, 2018 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. The Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future



मूल्यांकन के आधार पर जोखिम के कारण हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगाड़ सकता है।

राय

हमारी राय में कंपनी में, सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च, 2018 को प्रभावी वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे जिसमें भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर

मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया था।

कृते गोखले एंड साठे,

सनदी लेखापाल

फर्म पंजीकरण सं.: 103264W


केदार ए.मेहेंदले

पार्टनर

सदस्यता सं. 116065

स्थान : मुंबई

दिनांक : 4 जुलाई, 2018





periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion


In our opinion the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2018, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential

components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For Gokhale & Sathe,
Chartered Accountants
Firm Reg. No.: 103264W

Kedar A. Mehendale
Partner
Membership No. 116065

Place: Mumbai
Date: 4th July, 2018





31 मार्च 2018 का तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
I. आस्तियां			
1 गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	23,686.21	22,279.71
अमूर्त परिसंपत्तियां	3	149.08	254.53
पूंजीगत अर्ध-निर्मित उत्पादन	4	4,871.57	4,171.33
वित्तीय परिसंपत्तियां			
गैर वर्तमान निवेश	5	1.42	1.42
ऋण	6	2,727.02	2,822.39
अस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	7	4,975.03	7,531.14
गैर-वर्तमान कर संपत्तियां	8	2,784.33	4,553.86
पूंजीगत अग्रिम	9A	330.39	292.25
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	9B	251.97	344.75
		39,777.02	42,251.38
2 वर्तमान परिसंपत्तियां			
वस्तुसूचियां	10	14,127.93	12,878.20
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	11	1,857.47	6,172.69
व्यापार प्राप्तियां	12	717.10	585.84
नकद एवं नकदी के समकक्ष	13	1,922.34	1,753.72
अन्य बैंकों के शेष	14	31,497.83	27,852.11
ऋण	15	8,990.98	8,724.24
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	16	5,861.87	3,058.72
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	17	4,625.90	2,812.03
निपटान के लिए लंबित संपत्ति	17A	1.74	1.62
		69,603.16	63,839.17
कुल परिसंपत्तियां		109,380.18	106,090.55
II. इक्विटी एवं देयताएं			
A इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	18	8,636.50	8,636.50
अन्य इक्विटी	19	64,313.22	59,348.04
		72,949.72	67,984.54
B देयताएं			
1 गैर-वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएं	20	18.67	14.49
गैर-वर्तमान प्रावधान	21	10,538.33	10,918.09
अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	22	5,000.00	5,000.00
		15,557.00	15,932.58
2 वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
देय ट्रेड	23	2,320.60	2,468.85
अन्य वित्तीय देयताएं	24	10,036.90	5,101.83
अन्य वर्तमान देयताएं	25	3,781.10	5,422.65
वर्तमान प्रावधान	26	4,734.86	9,180.10
		20,873.46	22,173.43
कुल इक्विटी एवं देयताएं		109,380.18	106,090.55
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
वित्तीय विवरणों पर नोट्स	35-48		

उसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
गोखले एंड साठे
सनदी लेखाकार
FRN: 103264W

कृते निदेशक मण्डल और उनकी ओर से

केदार ए मेहेदले
भागीदार
सदस्यता संख्या: 116065
मुंबई
दिनांक 4 जुलाई, 2018

रूपेन्द्र धीमान
कम्पनी सचिव

ए. राय चौधरी
महाप्रबंधक (वित्त)

दीपेन्द्र सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक

मुंबई
दिनांक 4 जुलाई, 2018



BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2018

Particulars		Note No	(₹ in lakh)	
			As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
I. ASSETS				
1	Non-current assets			
	Property, Plant and Equipment	2	23,686.21	22,279.71
	Intangible assets	3	149.08	254.53
	Capital work-in-progress	4	4,871.57	4,171.33
	Financial Assets			
	Non-current Investments	5	1.42	1.42
	Loans	6	2,727.02	2,822.39
	Deferred tax assets (net)	7	4,975.03	7,531.14
	Non-current tax assets	8	2,784.33	4,553.86
	Capital Advance	9A	330.39	292.25
	Other non-current assets	9B	251.97	344.75
			39,777.02	42,251.38
2	Current assets			
	Inventories	10	14,127.93	12,878.20
	Financial Assets			
	Investment	11	1,857.47	6,172.69
	Trade receivables	12	717.10	585.84
	Cash and cash equivalents	13	1,922.34	1,753.72
	Other bank balances	14	31,497.83	27,852.11
	Loans	15	8,990.98	8,724.24
	Other current financial assets	16	5,861.87	3,058.72
	Other current assets	17	4,625.90	2,812.03
	Asset Pending for Disposal	17A	1.74	1.62
			69,603.16	63,839.17
	TOTAL ASSETS		109,380.18	106,090.55
II. EQUITY AND LIABILITIES				
A	Equity			
	Equity share capital	18	8,636.50	8,636.50
	Other equity	19	64,313.22	59,348.04
			72,949.72	67,984.54
B	LIABILITIES			
1	Non-current liabilities			
	Financial Liabilities			
	Other non-current financial liabilities	20	18.67	14.49
	Non-current provisions	21	10,538.33	10,918.09
	Other non-current liabilities	22	5,000.00	5,000.00
			15,557.00	15,932.58
2	Current liabilities			
	Financial Liabilities			
	Trade payables	23	2,320.60	2,468.85
	Other financial liabilities	24	10,036.90	5,101.83
	Other current liabilities	25	3,781.10	5,422.65
	Current provisions	26	4,734.86	9,180.10
			20,873.46	22,173.43
	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		109,380.18	106,090.55
	Significant accounting policies	1		
	Notes on financial statements	35-48		

As per our report of even date attached
Gokhale & Sathe
Chartered Accountants
FRN: 103264W

Kedar A Mehendale
Partner
Membership Number: 116065
Mumbai
Dated 4th July, 2018

Rupender Dhiman
Company Secretary

Mumbai
Dated 4th July, 2018

For and on behalf of the Board of Directors

A. Roy Chowdhury
General Manager (F)

D Singh
Chairman & Managing Director



31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
I. संचालन से राजस्व	27	57,488.30	46,209.64
II. अन्य आय	28	4,060.36	5,267.91
III. कुल आय (I + II)		61,548.66	51,477.55
IV. व्यय:			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	29	6,382.84	6,420.12
तैयार माल, स्टॉक-इन-ट्रेड और कार्य-प्रगति की सूची में परिवर्तन	30	(1,631.04)	(571.63)
माल की बिक्री पर उत्पाद शुल्क		34.56	912.45
कर्मचारी लाभ व्यय	31	22,442.44	23,167.43
वित्त की लागत	32	96.23	50.22
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	2	3,249.96	3,684.17
अन्य व्यय	33	18,588.44	18,417.71
कुल व्यय (IV)		49,163.43	52,080.47
V. असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ / (हानि) (III-IV)		12,385.23	(602.92)
VI. असाधारण वस्तु / मद		-	(4,761.87)
VII. लाभ / (हानि) कर से पूर्व (V-VI)		12,385.23	4,158.95
VIII. कर व्यय :	34		
(i) वर्तमान कर		1,847.47	631.64
(ii) आस्थगित कर		2,326.54	(1,547.48)
		4,174.01	(915.84)
IX. कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि) (VII-VIII)		8,211.23	5,074.79
X. अन्य व्यापक आय		846.19	(1.03)
A. (i) आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे	31	1,075.77	(1.49)
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो कि लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा I	34	(229.58)	0.46
B. (i) आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किए जाएंगे I			
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो कि लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
XI. अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) ((अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल है)		9,057.43	5,073.76
XII. प्रति इक्विटी शेयर अर्जित आय :	43		
मूल तथा कम की गई (रूपयों में)		950.76	587.60
प्रति शेयर फेस वैल्यू/ मूल्य (रूपयों में)		1,000.00	1,000.00
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
वित्तीय विवरणों पर नोट्स	35-48		

उसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
गोखले एंड साठे
सनदी लेखाकार
FRN: 103264W

कृते निदेशक मण्डल और उनकी ओर से

केदार ए मेहेदले
भागीदार
सदस्यता संख्या: 116065
मुंबई
दिनांक 4 जुलाई, 2018

रूपेन्द्र धीमान
कम्पनी सचिव

ए. रॉय चौधरी
महाप्रबंधक (वित्त)

दीपेन्द्र सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक

मुंबई
दिनांक 4 जुलाई, 2018



STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

(₹ in lakh)

Particulars	Note No	For the year ended 31 st March 2018	For the year ended 31 st March 2017
I. Revenue From Operations	27	57,488.30	46,209.64
II. Other Income	28	4,060.36	5,267.91
III. Total Income (I + II)		61,548.66	51,477.55
IV. EXPENSES:			
Cost of materials consumed	29	6,382.84	6,420.12
Changes in inventories of finished goods, Stock-in-Trade and work-in-progress	30	(1,631.04)	(571.63)
Excise duty on sale of goods		34.56	912.45
Employee benefits expense	31	22,442.44	23,167.43
Finance costs	32	96.23	50.22
Depreciation and amortization expense	2	3,249.96	3,684.17
Other expenses	33	18,588.44	18,417.71
Total Expenses (IV)		49,163.43	52,080.47
V. Profit / (loss) before exceptional items and tax (III-IV)		12,385.23	(602.92)
VI. Exceptional Items		-	(4,761.87)
VII. Profit / (loss) before tax (V-VI)		12,385.23	4,158.95
VIII. Tax Expense:	34		
(i) Current Tax		1,847.47	631.64
(ii) Deferred Tax		2,326.54	(1,547.48)
		4,174.01	(915.84)
IX. Net profit / (loss) After Tax (VII-VIII)		8,211.23	5,074.79
X. Other Comprehensive Income		846.19	(1.03)
A. (i) Items that will not be reclassified to profit or loss	31	1,075.77	(1.49)
(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss	34	(229.58)	0.46
B. (i) Items that will be reclassified to profit or loss			
(ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss			
XI. Total Comprehensive Income for the period (IX+X) (Comprising Profit (Loss) and Other Comprehensive Income for the period)		9,057.43	5,073.76
XII. Earnings per equity share:	43		
Basic & Diluted (in ₹)		950.76	587.60
Face Value per Share (in ₹)		1,000.00	1,000.00
Significant accounting policies	1		
Notes on financial statements	35-48		

As per our report of even date attached
Gokhale & Sathé
Chartered Accountants
FRN: 103264W

For and on behalf of the Board of Directors

Kedar A Mehendale
Partner
Membership Number: 116065
Mumbai
Dated 4th July, 2018

Rupender Dhiman
Company Secretary

A. Roy Chowdhury
General Manager (F)

D Singh
Chairman & Managing Director

Mumbai
Dated 4th July, 2018



31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए
क. प्रचालनीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कर से पहले शुद्ध लाभ	12,385.23	4,158.95
गैर नकद आय / व्यय के लिए समायोजन:		
किराया और अन्य खर्च	46.53	47.20
एसडी को खोलने पर व्याज की आय	(78.44)	(74.24)
एलसी बिक्री पर व्याज की आय	-	1.76
अन्य व्यापक आय के लिए वास्तविक नुकसान की पुनः वर्गीकरण	1,075.77	(1.49)
पूर्व वस्तु के व्ययों का निरसन	-	(275.00)
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	3,249.96	3,684.17
ब्याज खर्च	96.23	48.61
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर नुकसान	41.88	6.37
अचल भंडार पर नुकसान	36.67	38.00
भंडार वर्तमान आस्तियों / अग्रिमों को बट्टे खाते डालना	1.13	13.57
उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान	-	(5,012.24)
प्रोपेड स्टॉफ ऋण का अमूर्तकरण	44.73	(13.31)
अधिकारियों के लिए पीआरपी हेतु प्रावधान	488.59	-
सीएसआर हेतु प्रावधान	-	-
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उपदान (अंतरात्मक)	259.72	206.13
उपदान निधि अंतर	1,102.08	84.65
कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु वेतन प्रावधान	548.05	2,796.00
ऋण, संपत्ति और अग्रिम के लिए प्रावधान	-	0.01
अतिरिक्त प्रावधान जो अब आवश्यक नहीं है	(83.72)	(163.55)
वापस लिए गए खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(0.47)	(17.34)
ब्याज की आय	(2,806.23)	(3,413.06)
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	(222.78)	(196.69)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	(1.41)	(29.85)
कामकाजी पूंजी परिवर्तन से पहले ऑपरेटिंग लाभ	16,183.52	1,888.65
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:		
वस्तुसूची	(1,286.40)	(118.84)
ट्रेड एवं अन्य प्राप्य	(4,209.61)	(6,423.13)
देय ट्रेड एवं अन्य देयताएं	(3,989.73)	3,945.01
कामकाजी पूंजी परिवर्तन के बाद प्रचालन लाभ	6,697.78	(708.31)
अदा किये गये प्रत्यक्ष कर (धनवापसी का निवल)	(77.94)	(1,200.00)
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद	6,619.84	(1,908.31)
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री	9.73	28.42
सीडब्ल्यूआईपी सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(5,301.49)	(2,976.92)
सावधि जमा से रसीद	1,976.64	2,845.18
प्राप्त ब्याज	829.59	1,754.64
म्यूचुअल फंड से लाभांश की आय	222.78	196.69
निवेश गतिविधियों से निवल नकद	(2,262.75)	1,848.01
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह (कैश फ्लो)		
प्रदत्त लाभांश	(4,092.24)	-
प्रदत्त ब्याज	(96.23)	(48.61)
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकद	(4,188.47)	(48.61)
नकदी और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (ए + बी + सी)	168.62	(108.91)
नकद और नकद समकक्षों का प्रारम्भिक शेष	1,753.70	1,862.61
नकद और नकद समतुल्य का समापन शेष	1,922.32	1,753.70
नकद और नकद समरूपों के घटक:		
बैंकों में चालू खातों में शेष	1,921.84	1,752.58
हाथ में नकद	0.50	1.14

उसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
गोखले एंड साठे
सनदी लेखाकार
FRN: 103264W

कृते निदेशक मण्डल और उनकी ओर से

केदार ए मेहेदले
भागीदार
सदस्यता संख्या: 116065
मुंबई
दिनांक 4 जुलाई, 2018

रूपेंद्र धीमान
कम्पनी सचिव

ए. रॉय चौधरी
महाप्रबंधक (वित्त)

दीपेन्द्र सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक

मुंबई
दिनांक 4 जुलाई, 2018



CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

Particulars	For the year ended 31 st March 2018		For the year ended 31 st March 2017	
(₹ in lakh)				
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES				
Net Profit before tax as per Statement of Profit and Loss		12,385.23		4,158.95
Adjustment for Non Cash Income/Expenses :				
Rent and other expenses	46.53		47.20	
Interest Income on unwinding of SD	(78.44)		(74.24)	
Interest income on LC Sales	-		1.76	
Reclassification of actuarial losses to Other comprehensive income	1,075.77		(1.49)	
Reversal of prior item expenses	-		(275.00)	
Depreciation and amortization expense	3,249.96		3,684.17	
Interest expenses	96.23		48.61	
Loss on sale of Property, plant and equipment	41.88		6.37	
Loss on Non Moving Stores	36.67		38.00	
Write-off of Stores Current Assets/ Advances	1.13		13.57	
Provision for Excise Duty	-		(5,012.24)	
Amortization of pre-paid staff loan	44.73		(13.31)	
Provision for PRP for executives	488.59		-	
Provision for CSR	-		-	
Gratuity (Differentials) for retired employees	259.72		206.13	
Gratuity Fund Gap	1,102.08		84.65	
Salary provision for pay revision of workmen	548.05		2,796.00	
Provision for debts, assets and advances	-		0.01	
Excess Provision no longer required	(83.72)		(163.55)	
Provision For Bad and Doubtful debts written back	(0.47)		(17.34)	
Interest income	(2,806.23)		(3,413.06)	
Dividend Income from Mutual Fund	(222.78)		(196.69)	
Profit on sale of property, plant and equipment	(1.41)	3,798.29	(29.85)	(2,270.30)
Operating profit before working capital changes		16,183.52		1,888.65
Changes in working capital:				
Inventories		(1,286.40)		(118.84)
Tarce and other receivables		(4,209.61)		(6,423.13)
Trade payables and other liabilities		(3,989.73)		3,945.01
Operating profit after working capital changes		6,697.78		(708.31)
Direct taxes paid (net of refund)		(77.94)		(1,200.00)
Net Cash From Operating Activities		6,619.84		(1,908.31)
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES				
Sale of property, plant and equipment		9.73		28.42
Purchase of property, plant and equipment including CWIP		(5,301.49)		(2,976.92)
Receipt from Fixed deposits		1,976.64		2,845.18
Interest received		829.59		1,754.64
Dividend Income from Mutual Fund		222.78		196.69
Net Cash From Investing Activities		(2,262.75)		1,848.01
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES				
Dividend paid		(4,092.24)		-
Interest paid		(96.23)		(48.61)
Net Cash from Financing Activities		(4,188.47)		(48.61)
Net Increase / (Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)		168.62		(108.91)
Opening Balance of Cash and Cash Equivalents		1,753.70		1,862.61
Closing balance of Cash and Cash Equivalents		1,922.32		1,753.70
Components of Cash and Cash Equivalents:				
Balances with banks in Current accounts		1,921.84		1,752.58
Cash on hand		0.50		1.14

As per our report of even date attached
Gokhale & Sathe
Chartered Accountants
FRN: 103264W

Kedar A Mehendale
Partner
Membership Number: 116065
Mumbai
Dated 4th July, 2018

Rupender Dhiman
Company Secretary

Mumbai
Dated 4th July, 2018

For and on behalf of the Board of Directors

A. Roy Chowdhury
General Manager (F)

D Singh
Chairman & Managing Director

नोट - 1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

1.1 (i) लेखांकन का आधार:

वित्तीय विवरणियों को कुछ ऐसे वित्तीय संपत्तियों एवं दायित्वों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तैयार किया जाता है जिनका आमतौर पर भारत में मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उपचय आधार पर तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम, 2015 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के आधार पर तथा यथा लागू अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (भालेमा) नियमों, तथा अन्य लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों संबंधित प्रावधानों के अनुरूप उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

(ii) आकलनों का इस्तेमाल :

वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण के लिए यह आवश्यक है कि उन आकलनों और पूर्वानुभवों का सहारा लिया जाए जो वित्तीय विवरण की तिथि पर और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व की सूचित परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि और व्ययों को प्रभावित करती है। वास्तविक परिणामों और आकलनों के बीच के अंतर को उस अवधि में माना जायेगा जिसमें परिणामों की जानकारी होती है / कार्यान्वित किया जाता है।

(iii) महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और निर्णय:

वित्तीय विवरणों की तैयारी में संपत्ति, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करने वाली लेखांकन नीतियों के उपयोग में निर्णय, अनुमान और धारणाएं करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों के आधार पर अनुमान और निर्णय पर निरंतर विकास किया जाता है, जिसमें भविष्य की घटनाओं की अपेक्षाएं उचित मानी जाती हैं। लेखांकन अनुमानों के संशोधन भविष्यलक्षी प्रभाव से पहचाने जाते हैं। लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी, उसके साथ ही ऐसे आकलन और धारणाएं जिनका अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की आगे ले जाने वाली रकम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, वे निम्नलिखित नोट्स में शामिल हैं:

- क) परिभाषित लाभ दायित्वों का मापन-नोट 41
- ख) आकस्मिकताओं और प्रावधानों की घटनाओं का आकलन और संभावना-नोट 40 और 45
- ग) स्थगित कर संपत्तियों की पहचान-नोट 34
- घ) उचित मूल्य मापन और अनुमान- नोट 35

1.2 संपत्ति, प्लांट एवं उपकरण :

- (क) (i) संपदा, प्लांट एवं उपकरण (पीपीई) को शुद्ध वसूली योग्य करों में से संचित मूल्यहास /परिशोधन एवं क्षति हानि, यदि कोई हो, तो उसे घटाकर उनकी ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। मूर्त परिसंपत्तियों की लागत में उनकी अर्जन लागत तथा परिसंपत्तियों को उनके आशातीत प्रयोग के लिए चालू दशा में लाने की लागत शामिल है।

उपयोग हेतु रखे गए परिसंपत्तियों पर किए गए खर्च को तब ही उपयोग में लाया जाता है जब वह ऐसी परिसंपत्तियों के पूर्व अनुमानित कार्यानिष्पादन के मानक से परे भावी लाभ में वृद्धि करता है, जैसे कि परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन में विस्तार, इसकी क्षमता में वृद्धि, अथवा उसके परिणाम की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण सुधार अथवा पूर्व निर्धारित प्रचालनीय लागत में कमी।

कंपनी द्वारा अधिग्रहित परिसंपत्ति जो भारत सरकार (जीओआई) की ओर से धारित और उपयोग की जाती है भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी / प्रतिपूर्ति की राशि के समायोजन के बाद मूल्य निर्धारित होती है। हालांकि, नियंत्रण / ट्रैकिंग के उद्देश्य के लिए ऐसी सभी संपत्तियों को न्यूनतम ₹ 1/- का मूल्य सौंपा गया है।

- (ii) स्वनिर्मित मूर्त परिसंपत्तियों की लागत में विशिष्ट परिसंपत्तियों से सीधे संबंधित लागतें और वे लागतें सम्मिलित हैं जो सामान्य रूप से निर्माणकारी गतिविधि से संबद्ध होती है तथा विशिष्ट परिसंपत्ति को आर्बिट्रि की जा सकती है।

(ख) वर्ष के दौरान अलग कर दी गई / निकाल दी गई आस्तियों के संबंध में निवल बही मूल्य या साल्वेज समिति द्वारा यथा आकलित अनुमानित वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम है, बहियों में रखा जाता है। अलग कर दी गई / निकाल दी गई आस्तियों के निपटान के समय प्रतिधारित मूल्य के संदर्भ में लाभ / हानि को निपटान के वर्ष में समायोजित किया जाता है। तथापि, यदि इनमें से किसी भी आस्ति का उनके निकालने/ अलग करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर निपटान नहीं किया जाता है तो जिस वर्ष में यह तीन वर्षीय कालखंड समाप्त हो जाता है उस वर्ष से प्रतिधारित मूल्य को पूर्णतः बट्टे खाते में डालकर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभावित किया जाता है।

(ग) कंपनी के स्वामित्व में न आने वाली परिसंपत्तियों पर वहन किया गया व्यय, ऐसे व्यय को वहन की गई लेखा अवधि में राजस्व से प्रभावित किया गया है।

(घ) खनन के लिए धारित भूमि में भूमि की लागत, पेडों की क्षतिपूर्ति एवं उस पर बनने वाले भवनों तथा शिफ्टिंग प्रभार के लिए भुगतान क्षतिपूर्ति, पंजीकरण प्रभार, स्टैप ड्यूटी आदि का समावेश है जिसमें से वसूली, यदि कोई हो, तो उसे घटा दिया जाता है।

(ड.) परिसंपत्तियों के मूल्य का निर्धारण करने के लिए परिसंपत्तियों के विखंडित करने और पुनर्वास करने की लागत का अनुमान लगाया गया है।

1.3 अमूर्त परिसंपत्तियां:

अमूर्त अचल परिसंपत्तियों को शुद्ध वसूली योग्य करों में से संचित मूल्यहास/ परिशोधन एवं क्षति हानि, यदि कोई हो, तो उन्हें घटाकर उनकी ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत में उनकी अर्जन लागत तथा परिसंपत्तियों को उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए चालू दशा में लाने की लागत शामिल है।



NOTE-1: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1.1 (i) Basis of Accounting:

The financial statements are prepared under historical cost convention except for certain financial assets and liabilities which are measured at fair value in accordance with the generally accepted accounting principles in India on an accrual basis and comply with provisions of the Companies Act 2013 read with Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 read with Section 133 of the Companies Act, 2013 and other statutory guidelines as applicable.

(ii) Use of Estimates:

The presentation of financial statements requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Differences between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known /materialized.

(iii) Key Accounting Estimates and Judgements:

The preparation of financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions in the application of accounting policies that affect reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. Continuous evolution is done on the estimation and judgments based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable. Revisions to accounting estimates are recognized prospectively.

Information about critical judgments in applying accounting policies, as well as estimates and assumptions that have the most significant effect to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are included in the following notes:

- a) Measurement of defined benefit obligations- Note 41
- b) Measurement and likelihood of occurrence of contingencies and provisions-Note 40 & 45
- c) Recognition of deferred tax assets-Note 34
- d) Fair value measurement & estimates- Note 35

1.2 Property, Plant and Equipment:

- a) (i) All items of property, plant and equipment (PPE) are stated at their historical cost net of recoverable taxes less accumulated depreciation / amortization and impairment loss, if any. The cost of tangible assets comprises of the acquisition cost and any attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use.

Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets beyond its previously assessed standard of performance e.g. an extension in the asset's useful life, an increase in its capacity, or a substantial improvement in the quality of the output or a reduction in previously assessed operating costs.

Asset acquired by the company which are held and used on behalf of Govt. of India (GOI) are valued after adjustment by the amount of subsidy/ reimbursement received from GOI. However, a minimum value of ₹ 1/- is assigned to all such assets for the purpose of control/tracking.

- (ii) The cost of self-constructed tangible assets comprises of the costs directly relating to the specific assets and those that are attributable to the construction activity in general and can be allocated to the specific asset.

- b) In respect of assets discarded/scrapped, the net book value or the estimated realizable value as assessed by the Salvage Committee, whichever is lower is retained in the books. At the time of disposal of the discarded/scrapped assets, the loss/gain with reference to the retained value is adjusted in the year of disposal. However, if any of these assets is not disposed off within a period of three years from the date on which the same is discarded / scrapped, the value retained is fully written off and charged to the Statement of Profit and Loss on expiry of three years.

- c) Expenditure incurred on assets not owned by the Company is charged off to revenue in the accounting period of incurrence of such expenditure.

- d) Land held for mining includes cost of land, compensation for trees & buildings thereon and payment towards shifting charges, solatium, registration charges, stamp duty, etc. less realization, if any.

- e) The estimated cost of dismantling and rehabilitation of the assets are capitalized for determining the value of asset.

1.3 Intangible Assets:

Intangible fixed assets are stated at their historical cost net of recoverable taxes less accumulated amortization and impairment loss, if any. The cost of intangible assets comprises of the acquisition cost and any attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use.

स्थानीय सरकार (सरकारों) को भुगतान किए गये स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क सहित खनन पट्टा अधिकारों के अधिग्रहण के लिए वहन किए गए व्ययों को एक प्रकार के अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप से माना जाता है।

1.4 मूल्यहास/परिशोधन :

(क) संपदा, प्लांट एवं उपकरण पर मूल्यहास का प्रावधान

क्र. सं.	परिसंपत्ति का विवरण	प्रयोजनमूलक जीवनकाल (वर्षों में)	तकनीकी औचित्य
1	स्लरी पम्प	5	प्रचालन की प्रकृति एवं कार्य के माहौल को ध्यान में रखते हुए जीवनकाल तकनीकी रूप से निर्धारित किया जाता है।
2	एअर कंडीशनर	8	संक्षारीय कार्य के माहौल को ध्यान में रखते हुए जीवनकाल तकनीकी रूप से निर्धारित किया जाता है।
3	अग्निशामक	6	पुनःस्थापक मानदण्ड एवं संक्षारीय कार्य के माहौल को ध्यान में रखते हुए जीवनकाल तकनीकी रूप से निर्धारित किया जाता है।
4	मोबाईल फोन्स	2	निरंतर प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जीवनकाल तकनीकी रूप से निर्धारित किया जाता है।

अंकित मूल्य के रूप में ₹ 1/- बनाए रखने को छोड़कर नेट ब्लॉक के शून्य होने तक मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।

(ख) भूमि की लागत सहित टोस कचरा नाली के निर्माण की लागत में नाली की कुल क्षमता तक भरी हुई मात्रा के अनुपात में मूल्यहास किया जाता है।

व्यय के वर्ष में नाली की सीलबंदी की लागत में मूल्यहास किया जाता है।

(ग) वर्ष के दौरान शामिल की गई परिसंपत्तियों के संबंध में नीचे 'ड' में उल्लिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर मूल्यहास उनके शामिल करने की तारीख से आनुपातिक आधार पर वसूला गया है।

(घ) अलग/समाप्त/ नष्ट कर दी गई आस्तियों के संबंध में मूल्यहास ऐसे अलग-अलग / समापन / नाशन की तारीख तक आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया गया है।

(ङ) जहां ₹ 5000/- या उससे कम लागत के प्लांट एवं मशीनरी की अलग-अलग मदों की कुल वास्तविक लागत प्लांट एवं मशीनरी की कुल वास्तविक लागत का 10% से अधिक होता हो तो ऐसे मामलों को छोड़कर अलग-अलग ₹ 5000/- या इससे कम मूल्य की परिसंपत्तियों पर उनके शामिल करने के वर्ष में अंकित मूल्य के रूप में ₹ 1/- बनाए रखते हुए 100% की दर से मूल्यहास किया जाता है।

(च) जिन अचल आस्तियों का ऐतिहासिक मूल्य कीमत समायोजन, शुल्क में परिवर्तन आदि के कारण बदल गया है, ऐसी आस्तियों के संबंध में संशोधित अपरिशोधित मूल्यहास योग्य राशि पर मूल्यहास आस्ति के अवशेष उपयोगी जीवन में प्रभावी रूप से दिया जाता है।

(छ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खनन के लिए धारित भूमि के संबंध में भावी खनन योग्य भारी खनिजों का उपलब्ध खनन पट्टे तथा/ या सतही पट्टे जो भी स्थिति हो पर

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर निम्नलिखित को छोड़कर कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ii में निर्दिष्ट प्रयोजनमूलक परिसंपत्तियों के जीवनकाल के अनुसार तथा उस अनुसूची ii में निर्दिष्ट आधार पर किया गया है।

विचार करते हुए तकनीकी अनुमानों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

ऐसी भूमि के मूल्य में कमी की पहचान ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार वर्ष के दौरान खनन से प्राप्त भारी खनिजों की वास्तविक मात्रा के अनुपात में मूल्यांकित भावी खनन योग्य भारी खनिजों के अलावा वर्ष के दौरान खनन की गई भारी खनिजों की वास्तविक मात्रा तक की जाती है।

(ज) अमूर्त परिसंपत्तियों के परिशोधन का निम्नलिखित रूप में सीधी रेखा के आधार पर प्रावधान किया गया है :

क्र. सं.	विवरण	परिशोधन
1	खनन पट्टा	परिशोधन की राशि को वर्ष में खनित भारी खनिजों की वास्तविक मात्रा के अनुपात को निर्धारित भावी खनन योग्य भारी खनिज अधिक पट्टे की अवधि को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष में खनित भारी खनिजों की वास्तविक मात्रा को मान्यता दी जाती है।
2	प्रतिपूरक वनरोपण प्रभार	परिशोधन की राशि को वर्ष में खनित भारी खनिजों की वास्तविक मात्रा के अनुपात को निर्धारित भावी खनन योग्य भारी खनिज और पट्टे की अवधि को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष में खनित भारी खनिजों की वास्तविक मात्रा को मान्यता दी जाती है।
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेअर	4 (चार) वर्षों की अवधि के लिए

नेट ब्लॉक के शून्य होने तक परिशोधन प्रभारित किया जाता रहता है।



Expenses including stamp duty, registration fees paid to the local Government(s) incurred for the acquisition of mining lease rights are recognized as one type of intangible asset.

provided for on straight line basis on the basis of the useful life of the assets as specified under Schedule II of the Companies Act, 2013 and in the manner as specified in Schedule II, except for the following on the basis of technical evaluation:

1.4 Depreciation/ Amortization:

a) Depreciation on Property, Plant and Equipment is

Sl. No.	Particulars of Asset	Useful life (in Years)	Technical justification
1	Slurry Pumps	5	Life is technically assessed considering the nature of operation and working environment.
2	Air conditioners	8	Life is technically assessed considering the corrosive working environment.
3	Fire extinguishers	6	Life is technically assessed considering the corrosive working environment and replacement norms
4	Mobile Phones	2	Life is technically assessed considering the frequent technological changes.

The depreciation is continued to be charged till the net block becomes Nil except retaining ₹ 1/- as nominal value.

b) Cost of construction of solid waste trench together with the cost of the land thereof is depreciated in proportion of the quantity filled to the total capacity of the trench.

during the year to the assessed future mineable heavy minerals plus actual quantity of heavy minerals mined during the year.

The cost of sealing of trench is depreciated in the year of expenditure.

h) Amortization of intangible assets is provided for on straight line basis as per the followings:

c) In respect of assets added during the year except assets mentioned under (e) below, depreciation is charged pro-rata from the date of addition.

Sl. No.	Particulars	Amortisation
1	Mining lease	Amount of amortization is recognized in proportion of actual quantity of heavy minerals mined during the year to the assessed future mineable heavy minerals plus actual quantity of heavy minerals mined during the year taking cognizance of the lease period.
2	Compensatory Afforestation Charges	Amount of amortization is recognized in proportion of actual quantity of heavy minerals mined during the year to the assessed future mineable heavy minerals plus actual quantity of heavy minerals mined during the year taking cognizance of the lease period.
3	Computer Software	Over a period of 4(Four) years

d) In respect of assets discarded/demolished/destroyed during the year, depreciation is charged pro-rata up to the date of such discard/demolition/destruction.

e) Assets costing ₹ 5,000/- or less individually are depreciated at 100% retaining ₹ 1/- as nominal value in the year of addition except in cases where the aggregate actual cost of individual items of plant and machinery costing ₹ 5000/- or less constitutes more than 10% of the total actual cost of plant and machinery.

f) In respect of fixed assets whose historic cost has undergone a change due to price adjustments, change in duties etc., depreciation on the revised unamortized depreciable amount is provided prospectively over the residual useful life of the asset.

g) At the end of each financial year, future mineable heavy minerals in respect of land held for mining are assessed based on technical estimates considering available mining lease and/or surface lease as the case may be.

Diminution in the value of such land is recognized in proportion of actual quantity of heavy minerals mined

The amortization is continued to be charged till the net block becomes Nil.

1.5 परिसंपत्तियों की क्षति :

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर परिसंपत्तियों की वहनीय धनराशि की समीक्षा इसलिए की जाती है, कि क्या बाह्य/आंतरिक तथ्यों के आधार पर क्षतिग्रस्तता का कोई चिन्ह है या नहीं। यदि ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं, तो कंपनी उस परिसंपत्ति के प्रतिप्राप्ति मूल्य का अनुमान लगाती है। परिसंपत्ति का यह प्रतिप्राप्ति मूल्य जिस नकद निर्माण इकाई की परिसंपत्ति हो उसका प्रतिप्राप्ति मूल्य यदि उसकी अग्रणीत राशि से कम है तो अग्रणीत राशि को प्रतिप्राप्ति राशि तक घटाया जाता है। इस घटौती को क्षति हानि माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि के विवरण में अंकित किया जाता है। तुलन-पत्र की तारीख पर यदि यह पाया जाए कि गत काल में आंकी गई क्षति अब नहीं है, तो प्रतिप्राप्ति मूल्य को पुनः आंका जाता है और उस परिसंपत्ति को प्रतिप्राप्ति के न्यूनतम मूल्य पर अंकित किया जाता है या परिसंपत्ति की आगे ले जाने वाली राशि का निर्धारण (मूल्य हास या परिशोधन का निवल) पूर्व लेखांकन अवधि में परिसंपत्ति के लिए क्षति हानि नहीं माना जाएगा।

व्यक्तिगत परिसंपत्ति में से कोई भी उत्पादन इकाई की अन्य परिसंपत्तियों के संचालन पर निर्भर रहे बिना किसी भी नकदी प्रवाह को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उत्पादन इकाई को पूरी तरह से नकद उत्पन्न करने वाली इकाई के रूप में माना जाता है।

1.6 निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां :

वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देयताओं की प्रारंभिक माप उचित मूल्य पर दर्ज की गई है। ऋण और अग्रिम एवं प्राप्तियां जैसी वित्तीय संपत्तियां बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं।

1.7 वस्तुसूचियों का मूल्यांकन :

- कच्चे माल/मार्गस्थ माल का मूल्यांकन लागत पर या निवल वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।
- भंडार, अतिरिक्त पुर्जों तथा खुले उपकरणों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।
- चालू कार्य के स्टॉक, अतिरिक्त संसाधन के लिए मध्यवर्ती उत्पाद और तैयार उत्पाद का मूल्यांकन लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- ग्रेड - इतर सामग्री तथा दूषित स्टॉक का मूल्यांकन निम्नतर लागत के 80% या पुनर्प्रक्रिया लागत पर विचार करते हुए सामान्य व्यापार के बाजार मूल्य पर किया जाता है।
- 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जिन भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों को हटाया नहीं जाता उन्हें लागत के 95% हासिल मूल्य पर आंका जाता है।
- कंपनी भारित औसत लागत सूत्र का पालन करती है।

1.8 बीमा दावे :

प्राप्य बीमा दावों को उसी समय लेखाबद्ध किया जाता है जब वे बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिये जाते हैं।

1.9 परियोजना पूर्व व्यय :

कंपनी के स्वयं के तत्वावधान में तथा / या संयुक्त उद्यम के अंतर्गत

नई-विस्तार परियोजनाओं के संबंध से संभाव्यता अध्ययन, फ्लो-शीट विकास परियोजना, रिपोर्ट की तैयारी, पर्यावरण मंजूरी तथा अन्य संबंधित मामलों पर व्यय को पूंजीकरण/ समायोजन / बट्टे खाते डालने तक "परियोजना पूर्व व्यय" के अंतर्गत समूहित किया जाता है जिस सीमा तक उन्हें समायोजित नहीं किया गया हो।

1.10 विदेशी मुद्रा में लेन-देन :

- विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर प्रारंभिक रूप से दर्ज किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा से संबंधित अंकित ऐतिहासिक लागत पर लिए गए गैर मौद्रिक मदों को लेन देन की तारीख पर लागू विनिमय दर का उपयोग करते हुए अनुवर्ती तुलन पत्र में दिया जाता है।
- तुलन पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्तियां एवं देयताएं उस तारीख पर लागू विनिमय दर पर पुनः दर्ज किया जाता है।
- निपटान अथवा पुनर्विवरण पर विनिमय अंतर :
 - 'अर्हक परिसंपत्ति' से संबंधित विदेशी मुद्रा उधार के मामले में जिन्हें कुछ सीमा तक ब्याज की लागत में समायोजन किया जाता है, उन्हें उधार लागत के रूप में माना जाता है।
 - अन्य मामलों में जिस अवधि में निपटान या पुनर्विवरण किया जाता है, जिसे आय या व्यय के रूप में माना जाता है।

1.11 राजस्व मान्यता:

बिक्री की पहचान प्राप्त या प्राप्य मूल्य के उचित मूल्य पर वितरण के आधार पर होती है। राजस्व के रूप में जाहिर की गई राशि में उत्पाद शुल्क (30 जून 2017 तक) और निवल लाभ, व्यापार भत्ते, छूट, मूल्यवर्धित कर, जीएसटी (दि. 1 जुलाई 2017 से) या कोई अन्य लागू कर / शुल्क शामिल है। आउट-टर्न वजन के कारण किये गये समायोजन, ग्राहकों से उपलब्ध जानकारी के आधार पर राजस्व में किए जाते हैं।

1.12 निर्यात बिक्री के संबंध में लदान पत्तन/उतराई पत्तन से संबंधित बोनस/विलंब शुल्क ग्राहकों से उपलब्ध जानकारी के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

अपनी मूल स्थलाकृति में खनन भूमि को बहाल करने की दिशा में खनन बंद होने के दायित्व के अनुसार सांविधिक वृक्षारोपण गतिविधि से संबंधित आकस्मिक आय / व्यय को वर्ष के लिए अन्य आय / व्यय माना जाता है, इसलिए बागानों को जैविक संपत्ति के रूप में नहीं माना जाता है।

1.13 कर्मचारी लाभ :

(क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ :

कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के पश्चात 12 महीनों के अन्दर पूर्ण रूप से देय सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा सेवा किए जाने वाले वर्ष में ही प्रदान किए जाते हैं।



1.5 Impairment of Assets:

The carrying amount of assets are reviewed at each balance sheet date to ascertain whether there is any indication of impairment based on external/internal factors. If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset. If such recoverable amount of the asset or the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the Statement of Profit and Loss. If at the balance sheet date there is an indication that if a previously assessed impairment no longer exists, the recoverable amount is reassessed and the asset is reflected at the minimum of the recoverable amount or the carrying amount of the asset that would have been determined (net of depreciation or amortization) had no impairment loss been recognized for the asset in prior accounting periods.

None of the individual asset is capable of generating any cash flow without depending on the operation of other assets of a production unit, hence a production unit as a whole is considered as a cash generating unit.

1.6. Investments and Other Financial Assets:

Initial measurement of financial asset & financial liabilities is recorded at fair value. Financial assets like loans & advances and receivables are subsequently measured at amortized cost.

1.7 Valuation of Inventories:

- a) Raw material and material in-transit are valued at cost or net realizable value whichever is lower.
- b) Stores, spare parts and loose tools are valued at cost.
- c) Inventory of work-in-progress, intermediate products for further processing and finished products are valued at cost or net realizable values whichever is lower.
- d) Off-grade material / contaminated stock is valued at 80 % of lower of cost or market value of normal merchandise considering the reprocessing cost.
- e) Stores and spares not moved for more than 3 years are written down by 95% of the cost.
- f) The company follows weighted average cost formula.

1.8 Insurance claims:

Insurance claims receivable are accounted for only when admitted by the Insurance Company.

1.9 Pre-Project Expenditure:

Expenditure on feasibility studies, flow sheet development, preparation of project report, environmental clearance and other related matters on

new/expansion projects under its own auspices and/or joint venture, to the extent not adjusted, are grouped under "Pre-Project Expenditure" pending capitalization/adjustment/write off.

1.10 Transactions in Foreign Currency:

- a) Foreign currency transactions are initially recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction.
- b) Non monetary items which are carried at historic cost denominated in terms of foreign currency are reported in subsequent balance sheets using the exchange rate prevailing on the date of transaction.
- c) Monetary assets and liabilities as on the balance sheet date, denominated in foreign currency are restated at the rate of exchange as on that date.
- d) Exchange differences either on settlement or on restatement:
 - i. in the case of foreign currency borrowings relating to a 'Qualifying Asset', to the extent they are regarded as an adjustment to the interest costs, are treated as borrowing cost.
 - ii. in other cases, are recognised as income or as expense in the period in which settlement or restatement is made.

1.11 Revenue Recognition :

Recognition of sales is on delivery basis at fair value of the consideration received or receivable. Amounts disclosed as revenue are inclusive of excise duty (upto 30th June 2017) and net of returns, trade allowances, rebates, value added taxes, GST (w.e.f 1st July 2017) or any other applicable taxes/duties. Adjustments on account of out-turn weight are made in revenue on the basis of available information from customers.

- 1.12 Bonus/demurrage in respect of load port/discharge port, relating to export sales is accounted on the basis of available information from customers.

Incidental income/expenses relating to statutory plantation activity as per mine closure obligation towards restoration of mined out land in its original topography is considered as other income/expenses for the year, hence the plantations are not considered as biological assets.

1.13 Employee Benefits:

A. Short term employee benefits:

All employee benefits payable wholly within twelve months after the end of the period in which the employees render the related service are classified as short-term employee benefits and are charged off in the year in which the related service is rendered.

(ख) नौकरी पश्चात तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

क) परिभाषित योगदान योजनाएं :

सभी कर्मचारियों हेतु कर्मचारी पेंशन योजना तथा कंपनी के कर्मचारियों के विशिष्ट समूह हेतु अधिवर्षिता योजना एवं नई पेंशन योजना परिभाषित योगदान योजनाएं होती हैं। परिभाषित योगदान योजनाओं के प्रति कंपनी का योगदान लाभ एवं हानि के विवरण में चिह्नित किया जाता है तथा कर्मचारी द्वारा सेवा किए जाने के वर्ष में प्रभारित किया जाता है। कर्मचारी पेंशन योजना के प्रति योगदान भविष्य निधि एवं अन्य विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अधीन संबंधित भविष्य निधि प्राधिकारियों को प्रेषित किया जाता है तथा नई पेंशन योजना के प्रति योगदान को उपस्थिति के अभिहित बिंदु तक किया जाता है। कंपनी की योगदान के परे अन्य कोई देयता नहीं होती है।

कंपनी की अधिवर्षिता योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रदान की जाती है। मासिक वेतन पर विशिष्ट दरों पर परिगणित योगदान विशिष्ट तारीख को एलआईसी को भेजा जाता है। कंपनी की उपर्युक्त निर्धारित योगदान के परे अन्य कोई देयता नहीं होती है।

(ख) परिभाषित लाभ योजनाएं :

(i) उपदान

कंपनी कर्मचारियों के लिए उपदान योजना चलाती है तथा उपदान दायित्व को पूरा करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को योगदान करती है।

(ii) भविष्य निधि :

कंपनी द्वारा प्रदत्त न्यास को कंपनी भविष्य निधि के लिए विशिष्ट मासिक अंशदान करती है। प्रत्येक वर्ष सदस्यों को न्यास द्वारा देय ब्याज सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है। कंपनी के लिए न्यास के निवेश के लाभ एवं अधिसूचित ब्याज के बीच की कमी, यदि कोई हो, तो उसे पूरा करने की बाध्यता होती है।

(iii) सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना :

कंपनी पूर्व कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना प्रचालित करती है तथा उसके लाभ परिभाषित है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

अर्जित अवकाश एवं बीमारी अवकाश/ अर्ध वेतन अवकाश की हकदारी तभी मानी जाती है जब वे कर्मचारी को प्रोद्दत की जाती है। जबकि वार्षिक अवकाश के संचयन की अधिकतम संख्या पर प्रतिबंध के अधीन या तो प्राप्त अथवा नकदीकृत किए

जा सकते हैं, बीमारी अवकाश/अर्ध वेतन अवकाश सेवा के दौरान केवल प्राप्त किए जा सकते हैं तथा उनको नकदीकृत नहीं किया जा सकता है। तथापि समस्त संचित अर्जित अवकाश, पात्रता के अंतर्गत बीमारी, अर्ध वेतन अवकाश सेवा छोड़ते समय नकदीकृत किए जा सकते हैं।

जहां भी आवश्यक हो कंपनी वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवर्ष नौकरी पश्चात तथा अन्य दीर्घकालिक लाभ हेतु देयताएं निश्चित करती है।

लाभ योजनाओं के संबंध में बीमांकित लाभ / हानि को अन्य व्यापक आय में लिया जाता है।

1.14 वीआरएस क्षतिपूर्ति :

वीआरएस का विकल्प लेने वालों को दी गई क्षतिपूर्ति को उसी वर्ष में लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष में वीआरएस विकल्प लेने वालों को कार्यमुक्त किया जाता है।

1.15 रायल्टी :

खनिजों पर रायल्टी उत्पादन के आधार पर लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित की जाती है तथापि, खनिजों की हानि/कमी / सीमित खपत सहित कंपनी प्रेषण के आधार पर भुगतान किया जाता है। देशी बिक्री मूल्य/ निव्वल मूल्य के आधार पर अंतिम स्टॉक पर रायल्टी दी जाती है।

1.16 अनुसंधान एवं विकास :

अचल आस्तियों के अर्जन पर व्यय को छोड़कर अनुसंधान एवं विकास पर खर्च को लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। अनुसंधान एवं विकास उत्पादन को तैयार माल के मूल्य में तभी शामिल किया जाता है जब उत्पाद को विक्रय स्टॉक / भंडार में स्थानांतरित किया जाता है।

1.17 उत्पाद शुल्क :

- (क) उत्पाद-शुल्क प्रभार्य तैयार उत्पादों के मामले में उत्पाद शुल्क को यथा समय देय होने पर हिसाब में लिया जाता है।
- (ख) लाभ और हानि के विवरण में व्यय के भाग के रूप में बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी प्रस्तुत की जाती है।

1.18 प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं तथा प्रासंगिक परिसंपत्तियां :

1. प्रावधान केवल तब ही पहचाने जाते हैं जब उसे पिछले घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होता है और यह संभव है कि आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक होगा और जब उस राशि का विश्वसनीय अनुमान दायित्व बनाया जा सकता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक खर्च के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों को मापा जाता है। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण हो, तो प्रावधान वर्तमान मूल्य से कर-पूर्व दर में मापा जाता है। छूट दर को खोलने के कारण प्रावधान में बदलाव ब्याज व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।



B. Post employment and other long term employee benefits:

a) Defined Contribution plans:

Defined contribution plans are Employees' Pension Schemes covering all employees and Superannuation Scheme and new pension scheme for specified group of employees of the Company. The Company's contribution to defined contribution plans are recognized in the Statement of Profit and Loss and charged off in the year in which the employee has rendered service.

The contribution towards Employees' Pension Scheme is remitted to the Provident Fund authority concerned under the Provident Fund and Other Miscellaneous Provisions Act, 1952 and contribution towards New Pension Scheme is made to designated point of presence. The Company has no further liability beyond the contribution.

The Superannuation Scheme of the Company is administered through Life Insurance Corporation of India (LIC). The contribution calculated at the specified rates on the monthly salary is remitted to LIC on the specified dates. The Company has no further liability beyond the contribution determined as above.

b) Defined Benefit Plans:

i) Gratuity

The company operates a gratuity scheme for employees and contributes to Life Insurance Corporation of India (LIC) towards meeting the gratuity obligation.

ii) Provident Fund

The Company makes specified monthly contributions towards provident fund to a trust administered by the Company. The interest payable by the trust to the members every year is being notified by the Government. The Company has an obligation to make good the shortfall, if any, between the return on investments of the trust and the notified interest.

iii) Post Retirement Medical Scheme.

The Company operates a Post Retirement Medical Scheme covering the past employees and the benefits are defined.

c) Other Long-term Employee Benefits:

Entitlements to earned leave and sick leave/half pay leave are recognized when they accrue to employees. While annual leave

can be either availed or encashed subject to restriction on the maximum number of accumulation of leaves, sick leave/half pay leave can only be availed and can not be encashed during service. However, the entire accumulated earned leave, sick / half pay leave subject to eligibility, can be encashed while leaving service.

The Company determines the liability for the Post employment and other long term benefits every year on actuarial valuation wherever mandated.

Actuarial gain/loss in respect of benefit plans are taken to Other Comprehensive Income.

1.14 VRS Compensation:

Compensation paid to VRS optees is charged to Statement of Profit and Loss in the same year in which VRS optees are relieved.

1.15 Royalty:

Royalty on the minerals is charged to the Statement of Profit and Loss on the basis of production. However, payment is made on the basis of dispatches from the factory including losses/shortages of minerals/captive consumption. Royalty on closing stock is provided on the basis of domestic sale/ net realizable value.

1.16 Research and Development:

Expenses on Research and Development (R&D) other than expenditure on acquiring fixed assets are charged to the Statement of Profit and Loss. R&D production is included in value of finished goods only when the products are transferred to Stock-in-trade/stores.

1.17 Excise Duty:

- In case of excisable finished products, excise duty is accounted for as and when becomes due.
- Excise duty on sales is presented as part of expenses in statement of profit and loss.

1.18 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

- Provisions are recognized only when it has a present legal or constructive obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are measured at the present value of management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. If the effect of time value of money is material, provision is measured in present value in a pre-tax rate. The change in the provision due to unwinding of discount rate is recognised as interest expense.

2. निम्न की स्थिति में :

- पूर्व घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व एवं जिसके अस्तित्व को केवल कंपनी के नियंत्रण के अधीन पूर्णरूप से नहीं भविष्य की एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं के होने अथवा न होने के द्वारा पुष्टि की जाएगी, अथवा
- पूर्व घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान दायित्व क्योंकि:

- यह संभावित नहीं होता है कि आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देते हुए दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों का बाह्यप्रवाह आवश्यक होगा, अथवा
- दायित्वों हेतु धनराशि का एक विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है, उपर्युक्त घटनाओं में किसी भी प्रावधान को मान्यता नहीं दी जाती है, परन्तु ऐसे दायित्व प्रासंगिक देयताओं के रूप में नोट में प्रकट किए जाते हैं।

- आकस्मिक संपत्तियों को मान्यता नहीं दी गई है लेकिन वित्तीय विवरणों में केवल तभी प्रकट किया जाता है जब आर्थिक लाभों का प्रवाह संभावित और उचित आकलन के लिए सक्षम हो।

1.19 पिछले वर्षों के आय और व्यय की बुकिंग में त्रुटि का सुधार।

- त्रुटियों या चूक के साथ-साथ प्री-पेड व्यय के परिणामस्वरूप वर्तमान वर्ष में होने वाली पूर्व अवधि से संबंधित व्यय/आय, 10,00,000/- या ऑपरेटिंग राजस्व का 1% से अधिक नहीं होगा, जो भी प्रत्येक मामले में हो उसे चालू वर्ष के व्यय के रूप में माना जाएगा।
- उल्लेखनीय सीमा से अधिक होने वाले किसी भी व्यय के प्रभाव का आय में समायोजन के माध्यम से प्रारंभिक तुलन पत्र के बहाली के लिए विचार किया जाएगा।

1.20 चालू कर और आस्थगित कर के लिए प्रावधान :

- आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा कर की प्रावधान की गई है।
- वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर के आधार के बीच उत्पन्न होने वाले तथा उनकी आगे ले जाने वाली मात्रा के बीच होने वाले अस्थायी मतभेदों पर, आस्थगित आयकर पूरी तरह से दायित्व विधि का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। आस्थगित आयकर का निर्धारण कर अवधि (और कानून) के द्वारा किया जाता है जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से लागू किया जाता है और जब संबंधित स्थगित आय कर परिसंपत्ति का आकलन किया जाता है या आस्थगित आय कर देनदारी का निपटारा होता है।
- स्थायी कर संपत्ति सभी कठौती योग्य अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर हानियों के लिए ही मान्यता प्राप्त है, यदि यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य मात्रा उन अस्थायी अंतरों और नुकसानों का उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगी।
- वर्तमान और आस्थगित कर लाभ या हानि में इस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, कि वह अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं या इक्विटी में सीधे संबंधित है। इस मामले में, कर भी क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त होता है।

1.21 नकदी एवं नकदी समकक्ष :

सभी वित्तीय साधन, जिनकी मूल परिपक्वताएं खरीद की तिथि से तीन माह या उससे कम होती हैं तथा वे वित्तीय साधन भी जो महत्वपूर्ण हानि के बिना तत्काल रूप से नकदी में परिवर्तन योग्य होते हैं, 'नकदी समकक्ष' माने जाते हैं। वे वित्तीय साधन जो प्रतिभूतियों अथवा ग्रहणाधिकार के तहत अथवा किसी उद्देश्य के लिए चिन्हित किए गए हों, उन्हें नकदी समकक्ष नहीं माना जाता है।

1.22 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में व्यय :

कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसरण में, कंपनी के पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत इस वर्ष में पहचाने गए गतिविधियों के लिए वर्ष के दौरान खर्च किया जाता है।

1.23 उधार संबंधी लागतें :

उधार संबंधी लागतें जो अर्हता प्राप्त परिसंपत्तियों के अर्जन/निर्माण के परिणाम स्वरूप हैं, ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत की जाती हैं। अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति वो होती है जो अपने अभिप्रेत उपयोग हेतु तैयार होने के लिए पर्याप्त समयावधि लेती है। अन्य सभी उधार संबंधी लागतें राजस्व के लिए प्रभारित की जाती हैं।

1.24 कार्य संविदा संव्यवहार :

'लागत अधिक लाभ' के आधार पर किए गए कामकाज के मामले में, लागत की प्रतिपूर्ति और लाभ के तत्व को उचित दर और/या मूल्य पर अनुबन्ध की शर्तों एवं संविदागत दायित्व को पूरा करने पर मान्यता दी जाती है।

1.25 अन्य आय :

सावधि जमा से ब्याज की आय समय के आधार पर मान्यता प्राप्त है, जो कि बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए हैं। प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके कर्मचारी ऋण पर अर्जित ब्याज मान्यता प्राप्त है। लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश को मान्यता दी जाती है।

1.26 सरकारी परियोजनाएं :

भारत सरकार (जीओआई) की तरफ से कंपनी द्वारा लिये गये विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में प्राप्ति एवं भुगतान अलग से अधिग्रहण कर प्रत्येक परियोजना का निवल शेष उचित रूप संतुलन पत्र में प्रकट किया जाता है।

1.27 पट्टा

- पट्टे पर संपत्ति के उचित मूल्य के निचले स्तर पर या न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य के आधार पर वित्त पट्टों को पट्टे की स्थापना में पूंजीकृत किया जाता है। संबंधित किराये की दायित्वों, वित्त प्रभार का शुद्ध, उचित रूप में उधार या अन्य वित्तीय देयताओं में शामिल हैं। प्रत्येक पट्टा भुगतान को देनदारी और वित्त लागत के बीच आवंटित किया जाता है। वित्त अवधि को पट्टा अवधि में लाभ या हानि के लिए प्रभारित किया जाता है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के शेष पर एक निरंतर आवधिक ब्याज दर उत्पन्न किया जा सके।
- ऑपरेटिंग पट्टा के तहत, किये गये भुगतान (पट्टादाता से प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निवल) पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ या हानि पर तब तक प्रभारित किये जाते हैं, जब तक कि भुगतान पट्टादाता की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की क्षतिपूर्ति करने के लिए पट्टादाता की अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के साथ वृद्धि के लिए संरचित नहीं होते हैं।



2. In the event of:
 - i. any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company; or
 - ii. any present obligation that arises from past events because:
 - a) it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation;
 - or
 - b) a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

No provision is recognized, but such obligations are disclosed in the notes as Contingent Liabilities.
3. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the financial statements.

1.19 Rectification of Error in booking of Income & Expenses of earlier years.

1. Expenditure / Income relating to prior periods arising in current year as a result of errors or omissions as well as pre-paid expenses, not exceeding ₹ 10,00,000/- or 1% of operating revenue whichever is higher in each case shall be treated as expenditure of the current year.
2. The effect of any expenditure exceeding the noted limit will be considered for reinstatement of the opening balance sheet by way of adjustments in retained earnings.

1.20 Provision for Current tax and Deferred Tax:

1. Provision for current tax is made after taking into consideration the provisions of the Income-tax Act, 1961.
2. Deferred income tax is provided in full, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.
3. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and unused tax losses only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilize those temporary differences and losses.
4. Current and deferred tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

1.21 Cash and cash equivalents:

All financial instruments, which have original maturities of three months or less from the date of purchase and also financial instruments which are readily convertible into cash without significant loss are considered 'cash equivalents'. Those financial instruments pledged as securities or under lien for any purpose, are not considered cash equivalents.

1.22 Expenses in respect of Corporate Social Responsibility (CSR)

In pursuance to the CSR policy of the Company, at least two percent of the average net profits of the Company made during the three immediately preceding financial years is spent during the year towards the activities identified in this regard.

1.23 Borrowing costs:

Borrowing costs that are attributable to the acquisition/ construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that takes substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to revenue.

1.24 Job Contract transactions:

In case of Job work undertaken on "cost plus profit" basis, reimbursement of cost and the element of profit are recognized at the appropriate rate and /or value as the case may be on completion of the contractual obligation as per the terms of the contract.

1.25 Other Income:

Interest income is recognized on time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable. Dividend is recognized when the right to receive is established.

1.26 Government projects:

Receipts and payments in relation to various projects undertaken by the Company on behalf of Government of India (GoI) are captured separately and the net balance of each project is disclosed as appropriately.

1.27 Lease :

1. Finance leases are capitalized at the lease's inception at the lower of fair value of the leased property or the present value of the minimum lease payments. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in borrowings or other financial liabilities as appropriate. Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to the profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.
2. Under Operating lease, payments made (net of any incentives received from the lessor) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease unless the payments are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the lessor's expected inflationary cost increases.

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनेवाले नोट

नोट 2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाख में)

अनु. क्र.	विवरण	लागत पर सकल ब्लॉक		मूल्यहास		निवल ब्लॉक			
		1 अप्रैल 2017 को	वृद्धि	कटौती	31 मार्च 2018 को	वर्ष के दौरान प्रदत्त	कटौतियां	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
1	पट्टे वाली भूमि								
	क. खनन के लिए धारित	61.11	-	-	61.11	-	61.11	-	-
	ख. अन्य	4.13	-	-	1.23	0.05	1.28	2.85	2.90
2	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि								
	क. खनन के लिए धारित	8,458.19	349.57	197.98	8,609.78	122.21	2,582.56	6,027.23	5,812.18
	ख. अन्य	436.05	2.00	-	438.05	-	-	438.05	436.05
3	पुल, पुलिया, बंडर्स	215.08	-	-	215.08	7.08	24.09	190.99	198.07
4	रास्ते	686.99	8.79	17.21	678.57	58.91	565.63	112.94	163.06
5	इमारतें	9,469.92	921.87	60.51	10,331.28	4,843.62	5,089.30	5,241.98	4,626.30
6	संयंत्र एवं मशीनरी	34,767.70	2,373.39	992.10	36,148.99	2,232.00	27,143.15	9,005.85	8,900.83
7	फर्नीचर एवं फिक्चर	707.18	69.30	33.38	743.10	544.97	548.33	194.77	162.21
8	मोटर गाड़ियां	356.22	5.97	38.35	323.84	336.69	310.93	12.91	25.51
9	रेलवे साइडिंग	436.15	-	-	436.15	-	436.15	-	-
10	कार्यालय उपकरण	595.09	65.63	30.10	630.62	451.36	467.37	163.25	143.76
11	कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग	649.18	66.49	37.64	678.03	480.64	512.01	166.02	168.54
12	प्रयोगशाला, औषधालय और अनुसंधान एवं विकास उपकरण	1,438.66	22.83	28.40	1,433.09	1,285.16	1,285.76	147.33	153.50
13	विद्युत प्रतिस्थापना और उपकरण	3,878.54	726.62	43.36	4,561.80	2,391.75	2,579.76	1,982.04	1,486.50
	कुल	62,160.19	4,612.46	1,479.03	65,293.62	39,886.50	41,607.43	23,686.21	22,279.41
	पिछला वर्ष	60,575.72	1,782.37	197.89	62,160.20	3,574.30	39,880.49	22,279.71	

नोट

- 1 एमके में संयंत्र 112 दिनों के लिए गैर परिचालन बनी हुई थी (10 दिसंबर से 17 मार्च से 31 मार्च 2018 तक) और ऑस्कौम संयंत्र का डीडब्ल्यूपी 202 दिनों (10 सितंबर 17 से 31 मार्च 1818 तक) के लिए गैर परिचालन बनी हुई थी जो अन्यथा डबल / ट्रिपल शिफ्ट में परिचालन / ऐसी गैर-परिचालन अवधि के लिए, उपर्युक्त संपत्तियों के संयंत्र और उपकरणों को एकल शिफ्ट के आधार पर घटा दिया गया है।
- 2 रेअर अर्थ प्रभाग इकाई में एचपीआरई (उच्च शुद्ध रेअर अर्थ) संयंत्र को 1 मार्च 2018 को ₹ 2,205.65 लाख के मूल्य के साथ पूंजीकृत किया गया है।
- 3 एमके इकाई में कुछ परिसंपत्तियों की अवमूल्यन गणना वर्ष के दौरान संशोधित की गई है, जिसके प्रभाव से वर्तमान वर्ष के खातों में ₹ 35.65 लाख की पहचान की गई है।

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

Note 2: Property, plant and equipment

(₹ in lakh)

Sl. No.	Particulars	Gross block at cost			Depreciation			Net block			
		As on 1 st April 2017	Addition	Deduction	As at 31 st March 2018	Up to 1 st April 2017	Provided during the year	Deductions	Up to 31 st March 2018	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
1	Lease hold land										
a.	Held for mining	61.11	-	-	61.11	-	-	61.11	-	-	-
b.	Others	4.13	-	-	4.13	0.05	-	1.28	2.85	2.90	2.90
	Free hold land										
2	a. Held for mining	8,458.19	349.57	197.98	8,609.78	2,646.01	122.21	185.66	2,582.56	6,027.23	5,812.18
	b. Others	436.05	2.00	-	438.05	-	-	-	438.05	436.05	436.05
3	Bridges, Culverts, bunders	215.08	-	-	215.08	17.01	7.08	-	24.09	190.99	198.07
4	Roads	686.99	8.79	17.21	678.57	523.93	58.91	17.21	565.63	112.94	163.06
5	Buildings	9,469.92	921.87	60.51	10,331.28	4,843.62	286.47	40.79	5,089.30	5,241.98	4,626.30
6	Plant and Machinery	34,767.70	2,373.39	992.10	36,148.99	25,866.87	2,232.00	955.72	27,143.15	9,005.85	8,900.83
7	Furniture & Fixtures	707.18	69.30	33.38	743.10	544.97	33.22	29.86	548.33	194.77	162.21
8	Motor Vehicles	356.22	5.97	38.35	323.84	336.69	12.59	38.35	310.93	12.91	25.51
9	Railway Siding	436.15	-	-	436.15	436.15	-	-	436.15	-	-
10	Office equipment	595.09	65.63	30.10	630.62	451.36	46.03	30.02	467.37	163.25	143.76
11	Computers and Data processing	649.18	66.49	37.64	678.03	480.64	69.01	37.64	512.01	166.02	168.54
12	Laboratory, Dispensary and R & D equipments	1,438.66	22.83	28.40	1,433.09	1,285.16	28.97	28.37	1,285.76	147.33	153.50
13	Electrical installations & equipments	3,878.54	726.62	43.36	4,561.80	2,391.75	231.36	43.35	2,579.76	1,982.04	1,486.50
	Total	62,160.19	4,612.46	1,479.03	65,293.62	39,886.50	3,127.89	1,406.97	41,607.43	23,686.21	22,279.41
	Previous Year	60,575.72	1,782.37	197.89	62,160.20	36,501.13	3,574.30	194.94	39,880.49	22,279.71	

Note

- The Plant at MK is remained non operational for 112 days (from 10th Dec'17 to 31st Mar'18) and DWUP of OSCOM plant is remained non operational for 202 days (From 10th Sep'17 to 31st Mar'18) which were otherwise operational in double/triple shift. For such non-operational period, Plant and equipments of the above noted assets have been depreciated on the basis of single shift.
- HPRE (High Pure Rare Earths) plant in RED unit is capitalised on 1st March 2018 with a value of ₹ 2,205.65 lakhs.
- The depreciation calculation of some of the assets in MK unit has been corrected during the year the impact of which amounting to ₹ 35.65 lakhs has been recognised in the accounts of the current year.

नोट 3: अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

अनु. क्र.	विवरण	लागत पर सकल ब्लॉक			मूल्यहास			निवल ब्लॉक			
		1 अप्रैल 2017 को	वृद्धि	कमी	31 मार्च 2018 को	1 अप्रैल 2017 तक	वर्ष के दौरान प्रदत्त	कटौतियां	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 को	
1	खनन के अधिकार	1,063.32	-	-	1,063.32	816.18	119.13		935.31	128.02	247.14
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	16.11	16.63		32.74	8.74	2.94		11.68	21.06	7.39
	कुल	1,079.43	16.63		1,096.06	824.92	122.07		946.99	149.08	254.53
	पिछला वर्ष	1,076.76	5.66	2.98	1,079.44	717.26	109.65	2.00	824.91	254.53	

नोट्स:

1. पट्टे वाली भूमि

- क) इसमें उड़ीसा सैंड्स कॉम्प्लेक्स (ऑसकॉम) की साइट पर 21.832 एकड़ (पिछले साल 21.832 एकड़) की जमीन शामिल नहीं है, जिस पर कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया है, लेकिन मुआवजे की राशि का निर्णय नहीं लिया गया है और पट्टे के रखरखाव के भूमि अधिकारों के हस्तांतरण के लिए औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया है।
- ख) इसमें ओडिशा सरकार से दूसरे चरण के तहत पट्टे पर अधिग्रहित ओडिशा में 244.436 एकड़ जमीन (पिछले वर्ष 244.436 एकड़) भूमि शामिल है। 475.436 एकड़ जमीन ₹ 118.86 लाख के प्रीमियम पर उस समय के तहसीलवार द्वारा दिनांक 30-12-1992 के आदेश के अनुसार कंपनी के नाम पर स्थानांतरित की गई थी. राजस्व अधिकारियों ने 12-04-2002 को यह बतलाया था कि इस जमीन का हस्तांतरण अनियमित और अमान्य है और उन्होंने तहसीलवार के पहले के आदेश को खारिज कर दिया है। 475.436 एकड़ जमीन में से, 231 एकड़ खनन की गई भूमि ओडिशा सरकार द्वारा 22-04-2002 के कलेक्टर के आदेश के तहत ली गई थी। कंपनी ने ओडिशा सरकार से या वैकल्पिक रूप से खनन उद्देश्य के लिए समतुल्य भूमि आवंटित करने के उपरोक्त राशि (118.86 लाख रूपए) की वापसी की मांग की है।

2. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि

- क) इसमें 24.26 एकड़ भूमि की ओर लगभग ₹ 1/- (पिछले साल ₹ 1/-) शामिल है जो केरल सरकार से अलवेई में मुफ्त मिली है।
- ख) केरल के चवरा में 20.41 एकड़ (पिछले साल 9.43 एकड़) भूमि शामिल है, जो कि जमींदारों को मुफ्त में दी जाने के लिए सहमती हुई है, जिसे कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने पर भूमि अधिग्रहण की गई है।
- ग) इसमें चवरा यूनिट द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए बढ़ाये गये मुआवजे की ओर विशेष तहसीलवार (एलए), केएमएमएल, चवरा के निर्देशन के अनुसार जमा किए गए ₹ 30.36 लाख (पिछले वर्ष ₹ 4.48 लाख) शामिल है।
- घ) इसमें वर्ष 1964 में रेअर अर्थ प्रभाग को सौंपी गई 4.75 एकड़ (पिछले साल 4.75 एकड़) की एक पट्टा भूमि शामिल है, जिसके बारे में आदेश दिया गया है कि वह केरल सरकार द्वारा वापस लाया जाए। कंपनी ने उस आदेश को रद्द करने के लिए केरल सरकार से संपर्क किया है।
- ङ) इसमें कन्याकुमारी जिले के मनवलकुरिची गांव में सरकार को पट्टे पर दिए गए लगभग 75.37 सेंट (पिछले साल लगभग 75.37 सेंट) तमिलनाडु का कार्यकाल की तारीख से 30 वर्ष की अवधि के लिए 11.08.2006 को नाममात्र लीज किराया 1000 रूपये के लिए बस स्टैंड के निर्माण के लिए शामिल है।
- च) इसमें एनके ब्लॉक VI अल्पाडु क्षेत्र और एनके ब्लॉक II केरीथुरा क्षेत्र में स्थित कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण की गई कुल लगभग 130 सेंट (पिछले साल 130 सेंट) की जमीन शामिल है, इस अतिक्रमण को दूर करने के लिए कंपनी ने कानूनी कारवाई का आधार लिया है।
- छ) इसमें ओडिशा में ऑसकॉम में लगभग 116.009 एकड़ (पिछले वर्ष 116.009 एकड़) भूमि शामिल है, जिसका शीर्षक (टाइटल) कंपनी के पक्ष में नहीं है।
- ज) इसमें आरईडी - अलुवा युनिट की लगभग 0.81 सेंट्स (पिछले वर्ष 0.81 सेंट्स) भूमि शामिल है जिसके शीर्षक का पता नहीं है।

Note 3: Intangible assets

(₹ in lakh)

Sl. No.	Particulars	Gross block at cost			Depreciation			Net block		
		As on 1 st April 2017	Addition	Deduction	As at 31 st March 2018	Up to 1 st April 2017	Provided during the year	Deductions	Up to 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
1	Mining rights	1,063.32	-	-	1,063.32	816.18	119.13	-	935.31	247.14
2	Computer software	16.11	16.63	-	32.74	8.74	2.94	-	11.68	7.39
	Total	<u>1,079.43</u>	<u>16.63</u>	<u>-</u>	<u>1,096.06</u>	<u>824.92</u>	<u>122.07</u>	<u>-</u>	<u>946.99</u>	<u>254.53</u>
	Previous Year	<u>1,076.76</u>	<u>5.66</u>	<u>2.98</u>	<u>1,079.44</u>	<u>717.26</u>	<u>109.65</u>	<u>2.00</u>	<u>824.91</u>	<u>254.53</u>

Notes:

1. Leasehold Land

- Excludes 21.832 acres (previous year 21.832 acres) of land at Orissa Sands Complex (OSCOM) site, possession of which has been taken over by the Company, but the compensation amount is not decided and formalities for transfer of lease hold land rights have not been completed.
- Includes 244.436 acres (previous year 244.436 acres) of land in Odisha acquired by the Company from the Government of Odisha on lease under second phase. The 475.436 acres of land was transferred at a premium of ₹ 118.86 lakhs by the then Tahsildar to the Company's name by an order dated 30-12-1992. The Revenue authorities had since on 12-04-2002 observed that the transfer of this land was irregular & void ab-initio and have quashed the earlier order of Tahsildar. Out of 475.436 acres of land, 231 acres of mined out land had been taken over by the Government of Odisha vide collector order dated 22-04-2002. The Company has sought refund of aforesaid amount (₹ 118.86 lakhs) from the Govt. of Odisha or alternatively to allot equivalent land for mining purpose.

2. Freehold Land

- Includes ₹. 1/- (previous year ₹. 1/-) towards approx. 24.26 acres land received free of cost from the Government of Kerala at Alwaye.
- Includes 20.41 acres (previous year 9.43 acres) of land at Chavara in Kerala agreed to be given free of cost to the landlords from whom land is acquired on completion of certain formalities.
- Includes ₹ 30.36 lakhs (previous year ₹ 4.48 lakhs) deposited as directed by the special Tahasildar (LA), KMMML, Chavara towards enhanced compensation for the land acquired by Chavara Unit.
- Includes a patta land of 4.75 acres (previous year 4.75 acres) assigned to R E Division in the year 1964 has been ordered to be resumed back by the Government of Kerala. The Company has approached the Kerala Government for cancellation of the said order.
- Includes Approx. 75.37 cents (previous year approx. 75.37 cents) of land situated at Manavalakurichi Village in Kanyakumari District given on lease to the Govt. of Tamil Nadu for a period of 30 years from the date of deed i.e. 11.08.2006 for the construction of bus stand on a nominal lease rent of ₹. 1000 p.a.
- Includes Approx. 130 cents (previous year 130 cents) of land in aggregate situated at NK Block VI Alappadu area & NK Block II Karithura area encroached by some persons, the Company has taken legal recourse to clear such encroachment.
- Includes Approx. 116.009 acres (previous year 116.009 acres) of land at OSCOM in Odisha for which title is not in favour of the company.
- Includes Approx. 0.81 Cents (previous year 0.81 Cents) of land at RED - Aluva unit for which title is not traceable.



3. इमारतें

- क) इसमें मुम्बई की आवासीय और अन्य इमारतों की लागत शामिल है, जिस पर कंपनी को रूपये 53.43 लाख (पिछले वर्ष 53.43 लाख रूपये) का भुगतान करने का अधिकार दिया गया था और जिसके लिए कंपनी के पक्ष में कन्वेयंस / हस्तांतरण दस्तावेजों का निष्पादन लंबित है।
- ख) इसमें विभिन्न सहकारी आवास समितियों में ₹ 0.02 लाख (पिछले वर्ष ₹ 0.02 लाख) के शेयर शामिल हैं। कंपनी द्वारा धारित ₹ 50 प्रत्येक की शेयरों की संख्या 35 है।
- ग) इसमें ₹ 80.15 लाख (पिछले वर्ष ₹ 80.15 लाख), की लागत का आईजीसीएआर, कल्पाकम का गोदाम शामिल नहीं है, पूरी लागत भारत सरकार से प्राप्त धन से पूरी की जाती है।
- घ) इसमें एमके और ऑसकॉम में मोनाजाइट गोडाउन / खाइयों के लिए रखी गई ₹ की राशि शामिल है, जिसकी लागत भारत सरकार से प्राप्त धन ₹ 73.76 लाख (पिछले वर्ष ₹ 73.76 लाख) से पूरी की गई है।
- च) इसमें ₹ 1/- (पिछले वर्ष ₹ 1/-) की रेअर अर्थ डिवीजन में थोरियम सिलो के लिए रखी गई राशि शामिल है, जिसकी लागत भारत सरकार से प्राप्त ₹ 122.33 लाख (पिछले वर्ष ₹ 122.33 लाख) से प्राप्त धन से पूरी की गई है।
- छ) इसमें ₹ 132.09 (पिछले वर्ष ₹ 132.09) की मनवलकुरिची यूनिट में आवासीय परिसर के लिए रखी गई राशि शामिल है, जिसे विभिन्न प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति के बिना एक प्रतिबंधित क्षेत्र में बनाया गया है।
- ज) इसमें ₹ 162.06 लाख (पिछले वर्ष ₹ 162.06 लाख) की थ्रस्ट परियोजना की राशि शामिल है, जिसकी लागत ₹ 7/- (पिछले वर्ष ₹ 7/-) है जो भारत सरकार से प्राप्त धन से पूरी की गई है।
- झ) इसमें ₹ 21.36 लाख (पिछले वर्ष ₹ 21.36 लाख) की भुबनेश्वर समन्वय केंद्र की लागत शामिल है, जो कि ओडिशा सरकार द्वारा प्रदान की गई पट्टे की भूमि पर बनाया गया।
- त) इसमें अंशतः पट्टे की भूमि पर बनाई गई ऑसकॉम हाउसिंग कॉलोनी की ₹ 346.63 लाख (पिछले वर्ष ₹ 346.63 लाख) की लागत शामिल है।
- थ) इसमें ₹ 10.78 लाख (पिछले वर्ष ₹ 10.78 लाख) की ₹ 10/- (पिछले वर्ष ₹ 2) की के लिए रखी गई राशि शामिल है जो लागत से बनाए गए खाइयों की ओर बनाए गए राशि के रूप में शामिल है जो भारत सरकार से प्राप्त धन से पूरी की गई है।
- ध) इसमें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय भवन में सुधार की ₹ 26.07 लाख (पिछले वर्ष ₹ 26.07 लाख) की लागत शामिल है, जो डीएई, भारत सरकार के तहत एक पीएसयू, मेसर्स इसीआईएल से 20 साल की अवधि के लिए ₹ 1000 प्रति वर्ष के लीज किराए के साथ ₹ 1069.20 लाख की कुल गैर-ब्याज वाली जमा राशि के सामने पट्टे पर लिया गया है।

4. सड़कें

इसमें ₹ 1/- (पिछले वर्ष ₹ 1/-) की लागत वाली थ्रस्ट परियोजना के मूल्य के रूप में ₹ 2.98 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2.98 लाख) की लागत वाली सड़कें शामिल हैं क्योंकि पूरी लागत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से पूरी की गई है।

5. संयंत्र एवं मशीनरी

इसमें परियोजना के मूल्य के रूप में ₹ 743.92 लाख (पिछले वर्ष ₹ 743.92 लाख) की लागत वाली संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं और इसकी कीमत ₹ 126/- (पिछले वर्ष ₹ 126/-) है क्योंकि पूरी लागत सरकार से प्राप्त धनराशि से पूरी की गई है।

6. विद्युत स्थापना और उपकरण

इसमें थ्रस्ट परियोजना के मूल्य के रूप में ₹ 37.73 लाख (पिछला वर्ष ₹ 37.73 लाख) की लागत वाली विद्युत स्थापना और उपकरणों और ₹ 10/- (पिछले वर्ष ₹ 10/-) के मूल्य के अनुसार पूरी लागत के रूप में भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से पूरे किये गये हैं।

7. प्रयोगशाला, औषधालय और अनुसंधान एवं विकास उपकरण

क. इसमें आर.ई. प्रभाग में स्थापित प्रयोगशाला उपकरण की ₹ 132.87 लाख (पिछला वर्ष ₹ 132.87 लाख) की लागत शामिल है क्योंकि पूरी लागत भारत सरकार से प्राप्त धन से पूरी की गई है।

8. फर्नीचर एवं फिक्चर

ख. इसमें फर्नीचर की लागत ₹ 0.15 लाख (पिछले साल ₹ 0.15 लाख) रे.अ. प्रभाग में शामिल है डिवीजन और ₹ 3/- (पिछले वर्ष ₹ 3/-) के मूल्य पर है क्योंकि पूरी लागत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से पूरी की गई है।

9. कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग

ग. रे.अ. प्रभाग, ऑसकॉम और एमके की ₹ 1.05 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1.05 लाख) की लागत वाली कम्प्यूटरों को शामिल किया गया है जो कि ₹ 3/- (पिछले वर्ष ₹ 3/-) के मूल्य पर है, क्योंकि संपूर्ण लागत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से पूरी की गई है।



3. Buildings

- a) Includes cost of residential and other buildings at Mumbai the possession of which was handed over to the Company on payment of ₹ 53.43 lakhs (previous year ₹ 53.43 lakhs) and for which execution of conveyance/transfer documents in favour of the Company is pending.
- b) Includes shares of ₹ 0.02 lakhs (previous year ₹ 0.02 lakhs) in various Co-Operative Housing Societies. Number of the shares held by the Company are 35 at a cost of ₹ 50 each.
- c) Excludes Godown at IGCAR, Kalpakam costing ₹. 80.15 lakhs (Previous year ₹ 80.15 lakhs), the entire cost is met out of funds received from the Government of India.
- d) Includes ₹ 5/- (Previous year ₹ 5/-) being amount retained towards Monazite godown / trenches at MK and OSCOM, the cost of which is met out of funds received from Government of India ₹ 73.76 lakhs (Previous year ₹ 73.76 lakhs).
- e) Includes ₹ 1/- (Previous year ₹ 1/-) being amount retained towards thorium silo at R.E. Division, the cost of which is met out of funds received from the Government of India ₹ 122.33 lakhs (Previous year ₹ 122.33 lakhs).
- f) Includes cost of ₹ 132.09 lakhs (Previous year ₹ 132.09 lakhs) being value of the housing complex at Manavalakurichi unit which has been constructed in a prohibited area without the required permission from various authorities.
- g) Includes building costing ₹ 162.06 lakhs (Previous year ₹ 162.06 lakhs) being value of THRUST project and valued at ₹ 7/- (Previous year ₹ 7/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.
- h) Includes cost of Bhubaneshwar co-ordination centre amounting to ₹ 21.36 lakhs (previous year ₹ 21.36 lakhs) constructed on leasehold land provided by Government of Odisha
- i) Includes cost of OSCOM housing colony amounting to ₹ 346.63 lakhs (previous year ₹ 346.63 lakhs) constructed partly on leasehold land.
- j) Includes ₹ 2 /- (previous year ₹ 2) being the amount retained towards trenches constructed at a cost of ₹ 10.78 lakhs (previous year ₹ 10.78 lakhs) which is met out of the funds received from the Government of India
- k) Includes cost of improvement of the Registered Office building of the Company amounting to ₹ 26.07 lakhs (previous year ₹ 26.07 lakhs) which is taken on lease from M/s ECIL, a PSU under DAE, Govt. of India for a period of 20 years against a total non-interest bearing deposit amounting to ₹ 1069.20 lakhs alongwith a lease rent of ₹ 1000 p.a.

4. Roads

Includes roads costing ₹ 2.98 lakh (Previous year ₹ 2.98 lakh) being the value of THRUST project valued at ₹ 1/- (Previous year ₹ 1/-) as the entire cost is met out of funds received from Government of India.

5. Plant and Machinery

Includes Plant and Machinery costing ₹ 743.92 lakhs (Previous year ₹ 743.92 lakhs) being value of the THRUST Project and valued at ₹ 126/- (Previous year ₹ 126/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.

6. Electrical Installation & Equipments

Includes Electrical Installation and Equipments costing ₹ 37.73 lakhs (Previous year ₹ 37.73 lakhs) being value of the THRUST Project and valued at ₹ 10/- (Previous year ₹ 10/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.

7. Laboratory, Dispensary and R&D Equipments

- a. Includes laboratory equipment costing ₹ 132.87 lakhs (Previous year ₹ 132.87 lakhs) installed in R.E. Division and valued at ₹ 107 (Previous year ₹ 107) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.

8. Furniture and Fixtures

- b. Includes furniture costing ₹ 0.15 lakhs (Previous year ₹ 0.15 lakhs) at R.E. Division and valued at ₹ 3/- (Previous year ₹ 3/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.

9. Computers and data Processing

- c. Includes computers costing ₹ 1.05 lakhs (Previous year ₹ 1.05 lakhs) at R.E. Division, OSCOM, and MK valued at ₹ 3/- (Previous year ₹ 3/-) as the entire cost is met out of funds received from the Government of India.



नोट 4: पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	4,476.05	3,905.28
परीवहन में / स्थापना के लिए लंबित पूंजीगत वस्तु	395.52	266.05
कुल	4,871.57	4,171.33

नोट 5: गैर - वर्तमान निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को			31 मार्च 2017 को		
	मात्रा (संख्या)	अंकित मूल्य	राशि	मात्रा (संख्या)	अंकित मूल्य	राशि
एफवीटीपीएल पर इक्विटी निवेश						
गैर उद्धृत पुर्णतः प्रदत्त						
(i) आईआरई कर्मचारी कंज्यूमर को-ऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड, एलूर	833	100	0.83	833	100	0.83
(ii) आईआरई कर्मचारी कंज्यूमर को-ऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड, मनवलकुरिची	1,094	10	0.11	1,094	10	0.11
(iii) आईआरई कर्मचारी थिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, मनवलकुरिची	200	10	0.02	200	10	0.02
iv) आईआईई कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड, चावारा	4,550	10	0.46	4,550	10	0.46
कुल गैर-मौजूदा निवेश			1.42			1.42
गैर उद्धृत निवेश की कुल राशि			1.42			1.42
उद्धृत निवेश और बाजार मूल्य की कुल राशि			-			-
निवेश के मूल्य में कमी के लिए कुल प्रावधान			-			-

नोट 6: गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां- ऋण

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
सुरक्षा जमा		
असुरक्षित शोध्य माने गए	1,772.71	1,632.84
संदिग्ध माने गए	45.29	45.29
घटाये : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	(45.29)	(45.29)
अन्य ऋण और अग्रिम-कर्मचारी		
सुरक्षित अच्छा माना गया	770.21	926.90
असुरक्षित अच्छा माना गया	183.83	245.90
घटाये : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		
अन्य ऋण और अग्रिम-नकद या वस्तु में अथवा मूल्य प्राप्त करने के लिए वसूली योग्य अग्रिम		
असुरक्षित अच्छा माना गया	0.27	16.75
संदिग्ध माना गया	-	-
घटाये : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		
कुल	2,727.02	2,822.39

**Note 4: Capital work-in-progress**

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Capital work in progress	4,476.05	3,905.28
Capital items pending installation / in transit	395.52	266.05
Total	4,871.57	4,171.33

Note 5: Non-current Investments

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018			As at 31 st March 2017		
	Quantity (No's)	Face value	Amount	Quantity (No's)	Face value	Amount
Equity investment at FVTPL						
Unquoted fully paid up						
(i) IRE Employees' Consumers' Co-operative Stores Ltd., Eloor	833	100	0.83	833	100	0.83
(ii) IRE Employees' Consumers' Co-operative Stores Ltd., Manavalakurichi	1,094	10	0.11	1,094	10	0.11
(iii) IRE Employees' Thrift and Credit Society Ltd., Manavalakurichi	200	10	0.02	200	10	0.02
(iv) IRE Employees' Consumer Co-operative stores Ltd, Chavara	4,550	10	0.46	4,550	10	0.46
Total non-current investments			1.42			1.42
Aggregate amount of unquoted investments			1.42			1.42
Aggregate amount of quoted investments and market value thereof			-			-
Aggregate provision for diminution in value of investments			-			-

Note 6: Non current financial assets - Loans

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Security deposit		
Unsecured considered Good	1,772.71	1,632.84
Considered doubtful	45.29	45.29
Less: Provision for Doubtful deposit	(45.29)	(45.29)
Other Loans and advances - employees		
Secured considered good	770.21	926.90
Unsecured considered good	183.83	245.90
Less: Provision for Doubtful Loans		
Other loans and advances - advances recoverable in cash or kind or for value to be received		
Unsecured considered Good	0.27	16.75
Considered doubtful	-	-
Less: Provision for Doubtful Loans		
Total	2,727.02	2,822.39



नोट 7: स्थगित कर संपत्तियां (निवल)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
निम्न के कारण आस्थगित देयतायें :		
लेखा बही और कर के मूल्यहास के बीच का अंतर	772.89	2,076.31
कुल आस्थगित कर देयतायें	772.89	2,076.31
निम्न के कारण आस्थगित कर संपत्तियां :		
धारा 43 बी के तहत समय अंतर के रूप में स्वीकार्य अस्वीकृति	954.04	2,385.24
संदिग्ध ऋण और अग्रिमों के लिए प्रावधान	730.14	646.25
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना	1,785.15	1,674.41
अन्य समय के अंतर	827.43	2,175.26
अनवशोषित मूल्यहास	-	1,293.99
अनवशोषित हानि	-	636.73
ब्याज की आय का आस्थगन	2.04	1.80
वित्तीय पट्टा दायित्व	6.52	4.48
मैट (MAT) साख पात्रता	1,442.59	789.30
कुल आस्थगित कर संपत्तियां	5,747.91	9,607.46
कुल	4,975.03	7,531.14

नोट 8 - गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
अग्रिम कर - गैर वर्तमान #	2,784.33	4,553.86
कुल	2,784.33	4,553.86

नोट 43 देखें.

नोट 9 ए-अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
पूजी अग्रिम		
अच्छे माने गए	330.39	292.25
असंदिग्ध माने गए	6.67	6.67
घटाये : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	(6.67)	(6.67)
कुल	330.39	292.25



Note 7: Deferred tax assets (net)

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Deferred tax liabilities on account of:		
Difference between book and tax depreciation	772.89	2,076.31
Total deferred tax liabilities	772.89	2,076.31
Deferred tax assets on account of:		
Disallowances U/s 43B allowable as timing differences	954.04	2,385.24
Provision for Doubtful debts and Advances	730.14	646.25
Post Retirement Medical Scheme	1,785.15	1,674.41
Other timing differences	827.43	2,175.26
Unabsorbed Depreciation	-	1,293.99
Unabsorbed loss	-	636.73
Deferment of interest income	2.04	1.80
Finance lease obligation	6.52	4.48
MAT credit entitlement	1,442.59	789.30
Total deferred tax assets	5,747.91	9,607.46
Total	4,975.03	7,531.14

Note 8 - Non-current tax assets

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Advance Tax - Non-current #	2,784.33	4,553.86
Total	2,784.33	4,553.86

Refer Note 43.

Note 9A - Other non current assets

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Capital advances		
Considered good	330.39	292.25
Considered doubtful	6.67	6.67
Less: Provision for doubtful debts and Advances	(6.67)	(6.67)
Total	330.39	292.25



नोट 9 बी - अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
(क) सुरक्षा अमानत जमा		
अच्छा माना गया	-	6.97
संदिग्ध माना गया	1.77	1.77
घटाये: संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	(1.77)	(1.77)
(ख) अन्य ऋण एवं अग्रिम - नकद या वस्तुरूप में या मूल्य प्राप्त करने के लिए वसूली योग्य अग्रिम		
अच्छा माना गया	17.49	6.77
संदिग्ध माना गया	1,896.29	1,898.27
घटाये: संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	(1,896.29)	(1,898.27)
(ग) आस्थगित कर्मचारी लागत	196.32	247.93
(घ) प्रीपेड व्यय		
प्रीपेड रेल साइडिंग व्यय	-	-
प्रीपेड खनन पट्टा नवीकरण	-	-
प्रीपेड पट्टा किराया	38.16	83.08
कुल	251.97	344.75

नोट 10 - संपत्ति-सूची

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
कच्चा माल		
मार्गस्थ माल	-	-
स्टॉक में	111.46	347.05
प्रगति पर कार्य	959.48	822.02
तैयार माल	9,519.51	8,188.80
स्टोर और पुर्जे		
मार्गस्थ माल	79.55	285.56
स्टॉक में	3,186.51	2,943.33
फुटकर औजार	3.62	5.88
अन्य- आगे के प्रसंस्करण के लिए मध्यवर्ती उत्पाद	267.80	285.56
कुल	14,127.93	12,878.20
1. इन्वेंटरी में निम्न से संबंधित मार्गस्थ माल शामिल है-कच्चा माल । इन्वेंटरी में निम्न से संबंधित मार्गस्थ माल शामिल है- भण्डार एवं पुर्जे	-	-
	79.55	285.56

- आगे के प्रसंस्करण के लिए मध्यवर्ती उत्पाद में मोनजाइट की ₹ 0.13 लाख (पिछले वर्ष ₹ 57.27 लाख) की राशि शामिल है।
- स्टोर्स और स्पेयर की सूची में 1988-89 और 1999-91 के दौरान 101.440 किलोग्राम चांदी (पिछले वर्ष 101.440 किलोग्राम) बरामद हुई। चूंकि चांदी के अवशेषों को कोई कीमत आवंटित नहीं की गई थी और बीएआरसी को कोई शुल्क नहीं दिया गया था, इसलिए उक्त सूची का मूल्य ₹ 1/- पर मूल्यवान रहा है। (पिछले साल ₹ 1)
- निर्मित माल में भारत सरकार को आपूर्ति के लिए एनजी एडीयू के 193.96 लाख रुपये (पिछले वर्ष - रुपये 49.15 लाख) के मूल्य के 1.797 टन (पिछले वर्ष 3.524 टन) शामिल है।



Note 9B - Other non-current assets

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Advances other than capital advances		
(a) Security deposit		
Considered good	-	6.97
Considered doubtful	1.77	1.77
Less: Provision for doubtful debts and Advances	(1.77)	(1.77)
(b) Other loans and advances - advances recoverable in cash or kind or for value to be received		
Considered good	17.49	6.77
Considered doubtful	1,896.29	1,898.27
Less: Provision for doubtful debts and Advances	(1,896.29)	(1,898.27)
(c) Deferred employees cost	196.32	247.93
(d) Prepaid expenses		
Prepaid railway siding expenses	-	-
Prepaid mining lease renewal	-	-
Prepaid lease rent	38.16	83.08
Total	251.97	344.75

Note 10 - Inventories

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Raw Materials		
Goods in transit	-	-
In Stock	111.46	347.05
Work-in-Progress	959.48	822.02
Finished Goods	9,519.51	8,188.80
Stores and Spares		
Goods in transit	79.55	285.56
In Stock	3,186.51	2,943.33
Loose tools	3.62	5.88
Others - Intermediate products for further processing	267.80	285.56
Total	14,127.93	12,878.20
1. Inventories includes goods in transit relating to- Raw Material	-	-
Inventories includes goods in transit relating to- Stores & spares	79.55	285.56

- Intermediate product for further processing includes an amount of ₹ 0.13 lakhs (Previous year ₹ 57.27 lakhs) of monazite.
- Inventory of stores and spares includes 101.440 kg of silver (Previous year 101.440 kg) recovered during 1988-89 and 1990-91. Since no cost was allocated to silver residue and no charges were paid to BARC, the said inventory has notionally been valued at ₹ 1/- (Previous year ₹ 1).
- FG includes 1.797 tons (Previous Year 3.524 tons) of NG ADU valued at ₹ 193.96 lakhs (Previous year ₹ 419.15 lakhs) meant for supply to Govt of India.



नोट 11 - निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को			31 मार्च 2017 को		
	मात्रा (संख्या)	अंकित मूल्य	राशि	मात्रा (संख्या)	अंकित मूल्य	राशि
एफवीटीपीएल में म्यूचुअल फंड में निवेश (उद्धरित)						
यूटीआई निवेश (कैश लिक्विड प्लान)	182,203	1,019	1,857.47	605,494	1,019	6,172.69
कुल वर्तमान निवेश	182,203	1,019	1,857	605,494	1,019	6,172.69
गैर उद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-	-	-	-	-
उद्धृत निवेश और उसके बाजार मूल्य की कुल राशि	-	-	1,857.47	-	-	6,172.69
निवेश के मूल्य में कमी के लिए कुल प्रावधान	-	-	-	-	-	-

नोट 12 - व्यापार प्राप्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
सुरक्षित, अच्छा माना गया	704.26	576.56
असुरक्षित, अच्छा माना गया	12.84	9.28
असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	5.29	5.29
	722.39	591.13
घटायें: संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	(5.29)	(5.29)
कुल	717.10	585.84

नोट 13 - नकद एवं नकद समकक्ष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
बैंकों के साथ चालू खातों में शेष	324.57	1,752.58
3 महीनों से कम अवधि के लिए बैंक में जमा राशि	1,597.27	-
हाथ में नकद राशि	0.50	1.14
कुल	1,922.34	1,753.72

नोट 14 - अन्य बैंक में शेष राशि

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
बैंकों के साथ प्रयोजन-विशिष्ट जमा (पीआरएमएस)	3,500.00	3,500.00
12 महीनों से अधिक के लिए जमा राशि	-	26.44
12 महीनों से अधिक के लिए जमा राशि	27,612.48	24,210.60
जमा राशि को मार्जिन धन के रूप में रखा गया	385.35	115.07
कुल	31,497.83	27,852.11



Note 11 - Investment

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018			As at 31 st March 2017		
	Quantity (No's)	Face value	Amount	Quantity (No's)	Face value	Amount
Investment in mutual fund at FVTPL (Quoted)						
UTI Investment (Cash Liquid Plan)	182,203	1,019	1,857.47	605,494	1,019	6,172.69
Total Current investments	182,203	1,019	1,857.47	605,494	1,019	6,172.69
Aggregate amount of unquoted investments	-	-	-	-	-	-
Aggregate amount of quoted investments and market value thereof			1,857.47			6,172.69
Aggregate provision for diminution in value of investments	-	-	-	-	-	-

Note 12 - Trade receivables

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Secured, considered good	704.26	576.56
Unsecured, considered good	12.84	9.28
Unsecured, considered doubtful	5.29	5.29
	722.39	591.13
Less: Provision for doubtful debts	(5.29)	(5.29)
Total	717.10	585.84

Note 13 - Cash and cash equivalents

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Balances with banks in Current accounts	324.57	1,752.58
Bank deposits for less than 3 months	1,597.27	-
Cash on Hand	0.50	1.14
Total	1,922.34	1,753.72

Note 14 - Other Bank Balances

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Earmarked deposits with banks (PRMS)	3,500.00	3,500.00
Deposits placed for more than 12 months	-	26.44
Deposits placed for 12 months	27,612.48	24,210.60
Deposits held as margin money	385.35	115.07
Total	31,497.83	27,852.11



नोट 15 - वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
ऋण एवं अग्रिम - निदेशक		
सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
असुरक्षित, अच्छा माना गया	-	0.82
ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी		
सुरक्षित, अच्छा माना गया	258.50	303.95
असुरक्षित, अच्छा माना गया	419.74	543.25
ऋण एवं अग्रिम - नकद या वस्तु रूप में या मूल्य प्राप्त करने के लिए वसूली योग्य अग्रिम		
सुरक्षित, अच्छा माना गया	3.57	53.08
असुरक्षित, अच्छा माना गया	8,309.17	7,823.14
असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	17.52	17.52
घटायें: संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	(17.52)	(17.52)
कुल	8,990.98	8,724.24

नोट 16 - अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
बकाया आय / प्रेषण धन	1,157.55	1,156.90
प्राप्य दावे		
अच्छा माना गया	4,704.32	1,901.82
संदिग्ध माना गया	116.63	116.63
घटायें: संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	(116.63)	(116.63)
कुल	5,861.87	3,058.72

नोट 17 - अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
नकद या वस्तु या मूल्य प्राप्त करने के लिए वसूल योग्य ऋण और अग्रिम	4,529.65	2,705.73
अग्रिम - कर्मचारी - असुरक्षित अच्छा माना गया	7.81	13.15
आस्थगित कर्मचारी लागत	43.51	48.22
प्रीपेड खर्चे		
प्रीपेड पट्टा किराया	44.93	44.93
कुल	4,625.90	2,812.03

नोट 17A - अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
निपटान हेतु लंबित संपत्ति	1.74	1.62
कुल	1.74	1.62



Note 15 - Current financial assets - Loans

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Loans and advances - directors		
Secured, considered good	-	-
Unsecured, considered good	-	0.82
Loans and advances - employees		
Secured, considered good	258.50	303.95
Unsecured, considered good	419.74	543.25
Loans and advances - advances recoverable in cash or kind or for value to be received		
Secured, considered good	3.57	53.08
Unsecured, considered good	8,309.17	7,823.14
Unsecured, considered doubtful	17.52	17.52
Less: Provision for doubtful debts and advances	(17.52)	(17.52)
Total	8,990.98	8,724.24

Note 16 - Other current financial assets

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Outstanding income / Despatch Money	1,157.55	1,156.90
Claims receivable		
Considered good	4,704.32	1,901.82
Considered doubtful	116.63	116.63
Less: Provision for doubtful debts and advances	(116.63)	(116.63)
Total	5,861.87	3,058.72

Note 17 - Other current assets

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Advances other than capital advances		
Advances recoverable in cash or kind or for value to be received	4,529.65	2,705.73
Advances - Employees - unsecured considered good	7.81	13.15
Deferred employees cost	43.51	48.22
Prepaid Expenses		
Prepaid Lease rent	44.93	44.93
Total	4,625.90	2,812.03

Note 17A - Other current assets

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Asset pending disposal	1.74	1.62
Total	1.74	1.62



नोट 18 - इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
अधिकृत:		
₹ 1000/- प्रत्येक के 10,00,000 इक्विटी शेयर (पीवाई: ₹ 1000 / - प्रत्येक के 10,00,000 इक्विटी शेयर)	10,000.00	10,000.00
कुल	10,000.00	10,000.00

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
जारी, सदस्यता और भुगतान किया गया :		
₹ 1000/- प्रत्येक के पूर्ण अदायगी किये गये 8,63,650 (पीवाय: 8,63,650) इक्विटी शेयर्स	8,636.50	8,636.50
कुल	8,636.50	8,636.50

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
रिपोर्टिंग तिथि से पहले पांच साल की अवधि के दौरान नकद में प्राप्त किए बिना भुगतान के बिना अनुबंध के अनुसार पूरी तरह भुगतान किए गए शेयरों की कुल संख्या और वर्ग	शून्य	शून्य
रिपोर्टिंग तिथि से ठीक पहले पांच साल की अवधि के दौरान बोनस शेयरों के माध्यम से पूरी तरह भुगतान किए गए शेयरों की कुल संख्या और वर्ग	शून्य	शून्य
रिपोर्टिंग तिथि से पहले पांच साल की अवधि के दौरान खरीदे गए / वापस खरीदे गये शेयरों की कुल संख्या और वर्ग	शून्य	शून्य
रिपोर्टिंग तिथि से पहले पांच साल की अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी शेयर को वापस किया / खरीदा नहीं गया है।	शून्य	शून्य

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का एक वर्ग है जिसमें प्रति शेयर ₹1000 / - का बराबर मूल्य है। प्रत्येक शेयरधारक आयोजित प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है। तरलता की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयरहोल्डिंग के अनुपात में कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

(i) शुरुआत में और वर्ष के आरम्भ में तथा अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का पुनर्मूल्यांकन:

विवरण	2017-18		2016-17	
	(संख्या में)	(₹ लाख में)	(संख्या में)	(₹ लाख में)
वर्ष के आरंभ में बकाया शेअर्स	863,650	8,636.50	863,650	8,636.50
वर्ष के अंत में बकाया शेअर्स	863,650	8,636.50	863,650	8,636.50

5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा कंपनी में शेयरों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों की %	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों की %
इक्विटी शेयर्स:				
भारत सरकार एवं उसके नामनिर्देशिती	863,650	100%	863,650	100%



Note 18 - Equity share capital

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Authorised:		
10,00,000 Equity shares of ₹ 1000/- each (PY: 10,00,000 Equity shares of ₹.1000/- each)	10,000.00	10,000.00
Total	10,000.00	10,000.00
Issued, subscribed and paid up:		
8,63,650 (PY: 8,63,650) Equity shares of ₹1000/- each fully paid up	8,636.50	8,636.50
Total	8,636.50	8,636.50

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Aggregate number and class of shares allotted as fully paid up pursuant to contract without payment being received in cash during the period of five years immediately preceding the reporting date	Nil	Nil
Aggregate number and class of shares allotted as fully paid up by way of bonus shares during the period of five years immediately preceding the reporting date	Nil	Nil
Aggregate number and class of shares bought back during the period of five years immediately preceding the reporting date	Nil	Nil
During the period of five years immediately preceding the reporting date the Company has not issued/bought back any shares.	Nil	Nil

The Company has one class of equity shares having a par value of ₹ 1000/- per Share. Each Share holder is eligible for one vote per share held. In the Event of Liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company, in proportion to their shareholding.

(i) Reconciliation of number of Equity Shares outstanding at the beginning and at the end of the year:

Particulars	2017-18		2016-17	
	(In Nos.)	(₹ in lakh)	(In Nos.)	(₹ in lakh)
Shares outstanding at the beginning of the year	863,650	8,636.50	863,650	8,636.50
Shares outstanding at the end of the year	863,650	8,636.50	863,650	8,636.50

Details of shares in the Company held by each shareholder holding more than 5% shares:

Particulars	As at 31 st March 2018		As at 31 st March 2017	
	Number of Shares held	% of Holding	Number of Shares held	% of Holding
Equity Shares:				
Government of India and its nominee	863,650	100%	863,650	100%



नोट 19 - अन्य इक्विटी

सामान्य रिजर्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
प्रारंभिक शेष (बैलेंस)	8,200.18	8,200.18
वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-
अंतिम शेष	8,200.18	8,200.18

स्वरूप और प्रयोजन - यह कंपनी के लाभ और हानि के अधिशेष में से निर्मित वितरित रिजर्व है।

प्रतिधारित कमाई

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
प्रारंभिक शेष (बैलेंस)	51,147.86	46,074.10
वर्ष के दौरान लेनदेन		
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	8,211.23	5,074.79
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	846.19	(1.03)
प्रतिधारित कमाई में मान्यता प्राप्त पूर्व अवधि वस्तुओं के कारण प्रभाव लाभांश	4,092.24	-
अंतिम शेष	56,113.04	51,147.86

स्वरूप और प्रयोजन - प्रतिधारित कमाई कंपनी द्वारा वर्षों से एकत्रित आय और हानियों का प्रतिनिधित्व करती है।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	इक्विटी धारकों के लिए जिम्मेदार			कुल
	शेयर पूंजी	रिजर्व एवं अधिशेष		
		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	
1 अप्रैल 2017 को शेष राशि	8,636.50	8,200.18	51,147.86	67,984.54
वर्ष के लिए लाभ	-	-	8,211.23	8,211.23
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, आयकर का निवल	-	-	846.19	846.19
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	9,057.42	9,057.41
प्रस्तावित लाभांश का भुगतान (डीडीटी सहित)	-	-	4,092.24	4,092.24
31 मार्च 2018 को शेष राशि	8,636.50	8,200.18	56,113.04	72,949.71

वर्ष के दौरान वर्ष 2016-17 से संबंधित लाभांश के रूप में ₹ 34,00.00 लाख घोषित और भुगतान किया जाता है और ₹ 692.24 के डीडीटी को मुक्त रिजर्व के सामने समायोजित कर दिया जाता है।

नोट 20 - अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
वित्त पट्टा दायित्व	18.67	14.49
कुल	18.67	14.49

**Note 19 - Other equity****General reserve**

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Opening balance	8,200.18	8,200.18
Transaction during the year	-	-
Closing balance	8,200.18	8,200.18

Nature and Purpose - This is distributable reserve created out of surplus in profit and loss of the Company.

Retained earnings

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Opening balance	51,147.86	46,074.10
Transaction during the year -		
Profit / (loss) for the year	8,211.23	5,074.79
Other comprehensive income for the year	846.19	(1.03)
Impact on account of prior period items recognised in Retained Earnings		-
Dividend	4,092.24	-
Closing balance	56,113.04	51,147.86

Nature and Purpose - Retained earnings represents accumulated earnings and losses made by the Company over the years.

Statement of changes in equity for the year ended March 31, 2018

(₹ in lakh)

Particulars	Attributable to equity holders			
	Share Capital	Reserves and Surplus		Total
		General reserve	Retained earnings	
Balance at April 1, 2017	8,636.50	8,200.18	51,147.86	67,984.54
Profit for the year	-	-	8,211.23	8,211.23
Other comprehensive income for the year, net of income tax	-	-	846.19	846.19
Total comprehensive income for the year	-	-	9,057.42	9,057.41
Payment of Proposed dividend (Including DDT)	-	-	4,092.24	4,092.24
Balance at March 31, 2018	8,636.50	8,200.18	56,113.04	72,949.71

During the year ₹ 34,00.00 lakhs is declared and paid as dividend pertaining to year 2016-17 and DDT of ₹ 692.24 thereon is adjusted against free reserve.

Note 20 - Other non-current financial liabilities

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Finance lease obligations	18.67	14.49
Total	18.67	14.49



नोट 21 - गैर-वर्तमान प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	10,277.42	10,644.50
ख) अन्य		
अन्य दीर्घकालीन प्रावधान	189.60	204.07
प्रवेश कर के लिए प्रावधान#	71.31	69.52
कुल	10,538.33	10,918.09

उड़ीसा एंटी टैक्स एक्ट, 1999 के प्रावधानों के तहत कंपनी की ऑसकॉम इकाई ने कच्चे माल के रूप में भट्टी तेल और कोयले पर विचार करते हुए उनपर भुगतान किये गये एंटी टैक्स से छूट का दावा किया है। वाणिज्यिक कर आयुक्त, कटक "सीसीटी" द्वारा इस की अस्वीकृति के विरुद्ध कंपनी ने माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की है। हालांकि, खातों में ₹ 148.94 लाख (पिछले वर्ष ₹ 146.95 लाख) की विवादित राशि का प्रावधान किया गया है। कंपनी ने सक्षम प्राधिकरणों द्वारा निर्देशित सीसीटी के साथ ₹ 77.63 लाख (पिछले वर्ष 77.44 लाख) की कुल राशि समायोजित की है जो सकल देयता के लिए निहित है।

नोट 22 - अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
अन्य देयताएं #	5,000.00	5,000.00
कुल	5,000.00	5,000.00

#अन्य देयताएं - शेड्यूल के अनुसार सामग्री को न उठाने के कारण बैंक गारंटी होने से मैसर्स टीटीपीएल से 5000 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

नोट 23 - वर्तमान व्यापार देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	755.65	471.19
अन्य	1,564.95	1,997.66
कुल	2,320.60	2,468.85

नोट 24 - अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
अन्य देयता - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	285.62	1.49
खर्चों के लिए देयताएं	3,034.57	2,544.83
सुरक्षा और प्रतिधारण धन	1,036.44	875.82
ग्राहक से अग्रिम	3.97	-
अन्य देनदारियां ##	5,676.30	1,679.69
कुल	10,036.90	5,101.83



Note 21 - Non-current provisions

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
a) Provision for employee benefits	10,277.42	10,644.50
b) Others		
Other long term provision	189.60	204.07
Provision for entry tax #	71.31	69.52
Total	10,538.33	10,918.09

The Oscom unit of the Company, considering furnace oil and coal as raw material claimed set off of entry tax paid on them under the provisions of 'Orissa Entry Tax Act, 1999. Against the disallowance of this by the Commissioner of Commercial Tax, Cuttack "CCT" the Company filed a writ petition before the Hon'ble Orissa High Court. However, the disputed amount of ₹148.94 lakhs (previous year ₹ 146.95 lakhs) has been provided in the accounts. The Company adjusted an aggregate amount of ₹ 77.63 lakhs (previous year ₹ 77.44 lakhs) with CCT as directed by the competent authorities which has been netted against the gross liability.

Note 22 - Other non-current liabilities

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Other liabilities#	5,000.00	5,000.00
Total	5,000.00	5,000.00

#Other Liabilities - Being Bank Guarantee encashed amount ₹ 5000 lakhs off M/s TTPL due to non lifting of materials as per schedule.

Note 23 - Current trade payables

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Micro, Small and Medium Enterprises	755.65	471.19
Others	1,564.95	1,997.66
Total	2,320.60	2,468.85

Note 24 - Other current financial liabilities

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Other Payables - Micro, Small and Medium Enterprises	285.62	1.49
Liabilities for expenses	3,034.57	2,544.83
Security and retention money	1,036.44	875.82
Advance from customer	3.97	-
Other liabilities ##	5,676.30	1,679.69
Total	10,036.90	5,101.83



सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के तहत परिभाषित माइक्रो और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (मूल और ब्याज) के बारे में जानकारी नीचे दी गई है। (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	गैर वर्तमान - दीर्घकालिक देनदारियां-व्यापार की देयता और अन्य वर्तमान देनदारियां	वर्तमान - व्यापार की देयता और अन्य वर्तमान देनदारियां	गैर-वर्तमान - दीर्घ कालिक देयता और अन्य वर्तमान देयताएं	वर्तमान - व्यापार की देयता और अन्य वर्तमान देनदारियां
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय मूल राशि और साल के अंत में भुगतान न किए गए बकाया राशि	शून्य	1041.27	शून्य	472.68
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय ब्याज और वर्ष के अंत में भुगतान न की गई बकाया राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत एमएसएमईडी के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान निर्धारित दिन से ज्यादा भुगतान किया गया अधिक ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियुक्त दिन से अधिक) लेकिन उसमें एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज शामिल नहीं है ।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अर्जित ब्याज की राशि और वर्ष के अंत में भुगतान न की गई बकाया राशि।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उपरोक्त ब्याज की देनदारी वास्तव में छोटे उद्यमों को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए भुगतान की जाती है, जब तक कि आने वाले वर्षों में देय और देय शेष बकाया राशि का भुगतान किया जाता है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट 25 - अन्य वर्तमान देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
ग्राहकों से अग्रिम रकम	1,774.37	4,186.75
सांविधिक देयताएं	841.13	149.22
अन्य देनदारियां	1,165.60	1,086.68
कुल	3,781.10	5,422.65

नोट 26 - वर्तमान प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान ##	3,942.52	8,392.33
अन्य		
संपत्ति कर के लिए प्रावधान	-	-
केंद्रीय उत्पाद के लिए प्रावधान	-	118.80
केंद्रीय उत्पाद पर राज्य कर के लिए प्रावधान	-	-
संविदात्मक प्रावधान	792.34	668.97
कुल	4,734.86	9,180.10

वर्ष 2017-18 के दौरान कार्यरत श्रमिक यूनियनों के साथ औद्योगिक विवाद (आईडी) अधिनियम 1947 के धारा 12 (3) के तहत वेतन समझौते के लिए देय कुल राशि में से ₹ 945.49 लाख रूपये की राशि प्रावधान खाते में बनी हुई है और आंशिक शेष राशि लंबित वितरण के रहते बनी उत्तरदायित्व खाते में मौजूद है।



The information regarding total outstanding dues (principal & interest) of micro and small enterprises as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED) is given below. (₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018		As at 31 st March 2017	
	Non current - Long term liabilities -Trade payable & Other current liabilities	Current -Trade payable & Other current liabilities	Non current - Long term liabilities -Trade payable & Other current liabilities	Current -Trade payable & Other current liabilities
Principal amount due to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at the end of year	Nil	1,041.27	Nil	472.68
Interest due to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at the end of year	Nil	Nil	Nil	Nil
Interest paid, under section 16 of the MSMED Act, to suppliers registered under MSMED, beyond the appointed day during the year	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under MSMED Act.	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of year.	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprises, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act.	Nil	Nil	Nil	Nil

Note 25 - Other current liabilities

Particulars	(₹ in lakh)	
	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Advances from Customers	1,774.37	4,186.75
Statutory Liabilities	841.13	149.22
Other liabilities	1,165.60	1,086.68
Total	3,781.10	5,422.65

Note 26 - Current provisions

Particulars	(₹ in lakh)	
	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Provision for employee benefits ##	3,942.52	8,392.33
Others	-	-
Provision for Wealth tax	-	-
Provision for central excise	-	118.80
Provision for State tax on central excise	-	-
Contractual Provision	792.34	668.97
Total	4,734.86	9,180.10

Out of total amount payable towards wage settlement u/s 12(3) of ID Act 1947 with workers' unions entered during the year 2017-18, an amount of ₹ 945.49 lakhs continues to remain in provision account and partial balance amount has remained in liability account pending disbursement.



नोट 27 - प्रचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पाद की बिक्री	51,549.55	41,201.78
अन्य ऑपरेटिंग राजस्व	5,938.75	5,007.86
कुल	57,488.30	46,209.64

नोट:

उत्पादों की बिक्री में ₹ 27,832.40 लाख (पिछले साल ₹ 19,842.72 लाख) की विदेशी मुद्रा की कमाई शामिल है जो एफओबी आधार पर की जाती है।

दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को दी गई सूचना के माध्यम से वर्ष 2010-11 के लिए अनुमोदित दर के आधार पर भारत सरकार (भारत सरकार) को विशेष रूप से प्रदान किए गए परमाणु ग्रेड अमोनियम डी-अर्नाट (एनजीएडीयू) के लिए मुआवजे के लिए राजस्व को जारी रखा गया है; अर्थात् ₹ 13,557/- प्रति किलोग्राम यह दर वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक सभी वर्ष की प्रारंभिक मान्यता के लिए लगातार लागू की गई है। इसका कारण यह है कि एक उच्च दर का दावा कभी-कभार ही हो सकता है, फिर भी वास्तविक लागत (दावे का आधार है) अंतर पौधों / प्रक्रियाओं में पिछले अनुमोदित दरों (2014 में मंजूरी के अनुसार ₹ 19,655 / - प्रति किग्रा 2011-12 में प्रभावित होने के लिए -15 और 2012-13 में प्रभावित आपूर्ति के लिए 2016-17 में 16,971 / - प्रति किग्रा को मंजूरी दी गई) विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त होने पर, इस तरह के अनुमोदन प्राप्त होने के वर्ष में अंतर को राजस्व के हिस्से के रूप में माना जाता है। तदनुसार, ₹ 786.31 लाख एफ / वाई के लिए प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त राशि का अंतर है। 2012-13 और स्वीकृत राशि अब 2016-17 में मान्यता प्राप्त है।

नोट 28 - अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
अमूर्त लागत पर मापा गया वित्तीय संपत्ति पर ब्याज आय		
बैंक जमा पर	1,976.64	2,066.49
अन्य पर	908.03	1,566.02
लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया वित्तीय संपत्ति से लाभांश आय	222.78	196.69
निवल विदेशी मुद्रा लाभ	87.55	164.13
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	1.41	29.85
अन्य गैर - प्रचालन आय	863.95	1,244.73
कुल	4,060.36	5,267.91

नोट 29 - खपत सामग्री की लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
कच्चा माल खपत	4,723.85	5,032.88
रसायन खपत	1,658.99	1,387.24
कुल	6,382.84	6,420.12



Note 27 - Revenue from operations

(₹ in lakh)

Particulars	For the year ended 31 st March 2018	For the year ended 31 st March 2017
Sale of Products	51,549.55	41,201.78
Other Operating Revenues	5,938.75	5,007.86
Total	57,488.30	46,209.64

Note:

Sale of products includes earning in foreign exchange amounting to ₹ 27,832.40 lakhs (Previous year ₹ 19,842.72 lakhs) calculated on FOB basis.

Revenue towards compensation for Nuclear Grade Amonium Di-uranate (NGADU) supplied exclusively to Government of India (GoI) is continued to be recognised on the basis of rate approved for the year 2010-11 vide communication dated 13th April, 2012; i.e. at ₹ 13,557/- per kg. This rate has been consistently applied for the initial recognition for all year from 2012-13 to 2017-18. This is because even though a higher rate may at times be claimed, the actual cost incurred (Which is the basis of the claim) may at difference plants/processes be less than the last approved rates (₹ 17559/- per kg approved in 2017-18 for supplied effected in 2013-14 and ₹ 17483/- per kg approved in 2017-18 for supplied effected in 2014-15). Upon receipt of specific approval, the differential impact is considered as part of the revenue in the year of receipt of such approval. Accordingly, ₹ 2093.63 Lakhs being the difference of the sum initially recognised for F.Y. 2013-14 & 2014-15 and the sum now approved for those years is recognised as revenue in the year 2017-18.

Note 28 - Other income

(₹ in lakh)

Particulars	For the year ended 31 st March 2018	For the year ended 31 st March 2017
Interest Income on financial assets measured at amortised cost		
On Bank deposits	1,976.64	2,066.49
On others	908.03	1,566.02
Dividend income from financial assets measured at Fair value through profit or loss	222.78	196.69
Net foreign exchange gain	87.55	164.13
Profit on sale of property, plant and equipment	1.41	29.85
Other non-operating income	863.95	1,244.73
Total	4,060.36	5,267.91

Note 29 - Cost of materials consumed

(₹ in lakh)

Particulars	For the year ended 31 st March 2018	For the year ended 31 st March 2017
Raw material consumed	4,723.85	5,032.88
Chemicals consumed	1,658.99	1,387.24
Total	6,382.84	6,420.12



नोट 30 - तैयार वस्तुओं की सूची में परिवर्तन, स्टॉक-इन-ट्रेड और प्रगति पर कार्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के अंत में		
तैयार माल	9,888.26	8,434.06
प्रगति पर कार्य	959.48	822.02
आगे की प्रक्रिया के लिए मध्यवर्ती उत्पाद	267.68	228.30
	11,115.42	9,484.38
वर्ष के आरम्भ में		
तैयार माल	8,434.06	7,815.87
प्रगति पर कार्य	822.02	991.30
आगे की प्रक्रिया के लिए मध्यवर्ती उत्पाद	228.30	105.58
	9,484.38	8,912.75
कुल	(1,631.04)	(571.63)

नोट 31 - कर्मचारी लाभ के व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	14,608.08	17,279.08
भविष्य निधि और अन्य फंडों में योगदान	4,186.32	2,426.06
कर्मचारी कल्याण व्यय	3,855.89	3,601.70
घटायें : अन्य शीर्ष को हस्तांतरित व्यय और सरकारी परियोजनाओं / पूंजी कार्यों से उपरिव्यय शुल्कों का पुनर्भुगतान	(207.85)	(139.41)
कुल	22,442.44	23,167.43

बीमांकिक लाभ / (हानि)

(₹ लाख में)

उपदान	522.56	5.73
पीआरएमएस	553.21	(7.22)
कुल	1,075.77	(1.49)

नोट: विभिन्न कर्मचारी लाभों के लिए दिए गये प्रावधानों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक-19 के लिए जरूरी प्रकटीकरण नोट नंबर 41 के तहत दिखाया गया है

नोट 32 - वित्त लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
परिशोधित लागत पर मापा गया वित्तीय देनदारियों पर ब्याज व्यय :		
बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	36.76
ब्याज - अन्य	96.23	13.46
कुल	96.23	50.22



Note 30 - Changes in inventories of finished goods, Stock-in-Trade and work-in-progress

(₹ in lakh)

Particulars	For the year ended 31 st March 2018	For the year ended 31 st March 2017
At the end of the Year		
Finished Goods	9,888.26	8,434.06
Work-In-Progress	959.48	822.02
Intermediate product for further processing	267.68	228.30
	11,115.42	9,484.38
At the beginning of the Year		
Finished Goods	8,434.06	7,815.87
Work-In-Progress	822.02	991.30
Intermediate product for further processing	228.30	105.58
	9,484.38	8,912.75
Total	(1,631.04)	(571.63)

Note 31 - Employee benefits expense

(₹ in lakh)

Particulars	For the year ended 31 st March 2018	For the year ended 31 st March 2017
Salaries and wages	14,608.08	17,279.08
Contribution to provident and other funds	4,186.32	2,426.06
Staff welfare expense	3,855.89	3,601.70
Less: Expenditure transferred to other heads & recoupment of overhead charges from the Government projects/capital works	(207.85)	(139.41)
Total	22,442.44	23,167.43
Actuarial Gain / (Loss)		
Gratuity	522.56	5.73
PRMS	553.21	(7.22)
Total	1,075.77	(1.49)

Note: Disclosures required by Ind AS -19 in respect of provision made towards various Employees benefits is shown under Note no 41

Note 32 - Finance costs

(₹ in lakh)

Particulars	For the year ended 31 st March 2018	For the year ended 31 st March 2017
Interest expense on financial liabilities measured at amortised cost:		
Interest on bank overdraft	-	36.76
Interest - others	96.23	13.46
Total	96.23	50.22



नोट 33 - अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
भंडार और पुर्जों की खपत #	1,770.35	2,124.25
बिजली और इंधन	6,872.57	6,894.42
किराया	109.70	67.04
इमारतों की मरम्मत	531.53	463.11
मशीनरी की मरम्मत	691.22	745.01
मरम्मत- अन्य	1,352.01	979.63
बीमा	107.13	106.22
दर और कर	70.30	68.43
रॉयल्टी	1,427.41	1,021.26
आर एंड डी व्यय	189.25	192.96
अपशिष्ट निपटान व्यय	143.94	176.23
पैकिंग और हैंडलिंग का खर्च ####	1,491.43	1,690.03
कमीशन	11.11	6.54
बेचे गये/ निकाल दिए गये संपत्ति, संयंत्र, और उपकरणों पर नुकसान	41.88	6.37
संदिग्ध ऋण, संपत्ति और अग्रिमों के लिए प्रावधान	1.13	13.58
अचल भंडार का नुकसान	36.67	38.00
सीएसआर और स्थिरता ##	80.37	58.33
यात्रा -	275.94	256.90
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	7.62	9.08
कर लेखा परीक्षा शुल्क	2.11	-
लागत लेखा परीक्षा शुल्क	0.49	0.49
अन्य सेवायें	-	0.04
यात्रा और फुटकर खर्च	6.13	4.99
खनिजों पर निर्यात शुल्क	497.67	1,412.83
विविध व्यय	3,231.07	2,294.34
	18,949.03	18,630.08
	(360.59)	(212.37)
कुल	18,588.44	18,417.71

नोट: 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आयातित / स्वदेशी स्पेयर पार्ट्स और उपभोग किए गए घटकों का मूल्य

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
आयातित (%)	-	0.21
देशीय (%)	100.00	99.79
कुल	100.00	100.00

नोट - सीएसआर व्यय

- (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जानेवाली आवश्यक सकल राशि 'शून्य'
(ख) वर्ष के दौरान पर खर्च की गई राशि दिनांक 31.03.2018 को ₹ 80.37 lakhs.



Note 33 - Other expenses

(₹ in lakh)

Particulars	For the year ended 31 st March 2018	For the year ended 31 st March 2017
Consumption of stores and spares#	1,770.35	2,124.25
Power and fuel	6,872.57	6,894.42
Rent	109.70	67.04
Repairs to buildings	531.53	463.11
Repairs to machinery	691.22	745.01
Repairs- others	1,352.01	979.63
Insurance	107.13	106.22
Rates and taxes	70.30	68.43
Royalty	1,427.41	1,021.26
R & D Expenses	189.25	192.96
Waste disposal expenses	143.94	176.23
Packing and handling expenses ###	1,491.43	1,690.03
Commission	11.11	6.54
Loss on property, plant and equipment sold/discarded	41.88	6.37
Provision for doubtful debts, assets and advances	1.13	13.58
Loss of non-moving stores	36.67	38.00
CSR & Sustainability ##	80.37	58.33
Travelling-	275.94	256.90
Statutory Audit fees	7.62	9.08
Tax audit fees	2.11	-
Cost Audit fees	0.49	0.49
Other services	-	0.04
Travelling and out of pocket expenses	6.13	4.99
Export Duty on minerals	497.67	1,412.83
Miscellaneous expenses	3,231.07	2,294.34
	18,949.03	18,630.08
Less: Expenditure transferred to other heads & recoupment of overhead charges from Government projects/capital works	(360.59)	(212.37)
Total	18,588.44	18,417.71

Note: Value of imported / Indigenous spare parts & components consumed for the year ended 31st March 2018

Particulars	For the year ended 31 st March 2018	For the year ended 31 st March 2017
Imported (%)	-	0.21
Indigenous (%)	100.00	99.79
Total	100.00	100.00

Note - CSR Expenditure

- (a) Gross amount required to be spent by the company during the year ₹ Nil.
- (b) Amount spent during the year on 31.03.2018 ₹ 80.37 lakhs.



(₹ लाख में)

विवरण	नकद में	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजनों पर	80.37	80.37
कुल	80.37	80.37

वर्ष के लिए अभी नकद में शून्य भुगतान किया जाना है।

दिनांक 19.05.2008 को चवरा में शिपिंग और बैगिंग फ़ोरम श्रमिकों को बरखास्तगी पैकेज प्रदान करने पर सहमति हुई थी। उपरोक्त के जवाब में, शून्य शिपिंग फ़ोरम श्रमिक (पिछले वर्ष 108) और शून्य बैगिंग फ़ोरम श्रमिक (पिछले वर्ष शून्य) को वर्ष 2016-17 के अंत तक बरखास्तगी पैकेज का भुगतान किया गया है। पैकिंग, हैंडलिंग और अग्रेषण खर्चों में इसके लिए 'शून्य लाख (पिछले वर्ष ₹ 130.20 लाख) की राशि शामिल है। शिपिंग फ़ोरम का अस्तित्व बंद हो चुका है।

नोट 34: आयकर व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
(क) आयकर व्यय		
वर्तमान कर		
चालू वर्ष के लिए		
आय कर	1,847.47	789.30
पिछले वर्षों के लिए		
आय कर	-	(157.66)
कुल वर्तमान कर	1,847.47	631.64
आस्थगित कर		
अस्थगित कर प्रभार / (क्रेडिट)	2,326.54	(1,547.48)
कुल आस्थगित कर	2,326.54	(1,547.48)
कुल	4,174.01	(915.84)

नोट 34.1: कर व्यय का समाधान और कर की दर से गुणा लेखा लाभ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
कर से पहले शुद्ध लाभ	12,385.23	4,158.95
21.34% की दर से कर (पिछला वर्ष: 30.90%) घटाए मैट (MAT) का उपयोग	1,194.18	-
कर योग्य आय की गणना में कटौती के लिए पात्र / कर योग्य नहीं ऐसी राशि के कर का प्रभाव	-	-
मूल्यहास	(1,303.42)	(182.11)
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(83.89)	5.35
43 बी के तहत अस्वीकृति	1,431.20	950.94
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना	(110.74)	(95.56)
अन्य समय अंतर	1,347.83	(799.98)
अनवशोषित नुकसान	636.73	(636.73)
अनवशोषित मूल्यहास	1,293.99	-
ब्याज आय का आस्थगन	(0.24)	(0.54)
वित्त पट्टा दायित्व	(2.04)	0.46
पिछले वर्ष में किए गए अतिरिक्त प्रावधानों का विपर्यय	-	(157.67)
आय कर व्यय	4,403.59	(915.84)



(₹ in lakh)

Particulars	In cash	Total
(i) Construction / acquisition of any asset	-	-
(ii) On purposes other than (i) above	80.37	80.37
Total	80.37	80.37

Yet to be paid in cash for the year is Nil.

It was agreed to offer severance package to the shipping and bagging forum workers at Chavara on 19.05.2008. In response to the above, Nil shipping forum workers (previous year 108) and Nil bagging forum workers (previous year Nil) have been paid severance package up to the end of year 2016-17. Packing, handling and forwarding expenses includes an amount of ₹ Nil lakh (previous year ₹ 130.20 lakh) for the same. The existence of shipping forum has been ceased.

Note 34: Income tax expense

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
(a) Income tax expense		
Current tax		
For Current Year		
Income tax	1,847.47	789.30
For earlier years		
Income tax	-	(157.66)
Total of Current tax	1,847.47	631.64
Deferred Tax		
Deferred tax charge/(credit)	2,326.54	(1,547.48)
Total of Deferred tax	2,326.54	(1,547.48)
Total	4,174.01	(915.84)

Note 34.1: Reconciliation of tax expense and the accounting profit multiplied by tax rate

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Net Profit before tax	12,385.23	4,158.95
Tax at the rate of 21.34% (Previous year: 30.90%) less MAT utilised	1,194.18	-
Tax effect of amounts which are not deductible / not taxable in calculating taxable income		
Depreciation	(1,303.42)	(182.11)
Provision for doubtful debts	(83.89)	5.35
Disallowance u/s 43B	1,431.20	950.94
Post retirement medical scheme	(110.74)	(95.56)
Other timing differences	1,347.83	(799.98)
Unabsorbed Loss	636.73	(636.73)
Unabsorbed Depreciation	1,293.99	-
Deferment of interest income	(0.24)	(0.54)
Finance lease obligation	(2.04)	0.46
Reversal of excess provision made in earlier year	-	(157.67)
Income Tax expense	4,403.59	(915.84)



(₹ लाख में)

निम्न के संबंध में आस्थगित कर शेष	1 अप्रैल 2017 को	Recognised / reversed through profit and loss	Recognised in / reclassified from OCI	31 मार्च 2018 को
निम्न के कारण आस्थगित कर देयताएं :				
खाता बही और कर अवमूल्यन के बीच का अंतर	2,076.31	(1,303.42)		772.89
कुल आस्थगित कर देयताएं	2,076.31	(1,303.42)	-	772.89
निम्न के कारण आस्थगित कर संपत्तियां :				
धारा 43 बी के तहत समय के अंतर के रूप में स्वीकार्य अस्विकृतियाँ	2,385.24	(1,319.67)	(111.52)	954.04
संदेहास्पद ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	646.25	83.89		730.14
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना	1,674.41	228.79	(118.06)	1,785.15
अन्य समय अंतर	2,175.26	(1,347.83)		827.43
अनवशोषित मूल्यहास	1,293.99	(1,293.99)		-
अनवशोषित हानि	636.73	(636.73)		-
ब्याज आय का आस्थगन	1.80	0.24		2.04
वित्त पट्टा दायित्व	4.48	2.04		6.52
मैट (MAT) साख पात्रता	789.30	653.29		1,442.59
कुल आस्थगित कर संपत्तियां	9,607.46	(3,629.97)	(229.58)	5,747.91
कुल	7,531.14	(2,326.54)	(229.58)	4,975.02

नोट 35: उचित मूल्य माप श्रेणी के अनुसार वित्तीय लेख पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018		31 मार्च 2017	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तिया: गैर - वर्तमान				
गैर-वर्तमान निवेश	1.42	-	1.42	-
सुरक्षा जमा राशि	-	1,772.71	-	1,632.84
ऋण और अग्रिम - कर्मचारी	-	954.04	-	1,172.80
अन्य ऋण और अग्रिम	-	0.27	-	16.75
वित्तीय परिसंपत्तिया: वर्तमान				
निवेश	1,857.47	-	6,172.69	-
व्यापार प्राप्तियां	-	717.10	-	585.84
नकद और नकद समकक्ष	-	1,922.34	-	1,753.72
अन्य बैंक शेष राशि	-	31,497.83	-	27,852.11
ऋण और अग्रिम - निदेशक	-	-	-	0.82
ऋण और अग्रिम - कर्मचारीवर्ग	-	678.24	-	847.20
अन्य ऋण और अग्रिम	-	8,312.74	-	7,876.22
अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियां	-	5,861.87	-	3,058.72
कुल वित्तीय परिसंपत्तिया	1,858.89	51,717.14	6,174.11	44,797.02
वित्तीय दायित्व : गैर-वर्तमान				
वित्त पट्टा दायित्व	-	18.67	-	14.49
वित्तीय दायित्व : वर्तमान				
व्यापार देनदारियां	-	2,320.60	-	2,468.85
अन्य वर्तमान वित्तीय दायित्व	-	10,036.90	-	5,101.83
कुल वित्तीय दायित्व	-	12,376.17	-	7,585.17



(₹ in lakh)

Deferred tax balance in relation to	As at 1 st April 2017	Recognised/ reversed through profit and loss	Recognised in / reclassified from OCI	As at 31 st March 2018
Deferred tax liabilities on account of:				
Difference between book and tax depreciation	2,076.31	(1,303.42)		772.89
Total deferred tax liabilities	2,076.31	(1,303.42)	-	772.89
Deferred tax assets on account of:				
Disallowances U/s 43B allowable as timing differences	2,385.24	(1,319.67)	(111.52)	954.04
Provision for Doubtful debts and Advances	646.25	83.89		730.14
Post Retirement Medical Scheme	1,674.41	228.79	(118.06)	1,785.15
Other timing differences	2,175.26	(1,347.83)		827.43
Unabsorbed Depreciation	1,293.99	(1,293.99)		-
Unabsorbed loss	636.73	(636.73)		-
Deferment of interest income	1.80	0.24		2.04
Finance lease obligation	4.48	2.04		6.52
MAT credit entitlement	789.30	653.29		1,442.59
Total deferred tax assets	9,607.46	(3,629.97)	(229.58)	5,747.91
Total	7,531.14	(2,326.54)	(229.58)	4,975.02

Note 35: Fair value measurements**Financial instruments by category**

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018		31 st March 2017	
	FVTPL	Amortised cost	FVTPL	Amortised cost
Financial assets: Non-current				
Non-current investments	1.42	-	1.42	-
Security deposit	-	1,772.71	-	1,632.84
Loans and advances - employees	-	954.04	-	1,172.80
Other Loans and advances	-	0.27	-	16.75
Financial assets: Current				
Investment	1,857.47	-	6,172.69	-
Trade receivables	-	717.10	-	585.84
Cash and cash equivalents	-	1,922.34	-	1,753.72
Other Bank balances	-	31,497.83	-	27,852.11
Loans and advances - directors	-	-	-	0.82
Loans and advances - employees	-	678.24	-	847.20
Other Loans and advances	-	8,312.74	-	7,876.22
Other current financial assets	-	5,861.87	-	3,058.72
Total financial assets	1,858.89	51,717.14	6,174.11	44,797.02
Financial liabilities: Non-current				
Finance lease obligations	-	18.67	-	14.49
Financial liabilities: Current				
Trade payables	-	2,320.60	-	2,468.85
Other current financial liabilities	-	10,036.90	-	5,101.83
Total financial liabilities	-	12,376.17	-	7,585.17



I. उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्यों को उस राशि पर शामिल किया जाता है जो किसी संपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या मापन की तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

यह खंड वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों को बताता है जो (क) उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त और मापा जाता है और (ख) अमूर्त लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। निःपक्ष मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय उपकरणों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर की एक व्याख्या तालिका के नीचे दी गई है।

स्तर 1: पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गये वित्तीय साधन शामिल है। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी के साधन, व्यापारिक बॉन्ड और म्यूचुअल फंड शामिल है, जिनके मूल्य उद्धृत किये हैं। स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किए जाने वाले सभी इक्विटी साधनों (बॉन्ड समेत) का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के रूप में बंद मूल्य का उपयोग करके मूल्यांकित किया गया है। म्यूचुअल फंड को बंद एनएवी का उपयोग करके मूल्यांकित किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य जो सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है (उदाहरण के लिए, व्यापारिक बॉन्ड, ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव) मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो देखने योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और इकाई - विशिष्ट अनुमान

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट देखने लायक बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण स्तर 3 में शामिल किया गया है। यह असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, आकस्मिक विचार और क्षतिपूर्ति संपत्ति के स्तर 3 में शामिल है।

II. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय लेख पत्रों के मूल्यांकन हेतु लिए उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण मूल्यांकन तकनीकों में निम्न शामिल हैं:

सुरक्षा जमा, कर्मचारियों को ऋण के उचित मूल्य एसबीआई की मौजूदा ब्याज दर के औसत, 10 साल के बॉन्ड पर औसत उपज दर, पिछले 10 वर्षों की औसत मुख्य ऋण दर के आधार पर निर्धारित छूट दर का उपयोग करके रियायती नकद प्रवाह पर आधारित है।

III. मूल्यांकन प्रक्रियाएं

कंपनी का वित्त विभाग वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए आवश्यक संपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन करता है। टीम मूल्यांकन विधि की मंजूरी के लिए सीधे निदेशक वित्त को रिपोर्ट करती है। मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए मुख्य स्तर 2 इनपुट निम्नानुसार प्राप्त और मूल्यांकन किया जाता है:

IV. उचित मूल्य पदानुक्रम - आवृत्ति उचित मूल्य माप

म्यूचुअल फंड में निवेश की गई ₹ 1,857.47 लाख की राशि लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर लेखांकित की गई है जिसे पदानुक्रम के स्तर 1 में वर्गीकृत किया गया है।



I. Fair value hierarchy

The fair values of the financial assets and liabilities are included at the amount that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

This section explains the judgements and estimates made in determining the fair values of the financial instruments that are (a) recognised and measured at fair value and (b) measured at amortised cost and for which fair values are disclosed in the financial statements. To provide an indication about the reliability of the inputs used in determining fair value, the Company has classified its financial instruments into the three levels prescribed under the accounting standard. An explanation of each level follows underneath the table.

Level 1: Level 1 hierarchy includes financial instruments measured using quoted prices. This includes listed equity instruments, traded bonds and mutual funds that have quoted price. The fair value of all equity instruments (including bonds) which are traded in the stock exchanges is valued using the closing price as at the reporting period. The mutual funds are valued using the closing NAV.

Level 2: The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (for example, traded bonds, over-the-counter derivatives) is determined using valuation techniques which maximise the use of observable market data and rely as little as possible on entity-specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

Level 3: If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3. This is the case for unlisted equity securities, contingent consideration and indemnification asset included in level 3.

There are no transfers between fair value hierarchy levels during the year.

Loans to employees and security deposits have been categorised into level 2 of fair value hierarchy. All the other items have been categorised into level 3.

II. Valuation technique used to determine fair value

Significant valuation techniques used to value financial instruments include:

The fair values for Security deposits, loan to employees are based on discounted cash flows using a discount rate determined considering the average of prevailing interest rate of SBI, average yield rate on 10 year bond, last 10 years average prime lending rate.

III. Valuation processes

The finance department of the company performs the valuation of assets and liabilities required for financial reporting purposes. The team directly reports to the Director Finance for approval of the valuation method. The main Level 2 input for the valuation process are derived and evaluated as follows:

- Discount rates are determined considering the average of prevailing interest rate of SBI, average yield rate on 10 year bond, last 10 years average prime lending rate that reflect current market assessment of the time value of money and the risk specific to the asset.

IV. Fair value hierarchy - recurring fair value measurement:

Investment in mutual fund amounting to ₹ 1,857.47 lakhs accounted at Fair value through profit and loss is categorised into Level 1 of hierarchy.



V. अमूर्त लागत पर मापा गया वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य जिसके लिए उचित मूल्यों का खुलासा किया गया है (इसे उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 2 के तहत वर्गीकृत किया गया है)

विवरण	31 मार्च 2018		31 मार्च 2017	
	ले जाने वाली राशि	उचित मूल्य	ले जाने वाली राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां	1,772.71	1,590.40	1,632.84	1,569.22
ऋण और अग्रिम - कर्मचारी	1,632.28	1,977.60	2,020.00	2173.04
वित्तीय दायित्व: गैर - वर्तमान				
वित्त पट्टा दायित्व	18.67	18.16	14.49	18.38

व्यापार प्राप्तियां, नकदी और नकद समकक्ष, ऋण और अग्रिम - निदेशकों, अन्य ऋण और अग्रिम, अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियों, व्यापारिक देनदारियों और अन्य मौजूदा वित्तीय देनदारियों की ले जाने वाली रकम को उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है, क्योंकि उनकी लघु- अवधि प्रकार के कारण।

नोट 36: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में वित्त पट्टे के दायित्व, व्यापार और अन्य देनदारी शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन का वित्तपोषण करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्तियों, और नकदी और नकद समकक्ष शामिल हैं जो उसके कार्यों से सीधे प्राप्त होते हैं। कंपनी सहकारी संस्थाओं में एफवीटीपीएल निवेश भी रखती है। कंपनी ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और तरलता जोखिम के दायरे में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं।

I. ऋण जोखिम

कंपनी अपनी ऑपरेटिंग गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियों के लिए) और इसकी वित्त पोषण गतिविधियों (बैंकों और अन्य वित्तीय लेख पत्रों में जमा) से ऋण की जोखिम से अवगत है।

ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, कंपनी एक ऐसी नीति का पालन करती है जिसमें ग्राहकों को माल की खरीद से पहले अग्रिम भुगतान करना होगा। इस प्रकार, व्यापार प्राप्तियों पर हानि का आकलन करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि सामूहिकता जोखिम कम हो जाता है। बैंक शेष केवल उच्च रेटेड बैंकों के साथ होते हैं और अधिकांश सुरक्षा जमा सरकारी एजेंसियों के साथ मुख्य रूप से रखे जाते हैं।

ऐसे प्राप्तियों की आयू जो पिछला बकाया है पर हानि नहीं है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
6 महीने तक	714.12	582.84
6 से 12 महीने तक	-	0.12
12 से 24 महीने तक	-	2.84
24 से 36 महीने तक	2.98	0.04
36 से अधिक महीने तक	-	-
कुल	717.10	585.84

II. तरलता की जोखिम

तरलता जोखिम को जोखिम के रूप में परिभाषित किया जाता है कि कंपनी समय पर या उचित मूल्य पर अपने दायित्वों को सुलझाने या पूरा करने में सक्षम नहीं होगी। कंपनी के लिए, वित्तीय पेंशन, व्यापार देनदारियों और अन्य वित्तीय देनदारियों जैसे वित्तीय देनदारियों के कारण दायित्वों से तरलता जोखिम उत्पन्न होता है।



V. Fair value of financial assets and liabilities measured at amortised cost for which fair values are disclosed (It is categorised under Level 2 of fair value hierarchy)

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018		31 st March 2017	
	Carrying amount	Fair value	Carrying amount	Fair value
Financial assets:				
Security deposit	1,772.71	1,590.40	1,632.84	1,569.22
Loans and advances - employees	1,632.28	1,977.60	2,020.00	2173.04
Financial liabilities: Non-current				
Finance lease obligations	18.67	18.16	14.49	18.38

The carrying amounts of Trade receivables, Cash and cash equivalents, loans and advances - directors, other Loans and advances, other current financial assets, trade payables and other current financial liabilities are considered to be the same as their fair values, due to their short-term nature.

Note 36: Financial risk management

The Company's principal financial liabilities comprise finance lease obligations, trade and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the Company's operations. The Company's principal financial assets include loans, trade and other receivables, and cash and cash equivalents that derive directly from its operations. The Company also holds FVTPL investments in co-operative societies.

The Company is exposed to credit risk, market risk and liquidity risk. The Company's senior management oversees the management of these risks.

I. Credit risk

The company is exposed to credit risk from its operating activities (primarily for trade receivables) and from its financing activities (deposits with banks and other financial instruments).

Credit risk management

To manage the credit risk, the Company follows a policy wherein the customers are required to make an advance payment before procurement of goods. Thus, the requirement of assessing the impairment loss on trade receivables does not arise, since the collectibility risk is mitigated.

Bank balances are held with only high rated banks and majority of other security deposits are placed majorly with government agencies.

Age of receivables that are past due but not impaired

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Upto 6 months	714.12	582.84
6 to 12 months	-	0.12
12 to 24 months	-	2.84
24 to 36 months	2.98	0.04
More than 36 months	-	-
Total	717.10	585.84

II. Liquidity risk

Liquidity risk is defined as the risk that the company will not be able to settle or meet its obligations on time or at a reasonable price. For the company, liquidity risk arises from obligations on account of financial liabilities such as finance lease, trade payables and other financial liabilities.



(क) तरलता जोखिम प्रबंधन

कंपनी का कॉर्पोरेट ट्रेजरी विभाग तरलता और वित्त पोषण के साथ-साथ निपटारे के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, ऐसे जोखिमों से संबंधित प्रक्रियाओं और नीतियों का पर्यवेक्षण वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा किया जाता है। प्रबंधन अपेक्षित नकद प्रवाह के आधार पर रोलिंग पूर्वानुमान के माध्यम से कंपनी की शुद्ध तरलता की स्थिति पर नजर रखता है।

31 मार्च 2018 को

गैर व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

(₹ लाख में)

विवरण	6 महीनों से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 5 वर्षों के बीच	5 वर्षों के बाद	कुल
व्यापार देयताएं	1,893.10	112.27	283.72	31.51	2,320.60
वित्त पट्टा	-	1.61	8.05	85.33	94.99
अन्य वित्तीय देनदारियां	6,827.60	533.63	2,351.12	324.55	10,036.90
कुल	8,720.70	647.51	2,642.89	441.39	12,452.49

31 मार्च 2017

गैर व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

(₹ लाख में)

विवरण	6 महीनों से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 5 वर्षों के बीच	5 वर्षों के बाद	कुल
व्यापार देयताएं	2,468.83	-	-	-	2,468.83
वित्त पट्टा	-	1.61	8.05	86.94	96.60
अन्य वित्तीय देनदारियां	3,971.46	1,130.38	-	-	5,101.84
कुल	6,440.29	1,131.99	8.05	86.94	7,667.27

III. बाजार की जोखिम

विदेशी मुद्रा की जोखिम

“विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम प्रमुख विदेशी बिक्री (यानी यूएस डॉलर) के कारण मुख्य रूप से कंपनी की परिचालन गतिविधियों से संबंधित है।

इसलिए, विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का मुकाबला करने के लिए, कंपनी एक नीति का पालन करती है जिसमें बिक्री केवल ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त होने पर की जाती है। इस प्रकार, कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम से प्रभावित नहीं है।”

मूल्य की जोखिम

निवेश से उत्पन्न होने वाले अपने मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, कंपनी ने अपने जोखिम और वापसी प्रोफ़ाइल पर विचार करने के बाद म्यूचुअल फंड में निवेश किया है यानी म्यूचुअल फंड की ऋण प्रोफ़ाइल इंगित करती है कि ऋण क्रेडिट योग्य बैंकों और अन्य संस्थागत दलों को दिया गया है।

संवेदनशीलता	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
एनएवी में 2% की वृद्धि के लिए कर के बाद लाभ पर प्रभाव	37.15	123.45
एनएवी में 2% की कमी के लिए कर के बाद लाभ पर प्रभाव	(37.15)	(123.45)

**(a) Liquidity risk management**

The Company's corporate treasury department is responsible for liquidity and funding as well as settlement. In addition, processes and policies related to such risks are overseen by senior management. Management monitors the Company's net liquidity position through rolling forecasts on the basis of expected cash flows.

As at 31st March 2018

Maturities of non-derivative financial liabilities

(₹ in lakh)

Particulars	Less than 6 months	6 months to 1 year	Between 1 and 5 years	Beyond 5 years	Total
Trade payables	1,893.10	112.27	283.72	31.51	2,320.60
Finance lease	-	1.61	8.05	85.33	94.99
Other financial liabilities	6,827.60	533.63	2,351.12	324.55	10,036.90
Total	8,720.70	647.51	2,642.89	441.39	12,452.49

As at 31st March 2017

Maturities of non-derivative financial liabilities

(₹ in lakh)

Particulars	Less than 6 months	6 months to 1 year	Between 1 and 5 years	Beyond 5 years	Total
Trade payables	2,468.83	-	-	-	2,468.83
Finance lease	-	1.61	8.05	86.94	96.60
Other financial liabilities	3,971.46	1,130.38	-	-	5,101.84
Total	6,440.29	1,131.99	8.05	86.94	7,667.27

III. Market risk**Foreign currency risk**

The company's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the company's operating activities due to major overseas sales (i.e. US dollars).

Hence, to combat the foreign currency exposure, the company follows a policy wherein the sale is made only on receipt of advance from the customers. Thus, the company is not exposed to foreign currency risk.

Price risk

The company is exposed to price risk from its investment in mutual fund and classified in the balance sheet at fair value through profit and loss.

To manage its price risk arising from the investment, the Company has invested in the mutual fund after considering its risk and return profile i.e. the debt profile of the mutual fund indicates that the debt has been given to creditworthy banks and other institutional parties.

Sensitivity	As at 31 st March 2018	As at 31 st March 2017
Impact on profit after tax for 2% increase in NAV	37.15	123.45
Impact on profit after tax for 2% decrease in NAV	(37.15)	(123.45)



नोट 37: पूंजी प्रबंधन

कंपनी की पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में जारी इक्विटी पूंजी और इक्विटी धारकों के लिए अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना है।

कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तनों और वित्तीय करारों की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करता है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी गियरिंग अनुपात का उपयोग करके पूंजी का निरीक्षण करती है, जो कुल पूंजी और शुद्ध ऋण द्वारा विभाजित शुद्ध ऋण है। कंपनी में शुद्ध ऋण, व्यापार और अन्य भुगतान, कम नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
व्यापार देनदारियां	2,320.60	2,468.85
अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां	10,036.90	5,101.83
घटायें: नकद एवं नकद समकक्ष	(1,922.34)	(1,753.72)
निवल ऋण	10,435.16	5,816.96
इक्विटी	72,949.72	67,984.54
कुल पूंजी	72,949.72	67,984.54
पूंजी तथा निवल ऋण	83,384.88	73,801.50
गियरिंग अनुपात	12.51%	7.88%

लाभांश

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
(i) इक्विटी शेयर्स पूर्ण रूप से भुगतान किए गए ₹ 393.68 प्रति शेयर के लिए दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	3,400.00	-
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश को मान्यता प्राप्त नहीं है	-	-

नोट 38: घटक सूचना

घटकों का विवरण एवं मुख्य कार्यकलाप

कंपनी के मुख्य संचालक निर्णयकर्ता - कार्यकारी निदेशकों का समूह कंपनी के निष्पादन की जांच करता है। प्रबंधन ने ऑपरेटिंग सेगमेंट की पहचान मुख्य ऑपरेटिंग निर्णयकर्ता द्वारा समीक्षा के आधार पर की है। प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए, कंपनी को अपने उत्पादों के आधार पर व्यापारिक इकाइयों में संगठित किया जाता है और रिपोर्ट करने दो योग्य घटक निम्नानुसार है:

(क) खनिज प्रभाग जिसमें ऑस्काम, एमके, एवं चवरा यूनिट सम्मिलित है।

(ख) खनिज यूनिट जिसमें एमओपीपी एवं आरईडी यूनिट सम्मिलित है।

राजस्व और व्यय का लेखांकन उस खंड की ऑपरेटिंग गतिविधियों से उनके संबंधों के आधार पर किया गया है। जो आय और व्यय, जो कंपनी से पूरी तरह से संबंधित हैं और उचित आधार पर खंडों के लिए आबंटित नहीं हैं, उनको क्रमशः “आबंटन के लिए अयोग्य आय” और “आबंटन के लिए अयोग्य व्यय” के अंतर्गत शामिल किया गया है। संपत्ति और देयताएं जो पूरे उद्यम से संबंधित हैं और एक उचित आधार पर खंडों के लिए आबंटित करने योग्य नहीं हैं, को “असहनीय संपत्ति / देनदारियों” के अंतर्गत शामिल किया गया है। इंटर-सेगमेंट स्थानान्तरण को समान वस्तुओं के लिए असंबद्ध ग्राहकों से जुड़े प्रतिस्पर्धी बाजार मूल्यों के लिए देयताओं माना जाता है।



Note 37: Capital management

For the purpose of the Company's capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders. The primary objective of the Company's capital management is to maximise the shareholder value.

The Company manages its capital structure and makes adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares. The Company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total capital plus net debt. The Company includes within net debt, trade and other payables, less cash and cash equivalents.

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Trade payables	2,320.60	2,468.85
Other current financial liabilities	10,036.90	5,101.83
Less: Cash and cash equivalents	(1,922.34)	(1,753.72)
Net debt	10,435.16	5,816.96
Equity	72,949.72	67,984.54
Total capital	72,949.72	67,984.54
Capital and net debt	83,384.88	73,801.50
Gearing ratio	12.51%	7.88%

Dividends

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
(i) Equity shares		
Final dividend for the year ended 31 st March 2017 of ₹ 393.68 per fully paid share	3,400.00	-
(ii) Dividends not recognised at the end of the reporting period	-	-

Note 38: Segment information

Description of segments and principal activities

The company's chief operating decision maker - Group of executive directors examines the company's performance. The management has identified the operating segment on the basis of review by chief operating decision maker. For management purposes, the Company is organised into business units based on its products and has two reportable segments, as follows:

- Mineral division, which comprises of OSCOM, M.K. and Chavara units
- Chemical units, which comprises of MOPP and RED units.

Revenue and expenses has been accounted on the basis of their relationship to the operating activities of the segment. Income and expenses, which relate to the Company as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis, have been included under "Unallocable Income" and "Unallocable Expenses" respectively. Assets and Liabilities, which relate to the enterprise as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis, have been included under "Unallocable Assets/Liabilities". Inter-segment transfers are accounted for at competitive market prices charged to unaffiliated customers for similar goods.



घटक राजस्व एवं परिणाम:

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2018 को			31 मार्च 2017 को		
	खनिज पृथक्करण यूनिट	रासायनिक यूनिट	कुल	खनिज पृथक्करण यूनिट	रासायनिक यूनिट	कुल
राजस्व						
बाह्य ग्राहक	46,789.54	4,760.01	51,549.55	36,907.37	3,381.96	40,289.33
आंतर-घटक बिक्री	-	-	-	-	-	-
अन्य आय						
बाह्य ग्राहक अंतरघटक	1,013.60	5,854.73	6,868.33	1,676.53	4,909.70	6,586.23
कुल घटक राजस्व	47,803.14	10,614.74	58,417.88	38,583.90	8,291.66	46,875.56
गैरविनिधान			23.31			276.47
कुल राजस्व (निवल छूट अंतर-घटक)			58,441.19	38,583.90	8,291.66	47,152.03
परिणाम						
घटक परिणाम	12,315.96	(640.44)	11,675.52	330.74	(2,769.58)	(2,438.84)
गैर आर्बिट्रित कोर्पोरेट व्यय (निवल)			(2,078.75)			3,015.50
प्रचालन लाभ			9,596.77			576.66
ब्याज व्यय			96.23			50.22
ब्याज आय			2,884.67			3,632.50
कर पूर्व लाभ			12,385.21			4,158.94



Segment revenue and results:

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018			As at 31 st March 2017		
	Mineral Separation Units	Chemical units	Total	Mineral Separation Units	Chemical units	Total
Revenue						
External customers	46,789.54	4,760.01	51,549.55	36,907.37	3,381.96	40,289.33
Inter-Segment Sales	-	-	-	-	-	-
Other Income						
External customers	1,013.60	5,854.73	6,868.33	1,676.53	4,909.70	6,586.23
Inter-Segment	-	-	-	-	-	-
Total segment revenue	47,803.14	10,614.74	58,417.88	38,583.90	8,291.66	46,875.56
Unallocable			23.31			276.47
Total Revenue (Net-off Inter-segment)			58,441.19	38,583.90	8,291.66	47,152.03
Results						
Segment result	12,315.96	(640.44)	11,675.52	330.74	(2,769.58)	(2,438.84)
Unallocated Corporate expenses (Net)			(2,078.75)			3,015.50
Operating Profit			9,596.77			576.66
Interest Expenses			96.23			50.22
Interest Income			2,884.67			3,632.50
Profit Before Tax			12,385.21			4,158.94



घटक परिसम्पत्तियां तथा देयताएं:

घटक परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं को उसी प्रकार मापा जाता है जिस प्रकार से वित्तीय विवरण में मापा जाता है। इन परिसंपत्तियों एवं देयताओं को घटक परिचालन एवं भौतिक स्थान की संपत्ति के आधार पर आबंटित किया जाता है।

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2018 को			31 मार्च 2017 को		
	खनिज पृथक्करण यूनिट	रासायनिक यूनिट	कुल	खनिज पृथक्करण यूनिट	रासायनिक यूनिट	कुल
घटक परिसंपत्तियाँ	38,377.76	21,188.82	59,566.58	15,126.65	(29.44)	15,097.22
गैर आबंटित परिसंपत्तियाँ			91,700.50			90,972.66
कुल परिसंपत्तियाँ			151,267.08			106,069.88
घटक देयताएं :	39,440.26	21,395.61	60,835.87	33,342.19	18,496.95	51,839.14
गैर आबंटित देयताएं			85,487.18			54,165.31
कुल देयताएं			146,323.05			106,004.45
अन्य प्रकटीकरण						
पूजीगत व्यय	6,438.86	2,522.62	8,961.48	1,417.04	357.54	1,774.58
गैर आबंटित पूजीगत व्यय			25.87			13.45
कुल			8,987.35			1,788.03
मूल्यहास	1,905.68	1,321.56	3,227.24	2,346.28	1,311.03	3,657.31
गैर आबंटित मूल्यहास			26.86			26.86
कुल			3,254.10			3,684.17
मूल्यहास के अलावा गैर-नकद व्यय	1,613.14	239.10	1,852.24	(224.69)	32.27	(192.42)
मूल्यहास के अलावा गैर आबंटित गैर-नकद व्यय			633.04			-
कुल			2,485.28			(192.42)
गैर वर्तमान संपत्ति (वित्तीय साधन, डीटीए और कर्मचारी लाभ के अलावा)						
भारत			29,289.22			27,342.57
भारत के बाहर			-			-
कुल			29,289.22			27,342.57

**Segment assets and liabilities:**

Segment assets and liabilities are measured in the same way as in the financial statements. These assets and liabilities are allocated based on the operations of the segment and the physical location of the asset.

(₹ in lakh)

Particulars	As at 31 st March 2018			As at 31 st March 2017		
	Mineral Separation Units	Chemical units	Total	Mineral Separation Units	Chemical units	Total
Segment assets	38,377.76	21,188.82	59,566.58	15,126.65	(29.44)	15,097.22
Unallocated assets			91,700.50			90,972.66
Total assets			151,267.08			106,069.88
Segment liabilities	39,440.26	21,395.61	60,835.87	33,342.19	18,496.95	51,839.14
Unallocated liabilities			85,487.18			54,165.31
Total liabilities			146,323.05			106,004.45
Other disclosures						
Capital Expenditure	6,438.86	2,522.62	8,961.48	1,417.04	357.54	1,774.58
Unallocated capital expenditure			25.87			13.45
Total			8,987.35			1,788.03
Depreciation	1,905.68	1,321.56	3,227.24	2,346.28	1,311.03	3,657.31
Unallocated depreciation			26.86			26.86
Total			3,254.10			3,684.17
Non-cash expenses other than depreciation	1,613.14	239.10	1,852.24	(224.69)	32.27	(192.42)
Unallocated non-cash expenses other than depreciation			633.04			-
Total			2,485.28			(192.42)
Non Current Assets (Other than Financial Instrument, DTA & Employee Benefits)						
India			29,289.22			27,342.57
Outside India			-			-
Total			29,289.22			27,342.57



नोट 39: संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन

भारतीय लेखामानक 24 “संबंधित पार्टी प्रकटीकरण” के अनुसार, लेखा मानक में परिभाषित संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

सहायक कंपनी

1 आईआरईएल इडकोल लिमिटेड दिनांक 18 जनवरी 2018 को निगमित वर्ष 2017-18 के दौरान कोई लेनदेन नहीं

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

कार्यात्मक निदेशक

1	श्री दीपेन्द्र सिंह	:	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री राकेश तुमाने	:	निदेशक (वित्त) - दिनांक 27.09.2017 तक
3	श्री के के मोहंती	:	निदेशक (विपणन)
4	श्री ए के महापात्रा	:	निदेशक (तकनीकी) - दिनांक 01.01.2018 से
5	सुश्री शीला सांगवान	:	स्वतंत्र निदेशक
6	श्री पॉल अंटोनी	:	स्वतंत्र निदेशक
7	श्री संजय एम कौल	:	स्वतंत्र निदेशक
8	श्री बी आर तरफदार	:	कंपनी सचिव - दिनांक 31.01.2018 तक
9	श्री रूपेंदर धीमान	:	कंपनी सचिव - दिनांक 09.03.2018 से

स्वतंत्र निदेशकों के साथ लेनदेन का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष 2017-18 के दौरान बैठक फीस के लिए स्वतंत्र निदेशकों को ₹ 1,40,000 (पिछला वर्ष: ₹ 3,40,000) का भुगतान किया गया था

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेन - देन के विवरण निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

अनु. क्र.	विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
1	परिश्रमिक	98.34	101.52
2	दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	0.82	0.70
3	31 मार्च को बकाया शेष :	-	0.82
4	वसूली योग्य राशि	-	0.82

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के वैयक्तिक पारिश्रमिक विवरण

(₹ लाख में)

अनु. क्र.	नाम	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
1	श्री दीपेन्द्र सिंह	33.15	35.02
2	श्री सी के असनानी	-	16.82
3	श्री राकेश तुमाने	14.54	27.06
4	श्री के के मोहंती	29.83	4.91
5	श्री ए के महापात्रा	6.87	-
6	श्री बी आर तरफदार (कंपनी सचिव)	13.29	17.71
7	श्री रूपेंदर धीमान (कंपनी सचिव)	0.67	-
	कुल	98.35	101.52
	स्वतंत्र निदेशक	1.40	3.40



Note 39: Related party transactions

As per Ind AS 24 "Related party Disclosures", disclosure of transactions with the related parties as defined in the Accounting Standard are given below:

Subsidiary Company

1 IREL IDCOL LIMITED Incorporated on 18th Jan 2018. No transaction during the financial year 2017-18

Key Management Personnel:

Functional Directors:

1	Shri D. Singh	:	Chairman and Managing Director
2	Shri Rakesh Tumane	:	Director (Finance) - Till 27.09.2017
3	Shri K K Mohanty	:	Director (Marketing)
4	Shri A K Mohapatra	:	Director (Technical) - From 01.01.2018
5	Ms. Sheila Sangwan	:	Independent Director
6	Shri Paul Antony	:	Independent Director
7	Shri Sanjay M Kaul	:	Independent Director
8	Shri. B. R. Tarafdar	:	Company Secretary - Till 31.01.2018
9	Shri Rupender Dhiman	:	Company Secretary From - 09.03.2018

Details of transactions with Independent directors are as follows:

An amount of ₹ 1,40,000 (Previous year : ₹ 3,40,000) was paid to the independent directors towards sitting fees during the year 2017-18.

Details of transactions with key management personnel are as follows:

(₹ in lakh)

Sr No	Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
1	Remuneration	98.34	101.52
2	Repayment of loans and advances given	0.82	0.70
3	Advances given	-	0.82
4	Outstanding balance as at 31 st March: Amount recoverable	-	0.82

Remuneration particulars of individual key management personnel

(₹ in lakh)

Sr No	Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
1	Shri. D. Singh	33.15	35.02
2	Shri C K Asnani	-	16.82
3	Shri. Rakesh Tumane	14.54	27.06
4	Shri K K Mohanty	29.83	4.91
5	Shri A K Mohapatra	6.87	-
6	Shri. B. R. Tarafdar (CS)	13.29	17.71
7	Shri Rupender Dhiman (CS)	0.67	-
	Total	98.35	101.52
	Independent Directors	1.40	3.40



दिये गये ऋण एवं अग्रिम का भुगतान एवं पुनर्भुगतान

(₹ लाख में)

अनु. क्र.	नाम	दिए गए ऋण का पुनर्भुगतान		दिए गये अग्रिम		बकाया शेष	
		31 मार्च 2018	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
1	श्री के के मोहंती	0.82	-	-	-	-	0.82
	कुल	0.82	-	-	-	-	0.82

नोट 40: आकस्मिक देनदारियां, आकस्मिक परिसंपत्तियां और अन्य प्रतिबद्धताएं:

(₹ लाख में)

अनु. क्र.	विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
1	आकस्मिक देयताएं		
(क)	कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		
i)	ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता द्वारा दावे		
	क) मनवलाकुरिची	41.06	41.06
	ख) चवरा	9.63	9.38
	ग) ऑसकॉम	877.17	1,405.33
ii)	कर्मचारियों और अन्य द्वारा दायर किये गये अदालतों में लंबित मुकदमे		
	क) कर्मचारी - आलवे, एमके तथा ऑसकॉम	368.45	367.91
	ख) अन्य - फोरम श्रमिक-नागरिक, लोडिंग और बैगिंग	117.66	117.66
iii)	कर्मचारी एवं अन्य	राशि जांचने योग्य नहीं है	राशि जांचने योग्य नहीं है
iv)	कंपनी के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए उच्च मुआवजा (चवरा, एमके और ऑसकॉम)	449.82	403.75
v)	भूमि किराया दरों, सेस और ब्याज के संशोधन के कारण उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत दावा	53.32	53.32
vi)	कंपनी के विरुद्ध अन्य दावे	-	3.06
vii)	अनुबंध / फोरम श्रमिकों के बकाया भुगतान के लिए भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा दावा	6.79	6.79
viii)	खोले गये और और बकाया लेटर्स ऑफ क्रेडिट का अप्रत्याशित मूल्य	-	-
(ख)	गारंटियां (कंपनी की ओर से दी गई बैंक गारंटी की अप्रत्याशित मूल्य)	88.42	87.49
(ग)	अन्य धन जिसके लिए कंपनी अनुषंगिक उत्तरदायी है		
i)	विवादित कर की मांगे		
	क) बिक्री कर	85.71	85.71
	ख) सेवा कर	-	3.68
	ग) प्रवेश कर	202.37	189.58
ii)	छूट पर रॉयल्टी अंतर के लिए दावा - एमके	68.75	68.75
iii)	इनपुट कर क्रेडिट के लिए बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा -एमके	-	-
iv)	शिपिंग फोरम कर्मचारियों के लिए बरखास्तगी राशि -चवरा	-	-
v)	एनजीएडीयू के उत्पादन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क दावा-आलवे	1,972.51	5,653.59
vi)	एनजीएडीयू के उत्पादन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दावे पर ब्याज -आलवे	3,296.89	5,364.37
vii)	केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा सेवा कर दावा-चवरा	58.83	58.83
viii)	इल्मेनाइट डिस्पैच पर विभेदक रॉयल्टी -ऑसकॉम	-	-
ix)	रॉयल्टी पर स्थानीय उपकर(सेस) और अधिभार - एमके	-	-
x)	उत्पाद शुल्क -चवरा, एमके	986.00	986.00
2	प्रतिबद्धताएं		
(क)	निष्पादित किए जाने वाले शेष पूंजीगत अनुबंधों की अनुमानित राशि और जिसका प्रावधान नहीं किया है	3,568.59	4,527.25
(ख)	शेयरों और आंशिक रूप से भुगतान किए गए अन्य निवेशों पर अनिश्चित देयता	-	-
(ग)	अन्य प्रतिबद्धताएं	-	-



Re-Payment of Loans and Advances, payment of advances and outstanding

(₹ in lakh)

Sr No	Name	Repayment of loans		Advances given		Outstanding balances	
		31 st March 2018	31 st March 2017	31 st March 2018	31 st March 2017	31 st March 2018	31 st March 2017
1	Shri K K Mohanty	0.82	-	-	-	-	0.82
	Total	0.82	-	-	-	-	0.82

Note 40: Contingent liabilities, contingent assets and other commitments:

(₹ in lakh)

S I . No	Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
1	Contingent Liabilities		
(a)	Claims against the Company not acknowledged as debts		
i)	Claims by Contractors/Suppliers		
a)	Manavalakurichi	41.06	41.06
b)	Chavara	9.63	9.38
c)	OSCOM	877.17	1,405.33
ii)	Suits filed by employees and others pending in Courts		
a)	Employees- Always, MK and OSCOM	368.45	367.91
b)	Others – Forum workers-civil, loading & bagging	117.66	117.66
iii)	Employees and others	Amount not ascertainable	Amount not ascertainable
iv)	Higher Compensation for land acquired for the Company (Chavara, MK and OSCOM)	449.82	403.75
v)	Claim by the Government of Orissa on account of revision of ground rent rates, cess and interest thereon.	53.32	53.32
vi)	Other claims against the Company	-	3.06
vii)	Claim by Provident fund authorities for belated payments of contract/forum workers dues	6.79	6.79
viii)	Unexpired value of Letters of credit opened and outstanding	-	-
(b)	Guarantees (Unexpired value of Bank Guarantees given on behalf of company)	88.42	87.49
(c)	Other Money for which company is contingently liable		
i)	Disputed Tax demands		
a)	Sales tax	85.71	85.71
b)	Service tax	-	3.68
c)	Entry tax	202.37	189.58
ii)	Claim for differential royalty on rebate – MK	68.75	68.75
iii)	Claim by sales tax authority for input tax credit-MK	-	-
iv)	Severance amount for shipping forum employees-Chavara	-	-
v)	Central Excise claim on production of NGADU-Always	1,972.51	5,653.59
vi)	Interest on central Excise claim on production of NGADU-Always	3,296.89	5,364.37
vii)	Service tax claim by central excise-Chavara	58.83	58.83
viii)	Differential Royalty on Ilmenite Dispatch -OSCOM	-	-
ix)	Local Cess & Surcharge on Royalty- MK	-	-
x)	Excise duty -Chavara,MK	986.00	986.00
2	Commitments		
(a)	Estimated amount of capital contracts remaining to be executed and not provided for	3,568.59	4,527.25
(b)	Uncalled liability on shares and other investments partly paid	-	-
(c)	Other commitments	-	-



नोट 41: कर्मचारी लाभ के दायित्व

एएस-19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार भारतीय लेखा मानक में परिभाषित प्रकटन नीचे दिए गए हैं:

(क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:

अल्पकालिक कर्मचारी लाभकीदेयता को वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में एक व्यय के रूप में माना जाता है।

(ख) रोजगार पश्चात् लाभ:

i. परिभाषित योगदान योजना:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान	191.01	212.33
नई पेंशन योजना में नियोक्ता का योगदान	29.97	34.08
अधिवर्षिता योजना में नियोक्ता का योगदान	528.86	497.29

ii. परिभाषित लाभ योजना:

कंपनी की निम्नलिखित परिभाषित लाभ योजनाएं हैं:

विवरण	टिप्पणियाँ
उपदान	एलआईसी के माध्यम से वित्त पोषित
भविष्य निधि (पीएफ)	ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना (पीआरएमएस)	वित्त पोषण नहीं है

उपदान :

न्यास द्वारा प्रबंधन की गई कर्मचारी उपदान निधि योजना एक परिभाषित लाभ योजना है। दायित्व का वर्तमान मूल्य परियोजित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमांकक मूल्यांकन के आधार परनिश्चित किया जाता है जो सेवा की प्रत्येक अवधि को लाभ हकदारी की एक अतिरिक्त यूनिट को बढ़ाने वाला मानता है तथा अंतिम दायित्व के निर्माण के लिए प्रत्येक यूनिट को अलग अलग मापता है।

महत्वपूर्ण बीमांकक पूर्वानुमान निम्नानुसार थे:

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
रोजगार के दौरान मृत्यु दर	आईएएलएम (2006-08) अंतिम	आईएएलएम (2006-08) अंतिम
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	7.68%	7.09%
योजना परिसंपत्तियों पर लाभ की प्रत्याशित दर (प्रति वर्ष)	7.68%	7.09%
वेतन में वृद्धि की दर (प्रति वर्ष)	5.50%	5.50%
कर्मचारी पण्यवर्त की दर (प्रति वर्ष)	2.00%	2.00%
सेवानिवृत्ति की आयु (वर्ष)	60	60

बीमांकक मूल्यांकन में विचारार्थ लाभ की प्रत्याशित दर पीपीएफ जैसी जोखिम मुक्त निवेशों पर उपलब्ध मानी जाती क्योंकि निवेश एलआईसीके साथ होता है तथा निवेशों की सूची उपलब्ध नहीं है।



Note 41: Employee benefit obligations

As per Ind AS-19 "Employee Benefits", the disclosures as defined in the Indian Accounting Standards are furnished below :

(a) Short term employee benefits:

The liability towards short term employee benefits is recognised as an expenses for the year in the Statement of Profit and Loss.

(b) Post employment benefits:

i. Defined contribution plan:

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Employer's contribution to Pension Scheme	191.01	212.33
Employer's contribution to New Pension Scheme	29.97	34.08
Employer's contribution to Superannuation scheme	528.86	497.29

ii. Defined Benefits Plan:

The Company has the following defined benefits plans:

Particulars	Remarks
Gratuity	Funded through LIC
Provident Fund (PF)	Funded through Trust
Post Retirement Medical Scheme (PRMS)	Unfunded

Gratuity:

The employees, gratuity fund scheme managed by a trust is a defined benefit plan. The present value of obligation is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method, which considers each period of service as giving rise to an additional unit of benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation.

The significant actuarial assumptions were as follows:

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Mortality rate during Employment	IALM (2006-08) Ultimate	IALM (2006-08) Ultimate
Discount rate (per annum)	7.68%	7.09%
Expected rate of return on plan assets (per annum)	7.68%	7.09%
Rate of escalation in salary (per annum)	5.50%	5.50%
Rate of employee turnover (per annum)	2.00%	2.00%
Retirement age (years)	60	60

The expected rate of return considered in actuarial valuation is assumed to be available on risk free investments like PPF as the investment is with LIC and list of investments is not available.



परिभाषित लाभ दायित्व के आरंभ शेष एवं अंतिम शेष का समाधान :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ दायित्व	10,820.06	10,824.06
वर्तमान सेवा की लागत	234.51	275.94
ब्याज की लागत	767.14	844.28
पिछली सेवा लागत - गैर निहित लाभ	1,755.82	-
पिछली सेवा लागत - निहित लाभ	-	-
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	13,577.54	11,944.27
बीमांकक (लाभ)/हानि	(418.59)	59.28
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(418.59)	59.28
अंदर स्थानांतरित देयता	-	-
(बाहर हस्तांतरित देयता)	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(1,100.51)	(1,183.49)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	12,058.44	10,820.06

योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य के आरंभ शेष एवं अंतिम शेष का समाधान :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	10,191.38	10,089.15
ब्याज की आय	722.57	786.95
योजना परिसंपत्तियों की प्रत्याशित वापसी	103.97	65.01
नियोक्ता का योगदान	932.83	433.75
अन्य कंपनी से अंतरित	-	-
(अन्य कंपनी को अंतरित)	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(1,100.51)	(1,183.49)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	10,850.24	10,191.38
योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक वापसी	826.54	851.97

योजना परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	(12,058.44)	(10,820.06)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	10,850.24	10,191.38
अवधि के अंत में अपरिचित पिछली सेवा लागत	-	-
अवधि के अंत में अपरिचित संक्रमणकालीन देयता	-	-
तुलन पत्र में चिन्हित निवल (देयता)/परिसंपत्ति	(1,208.20)	(628.69)


Reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligation:

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Defined benefit obligation at beginning of the year	10,820.06	10,824.06
Current service cost	234.51	275.94
Interest cost	767.14	844.28
Past service cost- non vested benefit	1,755.82	-
Past service cost- vested benefit	-	-
Total amount recognised in profit or loss	13,577.54	11,944.27
Actuarial (gain)/loss	(418.59)	59.28
Total amount recognised in other comprehensive income	(418.59)	59.28
Liability transferred in	-	-
(Liability transferred out)	-	-
Benefits paid	(1,100.51)	(1,183.49)
Defined benefit obligation at year end	12,058.44	10,820.06

Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets:

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Fair value of plan assets at beginning of the year	10,191.38	10,089.15
Interest Income	722.57	786.95
Expected return of plan assets	103.97	65.01
Employer's contribution	932.83	433.75
Transfer from other Company	-	-
(Transfer to Other Company)	-	-
Benefits paid	(1,100.51)	(1,183.49)
Fair value of plan assets at year end	10,850.24	10,191.38
Actual return on plan assets	826.54	851.97

Reconciliation of fair value of plan assets and obligations:

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Present value of obligation	(12,058.44)	(10,820.06)
Fair value of plan assets	10,850.24	10,191.38
Unrecognized past service cost at the end of the period	-	-
Unrecognized transitional liability at the end of the period	-	-
Net (Liability)/ Asset recognized in the Balance Sheet	(1,208.20)	(628.69)



वर्ष के दौरान मान्यता-प्राप्त बीमांकक (लाभ)/हानि :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकक (लाभ)/हानि	(103.97)	(65.01)
दायित्वों पर बीमांकक (लाभ)/हानि	(418.59)	59.28
निवल कुल	(522.56)	(5.74)

वर्तमान अवधि के लिए निवल ब्याज लागत :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
अवधि की शुरूआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	10,820.06	10,824.06
(अवधि की शुरूआत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य)	(10,191.38)	(10,089.15)
शुरूआत में निवल देयता / (संपत्ति)	628.69	734.91
ब्याज की लागत	767.14	844.28
(ब्याज की आय)	(722.57)	(786.95)
वर्तमान अवधि के लिए निवल ब्याज दर	44.57	57.32

वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
वर्तमान सेवा लागत	234.51	275.94
निवल ब्याज लागत	44.57	57.32
पिछली सेवा लागत	1,755.82	-
(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	-	-
कटौती और निपटान पर (लाभ)/हानियाँ	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का निवल प्रभाव	-	-
मान्यताप्राप्त व्यय	2,034.91	333.26

वर्तमान अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त व्यय:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
अवधि के लिए दायित्व पर बीमांकक लाभ / (हानियाँ)	(418.59)	59.28
ब्याज की आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर वापसी	(103.97)	(65.01)
संपत्ति की सीलिंग में परिवर्तन	-	-
अवधि के लिए ओसीआई में मान्यता प्राप्त निवल (आय) / व्यय	(522.56)	(5.74)

तुलन पत्र समाधान:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
आरंभिक निवल दायित्व	628.69	734.91
लाभ और हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त व्यय	2,034.91	333.26
ओसीआई में मान्यता प्राप्त व्यय	(522.56)	(5.74)
निवल देयता/ (संपत्ति) में स्थानांतरण	-	-
निवल (देयता) /संपत्ति बाह्य स्थानांतरण	-	-
(नियोक्ता द्वारा सीधा भुगतान किये गये लाभ)	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(932.83)	(433.75)
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल (देयता)/संपत्ति	1,208.20	628.69

**Actuarial (gain)/Loss recognized during the year:**

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Actuarial (gain)/Loss on plan assets	(103.97)	(65.01)
Actuarial (gain)/Loss on obligation	(418.59)	59.28
Net Total	(522.56)	(5.74)

Net Interest cost for Current period

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Present value of Benefit obligation at the beginning of the period	10,820.06	10,824.06
(Fair value of Plan Assets at the beginning of the Period)	(10,191.38)	(10,089.15)
Net liability / (Asset) at the beginning	628.69	734.91
Interest cost	767.14	844.28
(Interest income)	(722.57)	(786.95)
Net Interest cost for Current period	44.57	57.32

Expenses recognized in Statement of Profit and Loss during the year:

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Current Service cost	234.51	275.94
Net Interest cost	44.57	57.32
Past service cost	1,755.82	-
(Expected Contributions by the Employees)	-	-
(Gains)/Losses on curtailments and settlements	-	-
Net effect of changes in Foreign exchange rates	-	-
Expenses recognised	2,034.91	333.26

Expenses recognised in Other comprehensive Income (OCI) for current period:

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Actuarial Gains / (losses) on obligation for the period	(418.59)	59.28
Return on Plan Assets, Excluding Interest income	(103.97)	(65.01)
Change in Asset ceiling	-	-
Net (Income) / Expense for the period recognised in OCI	(522.56)	(5.74)

Balance sheet reconciliation:

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Opening net liability	628.69	734.91
Expenses recognised in Statement of Profit and Loss	2,034.91	333.26
Expenses recognised in OCI	(522.56)	(5.74)
Net Liability / (Asset) Transfer In	-	-
Net (Liability) / Asset Transfer Out	-	-
(Benefits paid directly by the Employer)	-	-
Employer's contribution	(932.83)	(433.75)
Net (Liability)/ Asset recognized in the Balance Sheet	1,208.20	628.69



निवेश के विवरण:

(निवेश का %)

संपत्ति के प्रकार	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
भारत सरकार की परिसंपत्तियां	-	-
निगमित बांड्स	-	-
विशेष जमा योजना	-	-
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	-	-
सम्पत्ति	-	-
बिमा निधि	100.00	100.00
अन्य	-	-
कुल	100.00	100.00

अगले वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
अवधि की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	12,058.44	10,820.06
(अवधि की शुरुआत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य)	(10,850.24)	(10,191.38)
शुरुआत में निवल देयता / (संपत्ति)	1,208.20	628.69
ब्याज की लागत	926.09	767.14
(ब्याज की आय)	(833.30)	(722.57)
वर्तमान अवधि के लिए निवल ब्याज लागत	92.79	44.57

अगले वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त व्यय :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
वर्तमान सेवा लागत	330.08	234.51
निवल ब्याज की लागत	92.79	44.57
(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	-	-
निवल लागत	422.87	279.09

अनुमानित लाभ दायित्व की परिपक्वता विश्लेषण: निधि से

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
रिपोर्टिंग की तारीख से भविष्य के वर्षों में देय अनुमानित लाभ		
1 ला अनुगामी वर्ष	2,203.98	1,585.01
2 रा अनुगामी वर्ष	1,190.50	869.36
3रा अनुगामी वर्ष	2,135.66	1,755.29
4था अनुगामी वर्ष	1,744.98	1,695.69
5 वां अनुगामी वर्ष	1,653.43	1,365.42
6 से 10 वर्ष का योग	5,233.18	5,216.26

संवेदनशीलता विश्लेषण:

संवेदनशीलता विश्लेषण वह विश्लेषण है जो देयता में आंदोलन देगा यदि मान्यताओं को विभिन्न गिनती पर सही साबित नहीं किया गया हो। यह केवल दायित्व में परिवर्तन को दर्शाता है यदि धारणा और वास्तविक में अंतर संवेदनशीलता विश्लेषण के पैरामीटर का पालन नहीं कर रहा हो।

**Investment details:**

(% of investment)

Type of Assets	31 st March 2018	31 st March 2017
Government of India Assets	-	-
Corporate Bonds	-	-
Special Deposits Scheme	-	-
Equity shares of listed Companies	-	-
Property	-	-
Insurance fund	100.00	100.00
Others	-	-
Total	100.00	100.00

Net Interest cost for Next year:

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Present value of Benefit obligation at the beginning of the period	12,058.44	10,820.06
(Fair value of Plan Assets at the beginning of the Period)	(10,850.24)	(10,191.38)
Net liability / (Asset) at the beginning	1,208.20	628.69
Interest cost	926.09	767.14
(Interest income)	(833.30)	(722.57)
Net Interest cost for Current period	92.79	44.57

Expenses recognized in Statement of Profit and Loss during the Next year:

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Current Service cost	330.08	234.51
Net Interest cost	92.79	44.57
(Expected contributions by the Employees)	-	-
Net Cost	422.87	279.09

(₹ in lakh)

Maturity Analysis of Projected Benefit Obligation: From the Fund	31 st March 2018	31 st March 2017
Projected Benefits payable in future years from the date of reporting		
1 st Following year	2,203.98	1,585.01
2 nd Following year	1,190.50	869.36
3 rd Following year	2,135.66	1,755.29
4 th Following year	1,744.98	1,695.69
5 th Following year	1,653.43	1,365.42
Sum of Years 6 to 10	5,233.18	5,216.26

Sensitivity Analysis:

Sensitivity analysis is analysis which will give the movement in liability if the assumptions were not proved to be true on different count. This only signifies the change in the liability if the difference between assumed and the actual is not following the parameters of the sensitivity analysis.



(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
वर्तमान अनुमानों पर अनुमानित लाभ दायित्व	12,058.44	10,820.06
बट्टे के दर में + 1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(431.64)	(441.89)
बट्टे के दर में - 1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	468.77	482.33
वेतन वृद्धि के दर में + 1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	381.07	485.13
वेतन वृद्धि के दर में - 1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(369.85)	(452.38)
कर्मचारी पण्यवर्त के दर में + 1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	64.61	35.47
कर्मचारी पण्यवर्त के दर में - 1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(69.36)	(38.18)

वर्तमान वार्षिक अवधि एवं पिछले चार वार्षिक अवधियों के लिए धनराशियाँ :

(₹ लाख में)

विवरण	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
दायित्व का वर्तमान मूल्य	12,058.44	10,820.06	10,824.06	10,874.26	10,138.81
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	10,850.24	10,191.38	10,089.15	9,734.93	8,893.53
योजना में अधिशेष/(घाटा)	(1,208.20)	(628.69)	(734.91)	(1,139.33)	(1,245.28)
अनुभव समायोजन:					
योजना दायित्व पर (लाभ)/ हानि	(103.97)	(258.34)	131.36	(185.46)	305.94
योजना परिसंपत्ति पर (लाभ)/ हानि	103.97	65.01	86.39	84.93	75.71

भविष्य निधि (पीएफ) :

कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए एक भविष्य निधि ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य निधि का प्रबंधन करती है जो भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत अनुमत है। इस योजना में नियोक्ता और कर्मचारियों द्वारा अंशदान और भविष्य निधि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दर पर गारंटीकृत ब्याज की परिकल्पना की गई है।

सालाना आधार पर प्रशासित ब्याज दरों पर ट्रस्ट के निवेश की उपज पर किसी भी कमी के लिए निधि देने का कंपनी का दायित्व है/ बीमांकिक ने भारत की बीमांकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शन के आधार पर प्रदाता निधि देनदारियों के लिए मूल्यांकन प्रदान किया है और वह नीचे दी गई धारणाओं पर आधारित है, जिसमें 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017 तक कोई कमी नहीं है।

निर्धारित दृष्टिकोण के तहत ब्याज गारंटी के वर्तमान मूल्य दायित्व को निर्धारित करने में उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएं निम्नानुसार हैं:

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	7.68%	7.09%
गारंटीकृत वापसी (प्रति वर्ष)	8.55%	8.65%
निवेश पोर्टफोलियो का औसत शेष कार्यकाल (वर्ष)	5.03 Years	4.82 Years

निधि और योजना संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	34,323.23	32,989.02
(दायित्व का वर्तमान मूल्य)	(33,810.08)	(32,356.88)
निवल अतिरिक्त जो कंपनी की किताबों में मान्यता प्राप्त नहीं है।	513.14	632.14

योजना संपत्ति मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश की गई है



(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Projected Benefit Obligation on current assumptions	12,058.44	10,820.06
Delta Effect of +1% Change in Rate of discounting	(431.64)	(441.89)
Delta Effect of -1% Change in Rate of discounting	468.77	482.33
Delta Effect of +1% Change in Rate of Salary Increase	381.07	485.13
Delta Effect of -1% Change in Rate of Salary Increase	(369.85)	(452.38)
Delta Effect of +1% Change in Rate of Employee turnover	64.61	35.47
Delta Effect of -1% Change in Rate of Employee turnover	(69.36)	(38.18)

Amounts for the current annual period and previous four annual periods:

(₹ in lakh)

Particulars	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
Present value of obligation	12,058.44	10,820.06	10,824.06	10,874.26	10,138.81
Fair value of plan assets	10,850.24	10,191.38	10,089.15	9,734.93	8,893.53
Surplus /(Deficit) in the plan	(1,208.20)	(628.69)	(734.91)	(1,139.33)	(1,245.28)
Experience Adjustment:					
On plan liability (gain)/loss	(103.97)	(258.34)	131.36	(185.46)	305.94
On plan assets gain/(loss)	103.97	65.01	86.39	84.93	75.71

Provident Fund (PF) :

The Company manages provident fund through a provident fund trust for its employees which is permitted under the Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. The plan envisages contribution by employer and employees and guaranteed interest at the rate notified by the provident fund authority.

The Company has an obligation to fund any shortfall on the yield of the Trust's investments over the administered interest rates on an annual basis. The actuary has provided a valuation for provident fund liabilities on the basis of guidance issued by Actuarial Society of India and on the below provided assumptions, **there is no short fall as at 31st March 2018 and 31st March 2017.**

The principal assumptions used in determining the present value obligation of interest guarantee under the deterministic approach are as follows :

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Discount rate (per annum)	7.68%	7.09%
Guaranteed return (per annum)	8.55%	8.65%
Average remaining tenure of investment portfolio (Years)	5.03 Years	4.82 Years

The details of fund and plan assets are given below

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Fair value of plan assets	34,323.23	32,989.02
(Present value of obligation)	(33,810.08)	(32,356.88)
Net excess not recognised in books of the Company	513.14	632.14

The plan assets have been primarily invested in government securities and corporate bonds



सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) :

सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य देखभाल लागत (दोनों घरेलू और अस्पताल में भर्ती) की प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। यह प्रतिपूर्ति सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के कैडर के आधार पर एक समग्र सीमा (सीलिंग) के अधीन है।

महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं निम्नानुसार थीं:

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2006-08) अंतिम	आईएएलएम (2006-08) अंतिम
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	7.76%	7.45%
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60
संघर्षण दर (प्रति वर्ष)	2.00%	2.00%
चिकित्सा लागत का मुद्रास्फीति दर	3.50%	3.50%

भावी देनदारियों के वर्तमान मूल्य अनुमानित मूल्यांकन में 7.76% ब्याज दर के आधार पर पहुंचे हैं, यह मानते हुए कि चिकित्सा मूल्यांकन इस मूल्यांकन से आया है और भविष्य में बढ़ोतरी कम से कम 7.76% ब्याज दर के साथ जमा की जाएगी।

परिभाषित लाभ दायित्व के आरम्भिक और समापन शेष का समाधान:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
वर्ष की शुरुआत में निर्धारित लाभ दायित्व	5,418.80	5,109.55
वर्तमान सेवा लागत	127.50	137.19
ब्याज की लागत	403.70	411.83
पिछली सेवा लागत- गैर निहित लाभ	-	-
पिछली सेवा लागत- निहित लाभ	-	-
स्थानांतरित देयता	-	-
(बाहर स्थानांतरित देयता)	-	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(553.21)	7.23
भुगतान किये गये लाभ	(288.19)	(247.00)
साल के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	5,108.60	5,418.80

योजना संपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,108.60	5,418.80
अवधि के अंत में अपरिचित पिछली सेवा लागत	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि	5,108.60	5,418.80



Post Retirement Medical Scheme (PRMS):

The post retirement medical scheme provides for reimbursement of health care costs (both domiciliary & hospitalisation) to employees post their retirement. The reimbursement is subject to an overall ceiling based on cadre of the employee at the time of retirement.

The significant actuarial assumptions were as follows:

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Mortality Table	IALM (2006-08) Ultimate	IALM (2006-08) Ultimate
Discount rate (per annum)	7.76%	7.45%
Normal retirement age (years)	60	60
Attrition rate (per annum)	2.00%	2.00%
Medical cost inflation rate	3.50%	3.50%

The present values of the future liabilities have been arrived at on the basis of 7.76% interest rate in actuarial valuation, assuming that the medical reserve arrived at by this valuation and the future increases thereon will be credited with at least 7.76% interest rate.

Reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligation:

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Defined benefit obligation at beginning of the year	5,418.80	5,109.55
Current service cost	127.50	137.19
Interest cost	403.70	411.83
Past service cost- non vested benefit	-	-
Past service cost- vested benefit	-	-
Liability transferred in	-	-
(Liability transferred out)	-	-
Actuarial (gain)/loss	(553.21)	7.23
Benefits paid	(288.19)	(247.00)
Defined benefit obligation at year end	5,108.60	5,418.80

Reconciliation of fair value of plan assets and obligations:

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Fair value of plan assets	-	-
Present value of obligation	5,108.60	5,418.80
Unrecognized past service cost at the end of the period	-	-
Amount recognized in balance sheet	5,108.60	5,418.80



निवल ब्याज की लागत :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
अवधि की शुरूआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,418.80	5,109.55
(अवधि की शुरूआत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य)	-	-
आरम्भ में निवल दायित्व / (परिसंपत्ति)	5,418.80	5,109.55
ब्याज की लागत	403.70	411.83
(ब्याज की आय)	-	-
वर्तमान अवधि के लिए निवल ब्याज लागत	403.70	411.83

वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
वर्तमान सेवा की लागत	127.50	137.19
निवल ब्याज की लागत	403.70	411.83
(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	-	-
निवल लागत	531.20	549.02

वर्तमान अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त व्यय:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
अवधि के लिए दायित्व पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(553.21)	7.23
ब्याज आय को छोड़कर, योजना संपत्ति पर वापसी	-	-
परिसंपत्ति की सीमा में परिवर्तन	-	-
ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए निवल (आय) / व्यय	(553.21)	7.23

तुलन पत्र का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
आरम्भिक निवल देयता	5,418.80	5,109.55
लाभ और हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त व्यय	531.20	549.02
ओसीआई में मान्यता प्राप्त व्यय	(553.21)	7.23
निवल देयता / (परिसंपत्ति) में हस्तांतरण	-	-
निवल(दायित्व) / संपत्ति बाह्य हस्तांतरण	-	-
(नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किये गये लाभ)	(288.19)	(247.00)
नियोक्ता का अंशदान	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल (दायित्व)/ परिसंपत्ति	5,108.60	5,418.80

**Net Interest cost:**

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Present value of Benefit obligation at the beginning of the period (Fair value of Plan Assets at the beginning of the Period)	5,418.80	5,109.55
Net liability / (Asset) at the beginning	5,418.80	5,109.55
Interest cost	403.70	411.83
(Interest income)	-	-
Net Interest cost for Current period	403.70	411.83

Expenses recognized in Statement of Profit and Loss during the year:

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Current Service cost	127.50	137.19
Net Interest cost	403.70	411.83
(Expected contributions by the Employees)	-	-
Net Cost	531.20	549.02

Expenses recognised in Other comprehensive Income (OCI) for current period:

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Actuarial Gains / (losses) on obligation for the period	(553.21)	7.23
Return on Plan Assets, Excluding Interest income	-	-
Change in Asset ceiling	-	-
Net (Income) / Expense for the period recognised in OCI	(553.21)	7.23

Balance sheet reconciliation:

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Opening net liability	5,418.80	5,109.55
Expenses recognised in Statement of Profit and Loss	531.20	549.02
Expenses recognised in OCI	(553.21)	7.23
Net Liability / (Asset) Transfer In	-	-
Net (Liability) / Asset Transfer Out	-	-
(Benefits paid directly by the Employer)	(288.19)	(247.00)
Employer's contribution		
Net (Liability)/ Asset recognized in the Balance Sheet	5,108.60	5,418.80



अगले वर्ष के लिए निवल ब्याज की लागत:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
अवधि की शुरूआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (आरम्भ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य)	5,108.61	5,418.80
शुरूआत में नेट देयता / (संपत्ति)	-	-
ब्याज की लागत (ब्याज की आय)	396.43	403.70
वर्तमान अवधि के लिए निवल ब्याज की लागत	396.43	403.70

अगले वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
वर्तमान सेवा लागत	-	127.50
निवल ब्याज की लागत (कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	396.43	396.43
निवल लागत	396.43	523.93

प्रक्षेपित लाभ दायित्व की परिपक्वता का विश्लेषण

रिपोर्टिंग की तारीख से भविष्य के वर्षों में देय प्रक्षेपित लाभ	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
1 ला अनुगामी वर्ष	222.30	309.72
2 रा अनुगामी वर्ष	333.43	324.43
3रा अनुगामी वर्ष	349.48	342.37
4था अनुगामी वर्ष	361.83	360.07
5 वां अनुगामी वर्ष	372.76	373.77
6 से 10 वर्ष का योग	1,957.90	2,014.30

संवेदनशीलता विश्लेषण:

संवेदनशीलता विश्लेषण वह विश्लेषण है जो अलग-अलग गिनती पर मान्यताओं को साबित नहीं किया गया था, जो उत्तरदायित्व में आंदोलन देगा। यह केवल उत्तरदायित्व में परिवर्तन को दर्शाता है यदि अनुमानित और वास्तविक के बीच का अंतर संवेदनशीलता विश्लेषण के मानकों का पालन नहीं कर रहा है।

(₹ लाख में)

संवेदनशीलता	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
वर्तमान मान्यताओं पर प्रक्षेपित लाभ दायित्व	5,108.60	5,418.80
बट्टे के दर में 1% वृद्धि के लिए दायित्व में परिवर्तन	(218.65)	(500.60)
बट्टे के दर में 1% कमी के लिए दायित्व में परिवर्तन	250.95	597.73
मुद्रास्फीति के दर में 1% वृद्धि के लिए दायित्व में परिवर्तन	212.32	600.88
मुद्रास्फीति के दर में 1% कमी के लिए दायित्व में परिवर्तन	(174.97)	(504.26)
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति के दर में 1% वृद्धि के लिए दायित्व में परिवर्तन	212.32	600.88
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति के दर में 1% कमी के लिए दायित्व में परिवर्तन	(174.97)	(504.26)

**Net Interest cost for Next year:**

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Present value of Benefit obligation at the beginning of the period (Fair value of Plan Assets at the beginning of the Period)	5,108.61	5,418.80
Net liability / (Asset) at the beginning	5,108.61	5,418.80
Interest cost	396.43	403.70
(Interest income)	-	-
Net Interest cost for Current period	396.43	403.70

Expenses recognized in Statement of Profit and Loss during the Next year:

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Current Service cost	-	127.50
Net Interest cost	396.43	396.43
(Expected contributions by the Employees)	-	-
Net Cost	396.43	523.93

(₹ in lakh)

Maturity Analysis of Projected Benefit Obligation: From the employer	31 st March 2018	31 st March 2017
Projected Benefits payable in future years from the date of reporting		
1 st Following year	222.30	309.72
2 nd Following year	333.43	324.43
3 rd Following year	349.48	342.37
4 th Following year	361.83	360.07
5 th Following year	372.76	373.77
Sum of Years 6 to 10	1,957.90	2,014.30

Sensitivity analysis:

Sensitivity analysis is analysis which will give the movement in liability if the assumptions were not proved to be true on different count. This only signifies the change in the liability if the difference between assumed and the actual is not following the parameters of the sensitivity analysis.

(₹ in lakh)

Sensitivity	31 st March 2018	31 st March 2017
Projected Benefit Obligation on current assumptions	5,108.60	5,418.80
Change in liability for 1% increase in discount rate	(218.65)	(500.60)
Change in liability for 1% decrease in discount rate	250.95	597.73
Change in liability for 1% increase in inflation rate	212.32	600.88
Change in liability for 1% decrease in inflation rate	(174.97)	(504.26)
Change in liability for 1% increase in Medical Cost Inflation	212.32	600.88
Change in liability for 1% decrease in Medical Cost Inflation	(174.97)	(504.26)



वर्तमान वार्षिक अवधि और पिछले चार वार्षिक अवधि के लिए रकम:

(₹ लाख में)

विवरण	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,108.60	5,418.80	5,109.55	5,144.43	4,730.09
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
योजना में अधिशेष / (घाटा)	(5,108.60)	(5,418.80)	(5,109.55)	(5,144.43)	(4,730.09)

(ग) अन्य दीर्घ कालिक लाभ :

छुट्टी की देयता

- i. छुट्टी देयता “अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ” में निधि प्रदत्त है तथा इसका बीमांकक मूल्यांकन किया जाता है तथा वही में तदनुसार प्रावधान किया जाता है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
सकल देयता	6,292.74	6,612.39

- ii. **पुनर्वास भत्ता:** कंपनी से सेवानिवृत्ति पर पुनर्वास भत्ता को ‘अन्यदीर्घकालिक गैरनिधि प्रदत्त कर्मचारी लाभ’ के रूप में माना जाता है। बहियों में प्रावधान बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर राशि ₹ 77.28 लाख (पिछले वर्ष 84.23 लाख) का प्रावधान किया गया है।
- iii. **गैर कार्यकारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) :** एलटीसी यात्रा की ₹ 63.23 लाख (पिछले वर्ष 64.24) की राशि के लिए बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर बहियों में प्रावधान किया गया है।

टिप्पणियाँ:

- i. बीमांकक मूल्यांकन में मानी जाने वाली भावी वेतन वृद्धि की अनुमानित लागत में मुद्रा स्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संबंधित तथ्यों जैसे नियोजन बाजार में आपूर्ति एवं मांग का ध्यान रखा जाता है।
- ii. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उपदान निधि हेतु ₹ 897.58 लाख (पिछले वर्ष ₹ 863.19 लाख) दिए जाने का कंपनी का अनुमान है

नोट 42: प्रति शेयर आय (ईपीएस)

विवरण		31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
वर्ष के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि) (₹ लाख में)		8,211.23	5,074.79
इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ / हानि (₹ लाख में)	ए	8,211.23	5,074.79
बकाया शेयरों की भारत औसत संख्या (संख्या)	बी	863,650	863,650
प्रति शेयर मूल आय और कम की गई आय (₹)	ए/बी	950.76	587.60
शेयर का अंकित मूल्य (₹)		1,000.00	1,000.00

नोट 43:

वर्ष के अंत में, 57,722.54 लाख रुपये (पिछले वर्ष 55,875.14 लाख रुपये) के कर के प्रावधान को अग्रिम कर और टीडीएस की कुल राशि के मुकाबले समायोजित किया गया है। ₹ 60,506.94 लाख (पिछले वर्ष ₹ 60,429.00 लाख) और शेष राशि गैर-चालू कर संपत्तियों के तहत शामिल की गई है, और शेष राशि के रूप में बैलेंस शीट में अल्पकालिक प्रावधान शामिल हैं। (नोट 8 देखें)

नोट 44:

कंपनी को भारत सरकार (जीओआई) की ओर से कुछ रणनीतिक परियोजनाओं के निष्पादन का कार्य सौंपा गया है। उक्त परियोजनाओं की पूरी लागत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। सरकार को देय राशि ₹ 1,439.69 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1150.88 लाख) है ‘वर्तमान देनदारियों’ के तहत शामिल है।


Amounts for the current annual period and previous four annual periods:

(₹ in lakh)

Particulars	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
Present value of obligation	5,108.60	5,418.80	5,109.55	5,144.43	4,730.09
Fair value of plan assets	-	-	-	-	-
Surplus /(Deficit) in the plan	(5,108.60)	(5,418.80)	(5,109.55)	(5,144.43)	(4,730.09)

(c) Other Long Term Benefits:
Leave liability

- i. Leave liability is under "Other long term employee benefit" and is valued actuarially and provided in the books accordingly.

(₹ in lakh)

Particulars	31 st March 2018	31 st March 2017
Gross liability	6,292.74	6,612.39

- ii. Resettlement allowance: Resettlement allowance on retirement from the Company is considered as "Other long term unfunded employee benefit". The provision amounting to ₹ 77.28 lakh (previous year ₹ 84.23 lakh) in the books is made based on actuarial valuation.
- iii. Leave Travel Concession (LTC) for non-executives: Provision for LTC amounting to ₹ 63.23 lakh (previous year ₹ 64.24 lakh) in the books is made based on actuarial valuation.

Notes:

- i. The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market.
- ii. The Company estimates that the amount to be contributed to the gratuity fund for the financial year 2018-19 will be ₹ 897.58 lakhs (Previous year ₹ 863.19 lakhs)

Note 42: Earnings per share (EPS)

Particulars		31 st March 2018	31 st March 2017
Net Profit / (loss) after tax for the year (₹ in lakhs)		8,211.23	5,074.79
Profit / loss attributable to equity share holders (₹ in lakhs)	A	8,211.23	5,074.79
Weighted average number of shares outstanding (Nos.)	B	863,650	863,650
Basic and Diluted Earnings Per Share (₹)	A/B	950.76	587.60
Face Value per Share (₹)		1,000.00	1,000.00

Note 43:

At the end of the year, provision for tax amounting to ₹ 57,722.54 lakhs (previous year ₹ 55,875.14 lakhs) has been adjusted against the total amount of advance tax and TDS aggregating to ₹ 60,506.94 lakhs (previous year ₹ 60,429.00 lakhs) and the balance amount is included under Non-current tax assets, and short term provisions in the balance sheet as the case may be. (Refer Note 8)

Note 44:

The Company has been entrusted with the execution of certain strategic projects on behalf of the Government of India (GoI). The entire cost of the said projects is funded by the Government. The amount payable to the Government is of ₹ 1,439.69 lakhs (previous year ₹ 1150.88 lakhs) is included under 'Current liabilities'.



नोट 45: प्रावधानों का खुलासा:

विवरण	01.04.2017 को शेष बकाया	वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	वर्ष के दौरान समायोजित प्रावधान	31.03.2018 को समाप्ति शेष
विवादित प्रवेश कर-ऑसकॉम के लिए प्रावधान	69.51	1.99	0.19	71.31

नोट 46:

कंपनी को भारत सरकार की ओर से एक परियोजना के निष्पादन का कार्य सौंपा गया है। इस परियोजना से संबंधित संचालन कंपनी द्वारा उसके अपने नाम पर किया जा रहा है। ₹ 315.88 लाख (पिछले वर्ष ₹ 315.88 लाख) की नकद और बैंक शेष राशि और इस परियोजना से संबंधित अन्य लेनदेन, हालांकि कंपनी द्वारा उसके नाम पर प्रबंधित, सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कंपनी के वार्षिक खातों में शामिल नहीं है। कंपनी को सहायक बिक्री कर आयुक्त से दिनांक 29.06.2013 को डिमांड सह शो-कॉज नोटिस (एससीएन) प्राप्त हुआ जिसके द्वारा बिक्री कर, उसके ब्याज पर भुगतान की मांग की गई और इस परियोजना से संबंधित ₹ 668.67 लाख तक जुर्माना लगाया गया।

भारत सरकार की तरफ से, कंपनी ने उक्त शो-कॉज नोटिस (एससीएन) का जबाब दिया और अपील बिक्री कर (एपी -6), मुंबई के डिप्टी कमिश्नर के साथ लंबित है।

नोट 47:

- उत्पादन :** तमिलनाडु सरकार द्वारा परिवहन परमिट जारी न किये जाने के कारण कंपनी 2017-18 के दौरान गैर परिचालन बनी रही। पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की अनुपलब्धता के कारण, हालांकि कुछ उत्पादन कच्चे रेत से बने थे जो फैक्ट्री परिसर के भीतर उपलब्ध था। सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई करने के बाद, ईसी ने अंततः दिनांक 06.04.2018 को यूनिट के संचालन की बहाली के मार्ग को प्रशस्त किया।
- “आईआरईएल इडकोल लिमिटेड” नामक एक सहायक कंपनी को इडकोल (ओडिशा के औद्योगिक विकास निगम) के संयुक्त उद्यम के साथ वर्ष (दिनांक 18.01.2018) के दौरान शामिल किया गया था। हालांकि, वर्ष के दौरान कोई लेनदेन नहीं हुआ।
- सूची पुस्तक समायोजन: थोक तैयार माल के मामले में जो वॉल्यूमेट्रिक मापन के आधार पर मात्राबद्ध किया जाना है, वॉल्यूमेट्रिक मापन की स्वीकार्य त्रुटि सीमा तक भौतिक संतुलन में विचलन इकाई के सिर से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद खातों की पुस्तकों में समायोजित किया जाता है। उक्त सीमा से अधिक कोई भी विचलन, पुस्तक में समायोजन सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ किया जाता है।
- टीएसपी को साल के दौरान उप-उत्पाद के रूप में घोषित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादों के लागत पैटर्न में बदलाव आया है, तदनुसार टीएसपी के बंद होने वाले स्टॉक के मूल्य में 170.50 लाख रुपये का असर पड़ा है।
- जीएसटीएन के इलेक्ट्रॉनिक लेजर के साथ लंबित समाधान, आईटीसी शेष राशि खाता बहियों के अनुसार दिखाया गया है।
- एमके इकाई में कुछ परिसंपत्तियों की मूल्यहास गणना को वर्ष के दौरान संशोधित किया गया है, जिस पर प्रभाव की भौतिकता के आधार पर चालू वर्ष के खातों में 35.65 लाख रुपये की पहचान हुई है।
- वर्ष के दौरान, रेअर अर्थ इकाई में एचपीआरई (उच्च शुद्ध रेअर अर्थ) संयंत्र को 2,205.65 लाख रुपये के मूल्य के साथ पूंजीकृत किया है।
- दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से, कंपनी ने सभी इंडस्ट्रीज एएस मानकों को अपनाया है और 1 अप्रैल, 2015 की लेनदेन की तारीख के साथ भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 101, के लिए पहली बार अपना लेने के अनुसार अपनाने के लिए किया गया था। भारतीय लेखा सिद्धांतों से आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए भारतीय लेखांकन सिद्धांतों से लेनदेन किया गया था, जो अधिनियम (धारा) नियम, 2014 (आईजीएपी) के नियम 7 के साथ पढ़ा गया था, जो पिछला जीएपी था।

नोट-48

पिछली वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण / प्रकटीकरण के अनुरूप होने के लिए जब भी आवश्यक हो, पुनः एकत्रित / पुनः वर्गीकृत किया गया है।

उसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

गोखले एंड साठे

सनदी लेखाकार

FRN: 103264W

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

रूपेंद्र धीमान
कम्पनी सचिव

ए.रॉय चौधरी
महाप्रबंधक (वित्त)

दीपेन्द्र सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक

केदार ए मेहेंदले

भागीदार

सदस्यता संख्या: 116065

मुंबई

दिनांक 4 जुलाई, 2018

मुंबई

दिनांक 4 जुलाई, 2018

**Note 45: Disclosure of Provisions:**

Particulars	Closing balance as on 01.04.2017	Provision made during the year	Provision adjusted during the year	Closing balance as on 31.03.2018
Provision for disputed entry tax-OSCOM	69.51	1.99	0.19	71.31

Note 46:

The Company has been entrusted with the execution of a project on behalf of the Government of India. The operations relating to this project are being carried on by the Company in its own name. The cash and bank balance of ₹ 315.88 lakhs (Previous year ₹ 315.88 lakhs) and other transactions pertaining to this project, though managed by the Company in its name, are not incorporated in the annual accounts of the Company, as advised by the Government of India. The Company received Demand cum Show-Cause Notice (SCN) dated 29.06.2013 from the Asst. Commissioner of Sales Tax, Mumbai demanding payment of Sales Tax, Interest thereon and penalty aggregating to ₹ 668.67 lakhs relating to this project. On behalf of the Government of India, the Company contested the said SCN and the appeal is pending with Deputy Commissioner of Sales Tax (App-VI), Mumbai.

Note 47:

1. PRODUCTION : The Manvalakuruchi plant of the company remained non operational during 2017-18 due to non-issuance of transport permit by TN Govt. for the reason of non-availability of Environment Clearance (EC), however some production was made from the raw sand which was available within the factory premises. After active persuasion, EC finally accorded on 06.04.2018 paving the way of restoration of operation of the unit.
2. A subsidiary company named as "IREL IDCOL LIMITED" was incorporated during the year (Dt 18.01.2018) with joint venture of IDCOL (Industrial development corporation of Odisha). However, no transaction happened during the year.
3. Inventory Book Adjustment: In case of bulk finished goods which are to be quantified based on volumetric measurement, a deviation in the physical balance upto the acceptable error limit of volumetric measurement is adjusted in the books of accounts after obtaining approval from unit head. Any deviation which is more than the said limit, adjustment in the book is made with the approval of competent authority.
4. TSP is declared as by-product during the year which has resulted in change in the costing pattern of the products accordingly an impact of ₹ 170.50 lakhs in the value of closing stock of TSP.
5. Pending reconciliation with electronic ledger of GSTN, ITC balance is shown as per books.
6. The depreciation calculation of some of the assets in MK unit has been corrected during the year the impact of which amounting to ₹ 35.65 lakhs has been recognised in the accounts of the current year based on materiality of the impact.
7. During the year, HPRE (High Pure Rare Earths) plant at RED unit is capitalised with a value of ₹ 2,205.65 lakhs.
8. Effective April 1, 2016, the Company has adopted all the Ind AS standards and the adoption was carried out in accordance with Ind AS 101, First-time Adoption of Indian Accounting Standards, with April 1, 2015 as the transaction date. The transaction was carried out from Indian Accounting Principles generally accepted in India as prescribed under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 (IGAAP), which was the previous GAAP.

Note 48:

Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to correspond with current year's classifications/disclosures.

As per our report of even date attached

Gokhale & Sathe
Chartered Accountants
FRN: 103264W

For and on behalf of the Board of Directors

Rupender Dhiman
Company Secretary

A. Roy Chowdhury
General Manager (F)


D Singh
Chairman & Managing
Director

Kedar A Mehendale
Partner
Membership Number: 116065
Mumbai
Dated 4th July, 2018

Mumbai
Dated 4th July, 2018



Notes





एनएमडीसी, हैदराबाद में रेअर अर्थ्स और डाउनस्ट्रीम निधि के लिए आईआरईएल और एनएमडीसी के बीच एमओयू हस्ताक्षर समारोह।

MoU signing ceremony between IREL and NMDC for Rare Earths and downstream value addition at NMDC, Hyderabad.

राजभाषा पखवाड़े के उपलक्ष्य में श्री विनायक आपटे आई. जी. परमाणु ऊर्जा विभाग, दीप प्रज्वलित करते हुए

Shri Vinayak Apte, IG, DAE seen lighting lamp during Rajbhasha Pakhwara celebration 2017



श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआरईएल ने टीजेएमआई कांग्रेस 2017, हांगकांग में नई खनन नीतियों पर प्रस्तुति पेश की।

Shri D.Singh, CMD, IREL making invited presentation on New Mining Policies at TZMI Congress 2017, Hong Kong.



कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई में कंपनी की नई वेबसाइट के उद्घाटन के अवसर पर दिनांक 23.10.2017 में डॉ. शेखर बसु, सचिव (पऊवि) एवं अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग का स्वागत करते हुए श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआरईएल।

Felicitation of Dr Sekhar Basu, Secretary (DAE) & Chairman AEC by Shri D. Singh, CMD, IREL on 23.10.2017 on his visit at Corporate Office, Mumbai on inauguration of new website of the company.

इस्पात और खान मंत्री माननीय श्री निरंजन पुजारी, ओडिशा सरकार की उपस्थिति में खनन और खनिज पृथक्करण संयंत्र की स्थापना के लिए आईआरईएल-इडकॉल संयुक्त उद्यम का हस्ताक्षर समारोह।

IREL – IDCOL JV signing ceremony in presence of Shri Niranjana Pujari, Hon'ble Minister for Steel and Mines, Govt. of Odisha for setting up of Mining and Mineral Separation Plant.



श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ऑसकॉम में गणतंत्र दिवस परेड का निरीक्षण करते हुए।

Shri D. Singh, CMD inspecting Republic day parade at OSCOM.



Indian Rare Earths Limited,
(A Government of India Undertaking)

CIN: U15100MH1950GOI008187

Plot No. 1207, ECIL Building,

Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai-400028